छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019

(माघ 29, शक सम्वत् 1940)

[अंक 12]

छत्तीसगढ़ विधानसभा

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019

(माघ 29, शक संवत् 1940)

विधानसभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको लगातार 3 दिन से याद कराता हूं या स्मृति कराने की कोशिश करता हूं, देख लीजिए एक हफ्ते एक दिन में पूरा उत्साह खत्म हो गया है, ये उपस्थिति बताती है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्न दिवस है, उसके बाद भी कोई दबाव नहीं है। माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण सब गायब हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप अपनी तरफ भी तो देख लो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर सब कुर्सी खाली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा था तीन लोग आयेंगे, हम तीन लोग हैं।

रायगढ़ जिले में आयोजित विकास यात्रा में व्यय राशि

1. (*क्र. 68) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2018-19 में विकास यात्रा कार्यक्रम किस किस तिथि को कहां कहां पर आयोजित की गयी ? (ख) उक्त आयोजित कार्यक्रमों में कितनी-कितनी राशि किस-किस विभाग द्वारा किस-किस मद में खर्च की गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2018-19 में आयोजित विकास यात्रा कार्यक्रम की तिथिवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ"[1] पद दर्शित है. (ख) उक्त आयोजित कार्यक्रमों में कुल राशि रुपये 1,75,59,126/- (अक्षरी एक करोड़, पचहत्तर लाख उनसठ हजार एक सौ छत्तीसगढ़ मात्र) का व्यय किया गया. विभागवार मदवार एवं विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

[1] † परिशिष्ट- एक

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले में आयोजित विकास यात्रा में कितनी राशि खर्च की गई और किन-किन मदों से खर्च की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- कितने बड़े अपराध की सजा आदरणीय मुख्यमंत्री को मिल रही है, विकास यात्रा करने वाले पता नहीं कहां गये और उसका हिसाब-किताब हमारे मुख्यमंत्री जी को देना पड़ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस परिसर में विकास यात्रा में बहुत लोग शामिल हैं।

श्री भूपेश बघेल :- विकास तो नहीं हुआ, विनाश यात्रा थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28-05-2018 को छाल, रायगढ़ में, 07-06-2018 को सारंगढ़ में, 11-06-2018 को लैलूंगा में,18-02-2018 को धरमजयगढ़ में और 24-09-2018 का खरसिया में विकास यात्रा आयोजित की गई और कुल व्यय 1,75,59,126/- रुपये खर्च हुआ है। यह पूछे हैं कि किसमें-किसमें खर्च किया गया है या किस-किस विभाग से किया गया है?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी आ गई है, इसमें एक-दो जगह की जानकारी नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पेड़ के नीचे हुआ, पंडाल लगाकर हुआ या किस तरह से विकास यात्रा का कार्यक्रम हुआ ? दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहां से विकास यात्रा के लिए गये तो वह बाई रोड कार से या हेलीकॉप्टर से गये थे ? माननीय मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी व्यापक लोक महत्व का प्रश्न है। विस्तर से बताईयेगा, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। बहुत लोग महत्व का प्रश्न है।

श्री अमरजीत भगत :- सरकारी पैसा का जैसा दुरूपयोग किये हैं न, उसी के लिए पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मूल प्रश्नकर्ता हैं, उनको पूछने तो दो।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यात्रा सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर से भी हुई है। जहां तक राशि की जानकारी की बात है, सहायक श्रमायुक्त जिला रायगढ़ 1 लाख 63 हजार 73 रुपये, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग रायगढ़ 72 हजार 10 रुपये, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास 70 हजार, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ 8 लाख 20 हजार, अजय जी, लोक निर्माण विभाग 1 करोड़ 19 लाख 23 हजार रुपये, अधीक्षण यंत्री छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 3 लाख 70 हजार रुपये, कुल योग 1,34,975 रुपये है। और जो यहां से सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें 41 लाख 50 हजार 51 रुपये खर्च हुआ, प्रति ब्लाक 5 लाख रुपया, शासन स्तर से जो आदेश जारी हुआ था, उससे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया, कुल मिलाकर 1,75,59,126/- रुपया यह केवल रायगढ़ के 6 ब्लाक में जो दौरा हुआ है, उसमें यह व्यय हुआ है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर से जो गये हैं, उसमें कितनी राशि व्यय हुई है ? हेलीकॉप्टर से यहां से गये, उसमें कितनी राशि व्यय हुई, कितना किराया लगा ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री यदि सड़क मार्ग से या हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है, इसकी जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं विभाग से इसकी जानकारी लेकर अलग से सदस्य को दे दूंगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मदों का उल्लेख नहीं हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी आपने विभाग का उल्लेख कर दिया है लेकिन मदों का उल्लेख नहीं किया है कि किस मद से आपने खर्चा किया है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । यह मूल प्रश्न से उद्धृत नहीं होता, आप बैठिये । श्रीमती इन्दू बंजारे ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बचा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इन्दू बंजारे ।

प्रदेश में संचालित सार्वजनिक उपक्रम

2. (*क्र. 947) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. प्रदेश में कौन-कौन से सार्वजनिक उपक्रम कहां-कहां कब-कब से संचालित है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम कहां-कहां कब-कब से संचालित है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें कितने कुशल और कितने अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, यह भी आपकी जानकारी अलग है । आपने केवल यह पूछा है कि कौन-कौन सार्वजनिक उपक्रम कहां-कहां संचालित हैं उसमें कौन-कौन काम कर रहे हैं तो इतना लंबा कहां से बता पायेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक उपक्रम कब-कब, कहां-कहां संचालित हैं इसके माध्यम से भी मैं यहां पर प्रश्न उठा सकती हूं कि कितने कुशल श्रमिक और कितने अकुशल श्रमिक यहां पर कार्यरत हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये मेडम, इतने लंबे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इसका उत्तर देना चाहते हैं और बहुत क्षमतावान हैं । चूंकि पहला प्रश्न है यदि वे बताना चाहते हैं तो उन्हें बताने दीजिये । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- देखिये । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि यदि उनके पास जानकारी है तो दे दें मगर उनका प्रश्न बहुत विस्तृत है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहां-कहां, कौन-कौन से सार्वजनिक उपक्रम कहां-कहां, कब-कब से संचालित हैं । अब उसकी जानकारी हमने परिशिष्ट में दे दी है कि 22 सार्वजनिक उपक्रम यहां कार्यरत हैं और उसके बारे में आपने पूछा है तो वैसे आपको उसकी जानकारी अलग से दे दी गयी है अब इसमें कौन-कौन कितना काम करते हैं चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय आपने पहले ही कहा कि यह विषय उद्भुत भी नहीं होता और कोई किसी कॉर्पोरेशन के बारे में आपको अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो वह जानकारी मांग लेंगे, मैं बाद में दे दूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्यों बीच में इसकी जानकारी चाहते हैं भई ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतने उपक्रम में कितने उपक्रम लाभ के पद पर कार्य कर रहे हैं और कितने मायनस में हैं ? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के उपक्रम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितने उपक्रम लाभ के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप हाथी के ही पीछे क्यों पड़े हैं ? कभी जंगल के हाथी, कभी सफेद हाथी ?

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दें, वे और कुछ पूछना चाहती हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं पहले इसका जवाब दे दूं फिर आप पूछ लीजियेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि इसमें कौन से लाभ के हैं और कौन से हानि के हैं ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 में से 11 जो सावर्जनिक उपक्रम हैं वह लाभ में हैं, 7 उपक्रम जो हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वह हानि में हैं और जो 4 अभी नये गठित हुए हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ है तो इसलिये बता पाना संभव नहीं है।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं कि हमारे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसमें कितने किसानों की जमीन प्रभावित हुई है और कितने किसानों को मुआवजा प्राप्त हुआ है और कितनों को उन उपक्रमों में नौकरियां प्राप्त हुई हैं इसकी जानकारी भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रबोधन का कार्यक्रम इसीलिये रखा था कि माननीय नये सदस्यों को किस प्रकार से प्रश्न पूछना है । लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसे किसी और विषय में, दूसरे संदर्भ में या दूसरा प्रश्न लगायें तो उसका उत्तर आ सकता है लेकिन आपने जो प्रश्न किया है उससे उद्भुत नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- उद्भुत नहीं होता ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अभी जितना भी प्रशासकीय प्रतिवेदन आयेगा उसमें सारी जानकारी आपको मिल जायेगी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, क्या स्थिति है वह सबकी आपको जानकारी मिल जायेगी ।

<u>चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण</u>

3. (*क्र. 880) श्री दीपक बैज : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 25.01.19 तक कितने गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? कितने गांवों में विद्युतीकरण का कार्य चालू है या पूर्ण नहीं हुआ है ? (ख) कितने ग्राम विद्युत विहीन हैं ? उक्त विद्युत विहीन ग्रामों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु घोषित मापदण्डों के अनुसार दिनांक 25.01.2019 की स्थिति में चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के सभी 233 आबाद ग्राम में ग्रिड/आफग्रिड से विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण किया जाकर उन्हें विद्युतीकृत घोषित किया गया है. लेकिन उक्त विधानसभा क्षेत्र के 49 ग्रामों में से 47 ग्रामों के शेष बचे अविद्युतीकृत घरों में ग्रिड से विद्युत कनेक्शन जारी करने का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 02 ग्रामों के शेष बचे अविद्युतीकृत घरों में ग्रिड से विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. (ख) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ग्राम विद्युत विहीन नहीं है. लेकिन जिन 49 ग्रामों के शतप्रतिशत घरों में विद्युत कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है के कनेक्शन 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह प्रश्न था । चूंकि मैंने चित्रकूट विधानसभा के अंतर्गत कितने गांव में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और कितने गांव में काम चालू है और कितने गांवों में नहीं हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आया है कुल 233 गांवों में से 47 गांवों में प्रगति पर है और 2 गांवों में कार्य चालू नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि ये 47 गांव कौन से हैं, जहां प्रगति पर है और 2 गांव कौन से हैं जहां कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय :- शत् प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है । लेकिन उसमें सभी घरों के विद्युतीकरण का कार्य शेष है । जिन 9 स्थलों में सौर विद्युतीकरण हेतु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रस्ताव किया गया है । आपने पूछा, उसमें कोड़ेनार में जो कि बस्तानार विकासखंड में है, 31 घर । बुरगुम, बस्तानार में 30 घर, सड़रो, बोड़ेनार में 6, कावानार में 8, वाहनपुर 10, सांगवेल 25, कोंडालूर दरभा ब्लॉक में 45, मूंडेनार दरभा में 25, काकलगुर भदरीमहू दरभा में 130 घरों में विद्युतीकरण करना बाकी है ।

श्री दीपक बैज :- और वे दो गांव, जहां विद्युतीकरण चालू नहीं हुआ है?

श्री भूपेश बघेल :- मैं चेक करके आपको अलग से बता दूंगा ।

श्री दीपक बैज :- बिल्कुल । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उत्तर दिया है । अध्यक्ष महोदय, कुछ गांव और बचे हैं, ग्राम कोड़ेनार क्रमांक 1, पटेलपारा के 65 घर बचे हुए हैं । गुड्डीपारा के 50 घर बचे हुए हैं । उषापारा के 32 घर बचे हुए हैं । बंकोपारा और हड़मापारा में अधूरा है । उसके अलावा ग्राम पंचायत कोड़ेनार 2, कुम्मापारा, पहाड़ ऊपर में सिल्लकजोड़ी, जुन्नापारा के 12 घर, मांझीभाटा के 2 घर बचे हुए हैं । ग्राम पंचायत कापानार, पुजारीपारा और कांडकेपारा में खंभा भी नहीं लगा है । साड़रा, बोदेनार का भी वही हाल है । बुरूंगपाल के कोटेनपारा, कल्लोपारा और पटेलपारा । पकनार में भी बचा हुआ है । बेजरीपदर और साल्हेपाल के कुछ घरों में बचा हुआ है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनमें कब तक शेष बचे हुए कामों को कम्प्लीट करा देंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बैज जी बहुत सक्रिय विधायक हैं । उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं उसका भी परीक्षण करा लेता हूं । इन सारे गांवों को विद्युतीकृत करना है, 31 मार्च 2019 तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, मारडूम के करलाकोंटा गांव है, जहां पर सौर प्लेट से विद्यतीकरण किया जा चुका है लेकिन वहां कोई मेंटेनेंस नहीं है, बार बार खराब हो रहा है । वह पहाड़ के नीचे बसा हुआ गांव है, तकरीबन 40 घर हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि उक्त गांवों को भी बिजली खंभे से विद्युतीकृत किया जाए और दूसरी चीज, दो गांव पखनार और कोडरीपाल में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाखों रूपए का बिजली भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूं कि उक्त प्रकरण की जांच कराकर उनको मजदूरी का भुगतान करा देंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इनका पहला सवाल ग्रिड से कनेक्शन देने का है । हमारी कोशिश है कि हम ग्रिड से दें लेकिन जहां ग्रिड से नहीं दे सकते वहां ऑफग्रिड से ऊर्जीकृत करने का है । हम उसका परीक्षण करा लेते हैं यदि वहां ग्रिड से पहुंचा जा सकता है तो निश्चित रूप से ग्रिड से देंगे । लेकिन जहां ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है तो ऑफग्रिड से देने की व्यवस्था करेंगे । जहां तक भुगतान की बात है तो उसका परीक्षण मैं करवा लेता हूं । मजदूरी का भुगतान तो होना ही चाहिए, मैं उसका दिखवा लेता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

श्री दीपक बैज :- अमरजीत भइया, एक प्रश्न और है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सरगुजा में रहते हैं और वे बस्तर वाले हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- इसी से संबंधित है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय दीपक बैज जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग्य विधायक कहा तो वे भी साबित करने के लिए खड़े हो गए ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, सारे लोग योग्य हैं और सारे सदस्य विद्वान हैं । इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए ।

श्री दीपक बैज :- माननीय सी.एम. साहब, करलाकोंटा एकदम जरूरी है। उसको थोड़ा सा प्रयास करके अगर करेंगे तो निश्चित रूप से माड़ुम करलाकोंटा पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। अगर उसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे सी.एम. साहब तो निश्चित रूप से उक्त गांव में 40 घरों को बिजली मिलेगा। मेरा निवेदन है कि उसको करा दें तो बहुत 40 घरों को फायदा होगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसके अनुरूप कार्य होगा। मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि बहुत सारे गांव में जो विद्युतीकरण किया गया जिसमें राजीव गांधी विद्युतीकरण से, दीनदयाल योजना से, मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना से तो उसमें जो गांव हैं राजीव गांधी विद्युतीकण की योजना से छूट गया है, दीनदयाल योजना से छूट गया है। उसको कोई ऐसी योजना बनाकर कवर करेंगे क्या? जिससे कि गांव में बिजली पहुंचाया जा सके।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है और आपकी जानकारी में हो तो दे दीजिए, हम वहां परीक्षण करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- रंजना डीपेन्द्र साहू, आप कहिए।

धमतरी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामोद्योग के तहत ऋण हेतु प्राप्त आवेदन

4. (*क्र. 868) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में ग्रामोद्योग विभाग से कितने लोगों के आवेदन ऋण हेतु प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदन स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने आवेदन अस्वीकृत हैं ? स्वीकृत आवेदनों में से कितने को लोन प्रदाय किया गया है ? एवं कितनों को नहीं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में ग्रामोद्योग विभाग को कुल 30 आवेदन ऋण हेतु प्राप्त हुए, जिसमें से बैंकों द्वारा 12 आवेदन स्वीकृत किये गये तथा 5 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत 12 आवेदनों में ऋण वितरण की कार्यवाही बैंकों द्वारा की जा रही है तथा 13 आवेदनों में लोन प्रदाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विभागीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में ग्रामोद्योग विभाग से कितने लोगों का आवेदन ऋण हेतु प्राप्त किया गया है? जिसमें से कितने आवेदन स्वीकृत किये गये हैं? कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं? माननीय मंत्री जी इनका जवाब दें।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- उसका जवाब उसमें है। आप एक बार देख लीजिए। मैंने आपको जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर पुस्तिका को पढ़िए।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय मंत्री जी का यह जवाब आया है। धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 2018-19 में कुल 30 आवेदन ऋण हेतु आये हैं और जिनमें से बैंकों द्वारा 12 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। 5 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं और 12 आवेदन ऋण वितरण की कार्यवाही बैंकों द्वारा की जा रही है। 13 आवेदन में लोन प्रदाय की कार्यवाही की गई है। माननीय महोदय जी, मेरा प्रश्न यही है कि यदि 30 आवेदन हैं और इनमें से अभी चूंकि 2018-19 आखिरी महीना है और अभी तक जिन्होंने लोन लिया है, उनको लोन नहीं मिला है। वास्तव में जो हितग्राही हैं, उनको लोन नहीं मिला है तो यह कार्यवाही कब होगी ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- इस वित्तीय वर्ष में सबको मिल जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे जिले का ही प्रश्न है .....।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न समाप्त हो गया है। आपका खत्म हो गया कि और पूछना है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- नहीं नहीं, पूछ लू।

अध्यक्ष महोदय :- पूछ सकते हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मेरा कहना सिर्फ यही है कि चूंकि साल का आखिरी महीना है और हितग्राही इसी तरह भटकते रहता है और उनका वास्तव में दो प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और पूरे धमतरी विधान सभा, पूरे जिले और पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है कि वास्तव में ग्रामोद्योग से जिनको लोन चाहिए, उनको लोन नहीं मिलता है। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा निवेदन केवल यही है कि जिन युवाओं को अपना रोजगार आगे बढ़ाना है या उनको नये रोजगार डालने हैं, उनको समय पर लोन नहीं मिलता है। वे आवेदन की प्रक्रिया करते हैं और जब लास्ट में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद बैंक उनको यह कहता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा तो पहले वे बैंकों में जाकर सहमति पत्र एन.ओ.सी. ले ले या सहमति पत्र ले ले। उनको मिल जाए कि आपको लोन मिलेगा। उसके बाद वे अन्य कार्यवाही करें।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जितने लोग बचे हैं, सबको प्राप्त हो जायेगा। मिल जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपसे आग्रह है कि जो संशोधित उत्तर आया है, उसको आप भी देख लीजिएगा। स्वीकृत 12 आवेदनों में ऋण वितरण की कार्यवाही बैंकों द्वारा की जा रही है तथा 13 आवेदनों में लोन प्रदाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो कार्यवाही की जा रही है और प्रक्रियाधीन है इसका तात्पर्य क्या है, दोनों का तात्पर्य बताने का कष्ट करें।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- इसमें मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसमें 9 लोगों का जो है....।

श्री अजय चन्द्राकर :-नहीं मैं तो..।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- मैं पूरे 13 का जवाब दिया हूं न। सुन लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आंकड़ा नहीं पूछ रहा हूं। बहुत स्पेशिफिक है जो शब्द आपने उपयोग किया है। 12 आवेदनों में ऋण वितरण की कार्यवाही बैंको द्वारा की जा रही है। 13 आवेदनों में लोन प्रदाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो कार्यवाही की जा रही है इसका मतलब क्या है और प्रक्रियाधीन है इसका मतलब क्या है, यह मुझे बताने का कष्ट करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मिल जायेगा, कहीं नहीं लिखा है। यह सिर्फ घुमाने की भाषा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप भाषा देखिये। स्वीकृत 12 आवेदनों में ऋण वितरण की कार्रवाई बैंकों द्वारा की जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ ? 13 प्रक्रियाधीन है, इसका क्या मतलब हुआ ?आप मुझे दोनों का अंतर बता दीजिये ? मिल जायेगा, मैं ऐसा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं पूछा हूँ। प्रकियाधीन और कार्रवाई प्रचिलत है, इसका मतलब दोनों में अंतर क्या है, दोनों के अर्थ क्या है, मैं यह जानना चाहता हूँ ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों का आंसर यह है कि 12 प्रकरणों में विरतण की कार्रवाई शेष है और 13 में अभी चर्चा नहीं हुआ है, वह हो जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर क्लीयर नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि ...।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रही हूँ कि ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट उत्तर आ जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आप व्यवस्था देने लगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहली बार जीतकर आई हैं और बहुत अच्छा सवाल कर रही हैं और आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न कर रही हैं। वह पूछना चाह रही हैं। मूल प्रश्नकर्ता को पूछने नहीं देते। इधर एक सीनियर पूरक प्रश्न पूछ लिए और एक व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत छोटे से प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अपने मंत्री के रक्षण के लिए खड़ा होना पड़ गया तो बड़े विषय पर क्या होगा ? छाटे प्रश्न के लिए आप खड़े हो गए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाये तो उसी रोल को ये निभा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसा व्यवस्था दें।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों का ही अंतर बताया। मैं आपकी बात को दोबारा दोहरता हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष जरूर नहीं बन पाये, लेकिन आप पूरे रोल में हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर वही बात स्थापित हो रही है। यह शब्दों की बाजीगरी है। कुल मिलाकर ऋण नहीं दिए जा रहे हैं। उसको वह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि प्रक्रियाधीन और कार्यवाही क्या प्रचलित है ? दोनों अलग-अलग क्या है, बताईये कि इसका मतलब यह होता है और इसका मतलब यह होता है। मैं तो एक लाईन में पूछ रहा हूँ, कोई आकड़ें पूछ ही नहीं रहा हूँ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बता रहा हूँ। मैं उसका अंतर ही बता रहा हूँ। जो 12 प्रकरण हैं, उनमें वितरण की कार्रवाई शेष है। एक मिनट सुन लीजिये। जो 13 प्रकरण हैं, उसमें अभी स्वीकृति मिलना है, उसका बाकी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा उत्तर हुआ ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इन प्रश्नों को पढ़ लीजिये। स्वीकृत 12 आवेदनों में ऋण वितरण की कार्रवाई बैंकों द्वारा की जा रही है तथा 13 आवेदनों में लोन प्रदाय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बार-बार इसी का अंतर पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कैसा उत्तर आ रहा है ? यह तो विधान सभा की आवमानना हो रही है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाधीन है, अण्डर प्रोसीजर।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ भी उत्तर ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उत्तर को समझ लीजिये।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- प्रकियाधीन है, मतलब अण्डर प्रोसीजर है।

श्री अमरजीत भगत :- आप भी उस सीट में बैठते थे तो वैसा ही उत्तर देते थे। वह सीट का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै बहुत विद्वान हस, तोला अभी उहां अमराय जाही।

श्री अमरजीत भगत :- आप भी उस सीट में बैठते थे तो वैसा ही उत्तर देते थे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी क्या 31 मार्च के पहले बैंक स्पष्ट कर देगा, लिखकर दे देगा कि हम इतने लोगों को ऋण दे रहे हैं या इतने लोगों को ऋण प्रदान कर चुके हैं और इतने में कार्रवाई लंबित है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मिल जायेगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मिल जायेगा ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही बोला कि वित्तीय वर्ष के अंत तक सबको मिल जायेगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह वर्ष का महीना है और अंतिम महीने में भी हितग्राहियों को नहीं मिला है तो कब मिलेगा ? तो हम हितग्राहियों को कब रोजगार देंगे, वह कब अपने व्यवसाय को आगे बढ़ायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मार्च तक हो जायेगा।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका पुराना कार्य रूका हुआ है, जिसको हम दे रहे हैं। यह आपके समय का रूका हुआ है, हम इसको एलाट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजीत जोगी जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकेण्ड माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रश्न के माध्यम से आपसे एक ही आग्रह है। यह सिर्फ धमतरी जिले का नहीं है, अमूमन पूरे प्रदेश में यही

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्थिति है। निरस्त क्यों करते हैं इसका भी कोई कारण नहीं बताते हैं। वास्तव में इसमें लोगों को मदद होनी चाहिए और टाईम पीडियेड में मिलनी चाहिए, इसकी आप व्यवस्था करिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है। हम लोग विभाग से तैयारी कर लेते हैं लेकिन बैंकों के द्वारा इस प्रकार से अड़गेबाजी किए जाते हैं और उसका लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि कई महीने लग जाते हैं, विभाग की प्रक्रिया पूरी करने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन पता नहीं कि बैंक में किन कारणों से ऐसा हो जाता है और बहुत सारे साथी घूमते रहते हैं। इस मामले में निश्चित रूप से जितने बैंकर्स हैं, उनकी एक मीटिंग करके स्पष्ट निर्देश दिया जायेगा कि समय सीमा में उनके जो ऋण हैं, उनको स्वीकृत किए जायें ताकि हितग्राहियों को उनका लाभ मिल सके।

<u>बिलासपुर स्थित पेन्डारी कानन जू में वन्य प्राणियों की संदिग्ध मौत</u>

5. (*क्र. 978) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर स्थित पेंडारी कानन जू का क्षेत्रफल कितना है एवं किस-किस प्रजाति के कितने वन्यप्राणी हैं ? (ख) क्या पेंडारी कानन जू में वन्य प्राणी नेशनल जू अथॉरिटी के मापदंड एवं निर्देश के अनुरूप बनाये गये केज में रखे गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बिलासपुर स्थित कानन पेण्डारी जू का कुल क्षेत्रफल 147.490 हेक्टेयर है. कानन पेण्डारी जू में 65 प्रजातियों के कुल 636 वन्यप्राणी रखे गये हैं. प्रजातिवार विवरण †[2] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कुछ वन्यप्राणियों के एनक्लोजर, जो वर्ष 2009 में जारी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा एनक्लोजर के मापदण्ड निर्धारण के पूर्व बनाये गये थे, को छोड़कर, अधिकांश वन्यप्राणी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मापदण्ड एवं निर्देश के अनुरूप बनाये गये एनक्लोजर में रखे गये हैं.

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के पास बना कानन पेन्डारी जू उस पूरे इलाके के लिए एक मुख्य आकर्षण का केन्द्र बन गया और सैंकड़ों लोग रोज और छुट्टी के दिन हजारों लोग वहां जाते हैं और इस दृष्टि से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी वहां केवल कुछ प्रजातियां हैं और क्या युद्ध स्तर पर ये प्रयास किया जाएगा कि जब लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं तो वहां अन्य प्रजातियां दूसरे जू से एक्सचेंज में या अन्य किसी प्रकार से लायी जाएंगी, जिससे वह और अच्छा बन सके और ज्यादा प्रजातियां वहां लोगों को देखने को मिल सकें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय वहां वन प्राणियों की 65 प्रजातियां

---

[2] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं, लेकिन जैसे माननीय जोगी जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, हम लोग इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि और अधिक प्रजाति आ सके ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 में नेशनल जू अथॉरिटी ने मापदण्ड बनाए थे । आपने अपने उत्तर में ये कहा है कि कुछ एनक्लोजर ऐसे हैं, जो 2009 के मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं और कुछ एनक्लोजर ऐसे हैं, जो 2009 के मापदण्ड के अनुसार हैं । आपने संख्या नहीं बतायी है, आपने कहा है-कुछ । कुछ का मतलब 5 भी हो सकता है, कुछ का मतलब 100 भी हो सकता है तो जब प्रश्न पूछा गया है तो उसका मैं स्पेशिफिक रूप से जानना चाहता हूं कि कितने एनक्लोजर हैं, कुछ मत बोलिए ? संख्या बताइए कि कितने एनक्लोजर हैं, जो जू अथॉरिटी के मापदण्ड के अनुसार बने हैं और कितने ऐसे हैं, जो मापदण्ड के अनुसार नहीं बने हैं । कृपया संख्या बताइए, कुछ मत बताइए ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 एनक्लोजर जू अथॉरिटी आफ इंडिया के मापदण्ड के अनुसार हैं और 37 एनक्लोजर मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार एक-दो महीने पहले जो वहां सफेद शेर की मृत्यु हुई और ये बताया गया कि सर्प के काटने के कारण उसकी मृत्यु हुई । सफेद शेर सबसे बड़ा आकर्षण का केन्द्र था और बहुत कम देखने को मिलता है । एक जमाने में तो लगभग विलुप्त हो गया था । उसकी मृत्यु हुई है, ये दुःखद बात है और सांप के काटने से हुई है । इसका एक कारण ये दिखता है कि उसका एनक्लोजर मापदण्ड के अनुसार नहीं बना था, अन्यथा सांप उसके एनक्लोजर के अंदर नहीं घुस सकता था और उसे नहीं काट सकता था । तो ये गंभीर चूक जू के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा की गई है । तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सफेद शेर की मृत्यु हुई और सांप के काटने से हुई और मापदण्ड के अनुसार उसका एनक्लोजर नहीं बना था, इसलिए मृत्यु हुई तो क्या इस विषय की जांच करके किसी को दंडित किया गया है, क्या इस विषय की जांच की गई है और क्या जो सफेद शेर जो वहां लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए क्या मंत्री महोदय प्राथमिकता से प्रयास करके कहीं से वहां सफेद शेर फिर से लाने की कोशिश करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर ये माना गया है कि सफेद शेर की मृत्यु सांप के काटने से हुई है । आपने एनक्लोजर की जो बात कही तो वह एनक्लोजर मापदण्ड के अनुसार उसका निर्माण कर दिया गया है और जहां तक सफेद शेर के मामले में मैं स्वयं वहां कानन पेंडारी गया था, मैंने अलग-अलग डाक्टरों से वहां पर बातचीत की, बातचीत करने के बाद जो जानकारी आई, उसके हिसाब से पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जहर के कारण उनकी मृत्यु हुई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर सांप अंदर घुस गया, इसका मतलब एनक्लोजर ठीक नहीं बना है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एनक्लोजर डेढ़ फीट बाई डेढ़ फीट की जो नाली होती है, उसके हिसाब से उसमें सांप प्रवेश कर सकता है ।उसके पहले वह नहीं था । लेकिन बाद में उसको सुधारा गया है और तीन फीट बाई तीन फीट की नाली बना दी गई है, आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न हो, इसलिए रोकथाम के लिए यह कार्यवाही की गई है ।

श्री अजीत जोगी :- पहले क्यों नहीं था, उसके लिये तो कोई जवाबदार होगा । उसको तो दंडित करना चाहिये ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले जो भी नहीं था, उसको हम लोग पूरा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री अजीत जोगी :- या फिर किसी को दंडित करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- दंडित करेंगे क्या, पूछ रहे हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, माननीय मंत्री जी, मैं पूछ रहा हूँ । इस प्रश्न में मेरी उत्सुकता बन रही है । मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो 65 प्रजाति बताया है, उसमें नेवले की संख्या दो है । जस्ट एक मिनट सुन लीजिए । अहिराज की संख्या 3 है, घोड़ा करायत 2 है, गोंह 6 है, नांगडोमी 14 है, असड़िया सांप 6 है, मुसलेड़ी 7 है और बटेर 10 है, जंगली मुर्गा 7 है और उल्लू 2 है । इस तरह की प्रजातियां वन विभाग के द्वारा कैसे गिनी जाती है । इसे लिखित में भिजवा दीजिएगा ?

श्री अमरजीत भगत :- इसमें दो मुंहा सांप के बारे में नहीं पूछे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- गिनती की ही बात कर रहा हूॅ ना । नेवला 2 है, नेवला इधर आया कभी उधर चला जायेगा.....!

श्री रविन्द्र चौबे :- सांपों की गिनती में आपकी क्या रूचि । और बहुत सारे सांप भाग गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो बोल रहा हूॅ, इन्होंने जो संख्या दी है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सांप भाग गये हैं और उल्लूओं का बसेरा हो गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- और घोड़ा करायत की संख्या बढ़ गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनने उल्लूओं की संख्या सिर्फ दो बताई है । हंसी

श्री अजय चन्द्राकर :- पर बसेरा हो गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रशिम आशिष सिंह :- चूंकि कानन पेण्डारी तखतपुर विधान सभा के अंतर्गत आता है । वहां केज के अंदर सारे जानवर है । उनकी गिनती संभव है। जैसा कि माननीय अजीत जोगी जी ने कहा, सफेद शेरनी अभी भी वहां पर है ।

अध्यक्ष महोदय :- सिर्फ शेरनी है कि शेर भी है ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- वहां पर सफेद शेर और भी हैं । पहले जो पिट था, उसकी गहराई ज्यादा थी । लेकिन रोज-रोज धोने से उसमें मिटटी भर गई थी, पिट की गहराई खत्म हो गई थी, जो इस घटना की वजह बनी ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल ।

<u>चिरमिरी आवर्धन जल प्रदाय योजना की स्वीकृति</u>

6. (*क्र. 559) डॉ. विनय जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिरमिरी जल आवर्धन योजना हेतु प्रारंभ में स्वीकृति राशि कितनी थी ? तथा इसमें से कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) उक्त जल आवर्धन योजना का प्राक्कलन कितनी जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) चिरमिरी आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु रु. 3448.75 लाख की स्वीकृति दिनांक 29.04.2013 को प्रदान की गई. (ख) उक्त जल आवर्धन योजना का प्राक्कलन वर्ष 2013 को आधार मानते हुए आगामी 15 वर्षों के लिये रूपांकित जनसंख्या 1,41,864 के लिये मोटर पंप, जल शुद्धिकरण संयंत्र एवं उच्च-स्तरीय टंकियों के कार्य हेतु तैयार किया गया है तथा वर्ष 2013 को आधार मानते हुये आगामी 30 वर्षों की रूपांकित जनसंख्या 1,70,368 के लिये इंटेकवेल, अशुद्घ जल पंपिंगमेन एवं शुद्घ जल पंपिंगमेन तथा जल वितरण प्रणाली के कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है.

डॉ.विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चिरमिरी जल आवर्धन योजना हेतु प्रारंभ में कितनी स्वीकृत राशि थी, तथा इसमें कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई और दूसरा क्वेश्चन है कि उक्त जल आवर्धन योजना का प्राक्कलन कितनी जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें आन्सर दिया है । आन्सर पढ़िये उसके बाद प्रश्न करिये ।

डॉ.विनय जायसवाल :- सॉरी । अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री महोदय जी ने आन्सर दिया है । चिरमिरी आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु 34 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति दिनांक 29-4-2013 को प्रदान की गई । उक्त जल आवर्धन योजना का प्राक्कलन वर्ष 2013 को आधार मानते हुये अभी 15

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्षों के लिए रूपांकित जनसंख्या 1 लाख 41 हजार 864 मोटर पंप, जल शुद्धिकरण संयंत्र एवं उच्च स्तरीय टंकियों के कार्य हेतु तैयार किया गया है । तथा वर्ष 2013 को आधार मानते हुये 30 वर्षों की रूपांकित जनसंख्या 1 लाख 70 हजार 368 के लिए इंटकवेल अशुद्ध जल पंपिंग गेन एवं शुद्ध जल पंपिंग गेन तथा जल वितरण प्रणाली के लिए कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि यह जो जल आवर्धन योजना का काम्पिलियेशन का जो डेट था, वह क्या है ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- फिर से बोलो तो ?

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, जल आवर्धन योजना जो मैंने प्रश्न किया है, उसकी अंतिम तिथि क्या थी, पूर्ण कब करना है ?

अध्यक्ष महोदय :- उसको पूर्ण करने की तिथि क्या निर्धारित थी, आज की परिस्थिति क्या है?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- आज की परिस्थिति में वह 85 प्रतिशत पूर्ण है। पिछले एक साल से वह काम इसलिए रूका हुआ था क्योंकि पुरानी सरकार के द्वारा वहां पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। अब वह कनेक्शन मिल गया है। उसकी परमीशन मिल गई है, चार महीने में कम्प्लीट हो जायेगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि वह वर्ष 2017 में पूर्ण होना था और 34 करोड़ रूपये की उसकी जो प्रारंभिक अनुमानित लागत थी वह 54 करोड़ रूपये हो गयी है। इसके बाद भी इस जल आवर्धन योजना में आज तक एक गिलास पानी चिरमिरी के लोगों को पीने को नहीं मिला है। इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या आप इसकी पूरी जांच करायेंगे?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- अध्यक्ष महोदय, जब बना ही नहीं है तो पानी मिलेगा कहां से। इसमें 2016 में एनीकट की स्वीकृति कराई गई थी, जिसके कारण इसका बजट इन्क्रीज हुआ था। अध्यक्ष महोदय, इसमें भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि उस सरकार के द्वारा वहां पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया था जिसके कारण काम रूका पड़ा था। अभी हाल ही में विद्युत विभाग से बात हुई है बहुत जल्द वह हमें बिजली कनेक्शन दे देंगे और चार महीने में हम काम पूरा करके इनको दे देंगे।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि ये जो जल आवर्धन योजना है इसमें डिस्ट्रीब्यूसन का कोई सिस्टम नहीं है। इस 55 करोड़ की जल आवर्धन योजना में जो वितरक पाईप है उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूं कि इसमें चाहेंगे तो इस योजना के बारे में मैं इनको पूरा डिटेल उपलब्ध करा दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजनांदगांव जिला अंतर्गत उद्योगों का लंबित बिजली बिल का भुगतान

7. (*क्र. 941) श्री दलेश्वर साहू: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी लिमिटेड के द्वारा 31 जनवरी, 2019 तक राजनांदगांव जिले के औद्योगिक क्षेत्र के वृहद, मध्यम व लघु उद्योगों का बिजली बिल का भुगतान कितना शेष है? उद्योग/फर्मवार, वर्षवार, बकाया राशि की जानकारी देवें. (ख) शेष भुगतान वाले कितने उद्योग को बिजली की आपूर्ति जारी है व कितने की आपूर्ति बंद कर दी गई है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) दिनांक 31 जनवरी 2019 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत निम्नदाब एवं उच्चदाब उपभोक्ताओं, औद्योगिक उपभोक्ताओं से बिजली बिल की कुल बकाया राशि रुपये 357.07 लाख है, जिसकी उपभोक्तावार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" के बकाया राशि वाले 198 उपभोक्ताओं में से 47 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित हैं तथा शेष 151 उपभोक्ताओं को बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में भुगतान हेतु नोटिस जारी कर, नोटिस जारी करने की तारीख से 15 दिवस की समयसीमा में भुगतान करने के लिये अवगत कराया गया है. यदि उक्त अवधि में बकाया राशि वाले उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया जावेगा. वर्तमान स्थिति में कनेक्शन विच्छेदित करने की तारीख तथा नोटिस जारी करने की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री दलेश्वर साहू:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब लगभग आ चुका है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि बिजली बकाया वसूली के अलावा क्या किसी के निर्देशन में भी बिद्युत लाईन काटी गई है और कितने बिजली लाईन काटे हैं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत बिल नहीं पटाने की स्थिति में उसे नोटिस दिया जाता है और उसके बाद बिजली काटी जाती है। लेकिन इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं है कि किसी का हो। कोई प्रश्न हो तो आप बता दें?

श्री दलेश्वर साहू:- आपके विभाग में कौन-कौन से विभाग के निर्देश का पालन करना अनिवार्य है और आप लोग जिस निर्देश का पालन करते हैं क्या वह नियमावली या बॉयलॉज में है या व्यावहारिक दृष्टिकोण से आप लोग लाईन काटते हैं? चाहे पर्यावरण मंडल हो या उद्योगों पर कार्रवाई की बात हो विभाग खुद अपने विभाग से क्यों नहीं करना चाहता? क्या आपको उनके निर्देश का पालन करना अनिवार्य है? अगर होगा तो आप नियमावली बतायेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई उद्योग विभिन्न विभागों के निर्देश का पालन न करे तो उस स्थिति में वह विभाग निर्देश दे सकता है।

श्री दलेश्वर साहू:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यावहारिक दृष्टिकोण है या नियमावली में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियमों में है, व्यावहारिक वाली बात यहां कहां से आ जाती है। कानून और नियम से चलता है और नियम का पालन किया गया है।

श्री दलेश्वर साहू:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन से नियम के तहत आप विद्युत काटते हो, यह तो बता दीजिएगा?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यदि उस विभाग से प्रश्न करते, उस नियम से प्रश्न करते तो आपको उसका उत्तर मिलता। अभी प्रश्न यह है कि यदि बिल नहीं पटाया है तो उसकी स्थिति की जानकारी आपने मांगी है और वह जानकारी आपको दे दी गई है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह उद्भुत नहीं होता। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि उसके बारे में जानकारी चाहिए तो संबंधित विभाग से प्रश्न या ध्यानाकर्षण लगायें। अभी तो अनुदान मांग पर चर्चा होगी, उस पर चर्चा कर लें, उसकी जानकारी आपको मिल जायेगी।

<u>प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल आधे किए जाने की योजना</u>

8. (*क्र. 158) श्री धरमलाल कौशिक:- क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल आधा किये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां तो योजना अंतर्गत किस-किस श्रेणी के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है ? श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या जिलेवार बतायें ? (ख) उक्त योजना कब तक लागू कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल की राशि को आधा किया जाने की योजना विचाराधीन है. जिलेवार घरेलू कनेक्शन की संख्या +[3] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार वर्तमान में प्रस्ताव के विचाराधीन होने से कब तक लागू किया जावेगा, बताया जाना संभव नहीं है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की बिजली बिल हॉफ करने की कोई योजना है और यदि है तो कब तक इसका क्रियान्वयन करेंगे? इस संदर्भ में जो उत्तर आया है वह स्पष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

[3] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये बिजली बिल हाफ कब तक करेंगे। दूसरा मैंने उसमें ये पूछा है कि उसमें उपभोक्ता की श्रेणी में किसको किसको शामिल किया गया है, जिनका बिजली बिल हाफ किया जाना है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय योजना लागू नहीं की गई थी। ये तो 8 फरवरी को हमने घोषणा किया तब ये लागू हुआ है। माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे तो उद्भूत नहीं होता चूंकि जिस समय पूछा गया था उस समय लागू नहीं हुआ था। लेकिन अभी माननीय नेता जी ने जो बात पूछी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस योजना को लागू कर दिया गया है और 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा होगा जो घरेलू उपभोक्ता हैं और इसमें बी.पी.एल. भी हैं और घरेलू उपभोक्ता भी हैं। बहिर्गमन पहले से, माननीय अध्यक्ष महोदय, (हंसी) ये बहुत गंभीर बात है। अभी मैं उत्तर दे रहा हूं और पहले से बहिर्गमन की बात हो रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अभी आपसे प्रश्न करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, नहीं, आप प्रश्न करिये। आप पहले से कह रहे हैं और आप बैठे-बैठे नेता जी को निर्देश कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, जाओ जाओ एक बार फिर से।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आ जाइये, घूम की आने की इच्छा है तो जाइये। कौन रोक रहा है?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही वहां से निर्देश करते थे कि बहिर्गमन करना है करके तो थोड़ा सा आपकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जा के हो आओ, थोड़ा सा घूम के।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, वैसे भी उल्लू के संख्या दो ही बताये हैं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, पर घोड़ाकरायत की संख्या ज्यादा है। घोड़ाकरायत क्या होता है समझ लो?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वो सब आप ही के साथ हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आप किस चीज में हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष जी, दुमहा सांप भी उधर ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा है, इसमें बी.पी.एल. सहित घरेलू उपभोक्ता की संख्या 45 लाख 91 हजार 20 इस योजना के तहत लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। घेरलू उपभोक्ता की श्रेणी में किसको किसको शामिल किये हैं, जिनका बिजली बिल आधा होना है, तो उस श्रेणी में आपने जो घरेलू उपभोक्ता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, उसकी आपने बात बताई है। उसमें हमारे जो किसान हैं, किसान के पांच हार्स पावर पंप तक के उनके बिजली बिल माफ है लेकिन उसके पास यदि ज्यादा कनेक्शन उनके नाम से है, तो क्या वे इस श्रेणी के अंतर्गत में आएंगे ? ये पहले बता दें तो मैं आगे प्रश्न करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इनका प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता। क्योंकि जिस समय पूछा गया था ये योजना लागू नहीं की गई थी लेकिन फिर भी माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप लोग बिजली बिल बढ़ाते जा रहे थे और हम लोग दबाव बनाये, आंदोलन किये तब आपने फ्लेटरेट की घोषणा की, वो आप हमारे दबाव में पहले ही कर चुके है किसानों के लिए चाहे वो फ्लेटरेट की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, वो बातें पहली हो चुकी हैं और ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 400 यूनिट तक के आधा बिजली बिल लिया जायेगा और वो हम 1 मार्च से लागू करेंगे और 1 अप्रैल को जो बिल आयेगा वो आधा आयेगा और उसमें आपके घर भी शामिल हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मेरे घर शामिल है या नहीं है मैं इसका प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक तो आपने जब घोषणा कि तो ये 400 यूनिट की बात नहीं आयी थी। उस समय ये 400 यूनिट की बात नहीं आई थी, ये मैं जानना चाह रहा हूं । दूसरी बात जो मैंने किसानों की बात कही है उसका उत्तर नहीं आया है। मैंने का कि उसमें आप 1 पंप को रियायत दे रहे हैं, बाकी पंपों के बारे में आपने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तीसरी बात कि 400 यूनिट के ऊपर यदि उनका बिल आया। 405 यूनिट हुआ, 401 यूनिट हुआ। उसका सिस्टम क्या होगा, उसके ऊपर 400 यूनिट के बाद में क्या स्थिति बनेगी। उसको आप स्पष्ट करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा होगा ये हमने स्पष्ट कर दिया है। दूसरा 401 यूनिट वाली आप बात कर रहे हैं उसमें जो प्रचलित दर है वही लगेगा जो पहले लग रहा था।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, 400 के ऊपर वाले में कि..।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, 400 के ऊपर वाले में लगेगा।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मूल प्रश्नकर्ता हैं आप बतायें कि क्या पूछ रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा था कि मैंने जो किसान का प्रश्न किया है उसमें स्पष्ट उत्तर नहीं आया है कि किसानों के एक पम्प के कनेक्शन के बाद में बाकी पम्प के कनेक्शनों की क्या स्थिति बनेगी? और दूसरी बात ये 400 यूनिट है इसके लिए भी मैं माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री जी से बोलूंगा कि ये 400 यूनिट की समय सीमा, लिमिट को आप खत्म करें और खत्म करने के बाद में आपने कहा कि हाफ की बात है तो हाफ में जितने यूनिट हैं उसको हाफ करना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बी.पी.एल. है उसको 30 यूनिट तक पूरा माफ है। उसके ऊपर के फ्लैट रेट है ये घरेलू उपभोक्ता की बात है। अब हमने उसको कहा कि 400 यूनिट तक के जो उपभोक्ता हैं, इससे 45 लाख लोग लाभांवित होंगे। किसानों की बात है तो 6000 और 7500 ये यूनिट आप पहले ही माफ करके रखे थे। फिर जो फ्लैट रेट है, ये ठीक चुनाव के पहले आया जिसमें प्रति हार्स पॉवर 100 रूपये किया था। वह लाभ उनको मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद जी। अब क्या बचा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और इनके जनघोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि बिजली बिल हाफ। बिजली बिल हाफ करके, ये चनुाव जीतकर आये। अब उसको 400 यूनिट में बांध रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सीधा-सीधा धोखा है। आपने बिजली बिल हाफ करने की घोषणा की थी। तो क्या आप घरेलू उपभोक्ताओं के सारे बिजली बिल हाफ करेंगे ? चाहे वह जितना भी बिजली यूस करता हो ? और जितने प्रकार के टेरिफ हों।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस ढंग से बोल रहे हैं ? यहां पर आप पांच साल वाली बात बता रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मुख्यमंत्री जी ने अभी इस लायक नहीं समझा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तीन-तीन चुनाव असत्य बोलकर लड़ा, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप लोग 15 साल असत्य बोलकर शासन चला लिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग बैठिए। आपने सवाल किया। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने असत्य बोलकर, 15 साल चुनाव लड़ा।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आप लोगों को मुख्यमंत्री जी ने जवाब देने के लायक नहीं समझा। आप लोग अभी इस योग्य नहीं समझे गये हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप लोग सुन तो लीजिए। इसमें प्रश्न में जनघोषणा पत्र में क्या कहा गया था, ये तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नहीं पूछा। उन्होंने जो पूछा था उस समय शासन के द्वारा कोई घोषणा भी नहीं की गई थी तो वह उद्भुत नहीं होता। उसके बाद भी माननीय सदस्य ने पूछा तो मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है और आप जो जनघोषणा पत्र की बात कह रहे हैं, अभी यहां कहां से आ गया? ये प्रश्न में कहीं नहीं है। ये कहां से आ गया?

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ करने की घोषणा की।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सीधा-सीधा जनता को धोखा देना है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन 15 सालों में जर्सी गाय कहां है?

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों की बात की है।(व्यवधान) की बात नहीं है। ये तो बिजली बिल हाफ मतलब जो उसमें किसानों की समस्या है और किसानों का जो बिजली बिल है उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी का उत्तर नहीं आ रहा है। मैं बार-बार इस प्रश्न को दोहरा रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सारे लोगों का बिजली बिल हाफ कर देते । चाहे किसानों का हो, चाहे उद्योगपतियों का हो। चाहे घरेलू उपभोक्ताओं का हो।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बिजली बिल में एक पम्प कनेक्शन का है। बाकी जो किसानों के संदर्भ में या तो आप घोषणा करें। ये किसानों के लिए...।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जब जनघोषणापत्र में बिजली बिल हाफ करने की घोषणा की तो आपको बिजली बिल हाफ करना चाहिए।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर किसानों के संदर्भ में बात आनी चाहिए। ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जन घोषणापत्र में एक लाईन थी कि बिजली बिल हाफ तो सारे टैरिफ में बिजली बिल हाफ की बाध्यता है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसानों के संदर्भ में इस बात की घोषणा करें। (व्यवधान) बिजली बिल हाफ होना चाहिए। किसानों के संदर्भ में इस बात की घोषणा करें। ये किसानों के हित की बात है।

श्री भूपेश बघेल :- आप लोग बैठिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सम्माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मेरी बात मुझे बोलने का अवसर दें । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको 5 सालों के लिए जनमत मिला है।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए तो। माननीय सदन के नेता खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भगत जी, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें 5 सालों के लिए जनमत मिला है, आप उसको उपहास कर रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- जब आपही के सदस्य आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आप खड़े थे तो?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन सम्मान नहीं कर रहा है। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ और उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ। जैसे आप सम्माननीय सदस्य हैं वैसे ही वह भी सम्माननीय सदस्य हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न पूछा है कि किसानों के लिए क्या ? आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक पम्प है उसमें 100 रूपये प्रतिमाह फ्लैट रेट रखा गया है यदि दूसरा पम्प है तो उसका 200 रूपये हैं, यदि तीसरा है तो 300 रुपया है, इस प्रकार से फ्लेट रेट किया गया है, जनघोषणा-पत्र में उसकी 400 यूनिट तक का है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो यहां किसानों को धोखा देने वाली बात है। .. (व्यवधान).. बाकी पंप का भी हाफ होना चाहिए। आप किसानो के साथ में अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान) इसलिए किसानों के हित में, ये सरकार वादाखिलाफी कर रही है, इस बात को ले करके माननीय मुख्यमंत्री जी का समुचित उत्तर नहीं आने से किसानों को धोखा देने के कारण सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

समय :
11:51 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन का समुचित उत्तर नहीं आने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिला बालोद में खनिज संस्थान न्यास का गठन

9. (*क्र. 916) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-बालोद में खनिज न्यास निधि का गठन कब किया गया ? (ख) खनिज न्यास निधि से वर्तमान में जिले में कौन-कौन से कार्य प्रारंभ हैं. स्वीकृत राशि एवं कार्य का नाम बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बालोद जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन दिनांक 02 जनवरी, 2016 को किया गया है. (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से वर्तमान में जिले में प्रगतिरत कार्यों एवं स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्री कुवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि जिला-बालोद में खनिज न्यास निधि का गठन कब किया गया ? खनिज न्यास निधि से वर्तमान में जिले में कौन-कौन से कार्य प्रारंभ हैं. स्वीकृत राशि एवं कार्य का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज संस्थान न्यास का गठन दिनांक 02 जनवरी, 2016 को किया गया है। आपका दूसरा प्रश्न क्या था ?

श्री कुवर सिंह निषाद :- खनिज न्याय निधि से वर्तमान में जिले में कौन-कौन से कार्य प्रारंभ हैं, मुझे स्वीकृत कार्य की जानकारी दे दी गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि खनिज न्याय निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की कार्य एजेन्सी कौन है तथा इनकी निविदा कब-कब की गई ?

अध्यक्ष महोदय :- यह विस्तृत प्रश्न है, इससे उदभूत नहीं होता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सूची दे दी गई है, कहीं विभाग होगा, कहीं पंचायत होगा, यदि आप किसी कार्य विशेष के बारे में जानकारी चाहें, उसकी जानकारी अलग से दे दी जायेगी।

श्री कुवर सिंह निषाद :- जी।

बस्तर संभाग में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक युक्त पेयजल के स्थानों में शुद्घ पेयजल की व्यवस्था

10. (*क्र. 966) श्री भीमा मण्डावी :- क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में किन-किन गांवों में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक युक्त पेयजल पाया गया ? जिलेवार, विकासखण्डवार ब्यौरा दें ? (ख) प्रभावित ग्रामों में शुद्घ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की क्या व्यवस्था की गई है ? (ग) विगत 3 वर्षों में फ्लोराईड

एवं आर्सेनिक युक्त जल से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की शिकायतें कहां-कहां से दर्ज की गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) बस्तर संभाग के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में 87 गांवों में फ्लोराईड युक्त पेयजल पाया गया. जिलेवार, विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" में दर्शित अनुसार है. किसी भी गांव में आर्सेनिक युक्त पेयजल नहीं पाया गया. (ख) फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों में उपलब्ध कराई गयी शुद्ध पेयजल व्यवस्था की विकासखण्डवार/ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" में दर्शित अनुसार है. (ग) विगत 03 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत किसी भी जिले में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक युक्त जल से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की शिकायतें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, अपितु स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्लोराईड आधिक्य प्रभावित ग्रामों में कराये गये स्वास्थ्य परीक्षण में फ्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जिलेवार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" में दर्शित अनुसार है.

श्री भीमा मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से बस्तर संभाग में फ्लोराईड से संबंधित जानकारी पूछी है, मुझे बड़ा दुःख है कि दंतेवाड़ा विधानसभा में बोलते हैं कि एक भी फ्लोराईड युक्त पेयजल से प्रभावित ग्राम नहीं है, मैं आपको कह सकता हूं कि दंतेवाड़ा भी प्रभावित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दंतेवाड़ा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रापर आपकी विधानसभा में नहीं है।

श्री भीमा मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भोपालपट्नम में गुरूलापेन्टा, चेरपल्ली प्रभावित ग्राम हैं, मुझे लगता कि आपके अधिकारी आपको गोल-गोल घूमाकर यहीं तक सीमित रखना चाह रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि भोपालपट्नम में कितने गांव हैं ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को जो-जो नाम गिना रहे हैं, लिस्ट दे दीजिए, मैं दिखवा लूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पूरी विधानसभा में वर्तमान में 108 करोड़ 77 लाख के विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं आप जो लिस्ट बता रहे हैं, मेरे को उपलब्ध करा दीजिए, मैं उसको दिखवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

प्रश्न संख्या- 11 XX XX

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भिलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वृक्षों की अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण

12. (*क्र. 779) श्री देवेन्द्र यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 01.1.2016 से 22.01.2019 तक अवैध कटाई के कितने प्रकरण उजागर हुए हैं ? दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : भिलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 01.01.2016 से 22.01.2019 तक अवैध कटाई का कोई भी प्रकरण वन विभाग के संज्ञान में नहीं आया है. अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा खाद्य मंत्री जी से सवाल किया गया था कि भिलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 01.1.2016 से 22.01.2019 तक अवैध कटाई के कितने प्रकरण उजागर हुए हैं ? दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भिलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 01.01.2016 से 22.01.2019 तक अवैध कटाई का कोई भी प्रकरण वन विभाग के संज्ञान में नहीं आया है. अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ तस्वीरें मैं माननीय मंत्री महोदय से साझा, जो आज सुबह की है । चूंकि भिलाई क्षेत्र में बहुत सारे ईमारती पेड़ लगाये गये हैं, सागौन के पेड़ लगाये गये हैं । आज सुबह की यह ताजा तस्वीरें हैं, सिविक सेंटर की है, फॉरेस्ट रोड की है, हुडको, तितली गार्डन की है इसके अलावा सेक्टर-1 रेल्वे स्टेशन के सामने बिना अनुमति के पेड़ काटे गये, हुडको और दुर्ग का जो ओव्हरब्रिज निर्माण हो रहा है वहां 64 पेड़ों के कटने की स्वीकृति ली गयी लेकिन उसके बजाय वहां पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गये, रेल्वे द्वारा बिना स्वीकृति लिये 500 से अधिक पेड़ काटे गये और यह जो जानकारी सम्माननीय विभाग से मिली है उस पर यह लिखा है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी इसलिये इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि दिनांक 09 नवंबर 2017 को कल्याण कॉलेज के छात्रसंघ के पदाधिकारी कलेक्ट्रेड में जाकर उन्होंने इस विषय पर शिकायत की है लेकिन इस पर कोई भी अभी तक कार्यवाही नहीं हुई तो मैं सम्माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि आप इस विषय की पूर्ण जानकारी लें और इस पर जांच करवाई जाये ताकि वहां पर जिस तरीके से ईमारती पेड़ों को काटा जा रहा है यह गलत है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अवधि का प्रश्न पूछा गया था उसकी जानकारी निरंक आयी है लेकिन समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए थे उसके आधार पर रेल्वे कांट्रेक्टर के द्वारा कुछ पेड़ काटे गये । वन विभाग की तरफ से कलेक्टर दुर्ग को इस बारे में आवेदन देकर पत्र दिया गया है और उसके बारे में जांच की कार्यवाही प्रारंभ भी की गई है बाकी अन्य मामलों में माननीय सदस्य जो जानकारी देंगे निश्चित रूप से हम उसकी जांच करायेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में नल जल योजना/स्थल जल योजना की स्वीकृति

13. (*क्र. 854) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016 से 25 जनवरी, 2019 की अवधि तक कुल कितनी नल जल/स्थल जल एवं पेयजल योजना कहॉ-कहॉ स्वीकृत की गई ? स्वीकृत में से कितनी पूर्ण हुई एवं कितनी अपूर्ण है ? प्रत्येक योजना की लागतवार जानकारी देवें ? (ख) अपूर्ण योजनाओं के अपूर्ण रहने के क्या कारण है ? (ग) क्या पूर्ण हुई योजनाओं को ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को हैण्ड ओव्हर कर दिया गया है एवं कितने में वर्तमान में जल की आपूर्ति की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016 से 25 जनवरी 2019 की अवधि तक कुल 05 नल जल योजना/शून्य स्थल जल योजना एवं पेयजल योजना के तहत् 12 सोलर ड्यूल पम्प एवं 232 नग नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना कार्य स्वीकृत की गयी. ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक-03 में दर्शित अनुसार है. 12 सोलर ड्यूल पम्प में से 10 कार्य पूर्ण हैं एवं 02 कार्य अपूर्ण हैं. कुल स्वीकृत 232 नलकूप खनन कार्यों में से 226 पूर्ण एवं 06 अपूर्ण है. 226 पूर्ण नलकूप खनन कार्य में से 199 सफल एवं 27 असफल है. 199 सफल में हैण्डपम्प स्थापित किये गये है. इस प्रकार स्वीकृत कुल 249 कार्यों में से 246 पूर्ण एवं 13 अपूर्ण हैं प्रत्येक योजनाओं की लागतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक-07 में दर्शित अनुसार है. (ख) 05 नलजल योजनायें वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में तथा 06 नलकूप खनन कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुए है, पूर्णता की समयावधि शेष है. अतः अपूर्ण है. 02 सोलर ड्यूल पम्प कार्य हेतु पंचायत की अभिसरण राशि अप्राप्त होने के कारण प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त करने हेतु लिखा गया है, अतः अपूर्ण है. (ग) जी नहीं. सोलर ड्यूल पम्प योजना के संधारण का कार्य विभाग के लिए क्रेडा द्वारा किये जाने के कारण एवं हैण्डपम्प योजना का संधारण कार्य विभाग द्वारा किये जाने के कारण इनके पूर्ण होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायतों को हैण्ड ओव्हर नहीं की जा सकी है. पेयजल योजना के तहत् स्वीकृत योजना में से पूर्ण 10 सोलर ड्यूल पम्प योजना एवं 199 हैण्डपम्प योजनाओं से जल की आपूर्ति की जा रही है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल चुका है लेकिन प्रश्न-ग में मैंने यह पूछा था कि क्या पूर्ण हुई योजनाओं को ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका के हेण्डओवर कर दी गयी है एवं क्या वर्तमान में इससे जल आपूर्ति की जा रही है कि नहीं तो माननीय मंत्री जी का इसमें उत्तर आया है कि जी नहीं, 16 ड्यूल पम्प योजना के संधारण का कार्य विभाग के लिये क्रेडा द्वारा किये जाने के कारण एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हेण्डपम्प योजना के संधारण का कार्य विभाग के द्वारा किये जाने के कारण पूर्ण होने के उपरांत भी ग्राम पंचायत को हेण्डओवर नहीं की जा सकी है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि चूंकि हेण्डओवर अभी नहीं की जा सकी है तो उसका संचालन किसके द्वारा किया जायेगा उसके लिये क्या कोई समिति बनी है, क्या किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पूरी तरीके से पूर्ण हो जायेगा तो उसको हेण्डओवर कर दिया जायेगा ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- धन्यवाद । माननीय मंत्री जी, मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजना है । बेमेतरा शहर जो कि जिला मुख्यालय है जिसका पानी काफी खारा है, पूर्व में दिनांक 12.03.2012 को बेमेतरा जल आवर्धन योजना के तहत् 16 करोड़ 55 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसको लगभग दिनांक 15.10.2016 को वह योजना पूर्ण हो जानी थी लेकिन आज तक वह योजना पूर्ण नहीं हो पायी है और दिनांक 15.10.2015 को इसके लिये पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु शासन को 21 करोड़ 77 लाख की राशि का एस्टीमेट पुन: भेजा गया है जिसको अभी तक स्वीकृत नहीं होने के कारण चूंकि बेमेतरा में 21 वॉर्ड हैं जिसमें से 13 वॉर्डों में ही शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है, मीठा पानी मिल पा रहा है । बाकी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह कब तक पूरा हो जायेगा क्योंकि आगे ग्रीष्मकाल क्योंकि गर्मी का समय है और बेमेतरा का पानी काफी खारा है जिससे गंभीर बीमारियां शहरवासियों को होती हैं ।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- इसमें पुनरीक्षित स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

<u>बस्तर जिले में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण</u>

14. (*क्र. 490) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2016-17 से 25.01.19 तक कितने ग्रामों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण कार्य किए गये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) वर्तमान में कहां-कहां बंद है ? कृपया विकासखण्डवार ग्रामों के नाम बतावें ? (ग) वर्ष 2019-20 में कहां-कहां किया जाना है ? कब तक लक्ष्य की पूर्ति की जावेगी ? विकासखण्डवार बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बस्तर जिले में वर्ष 2016-17 से 25.01.2019 तक क्रेडा द्वारा कुल 50 ग्रामों के विभिन्न बसाहटों/पारा/मोहल्लों को आफग्रिड से विद्युतीकृत किया गया है. विकासखण्डवार विद्युतीकृत ग्रामों एवं घरों तथा अवद्युितीकृत ग्रामों एवं घरों की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) बस्तर जिले में स्थापित सभी सौर संयंत्र वर्तमान में कार्यशील है. (ग) छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा चिन्हित, ऐसे 09 ग्राम जहां ग्रिड से बिजली पहुंचाया जाना संभव नहीं है, के 310 अविद्युतीकृत घरों को ऑफ-ग्रिड से विद्युतीकरण हेतु क्रेडा को अंतरित किया गया है. तदनुसार अंतरित उक्त सभी 310 अविद्युतीकृत घरों में आफ-ग्रिड से विद्युतीकरण करने का कार्य प्रगति पर है जिसे 31.03.2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. विकासखण्डवार, विद्युतीकृत ग्रामों एवं घरों तथा अवद्यिुतीकृत ग्रामों एवं घरों की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सौर उर्जा से संबंधित था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि सारी जानकारी दे दी है और मैं उस कार्य से संतुष्ट हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

प्रश्न संख्या - 15 XX XX

प्रश्न संख्या - 16 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

जनसंपर्क विभाग हेतु बजट में स्वीकृत राशि

17. (*क्र. 605) श्री संतराम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-2018 के मूल बजट में जनसंपर्क विभाग हेतु कितनी राशि आवंटित थी ? उक्त राशि में कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जानकारी ††[4] संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बचा है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप पूछेंगे कि मैं पूछ लेता हूं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं संतराम जी को पूछने दो । श्री संतराम जी का नंबर है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ गये थे । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, वे मुझे दिखे नहीं थे । प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

[4] परिशिष्ट "आठ"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

1. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून 2018)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004 की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून 2018) पटल पर रखता हूं ।

2. सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018) पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:01 बजे **<u>पृच्छा</u>**

श्री शिवरतन शर्मा (भाटपारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलोदाबाजार-भाटापारा जिले में ग्राम रिसदा में इमामी सीमेंट प्लांट स्थापित है । पिछली 14 फरवरी को एक मजदूर आनंद यादव, पिता रामजी यादव 32 वर्ष प्लांट में काम करने के लिए गया । उसमें थम्ब में उपस्थित लगाई और उसके बाद आज तक प्लांट से वापस नहीं आया है । प्लांट के लोग जिम्मेदारी के साथ कोई जवाब नहीं दे रहे हैं । वह मजदूर कहां गया, उसके साथ क्या हुआ ? लगातार 3 दिन से उसके परिवार वाले प्लांट के दरवाजे के सामने धरने पर बैठे हुए हैं । परिवार के द्वारा थाने में भी रिपोर्ट लिखाई गई है । लेकिन आज तक उस मजदूर का पता नहीं चला है । पूरे क्षेत्र की जनता आंदोलित है । इस विषय पर मैंने ध्यानाकर्षण जमा किया है । इसको स्वीकार करके इस पर चर्चा करवाएं । यह अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय :- देख लूंगा । श्री अजीत जोगी जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण प्रसाद चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। हमने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है, स्थगन दिया है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है । अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए यह सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है । अनेक बार शासन, प्रशासन का ध्यान हम लोगों ने आकर्षित किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय नारायण चंदेल जी ने लिया है । विषय उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है और विस्तारित है । लगभग 600 देशी दुकानें और लगभग 300 से ऊपर अंग्रेजी दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखे गए हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल वे कर्मचारी केवल टोकन हो गए हैं और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अवैध शराब की तस्करी, अवैध शराब की बिक्री और अवैध कार्य लगातार हो रहे हैं । उसकी संख्या बढ़ी है और लगातार गुंडागर्दी और गलत चीजें हो रही हैं । इस विषय पर हमने ध्यानाकर्षण भी दिया है और स्थगन भी दिया है । प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद अवैध शराब की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है और दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है । अध्यक्ष महोदय, यह संस्थागत आकार ले चुकी है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है । इसलिए इसमें तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे विचार में है, शांत बैठिये । आप बार-बार उसी बात को क्या उठा रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अवैध शराब का करोबार बढ़ा है, पूरे प्रदेश में अवैध शराब बिकने लगी है और सरकार के संरक्षण में बिकने लगी है । रेट से बढ़ाकर पैसा लिया जा रहा है । पूरे प्रदेश में अवैध लूट चल रही है ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर आप कृपा करके चर्चा कराइए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तीनों ने अपनी बात रख दी है । मैंने तीनों की बात ध्यान से सुनी है, विचार कर रहा हूं इसमें अब जल्दी क्या है भाई ?

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी, आपको अनुभव कितना है भाई ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात को नारायण चंदेल जी सभा में उठा रहे हैं । वास्तव में पूरे प्रदेश में करीब-करीब यही स्थिति हो गई है और केवल शराब ही नहीं बेची जा रही है बल्कि अत्यधिक रेट लेने और उसके बाद में गुंडागर्दी और अवैधानिक तत्वों के द्वारा अवैध गतिविधियां चलाई जा रही है । इस पर जो स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण दिया गया है । यदि आप इस पर चर्चा कराएंगे तो सारे तथ्य विस्तार से आएंगे और हम सभी लो अपनी बातें रखेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आप चर्चा कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जोगी जी आप शुरू करें।

समय :

12:05 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाना।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। मरवाही विधान सभा क्षेत्र के गौरेला, पेन्ड्रा एवं मरवाही में बालक एवं बालिका आश्रम तथा छात्रावास संचालित हैं। इन संचालित आश्रम तथा छात्रावासों में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, दूषित खाना छात्रावास एवं आश्रम में पदस्थ अधीक्षकों के उपस्थित न रहने की शिकायतें मिल रही हैं। इसकी कई बार शिकायत करने के पश्चात् भी संबंधितों के खिलाफ न जांच की गयी है और न ही कोई कार्यवाही हुई है। इसी तरह की लापरवाही के कारण कस्तूरबा गांधी छात्रावास पेण्ड्रारोड में एक बालिका की मौत हो चुकी है। इन शिकायतों पर शासन एवं प्रशासन द्वारा ध्यान न देने के कारण क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों एवं जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मरवाही विधान सभा क्षेत्र के गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही में बालक एवं बालिका आश्रम तथा छात्रावास संचालित है। इन संचालित आश्रम तथा छात्रावासों में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, दूषित खाना, छात्रावास एवं आश्रमों में पदस्थ अधीक्षकों के लगातार उपस्थित न रहने की शिकायत जिला स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है। विकासखंड पेण्ड्रा के प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सकोला की अधीक्षिका के विरूद्ध प्रकाशित समाचार पत्र को संज्ञान में लेते हुये संबंधित अधीक्षिका के उपस्थित न रहने की शिकायत की जांच कराये जाने के पश्चात् जांच प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें छात्रावास के प्रभार से पृथक कर अन्य अधीक्षिका की पदस्थापना कर दी गयी है। विकासखण्ड मरवाही के प्री मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास रूमगा की अधीक्षिका के विरूद्ध उपस्थित न रहने एवं पोष्टिक भोजन प्रदाय न करने की शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित अधीक्षिका को छात्रावास के प्रभार से पृथक कर उनके मूल पदस्थापना में वापस कर नियमित अधीक्षिका की पदस्थापना की गयी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है। अत: यह कहना सही नहीं है कि कई बार शिकायत करने के पश्चात् भी संबंधितों के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही नहीं की गयी है। यह कहना भी सही नहीं है कि छात्रावास आश्रमों में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें दूषित खाना दिया जाता है बल्कि जहां कहीं अनियमितता पायी जाती है, वहां समुचित कार्यवाही की जाती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह सही है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पेण्ड्रारोड में अध्ययनरत एक बालिका 5 जनवरी, 2019 को सेनेटोरियम अस्पताल गौरेला में उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। चिकित्सा प्रतिवेदन के अनुसार मृत्यु का कारण वायरल डायरिया एवं वायरल एंसिफिलाईटिस होने की संभावना प्रकट की गयी है। मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात करने हेतु बिसरा जांच के लिए भेजा गया है, जिसका प्रतिवेदन अपेक्षित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि छात्रावास आश्रमों के संबंध में प्राप्त शिकायत पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है। अत- यह कहना सही नहीं है कि जनसामान्य एवं जनप्रतिनिधियों में किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, जब से शिक्षा विभाग के स्कूलों को और आदिवासी विभाग के स्कूलों को समायोजित किया गया और एक किया गया। उसके बाद से जो आदिवासी बालक-बालिकाओं के छात्रावास हैं, उनके निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर को दे दिया गया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सुने तो मैं अनुग्रहित होऊंगा। माननीय मयमंत्री जी, बिलासपुर जिले की ऐसी स्थिति है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उसका उत्तरी भाग आदिवासी इलाका है और ज्यादातर छात्रावास उत्तरी भाग में हैं, जो पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही वह ईलाका है। ये उत्तरी भाग बिलासपुर मुख्यालय से डेढ़ सौ, 170 किलोमीटर दूर है। यह जो समायोजन के बाद आदेश पारित किया गया कि नियंत्रण असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर करेगा, उनका मुख्यालय बिलासपुर में है। 170 किलोमीटर दूर स्थित छात्रावासों का बार-बार निरीक्षण करन, अच्छे से नियंत्रण करना एक अधिकारी के लिए संभव नहीं है। तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि यह व्यवस्था चलते रहेगी तो बालक-बालिकाओं के छात्रावासों में अनियमितता होती रहेगी। मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मैं उस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। परन्तु यह एक कटु सत्य हो गया है कि हमारे छात्रावास रसोईयों के भरोसे चल रहे हैं। जिन शिक्षकों को अधीक्षक बनाया गया है, ज्यादातर वहां नहीं रहते हैं। कभी-कभी दिन में एकाध बार कुछ आ भी जाते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो लगातार कई दिनों तक नहीं आते हैं। रसोईयां ही अधीक्षक है, रसोईयां ही उनका पालक है, रसोईयां ही उनका सब कुछ है। तो मैं पहला सुझाव और प्रश्न यह कहना चाहता हूँ कि ये जो केवल एक व्यक्ति असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर को निरीक्षण का अधिकार है, यह बिलकुल गलत है। पहले व्यवस्था थी कि एस0डी0ओ0 भी निरीक्षण कर सकते थे, अतिरिक्त कलेक्टर भी निरीक्षण कर सकते थे, जिले के शिक्षा अधिकारी भी निरीक्षण कर सकते थे। गौरेला में परियोजना अधिकारी हैं, उनको भी निरीक्षण का अधिकार दिया जा सकता है। जब तक निरीक्षणकर्ता लोगों की, नियंत्रणकर्ता लोगों की संख्या नहीं बढ़ायेंगे तो बिलासपुर जैसे जिले में जहां डेढ़ सौर, 170 किलोमीटर दूर छात्रावास स्थित है, नियंत्रण नहीं हो पायेगा। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, सुझाव भी देना चाहता हूँ कि क्या निरीक्षण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का अधिकार आप अन्य अधिकारियों को भी देंगे ? यदि आप सबको अधिकार नहीं भी देना चाहते हैं तो परियेाजना अधिकारी, उसी समकक्ष पद का गौरेला में पदस्थ है, उसको दे दीजिये तो उसको 60-70 किलोमीटर दूर ही पड़ेगा। लेकिन बिलासपुर में बैठा हुआ अधिकारी अगर निरीक्षण करने जायेगा तो डेढ़ सौ, पौने दो सौ किलोमीटर दूर जाकर वह कितने छात्रावासों का निरीक्षण कर पायेगा ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कलेक्टर भी रह चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में निरीक्षण करने का अधिकार असिस्टेंट कमिश्नर ट्रायबल, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एस0डी0एम0 ये सबको है। वहां सब जाकर समय-समय पर निरीक्षण करते हैं।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब 170 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग हैं।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एस0डी0एम0 तो वहीं पर रहते हैं, उनको भी निरीक्षण करने का अधिकार है। परियोजना प्रशासक ट्रायबल वेलफेयर, जो उस क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी अधिकार है। तो सभी को अधिकार है और समय-समय पर इसका निरीक्षण होता रहता है। लोकल स्तर पर भी इसकी समिति बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर पंचायत में अध्यक्ष होते हैं, बाकी अन्य उसमें रहते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर के द्वारा समिति बनाई गई है, वे भी निरीक्षण करते रहते हैं तो निरीक्षण समय-समय पर होता रहता है, ये सतत् प्रक्रिया है ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सड़क मार्ग से अपने क्षेत्र में जाएंगे तो रास्ते में थोड़ा मुड़कर, देखकर आप मारवाही के छात्रावासों को भी देख सकते हैं और मैं जो कह रहा हूं कि वहां कोई जवाबदार शिक्षक या अधीक्षक आपको नहीं मिलेगा । दूसरी बात, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने अधीक्षक का अलग काडर बना दिया है, उसके बावजूद 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत छात्रावासों में अधीक्षक पोस्ट न करके कोई शिक्षक को अधीक्षक बनाकर पोस्ट करते हैं और ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बन गया है । हर शिक्षक अधीक्षक बनना चाहता है क्योंकि उसमें बहुत अवैध कमाई है । 40 बच्चों का हॉस्टल स्वीकृत है, 20 बच्चे आते हैं, 20 बच्चों के वह फर्जी नाम लिखता है और उन बच्चों का जो पैसा सरकार से आता है, वह भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब अधीक्षक का काडर अलग से बन गया है तो अब क्या जरूरत है कि शिक्षकों को आप अधीक्षक बनाकर पोस्ट कर रहे हैं तो क्या आप ये आश्वासन देंगे कि हमारे पूरे प्रांत में आप न करना चाहें तो न करें, बिलासपुर जिले के छात्रावासों में सब में अधीक्षक की नियुक्ति कर देंगे, जो शिक्षक अधीक्षक के नाम से काम कर रहे हैं, उनको हटा देंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है । चूंकि अधीक्षक की संख्या कम है और इसलिए जहां पर अधीक्षक नहीं हैं, वहां पर हम शिक्षकों की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नियुक्ति करते हैं, लेकिन हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि सब छात्रावास में अधीक्षक रहे । विशेषकर जो शेड्यूल एरिया में है... ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में सब जगह अधीक्षक पोस्ट कर दीजिए न, बाकी में मत करिए । अगर अधीक्षक नहीं हैं । बिलासपुर जिले के सब आश्रम डेढ़ सौ, पौने दो सौ किलोमीटर दूर उत्तरी क्षेत्र में हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिलासपुर जिले के विशेषकर जितने आश्रम हैं, वे मारवाही विधान सभा और कोटा विधानसभा में हैं । आप दोनों विधान सभा क्षेत्र में अधीक्षक पोस्ट कर दें तो इस समस्या का बहुत बड़ा हल हो सकता है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि बिलासपुर जिले में अधीक्षकों की पदस्थापना की जाए । उसके साथ-साथ पूरे प्रदेश में, जहां आवश्यकता होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा । माननीय जोगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है ।

(डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी द्वारा प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाने पर)

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ लूं, फिर कोटा की विधायक पूछें । मैंने दो विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया था और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने दोनों का विस्तार से अच्छा उत्तर दिया है। एक बालिका जिसकी मृत्यु हो गई, गौरेला प्रापर के छात्रावास में रहती थी। वह शाम को बीमार पड़ी, उसको रसोइया अस्पताल ले गए और रसोइया उसको थोड़े समय अस्पताल में रखकर वापस ले आई, वह बालिका अच्छी नहीं हुई थी, उसका रोग खतम नहीं हुआ था, फिर भी उसको वापस ले आई और उसका परिणाम ये हुआ कि सुबह जब वह हॉस्टल में थी तो फिर बीमार पड़ी और मर गई, आपने उसका विसरा जांच करने के लिए भेजा है और अभी तक मृत्यु के कारण का ठीक से पता नहीं चला है । मैं इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं क्योंकि वह बालिका बोकरामुड़ा गांव की थी, जहां से हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रामदयाल उइके जी आते हैं, वह बहुत छोटा गांव है और शिक्षा का वहां बहुत अभाव है। बड़ी मुश्किल से बालिकाओं को वहां से पढ़ाने के लिए उत्प्रेरित किया गया था । उनमें से एक बालिका के मर जाने के कारण उस गांव और उसके आसपास के लोग बालिकाओं को भेजने से डर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण में समुचित दण्ड दिया जाना चाहिये । कोई न कोई उस बालिका की मृत्यु के लिए जवाबदार है, लापरवाह है, क्या आप आश्वासन देंगे कि उस बालिका की मृत्यु, जो असामयिक है, असावधानी के कारण है, लापरवाही के कारण है, उसके लिए जो लोग भी जवाबदार हैं, उसको कड़ा से कड़ा दण्ड देंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दु:खद है कि बालिका की मृत्यु हुई है । समय-समय पर सभी छात्रावास, सभी आश्रमों में, स्वास्थ्य परीक्षण करवाई जाती है, जिस समय छात्रावास में शीतकालीन छुटटी थी, बालिकाओं की 25-12-2018 को जांच हुई, बालिका अपनी माताजी के साथ 25-12-2018 को अपने घर चली गयी और 31-12-2018 को घर से लौटी और 4-1-2019 को वृन्दा नायक की लड़की की तबियत खराब हुई । सिर में दर्द और पेट दर्द, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया । उस दिन वह बिल्कुल सामान्य थी । वहां अन्य सहेलियों के साथ खेली, अच्छा खाना भी खाई, 5 तारीख को सुबह वो थोड़ा लेट में उठी । तुरन्त उसको सुबह 7.30 बजे भरती कराया गया । ईलाज के दौरान ही अस्पताल में सुबह 11.30 बजे उसकी मृत्यु हुई । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही तो दिखती नहीं है, किस कारण से हुई, अगर वहां कोई दूषित पानी पिया होता, अन्य किसी प्रकार का भोजन दूषित हुआ होता, अन्य बच्चों को भी होता, क्योंकि घर गई थी। घर से वापस आई, जैसा कि वहां डॉक्टरों ने कहा कि डायरिया और पेचिस की बीमारी वहां रही होगी, चूंकि बिसरा जांच के लिए गई है, बिसरा जांच का रिपोर्ट आ जाये, तभी उसमें कुछ करते हैं ।

श्री अजीत जोगी :- एक और बात पूछ लूँ, फिर विधायक कोटा पूछेंगे । अध्यक्ष महोदय, एक और घटना सकोला की अधीक्षिका का उल्लेख किया था, दिनांक 25/12 को छुटटी खत्म हुई और हॉस्टल खुल गया । वह अधीक्षिका 2 तारीख तक नहीं आई, जब गांव के लोगों में असंतोष हुआ, पत्रकारों में असंतोष हुआ, सब मिलकर वहां देखने के लिए गये तो अधीक्षिका ने झूठी रिपोर्ट, कि मेरे साथ छेड़खानी करने के लिए, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, फलां व्यक्ति आया था, ऐसी रिपोर्ट की । मुझे खुशी है कि आपने इसका संज्ञान लिया है और उसको वहां से हटा दिया है । अभी तक तो मुझे नहीं मालूम था, पर आपके उत्तर से यह प्रतीत होता है कि कोई नई अधीक्षिका वहां पोस्ट कर दी है । इसको यहीं मत छोड़ियेगा । लगातार 7-8 दिन तक हॉस्टल खुलने के बाद अनुपस्थित रही, उसको भी उचित दण्ड देंगे क्या ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सकोला की घटना के बारे में मैं अपने उत्तर में ही कहा था कि अधीक्षिका जो अबसेंट रही, उसके विरूद्ध कार्यवाही की और उसको वहां से हटा दिया गया । किसी भी आश्रम छात्रावास में इस प्रकार की जो भी घटनायें होंगी, जो भी बिना बतायें, अनुपस्थित रहेंगी, उनके विरूद्ध कार्यवाही होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. जोगी ।

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी । विगत 13 वर्षों में जब से मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, एक भी नया हॉस्टल नहीं खुला है। चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में छपोरा ग्राम पंचायत में 100 सीटर कस्तूरबा गांधी आश्रम है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और वहां 100 की संख्या निर्धारित है और 175 छात्रायें रह रही है, अधीक्षिका नहीं रहती है । क्या इस बजट में आप नये छात्रावास भी खोलने की अनुशंसा या अनुमति देंगे ? धन्यवाद ।

(2) बिलासपुर जिले के अरपा नदी में कचरा और मलबा डम्प किया जाना.

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है - बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी में लगातार कचरा और मलबा डम्प किया जा रहा है और रेत उत्खनन किया जा रहा है जिससे अरपा का जल-स्तर लगातार घटता जा रहा है। अरपा में मात्र बारिश के मौसम में ही जल प्रवाह होता है। बिलासपुर शहर का लगभग 8 से 10 करोड़ लीटर नाला-नाली का गंदा पानी अरपा में सीधा छोड़ा जाता है तथा चेक डेम में इस गंदे पानी को बांधकर रखा गया है तथा नदी के किनारे बोर में प्रदूषित पानी आ रहा है। जिससे बिलासपुर शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और डेन्गू, मलेरिया, पीलिया तथा हैजा जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। अरपा की इस स्थिति को सुधारने के लिए उसमें गंदा पानी को सीधे छोड़ना बंद किया जाए। अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कार्य-योजना बनाई जाए। अरपा की स्थिति को देख कर आम जनता आक्रोशित है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि अरपा नदी में लगातार कचरा और मलबा डम्प किया जा रहा है, अपितु सत्य यह है कि बिलासपुर शहर हेतु क्रियान्वित एकीकृत ठोस प्रबंधन योजना अंतर्गत प्रतिदिन औसत 220 टन कचरा परिवहन एवं संग्रहण एम.एस.डब्ल्यू. प्लांट ग्राम कछार में किया जा रहा है।

खनिज विभाग द्वारा समय-समय पर अवैध उत्खनन के संबंध में कार्यवाही की जाती है।

नगर निगम बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत स्थापित नालों एवं सिवरेज को मिलाकर उत्सर्जित गंदे जल को अरपा में प्रवाहित न कर उसका ट्रीटमेंट कर एन.टी.पी.सी. सीपत को प्रदाय की जाने की योजना पीपीपी मॉडल पर क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

बिलासपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु सतही स्रोत आधारित जल आवर्धन योजना अमृत मिशन अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिससे जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और निश्चित ही जल स्तर को संरक्षित रखने में कारगर सिद्ध होगी।

मच्छर पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि डेंगू, मलेरिया, पीलिया तथा हैजा जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, अपितु सत्य यह है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है एवं नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा बीमारियों के रोकथाम हेतु समय-समय पर स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर लगाये जाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा नदी के साथ जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं कि मीडिया द्वारा लगातार उसके बारे में छापा गया है। (न्यूज पेपर की कटिंग दिखाई गई।) अरपा नालियों में जमा पानी मच्छरों की खौफ पैदा कर रहा है, मच्छरों की बढ़वार के लिए चेकडेम में जमा पानी, बहाने बना रहे अफसर, सफाई घोटाला, फर्जी हाजिरी के चलते जाम हुए शहर के नाले, लार्वा कंट्रोल में भ्रष्टाचार में बड़े मच्छर। (माननीय सदस्य द्वारा गंदे पानी से भरी बोतल दिखाई गई।) मैं माननीय आपको दिखाकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं आपके लिए अरपा का पानी लेकर आया हूं आप इसे देखिए।

अध्यक्ष महोदय :-आप इसको प्रदर्शित मत करिये, माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अरपा का पानी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बतायें कि क्या मेरी शिकायत गलत है? माननीय मंत्री जी फोटो में देखिए कि ये कचरा फेंका जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जो बातें हैं उसे आप मंत्री जी के कक्ष में कर लीजिएगा, यहां प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये मान्यता प्राप्त लैब द्वारा मैंने पता करवाया है और पानी का टेस्ट करवाया है उसमें जिस प्रकार से जलकुंभी है और जिस प्रकार से डिजाल्व ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका बी.ओ.डी. इतना हाई चला गया है कि उसके अंदर मछलियां मर रही हैं। शहर के आसपास का एरिया जहरीला हो गया है और माननीय मंत्री जी, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो सूपेबेड़ा जैसी स्थिति आ जायेगी। पूरे शहरभर में मच्छरों का प्रकोप है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर गंभीर विचार करें। मैने एक प्रस्ताव भी दिया था कि अरपा के आसपास एक नाला बना दिया जाए जिसका बाद में ट्रीटमेंट हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण चल रहा है या किसी दूसरे विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नये सदस्य हैं पूछने तो दीजिए। आप कहां से बीच में टपक पड़े। उनको कुछ बोलने तो दीजिए। जवाब तो मैं दूंगा ना, आप थोड़ी जवाब दोगे। बैठो थोड़ा, इनको पूछने दीजिए। आपको कोई प्रश्न करना है तो आप कर लेना।

श्री अमरजीत भगत :- पहले तो नहीं बोले आप।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिव कुमार डहरिया) :- अध्यक्ष जी, जवाब तो मैं दूंगा न आप थोड़ी जवाब दोगे। आप थोड़ा बैठिये, इनको पूछने दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शैलेष पांडेय :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से ....।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, आपको कोई प्रश्न करना है तो कर लेना (मेजों की थपथपाहट)

श्री शैलेष पांडेय :- अध्यक्ष महोदय, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। मूल कारण जो है वो अरपा में ....।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी 15 साल तक तो आपने सफाई नहीं करवाई और आप बोलने के लिए खड़े हो गये। गंदी आप फैलाये, सफाई हम करें।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, मैंने ये ध्यानाकर्षण के विषय को अध्यक्ष जी को कहा है। मेरा अरपा में कोई विरोध समर्थन नहीं है। मैंने प्रक्रियागत बातें कही कि प्रश्न हो भाषण न हो, ये कही आप जो उठाना है उठाइये।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष जी नहीं, नहीं। उठाने की बात नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- :- अध्यक्ष जी, भाषण दे सकते हैं, वो नहीं।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, इसी बहाने नदियों की सफाई की कार्ययोजना नहीं बनी थी, जैसे हमारे दुर्ग में ही शिवनाथ नदी में 4 नालों का गंदा पानी जाता है। शिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मांग हम लोग लगातार करते रहे लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। अमृत मिशन में इसको स्वीकृति दिलाई है। मंत्री जी इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन इस कार्य को जल्दी प्रारंभ करवा देंगे तो अति उत्तम होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये पांडे जी आप क्वेशचन करिये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मैं इसमें बिलासपुर को लेकर आपका ध्यान गंभीरता से आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार से शहर से 8 से 10 करोड़ लीटर गंदा पानी अरपा में भेजा जा रहा है और उसके बाद उसको रोका जा रहा है इसके कारण वहां पर पानी गंदा होता जा रहा है उसके कारण मच्छर पनप रहे हैं जो 20 से 30 प्रतिशत मच्छर पैदा होते थे वो आज के डेट में 70 से 80 प्रतिशत मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा शहर पेरशान है। मीडिया के माध्यम से शहर की जो दुखद स्थिति है आपको यहां पर बताना चाहता हूं, सदन में इस बात को लाया हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है। आप इस पर शीघ्र अति शीघ्र क्या करना चाहते हैं मैं ये जानना चाहता हूं? चूंकि व्यवस्था जो है वो खराब है। एक तो व्यवस्था को बताना चाहता हूं कि व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए कि शहर के साथ इस प्रकार क्यों किया जाता है। दूसरा इसका जो समुचित समाधान है, अरपा को ले करके ताकि शहर का जो गंदा पानी है वो इसमें न जाये और जाता है तो उसको बहा दिया जाए या उसका ट्रीटमेंट किया जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य की मांग जायज है, निश्चित रूप से कोई समस्या है तो हम उसको दूर करेंगे। एस.टी.पी. प्लांट लगाने का काम हो रहा है। एक ही नाला नहीं, इसके साथ में जो 11 नाला है उन सबकी पानी को एस.टी.पी. के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसके पानी को एस.टी.पी.सी को देने की प्रक्रिया चल रही है और वो लग लायेगा तो निश्चित रूप से इनकी समस्या दूर हो जायेगी। माननीय सदस्य की जो भी चिंताएं हैं वो मलेरिया, डेंगू जो फैल रहा है हमने जांच करवाया है। पानी का भी टेस्टिंग कराया है वहां पर पानी अभी ठीक है और टेस्ट कराने के बाद पानी का रिपोर्ट खराब आता है तो बंद कर देते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सदस्य की चिंता जायज है, मैं उनको पूरी तरह से दिखवा लूंगा और उसका निराकरण का प्रयास करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि ये एस.टी.पी. प्लांट लगाने की बात हो रही है। एस.टी.पी. का फूल फार्म बता दें क्या होता है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, सिवरेज प्लांट होता है कुछ समझा करो, नहीं समझते हो खड़े हो जाते हो जबर्दस्ती के, कहीं भी खड़े हो जाते हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, उस प्लांट की स्वीकृति भी पूर्ववर्ती सरकार ने दी है। माननीय अमर अग्रवाल जी ने स्वीकृति दिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, आपने तो बड़े बड़े काम स्वीकृत कर दिये हैं। जहां बजट 400 का है वहां 4 हजार करोड़ की स्वीकृति दे दिये हैं। कुछ बोलते हो।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी आपका फ्लोर मैनेजमेंट का कारण ही खड़ा हुआ। माननीय शैलेष पांडेय जी ने बहुत विस्तार से पूछा, जो भी प्रश्न आये। माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि चिंता से वाकिफ हूं और उसको शीघ्र दुरूस्त कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, भाषण में है। चूंकि आवश्वासन दिया है उन्होंने कि शीघ्र दुरूस्त कर लिया जायेगा तो वो शीघ्र कब तक दुरूस्त कर लिया जायेगा ये बताने का कष्ट करें। ये किया गया है कि नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आश्वासन समिति में तो आ ही जायेगा न।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, शिवरेज का दंस बिलासपुर शहर में 10 साल हो गया तब से भोग रहा है। मैं अरपा के विषय में ...।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज प्लीज, मैंने आपको अनुमति नहीं दी। आप इनका जवाब दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, अति शीघ्र।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समयावधि पूछी। आश्वासन तभी दिया जाता है। समयावधि पूछने का अधिकार किसी भी माननीय सदस्यों को है। मैंने समयावधि पूछी है। मैं चाहता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हूं कि आपके माध्यम से उसका उत्तर आये, अति शीघ्र। जब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये समस्या गंभीर है तो उसकी समयावधि बता दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं समस्या गंभीर है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कुछ भी बीच में मत बोलो। उनकी चिंता जायज है। बीच में कहां से टपक पड़ते हो। हम बता रहे है, अति शीघ्र करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भाषा किस तरह की आ रही है? आप निकलवा लीजिए कि समस्या गंभीर नहीं है, मैं हल्की है बोल देता हूँ? लेकिन जब आश्वासन बनता है तो हम उसकी समयावधि हम पूछ सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछ सकते हैं। उनने जवाब दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी समयावधि बताने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप पूछिये।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि अरपा नदी के ऊपर मिट्टी का एक बहुत मोटा स्तर आकर के जमा हो गया है अरपा में पहले एक हाथ गड्ढा खोदने पर पानी आ जाता था।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करें।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अरपा की स्थिति में सुधार के लिए ध्यान दें। ये मैं बिलासपुर जिले की ....।

श्री शैलेष पांडेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। आप बैठिए। इसमें बहुत प्रश्न हो गये।

श्री शैलेष पांडेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समाधान हम कर रहे हैं। वर्तमान में जो मच्छरों की समस्या है...।

समय :
12:36 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
2. श्री गुलाब कमरो, सदस्य
3. श्री रामकुमार यादव, सदस्य
4. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य
5. श्री मोहन मरकाम, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:37 बजे **लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए 9-9 सदस्यों का निर्वाचन**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अवधि के लिए अपने में से क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों। ''

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अवधि के लिए अपने में से क्रमश: नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों। ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :

12:37 बजे **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 09 सदस्यों का निर्वाचन**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2019-2020 की अवधि के लिए अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमश: 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों। ''

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2019-2020 की अवधि के लिए अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमश: 03-03 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों। ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन का कार्यकम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

01. नाम निर्देश प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को अपरान्ह 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

02. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019 को अपरान्ह 1.30 बजे से विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी।

03. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को अपरान्ह 1.30 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकेगी।

04. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2019 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधानसभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:40 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं।

समय :
12:42 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	**28**	**राज्य विधानमंडल**
मांग संख्या	**29**	**न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन**
मांग संख्या	**13**	**कृषि**
मांग संख्या	**14**	**पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**16**	**मछलीपालन**
मांग संख्या	**54**	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**23**	**जल संसाधन विभाग**
मांग संख्या	**40**	**आयाकट विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**45**	**लघु सिंचाई निर्माण कार्य**
मांग संख्या	**75**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या- 28 राज्य विधानमंडल के लिये- अडसठ करोड़, इकतालीस लाख, इकसठ हजार रुपये,

मांग संख्या- 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- पांच सौ अन्ठानबे करोड़, उनसठ लाख, नब्बे हजार रुपये,

मांग संख्या- 13 कृषि के लिये- तीन हजार नौ सौ बयासी करोड, छः लाख, चौवन हजार रुपये,

मांग संख्या- 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- पांच सौ चालीस करोड़, चौहत्तर लाख, चौदह हजार रुपये,

मांग संख्या- 16 मछलीपालन के लिये- उनहत्तर करोड़, अठ्ठाईस लाख, उनतीस हजार रुपये,

मांग संख्या- 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- एक सौ इकसठ करोड़, पचास लाख रुपये,

मांग संख्या- 23 जल संसाधन विभाग के लिये- एक हजार उनहत्तर करोड़, उनतीस लाख, चार हजार रुपये,

मांग संख्या- 40 आयाकट विभाग से संबंधित व्यय के लिये- एक सौ इक्कीस करोड़, नवासी लाख, उनचालीस हजार रुपये,

मांग संख्या- 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- चार सौ सत्ताईस करोड़, सत्ताईस लाख, बांसठ हजार रुपये,

मांग संख्या- 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये सात सौ करोड़ रुपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या- 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

01.	श्री अजय चन्द्राकर	1
02.	श्री सौरभ सिंह	1
03.	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	1
04.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

मांग संख्या- 13

कृषि

01.	श्री अजय चन्द्राकर	1
02.	श्री शिवरतन शर्मा	3
03.	डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी	4
04.	श्री नारायण चंदेल	5
05.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1

मांग संख्या- 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

01.	श्री धरमलाल कौशिक	4
02.	श्री अजय चन्द्राकर	1
03.	डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी	5
04.	श्री नारायण चंदेल	1

मांग संख्या- 16

मछलीपालन

01.	श्री अजय चन्द्राकर	1
04.	श्री नारायण चंदेल	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या-54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

01.	श्री धरमलाल कौशिक	1
02.	श्री अजय चन्द्राकर	1

मांग संख्या- 23

जल संसाधन विभाग

01.	श्री अजय चन्द्राकर	1
02.	श्री ननकीराम कंवर	1
03.	डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी	3
04.	श्री शिवरतन शर्मा	5
05.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	4
06.	श्री सौरभ सिंह	4
07.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	4
08.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2

मांग संख्या- 40

आयाकट विभाग से संबंधित व्यय

01.	श्री अजय चन्द्राकर	1

मांग संख्या- 45

लघु सिंचाई निर्माण कार्य

01.	श्री अजय चन्द्राकर	2
02.	श्री सौरभ सिंह	1

मांग संख्या -75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

01.	श्री अजय चन्द्राकर	3

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक-साथ चर्चा होगी । श्री सौरभ सिंह ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-28, मांग संख्या- 29, मांग संख्या- 13, मांग संख्या- 14, मांग संख्या- 16, मांग संख्या-54, मांग संख्या-23, मांग संख्या-40, मांग संख्या-45 और मांग संख्या-75 के विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सौरभ जी, आपके पूरे दल को 30 मिनट हैं । अब आपको अकेले बोलना है कि 2-4 को और बोलवाना हैं, देख लीजियेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी आप व्यवस्था दें ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलेंगे कि एक को बोलना है तो हम एक को ही बोलवाकर पास कर देंगे । जो समय है और यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्यों की कुछ न कुछ बातें आ जानी चाहिए । वैसे बजट में सत्ता पक्ष की ओर से और प्रतिपक्ष की ओर से सब चाहते हैं कि उसमें चर्चा करें । समय निर्धारित है, आप जो व्यवस्था देंगे मान्य करेंगे लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि भावनाओं को देखते हुए सदस्यों को अपनी बात रखने का उनको समय देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- ध्वनिमत से भी तैयार हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के सबसे जो केच 4 वर्ड चल रहे हैं । नरवा, घुरवा, गरूआ और बाड़ी । ये सारे केच वर्ड इसी अनुदान मांगों पर हैं । यह सारे केच वर्ड जो हैं इन अनुदान मांगों की चर्चा पर से ही बात आगे चालू होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट बन गया है परंतु अनुदान मांगों में कहीं पर भी इनके लिये कोई नयी योजना, नरवा के लिये कोई नयी योजना, गरूआ के लिये कोई नयी योजना कहीं पर भी नहीं है, इन चारों चीजों के लिये कहीं पर कोई योजना नहीं है और योजना के अतिरिक्त कोई नया एलॉटमेंट कि कोई अतिरिक्त एलॉटमेंट किया जा रहा है कोईनया एलॉटमेंट किया जा रहा है तो कहीं पर कोई नया एलॉटमेंट नहीं है । इसके साथ-साथ बजट की पुस्तिका करीब-करीब कॉपी पेस्ट है जो पुरानी बजट की पुस्तिका थी उससे कॉपी-पेस्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके कॉपी-पेस्ट कर दिया गया है और यह जो टॉरगेटेड योजनायें हैं इन योजनाओं के लिये अब यह कहा जा रहा है कि मनरेगा से पैसा दिया जायेगा । अब मनरेगा से यह चारों योजनाओं के लिये, यह जो चारों चीजें टारगेटेड हैं इसके लिये मनरेगा से आयेगा । मनरेगा से कब आयेगा, कैसे आयेगा इस पर चर्चा करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:47 बजे **(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)**

मानननीय सभापति महोदय, नरवा से बात चालू करते हैं । छत्तीसगढ़ में नरवा हैं यह सब जान रहे हैं । नरवा में कितना बैजा कब्जा है यह भी जान रहे हैं और नरवा में यदि एनीकट बन जायेंगे तो कहां से बनेंगे, सरकार की इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है कि नरवा के एनीकट के लिये योजना आये कि हर जिले के, हर विकासखण्ड के हर विधानसभा के एक नरवा में एनीकट बनाया जायेगा और एनीकट अगर बनाया जायेगा, अगर छोटे-छोटे एनीकट बनाये जायेंगे और पहले के जो एनीकट बने हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने एनीकट बनाये हैं उस एनीकट से व्यवस्था तब होगी जब बिजली की लाईन जायेगी । जब तक बिजली की लाईन नहीं जायेगी तब तक पुराने एनीकट का कोई उपयोग नहीं है और बिजली की लाईन डीजल पम्प से किसान अपासी नहीं कर सकता और डीजल पम्प से आपासी करके इकानॉमिक वॉयबिलिटी नहीं बनती तो क्या इसके लिये कोई योजना नहीं है कि बिजली की लाईन ले जायी जायेगी जो पुराने एनीकट बने हैं और जो नये एनीकट बने हैं उसके लिये बिजली लाईन की क्या व्यवस्था की जायेगी करके तो इस पर नरवा से क्या होगा और नरवा का रिजनरेशन होगा तो किधर से होगा, इस बजट में किसी विभाग की चर्चा में मैं देख रहा था कि नरवा का रिजनरेशन होगा तो कहां से होगा ? नरवा के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, एक तो आजकल सेंड के व्यापारी हैं, वे अटास के सब्बल से पानी को निकाल देते हैं और पानी को बहा देते हैं और नदी का रेत ले जाते हैं । दूसरे दुश्मन मछली मारने वाले, वे भी पानी को निकालकर मछली मार देते हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भैया, केंवट मन ला काबर दुश्मन बनात हस ? मछली मारने वाला पीछे बैठे है देख ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय, दुश्मन शब्द का जो उल्लेख किया गया है वह किनके लिया किया गया है ? क्या हम लोग किसी के दुश्मन हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- नहीं-नहीं, मैंने केंवट नहीं बोला है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह रोजगार की बात होती है, आप दुश्मनी की बात कर रहे हैं । किसी का रोजी-रोजगार होता है । आदरणीय, आपकी यह बात ठीक नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में 37 परसेंट इरीगेशन का पोटेंशियल है और 37 परसेंट से ऊपर अगर हमको इरीगेशन का पोटेंशियल लेकर जाना है तो इरीगेशन पोटेंशियल ले जाने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ? मैं बजट में देख रहा था कि जितनी व्यवस्था की गयी है वह व्यवस्था जो की गयी है नहर के लाईनिंग के कार्य, अधिकारियों के बहुत पसंदीदा कार्य होते हैं । क्योंकि नहर की लाइनिंग कार्य में, पहले कब लाइनिंग हुई, पहले किस मद से लाइनिंग कार्य हुआ, उसका कोई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हिसाब नहीं । आगे क्या लाइनिंग होगी इसका कोई हिसाब नहीं । लाइनिंग में क्या गुणवत्ता होगी इसका कोई हिसाब-किताब नहीं । कितनी मोटी लाइनिंग होगी इसका कोई हिसाब नहीं । इसमें लाइनिंग की गुणवत्ता के कार्य पर पहला फोकस है । दूसरा फोकस जीर्णोद्धार पर है । जिन बांधों के जीर्णोद्धार की बात की गई है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार जांच कराएं कि जिन बांधों के जीर्णोद्धार की बात बजट में है, क्या इनका कैचमेंट एरिया सही है ? क्या इसमें इतना पानी आता है ? बांध का गहरीकरण करेंगे, यदि उसका कैचमेंट एरिया सही रहेगा तब तो उसका उपयोग होगा । इसकी संरचना की गई है । मैंने जो जानकारी एकत्रित की है उसके मुताबिक बजट में जितने कार्य जोड़े गए हैं, इनमें से आधे कार्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम और नरेगा के तहत गहरीकरण किये गये हैं । इसमें कैचमेंट की कोई योजना नहीं बनाई गई है कि कैचमेंट क्या होगा, कितना क्यूसेक पानी आएगा और आगे सिंचाई में उपयोग किया जा सकेगा ? मेरे इलाके में बहुत सारे बांध हैं, 70 के दशक में बने थे, जब बड़ी योजना, परियोजना नहीं आई थी । उन बांधों का कैचमेंट एरिया बहुत सही था और आज भी कैचमेंट एरिया सही है । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी बांधों में और सभी छोटे जलाशयों, जिनके जीर्णोद्धार की बात की जा रही है, उन सारी जगहों में, कैचमेंट एरिया में या तो बेजा कब्जा हो गया है, जो अंदर इन्लेट की नाली है जहां से पानी आता है, खेत की ढाल में या ग्रेडिएंट में है । उसमें जितना भी पानी आता है, वहां बेजा कब्जा हो गया है । बांधों का तो जीर्णोद्धार होगा लेकिन बजट में यह कहीं नहीं दिया गया है कि इन्लेट का क्या होगा । पानी आएगा कैसे ? कितना क्यूसेक पानी आएगा ? सभापति महोदय, अगर हम बात करें सिंचाई क्षेत्र में तो सोलर इरीगेशन के, सोलर के लिफ्ट इरीगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं । दो-तीन प्रोजेक्ट इन बांधों के तहत इस बजट में लिए गए हैं । साराडीह बराज के बगल में और यहां के बराज के बगल में पानी को लिफ्ट करके दिया जाएगा । सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत सिंचाई हसदेव बांगो परियोजना से होती है । वहां पर भी दो-तीन लंबित हैं । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको स्वीकृति प्रदान करके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाए और परसाही लिफ्ट इरीगेश योजना है, उसलापुर लिफ्ट इरीगेशन योजना है । पायलट प्रोजेक्ट चल कैसे रहे हैं ? सोलर पैनल के पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में बहुत अच्छे से चल रहे हैं । अगर हम इससे सिंचाई की व्यवस्था कर सकें तो इस बारे में मेरा निवेदन है । सभापति महोदय, प्रदेश में बहुत सारे बड़े बड़े बराज बने हैं । उद्योगों के लिए बराज बनाए गए, विशेषकर महानदी में उद्योगों के लिए बराज बनाए गए हैं और अन्य जगहों में भी उद्योगों के लिए बराज बनाए गए हैं । वो बराज जो बने हैं, उन बराजों से लेकर, एक समस्या उत्पन्न हुई कि उड़ीसा हमारे ऊपर बात रख रहा है कि ये जो बराज है, इस बराज के कारण हम महानदी के पानी को प्रभावित कर रहे हैं । उसके लिए उड़ीसा-छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक वीयर बनाने की सेंट्रल वाटर कमीशन की मीटिंग में बात हुई थी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रायगढ़ के आगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक वीयर बनाया जाएगा, जिससे चेक किया जाएगा कि मंथवार कितना पानी जाता है जिससे हम यह बता सकेंगे कि हम अपने पानी के फ्लो को नहीं रोक रहे हैं । उस वीयर को बनाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है । अगर इस बजट में वीयर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और आगे जाकर जब हम बात करेंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा ? यहां बजट में जो बहुत सारे कार्य जोड़े गए हैं जो नवीन मद में जोड़े गए हैं वे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है ईआरएम (एक्स्टेंशन रिमोडलिंग ऑर मॉर्डनाइजेशन) उन योजनाओं में जोड़ा जा सकता था । उसमें हमारा राज्यांश का पैसा कम लगता और केन्द्रांश का पैसा ज्यादा आता । उसको भी नहीं जोड़ा गया है । सभापति महोदय, आज जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं । जिन बड़े प्रोजेक्ट से इरीगेशन का पोटेंशियल जम्प कर सकता था । वैसे प्रोजेक्ट में मुख्यत: अपरा-भैंसाझार और केलो प्रोजेक्ट चल रहे हैं । अपरा-भैंसाझार और केलो प्रोजेक्ट में जो स्थिति है, वह काफी स्लो है, उसमें जो तेजी आनी चाहिए, पानी का बहाव आना चाहिए, वह पानी का बहाव नहीं आ रहा है । इस प्रोजेक्ट को कैसे किया जाएगा, इसमें एलॉटमेंट की क्या कमी आएगी और कितना एक्स्ट्रा एलॉटमेंट किया जाएगा, इस पर विशेष कोई चर्चा नहीं है ।

सभापति महोदय, सोंढूर परियोजना के अंतर्गत भाटापारा शाखा नहर में लगभग 65 हजार हेक्टेयर की सिंचाई प्रस्तावित है । गत् वर्ष 30 हजार हेक्टेयर की सिंचाई प्राप्त की गई थी । 55 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के कार्यों की स्वीकृति बजट में नहीं दी गई है । अगर दे दी जाती तो 30 हजार हेक्टेयर में और अपासी हो सकती है । ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर प्रदेश में एक साथ 30 हजार हेक्टेयर में एक प्रोजेक्ट से ही हो सकती है, उसका कोई प्रावधान नहीं है । जांजगीर-चांपा जिले में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है और बहुत बड़ा एक भाग 55 हजार एकड़ का असिंचित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि असिंचित जो क्षेत्र है हसदो-बांगों प्रोजेक्ट के कुछ प्रोजेक्ट आपने लिया है कि इरीगेशन का, एक्सटेंशन का कि केनाल का एक्सटेंशन करना चाहिए। अगर केनाल एक्सटेंशन होगा तब इरीगेशन पोटेन्शियल जो एक्चुअल इरीगेशन पोटेन्शियल है और जो क्रियेटेड इरीगेशन पोटेन्शियल है, कपैसिटी है और कपैसिटी से जो एक्चुअल एरीगेशन पोटेन्शियल होता है इसके बीच का जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इतने हजार एकड़ की हमारी क्षमता तो है, बट क्षमता से सिंचाई कितनी प्राप्त हो रही है और सिंचाई से कितनी फसल प्राप्त हो रही है। इस पर जो ब्रिज गैपिंग है इस पर इस बजट में विशेषकर कोई कार्ययोजना नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जब वे इस बात का जवाब देंगे तो कृपापूर्वक उल्लेख करेंगे। हमारे सिंचाई विभाग के सबसे बड़े अर्निंग का स्रोत जो हम उद्योगपतियों को पानी देते हैं और जब हम उद्योगपतियों को पानी देते हैं तो हर चीज में मीटरिंग है। पानी में मीटरिंग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं है। हमने रेट निर्धारित कर दिया कि 3 रूपये 60 पैसे के हिसाब से इतना क्यूसेक पानी देंगे। वह उद्योग कितना क्यूसेक पानी ले जा रहा है। इसकी मीटरिंग है क्या ? मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में बोलूंगा, सी.ए.जी. ने आज से 5-7 पहले इस बात का उल्लेख किया था कि मीटरिंग है कि नहीं और मीटर बनाने के लिए इसका उपयोग है कि नहीं। आप कृपापूर्वक बजट में यह एलोकेशन करें कि जितने एनीकट से जितने उद्योग पानी ले रहे हैं, उस पर मीटर लगाया जाए कि वे कितना क्यूसेक पानी लेकर जा रहे हैं? और इतना क्यूसेक पानी इतने दर से ले जा रहे हैं तो इसकी चेकिंग क्या है करके कि कितना क्यूसेक पानी जा रहा है? माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप जब जवाब दें तो इस पर कृपापूर्वक विचार करें। दूसरी चीज एग्रीकल्चर है। छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा भाग एग्रीकल्चर है और माननीय मंत्री जी एग्रीकल्चर के बहुत ज्ञानी मंत्री जी हैं और हमें माननीय मंत्री जी से बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं। एग्रीकल्चर का 80 परशेंट बजट का भाग सब्सिडी में जाता है और जितने सदस्य यहां पर बैठे हैं, सबको पता है कि वह सब्सिडी कैसे बंटती है? किस ढंग से वह सब्स्डी बंट रही है? उन सब्सिडियों को कैसे नीचे के अधिकारी बांट रहे हैं? उस सब्सिडी का 80 परशेंट वही लोग हैं, जिनका नाम सब्सिडी में हर चीज में आ जाता है। इस साल के रबी फसल में मेरे अकलतरा विकासखंड क्षेत्र में जिन लोगों को रबी फसल का बीज दिया गया है, उन किसान लोगों से यही नहीं पूछा जा रहा है कि भाई आप यह बीज लेकर जा रहे हो। बोए हो कि नहीं बोए हो और बोए हो तो आपका उत्पादन कितना हुआ है? जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन का क्या होगा करके? आधे से ज्यादा रबी फसल का, चना का बीज और बाकी का बीज, गेहूं का बीज उसको होरा भुंजकर खा देते हैं। उस बीज का कोई हिसाब-किताब नहीं है बीज किसके पास जा रहा है? कहां पर जा रहा है? कैसे जा रहा है ? धान का बीज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- सौरभ भैया वह किसान के पास जायेगा तो ही होरा भुंनेंगे। वे तो इधर ही बेच दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, बीज विकास निगम रबी फसल का बीज और खरीफ फसल का बीज। धान के जो बीज की खरीदी हो रही है वह दो र ढंग हो रहा है। एक तो प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स हैं और एक बीज विकास निगम है। प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स को बीज विकास निगम अधिकृत करता है, एथोराइज करता है और उनकी चीजों को प्रमाणित करता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नरवा, घुरवा, गरूवा, बारी पूरा फ्लेक्सिब स्कीम है और घुरवा के बारे में और आ गया कि स्मार्ट घुरवा बनेगा। माने 24 घंटे में अपग्रेड हो गया। अभी घुरवा का प्रोजेक्ट नहीं आया है और अब वहस्मार्ट घुरवा हो गया। अब उसमें कितना इंन्रेस्ट है यह देख लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- माननीय अजय जी, आपका नाम भी बोलने वाला हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नरवा, घुरवा, गरूवा, बारी में चर्चा कर रहे हैं और इंटरेस्ट देखिए। फलेक्सिब योजना की।

श्री सौरभ सिंह :- जो प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स हैं उनको आजतक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। पिछले दो साल, तीन साल की वे कर रहे हैं और बीज विकास निगम में मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बीज विकास निगम की पूरी जांच होनी चाहिए कि बीज विकास निगम में कि कौन किसान हैं और कौन वास्तविक किसान हैं, जिसका पंजीयन हुआ है? मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव अकलतरी है, जिस गांव के 25 किसानो का सीड कार्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसकी जांच होनी चाहिए कि वे 25 किसान कौन हैं ? वे एक्चुअल सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के बावजूद भी हर साल बीज की किल्लत आती है। बोलते हैं कि हमको बीज नहीं मिल रहा है, किसान जिस प्रजाति के धान का बीज मांगता है, वह नहीं मिलता है। हम 1010 का बीज मांग रहे हैं तो हमको बोलते हैं कि आई0आर0-36 ले लो। आई0आर0-36 मांग रहे हैं तो स्वर्णा मसूरी ले लो, सर्वणा मसूरी मांग रहे हैं तो बोलते हैं कि स्वर्णा ले लो। तो विभाग क्या इस साल यह तय करेगा कि किस बीज की कितनी आवश्यकता किस विकासखण्ड में है ? ताकि उस हिसाब से सीड का एग्रीमेंट हो तो आने वाले वर्ष में वह सुधरेगा। अभी सीड का एग्रीमेंट किस ढंग से हो रहा है, क्या हो रहा है, हर साल बीज की समस्या होती है। जो प्रायवेट सीड प्रोड्यूसर हैं, उनके पास जो उपलब्ध है, अंत में किसान को वही बोना पडता है। अब उसका खेत हरूना है, गरूना है, आगे बोना है या पीछे बोना है, आखिर सीड कार्पोरेशन जो बीज दे रहा है, सोसायटी दे रहा है, मजबूरी में वही बोना है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस पर आकृष्ट करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में माननीय मंत्री जी की सरकार ने कहा है कि पूर्ण नशा बंदी होगी। नशाबंदी कब होगी, यह तो पता नहीं है। लेकिन नशाबंदी से संबंधित एक चीज, जो आज चल रही है, उस पर बोलूंगा।

श्री मोहन मरकाम :- सिंह साहब, इसमें नशाबंदी का कहां हैं ? अनुदान मांग में है ही नहीं, तो आप नशाबंदी मांग रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- सुन तो लीजिये। आपको नशाबंदी से छूटी हुई चीज बोल रहा हूँ। बाड़ी और घुरवा की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में जितना दारू का निर्माण होता है, जिससे दारू मेनीफैकचर होता है, उसमें एक एलीमेंट होता है- ई0एन0ए0। ई0एन0ए0 किससे बनता है ? ई0एन0ए0 कनकी से बनता है जो हमारा सड़ा हुआ चावल होता है, उससे ई0एन0ए0 बनता है। वह जो चावल बनता है, उसमें हमको यहां पर जितना जरूरत है, उससे आधे से ज्यादा ई0एन0ए0 प्रदेश के बाहर से आता है। मैं माननीय मंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी निवेदन करूंगा कि इस पर कुछ कार्रवाई करें ताकि जो प्रदेश का कनकी है, वह प्रदेश में ही इस्तेमाल हो और ई0एन0ए0 बाहर से न आये। मैं आपका ध्यान एक और चीज पर आकृष्ट करना चाहूंगा। दारू जी0एस0टी0 से बाहर है। तो आप चाहेंगे तो ई0एन0ए0 के ऊपर जी0एस0टी0 लगा सकते हैं, वेट लगा सकते हैं और वेट लगाकर उसको रोक सकते हैं। ठीक है सदस्य महोदय, तो आप उसको लगाकर रोक सकते हैं और छत्तीसगढ के किसानों का फायदा होगा, अगर ई0एन0ए0 छत्तीसगढ़ के अंदर बनेगा। छत्तीसगढ़ में एक बीयर की फैक्टरी है। उस बीयर की फैक्टरी के एक बेसिक इनपुट बारली लगता है। और वह बारली बाहर से आता है। बारली की कान्ट्रेक्ट फार्मिंग छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती है ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बारली का कान्ट्रेक्ट फार्मिंस के लिए जिस प्रकार का सीड चाहिए, जिस तरह का कान्ट्रेक्ट फार्मिंग चाहिए, जिस क्वालिटी का सीड चाहिए, उसके लिए आप सीड मंगवाईये और कान्ट्रेक्ट फार्मिंग करवाईये। इसका फायदा यहां के किसानों को क्यों न मिले, क्यों छत्तीसगढ़ के किसानों को फायदा मिले ?

माननीय सभापति महोदय, एग्रीकल्चर रिसर्च की बात होती है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत भारी भरकम राशि एग्रीकल्चर के ऊपर दिया गया है। एग्रीकल्चर रिसर्च पर बात हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा खेत दूसरे फसल के लिए खाली है। क्या एग्रीकल्चर रिसर्च, जो दूसरे फसल पर खेत खाली ? किस तरह का एग्रीकल्चर रिसर्च हो रहा है, जब दूसरे फसल के लिए व्यवस्था नहीं है ? एग्रीकल्चर का बेसिक साईंस है कि हमको उस खेत से क्रापिंग इन्टेसिटी बढाना पड़ेगा। हरियाणा का प्रोग्रेस हुआ है, पंजाब का प्रोग्रेस हुआ है क्योंकि उन्होंने क्रापिंग इन्टेसिटी बढाई है। क्रापिंग इन्टेसिटी का मतलब एक खेत से आप कितनी बार फसल निकाल रहे हैं ? एक एकड़ खेत से कितनी बार फसल निकल रही है। हम एक बार फसल निकाल रहे हैं। one is to one का रेसियो है। जब हम one is to three करेंगे, तब इस क्षेत्र का, यहां का जी0डी0पी0 बढ़ेगा, तब यहां का विकास बढ़ेगा, तब छत्तीसगढ़ आगे जायेगा। क्रापिंग इन्टेसिटी के ऊपर कहीं पर कोई एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं किया जा रहा है कि किस विकासखण्ड में किस धरा से क्रापिंग इन्टेसिटी बढ़ाई जाये। हम बड़ी-बड़ी बात भर करते हैं कि क्रापिंग इन्टेसिटी बढ़ाया जाए। रिसर्च का एक्सटेंशन किया जाए। यहां पर अधिकारीगण उपस्थित हैं। सब आई0ए0एस0 की परीक्षा दिए हैं। मैं यहां पर बात कहूंगा। एक किताब है। डेनमार्क का एक साईंटिस्ट Haggerston था। वह Haggerston एग्रीकल्चर में diffusion of inovation की बात करता था। उसको कृपापूर्वक एग्रीकल्चर के अधिकारी पढ़ ले कि कैसे एग्रीकल्चर में diffusion of inovation कैसे होता है। अगर diffusion of inovation का सिद्धांत Haggerston का मान लेंगे तो छत्तीसगढ़ का बहुत कुछ भला हो जायेगा। किस धरा से किसान एक चीज को कापी करता है । एक किसान आगे चलता है, फिर उसके बाद उसका कापी करता है, फिर तीसरा किसान कापी करता है फिर चौथा किसान, फिर लास्ट में लास्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के किसान आते हैं । रबी की कापिंग पैटर्न चेंज करने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज दी गई है, पर रबी की कापिंग पैटर्न का इसमें कुछ उल्लेख नहीं है । एग्रीकल्चर क्षेत्र में मैकजाईजेशन..।

सभापति महोदय :- आपके दल के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है, उसमें से आप 20 मिनट ले चुके हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एग्रीकल्चर क्षेत्र में मैकनाईजेशन की बात हो रही थी, एग्रीकल्चर क्षेत्र में मैकनाईजेशन की बात हो रही है । आज की तारीख में किसान ने, धान के किसान के लिए सबसे बड़ा मैकजाईजेशन अगर कोई है तो वह पैडी थ्रेसर है । हरियाणा और पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पैरा जलाना बंद कर दिया है और जितने पैडी कम्बाइंड हारवेस्टर थे, वे सब हरियाणा और पंजाब से छत्तीसगढ़ आ गए और वे यहां पर काम कर रहे हैं । कम्बाइंड हारवेस्टर जो धान निकलता है, वह सही नहीं होता, पैरे का भी नुकसान होता है इसलिए पैडी थ्रेसर का चलन आया है । हरियाणा और पंजाब में मैक्सिमम पैडी थ्रेसर चलते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पैडी थ्रेसर पर जो कोटा है, पैडी थ्रेसर पर सब्सिडी का जो कम्पानेंट होगा, उसको कृपा पूर्वक बढ़ाएं और नम्बर आफ पैडी थ्रेसर हम सब्सिडी में देंगे, उसको कृपा पूर्वक बढ़ाएं ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे से होती है । हम इस साल कितने हाई इल्डिंग वैरायटी धान को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस साल कौन-कौन से हाई इल्डिंग वैरायटी होंगे, जिस धान को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और हाई इल्डिंग वैरायटी धान इंट्रोड्यूस होंगे, वह किस क्षेत्र में स्वाईल के हिसाब से और माइक्रो क्लाईमेट के हिसाब से कैसे इंट्रोड्यूस होंगे, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा । इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ धान के लिए जाना जाता था । दुबराज का जो कहर होता था, वह दो-दो किलोमीटर तक आता था और दुबराज का धान जब बड़ा होकर सोता था तो आप और हमने देखा है कि दुबराज का धान क्या होता है । बस्तर का बादशाह भोग पूरे विश्व में फेसम था और नगरी का दुबराज फेमस था, वह आज कहां गया । मीर अली मीर जी बोलते हैं कि नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, ठुमरा और ठुमरी और एक तुतारी नंदा जही का । हम छत्तीसगढ़ को वहां तक पहुंचा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सिर्फ चार चीज हो गई-नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी । छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे धान के बीज की जो जीन पायरेसी हो रही है, इस पर भी कृपा पूर्वक कुछ बजट में प्रावधान करें और इसके संरक्षण के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी व्यवस्था करें । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा । प्रति क्विंटल जो धान का उत्पादन है, वह प्रति क्विंटल उत्पादन बढ़ना चाहिए, इस पर भी मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और राईस में 85 प्रतिशत पानी का कंजम्पशन छत्तीसगढ़ का जितना पानी का कंजम्पशन है, वह 85 प्रतिशत जो एरीगेशन का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कम्पानेंट है, कंजम्पशन है, वह राईस में होता है, चांवल की खेती में होता है और चांवल की खेती का पर्यावरण के ऊपर भी खराब प्रभाव है, जिसको मिथेन कम्पोनेंट बोलते हैं । इसलिए चांवल की खेती को थोड़ा कम करके उसमें नई पद्धति जो इंट्रोड्यूस की गई है-मेडागास्कर पद्धति । तमिलनाडू के तंजौर जिले से आई है- मेडागास्कर पद्धति और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं खेती कर रहा हूं इसलिए मैं मेडागास्कर पद्धति का प्रयोग करता हूं तो मेडागास्कर पद्धति को कृपा पूर्वक इंट्रोड्यूस किया जाए ।

माननीय सभापति महोदय, एग्रीकल्चर रिसर्च पर बात हो रही थी । कोई टीम राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला क्यों नहीं जाती ? वियतनाम का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अगर पर कैपिटा चांवल का प्रोडक्शन छोटे खेतों में है तो वियतनाम और फिलीपींस में है । कोई राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों नहीं जाता ? हार्टीकल्चर विभाग का कोई सेव के बागीचे में क्यों नहीं जाता, अगर चाय की खेती जशपुर में हो सकती है तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती । हम हार्टीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च की बात कर रहे हैं, मैं हार्टीकल्चर में आऊंगा । क्यों नहीं हो सकता, आज अगर डेयरी में गुजरात में क्यों एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं हो सकता, हम गुजरात में जाकर काम क्यों नहीं कर सकते और नई क्रापों का छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्क्शन क्यों नहीं हो सकता । भारत में सेव और चाय कहां से आया और अन्य पदार्थ भारत में कहां से आए। अगर हमारी आबो हवा है तो इस पर क्यों इंट्रोड्क्शन नहीं हो सकता । यहां पर बहुत बड़े-बड़े विद्वान खेतिहर थे, अब उनकी चर्चा के लिए आप समय की सीमा बांध रहे हैं तो मैं नहीं बोलता, नहीं तो उसकी भी चर्चा करता कि कैसे छत्तीसगढ़ के विद्वान लोगों ने कैसे किया, मैं माननीय मंत्री जी के नाना जी के बारे में चर्चा चालू करता, मुंगेली से, पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, गरूवा, फ्लैगशिप योजना और इस बजट में कोई नया पशु औषधालय का प्रावधान नहीं है । एक भी पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन नहीं है । कामधेनू योजना के बारे में सिर्फ घोषणा, बजट में कोई उल्लेख नहीं है । डॉक्टरों के 150 पद खाली हैं, उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है । बात हम चरवाहा के सिस्टम की कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जी, बात करते थे ना कि चरवारा विद्यालय बनायेंगे, पता नहीं चरवाहा विद्यालय कहां गया ? उसी तरह का चरवाहा विद्यालय है । तीन एकड़ जमीन का संरक्षण करेंगे, जो गौठान माननीय अजय चन्द्राकर जी ने बनवाया, उसी को नाप-नाप कर दे रहे हैं । गांव में तीन एकड़ जमीन के नाम से लड़ाई चालू हो गयी है कि बेजा कब्जा है । तीन एकड़ जमीन कहां से आयेगा ? तीन एकड़ जमीन में हम बाउंड्रीवाल करेंगे तो किस मद से करेंगे ? बजट में बाऊंड्रीवाल के बारे में कुछ नहीं है । गाय को रखेंगे तो शेड किस बात का बनायेंगे ? इस बजट में कुछ नहीं है । माननीय सभापति महोदय, गाय को रख लेंगे तो चारा कहां से देंगे ? छत्तीसगढ़ में फेंसिंग के कारण आधे से ज्यादा हमारे जांजगीर जिले में रबी फसल का पानी दिया गया है । पानी खेतों में बह रहा है । गाय के कारण, गरूवा के कारण, गरूवा की व्यवस्था नहीं होने के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कारण कोई किसान बो के राजी नहीं है । गरूवा को वहां रख लेंगे । माननीय सभापति महोदय, गांवों में कांजी हाऊस बंद हो गये हैं । कोई कांजी हाऊस को लेने वाला नहीं है, आज से 10 साल पहले कांजी-हाऊस के लिए मारा-मारी थी । विधायकों के पास आते थे और कहते थे कि देवा दे गा कांजी हाऊस । आज कोई कांजीहाऊस लेने के लिए तैयार नहीं है । गरूवा को कोई लेकर कहां जायेगा ? उसके लिए इस बजट में क्या व्यवस्था है ? माननीय ननकीराम कंवर जी बैठे हैं । हमारे क्षेत्र में हम इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते थे, थोड़ा तो हमारे क्षेत्र के गाय को ले जाईये, बोलते थे कि हमारे पास रामपुर में कैपिसिटी नहीं है, हम गाय कहां लेकर जाये ? गरूवा बोलना बहुत अच्छा है, गरूवा के लिए होगा क्या ? आज कांजी हाऊस की व्यवस्था नहीं है । गरूवा जो अगर है और गरूवा की अगर व्यवस्था की जा रही है, जो गाय दूध नहीं देती, जो बैल काम के नहीं होते, उनको कहां ले जाया जायेगा ? उसका क्या किया जायेगा ? क्या व्यवस्था की जायेगी ? बजट में कुछ नहीं है । वही कॉपी-पेस्ट है, पुराना और नया ? माननीय सभापति महोदय, मिल का प्रोडक्शन । गरूवा की सबसे बड़ी चीज, मिल्क । आज छत्तीसगढ़ में मेकेनाईजेशन हो गया है । नांगर खत्म होने लगे । नांगर नहीं चल रहे हैं । मेरे गांव में जहां मैं खेती करता हूँ, 80 से 90 नांगर माननीय मंत्री जी भी देखते होंगे । खेत में नांगर निकलता था । एक आदमी से पूछा नांगर में खेत ला जोतबे । कहता है कि भईया एक दू ठन नागर हे । थरोटी ला जोते बर नांगर नई मिलथे । यह परिस्थिति है । गरूवा बच ही कैसे, मिल्क का जो प्रोडक्शन है, वह स्ट्रेगनेंट है। मिल्क का प्रोडक्शन इसलिए स्ट्रेग्नेंट है, हम बहुत सारी करोड़ो-करोड़ों की योजना दे रहे हैं । किसलिए दे रहे हैं, नस्ल सुधार के लिए । नस्ल सुधार में क्या यूज कर रहे हैं, ब्राऊस स्विस, हॉल्सियन, फेल्सियन, जर्सी । ब्राऊस स्विस, हेल्सियन, फेल्सियन, जर्सी, माइक्रो क्लाईमेंट के लिए बनी ही नहीं है । टोटल गुजरात के डेयरी का काम हो रहा है, वह काम गिर में हो रहा है, साहिवाल में हो रहा है, टनकपुर में हो रहा है, लालसिंध में हो रहा है, वह तो बना ही नहीं है । माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत के गौवंश की एक नई योजना चालू की । बजट में उसका एलॉटमेंट आया है । अगर हम गरूवा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है ? देवभोग का जो पैसा होता है, दो-दो, तीन-तीन महीने से पेंडिंग है । किसानों का पैसा नहीं मिल रहा है । किसान क्यों गरूवा पालेगा ? उसको गरूवा पालने से क्या मिल रहा है ? चारागाह की जगह नहीं है, कहते हैं । यह उनका कहना सभी भी है और हम बात कर रहे हैं, गरूवा ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के देशी भाषा में ढ़ोर डॉक्टर । ढ़ोर डॉक्टर तो खोजने से भी नहीं मिलता है । ढ़ोर डॉक्टर तो है ही नहीं । 150 पद खाली है । ढ़ोर डॉक्टर कहां है ? मेरे विकासखंड में जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता । जो ढ़ोर डॉक्टर हैं, वह पशु बीमा के एजेंट हो गये हैं । चारा के एजेंट हो गये हैं, दवाई के एजेंट हो गये हैं । घर में आप

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जायेंगे, डेयरी में आप फोन करियेगा, तो बोलेंगे, मैं जो चारा बताऊंगा, उसी चारा को खिलाना, तभी आपके गाय का ईलाज होगा । माननीय सभापति महोदय, यह ढ़ोर डॉक्टर की परिस्थिति हो गयी है । ढ़ोर डॉक्टर, ढ़ोर हो गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गरूवा की बात कर रहे हैं, गरूवा के चारे के लिए इस बजट में उचित मूल्य के दुकान की व्यवस्था इस बजट में नहीं है । गरूवा के चारे के लिए कुछ उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था की जाये । माननीय सभापति महोदय, इस पर कोई व्यवव्था नहीं की गई है । माननीय सभापति महोदय, हार्टिकल्चर । नरवा, घुरवा अब बाड़ी । हार्टिकल्चर । बाड़ी तो लग जायेगी, बाड़ी तो अपने हिसाब से किसान लगाते हैं । माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में बहुत बाड़ी लगती है । टमाटर की खेती होती है । उस टमाटर की खेती की बाड़ी का, खरीदी कौन करेगा ? उसके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । ई-मार्केटिंग क्या होगा ? उसको किस दर से खरीदा जायेगा ? कोल्ड स्टोरेज की क्या व्यवस्था होगी ? वेल्यू एडिशन के प्रोसेसिंग के प्लाण्ट लगेंगे कि नहीं लगेंगे ? माननीय सभापति महोदय जी, मेरा निवेदन है कि अपने पांच साल के कार्यकाल में मंत्री जी कम से कम साजा में और पत्थलगांव में एक टमाटर का फुड प्रोसेसिंग प्लाण्ट तो लगवा दे ? पेपर में जो टमाटर का फोटो देखते हैं, पीड़ा होती है कि किसानों का टमाटर रोड में फिकवा रहा है । वह तो कम से कम न हो । माननीय सभापति महोदय, बाड़ी बहुत अच्छा शब्द है । बाड़ी के लिए बिजली कहां से आयेगी ? बाड़ी के लिए पानी कहां से आयेगा ? किसान बाड़ी लगा देगा तो वह बेचेगा क्या ? बाड़ी का किसान सब्जी बेचता है ना, जब वह लेकर जाता है, सब्जी के मार्केट में सुबह जब बोली होती है, सब्जी की बोली में जो वहां का दलाल रेट बोल दे, उसी रेट में किसान का सामान जाता है। किसान बाड़ी से नहीं कमाता है, कमाता दलाल है। उस पर क्या व्यवस्था की जाती है? और सेम्पल की फिर से नीलामी करते हैं। तो ई-बाजार बनाने का विस्तार, किसान उपभोक्ता बनाने का विस्तार करना चाहिए। बाड़ी तो लग जायेगी। बाड़ी हो जायेगी, आप दे देंगे, क्या बीज आदि देंगे इसके लिए बजट में कुछ नहीं है कि क्या सीड आयेगा, बाड़ी के लिए क्या होगा, बाड़ी के लिए क्या कहानी होगी। उसकी कोई कार्ययोजना नहीं। चलिए, यदि किसान बाड़ी लगा भी लिया तो वह कहां बेचाएगा। किस मार्केट में बिकेगा, कौन से कोल्ड स्टोरेज में रखा जायेगा, इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मत्स्य पालन एक हजार हेक्टेयर से ऊपर के जितने बड़े-बड़े बांध हैं उसे हमने मत्सय पालन महासंघ को दिया है। हमारे आदरणीय बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि मत्स्य पालन महासंघ को आपने दिया है, उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है? वहीं से मेजर प्रोडक्शन आना है। जो एक हजार हेक्टेयर से ऊपर के बांध हैं, हसदेव बांगो मिनीमाता परियोजना तो वह कहां से आयेगा। जो हमारा फिशरीज का प्रोडक्शन सेगमेंट है उसके कारण आज भी आंध्रप्रदेश से यहां मछली आती है। और आज भी हमारा जो सिस्टम है वह सिस्टम रोहू, कतला और मृगल के ऊपर नहीं गया है। देशी मछली, परावदा का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्या होगा? षड़ांगी का क्या होगा? उस पर कोई बात नहीं हो रही है। टेंगना, बांदी का क्या होगा, कोतरी के का होही? चिंगरी के का होही?

श्री कुंवरसिंह निषाद :- 18 साल तक कोतरी टेंगना के बारे में नहीं सोचेव। आदरणीय, आज चिन्ता कईसे होगे?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य जी से निवेदन करूंगा कि एक बार आयें और मैं कितनी टेक्निकल फिशरीज करता हूं वह मेरे साथ आकर देखें।

श्री कुंवरसिंह निषाद :- चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। मैं तो 48 साल मेरी उम्र हो गई, जब से पैदा हुआ हूं तब से मछली का काम कर रहा हूं, आज भी जारी है।

श्री अजय चंद्राकर :- तें कहां के ला देखाबे, तेला मैं जानत हों।

श्री कुंवरसिंह निषाद:- चल न, त जहां के देखांहों।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेजर आपका कैपेसिटी एडीशन वहीं से आता है। और जो हमारा मेजर फिशरीज का थ्रस्ट है वह स्पान के ऊपर थ्रसट होता है, मतलब छोटा बीज। छोटे बीज को जब हम लोग तालाब में डालते हैं तो पुरानी कहावत है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। तो सिंगल लिंग के ऊपर जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, कभी भी आप चलिए, बरसात के समय में हावड़ा से जो ट्रेनें निकलकर वहां पर आती हैं उसमें सब मछली के बीज को पीटते-पीटते लाते हैं। वही मछली का बीज चलता है, कोई डिप्टी डायरेक्टर वाला बीज नहीं चलता है। जो बंगाल से मछली का बीज हावड़ा बांबे मेल से बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ आता है, वही चलता है। महानदी पर जो बड़े बड़े बराज बने हैं कृपा पूर्वक उस पर मछली की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, घुरवा, बजट में मैं घुरवा के विषय में पढ़ा तो एक लाईन मुझे समझ में आया कि जैविक खेती मिशन की एक योजना जिसके तहत मेला, विज्ञापन, आर्थिक सहायता, स्पेशल ब्राडिंग, मार्केटिंग यह सब की जायेगी। मुझे जो घुरवा समझ में आ रहा है तो गांव में घुरवा लड़ाई का विषय है। रोज मारपीट हो रही है। मेरी जमीन नंबरी के सामने, आपकी जमीन नंबरी के सामने, किसी की जमीन के सामने कोई घुरवा तो किसी के जमीन के सामने कोई घुरवा तो रोज मारपिटाई हो रही है। मोर घुरवा ला खाली कर दीस, ओखर घुरवा ला भर दीस। यही लड़ाई चल रही है। घुरवा से क्या होगा तो जैविक खेती होगी। जैविक खेती की क्या ब्रांडिंग होगी, क्या होगा, कैसे जैविक खेती होगी इसके बारे में बजट में कुछ भी नहीं है। तो घुरवा कहां जायेगा, क्या सर्टीफिकेशन होगा, किस तरह से जैविक खेती होगी, उसके बारे में कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, लॉ आपका एक विषय है। छत्तीसगढ़ में जो पेंडेन्सी ऑफ केसेस हैं विशेषकर हाईकोर्ट और लोवर कोर्ट में, इसमें 50 सिविल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जज

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

क्वार्टर के लिए बजट दिया गया है उसके लिए आपको धन्यवाद। जजेस के एपाईंटमेंट की पेन्डेन्सी और उनकी जो सुविधाएं हैं, आप सबसे सम्मानित मंत्री हैं आप जाकर इस चीज की चर्चा कर सकते हैं कि केसेस की पेन्डेन्सी जब छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बना था तो कितनी पेन्डेन्सी थी और आज कितनी पेन्डेन्सी हो गई है। कहीं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड तो नहीं हो रहा है। जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है कहीं हम उनके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। इस पर माननीय मंत्री जी कृपा करके ध्यान देंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है मैं अंतिम में बोलूंगा, प्रदेश की सारी तहसीलों में तृतीय वर्ग व्यवहार न्यायालय बन गया है, बलौदा में नहीं बना है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस पर कृपा पूर्वक ध्यान देंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

<u>सदन को सूचना</u>

<u>भोजन अवकाश का स्थगन</u>

सभापति महोदय :-आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, भांटो शुरू करने से पहले एक लाईन। हम सब के सब आपके प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये कहां से शुरू करेंगे। आप उधर से उत्तर दो एक पोस्ट खाली है। वैसे भांटो हम भी आपके प्रदर्शन में चलेंगे अपने वाहन साधन से।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति जी, आप अपनी चिंता करिये। इधर चिंता करने के लिए बहुत पर्याप्त है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, क्या है इस उम्र 5, 6 बार जीत गये हो शुरू करोगे आपको उधर बैठ के उत्तर देना चाहिए।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 28, 29,13,14,16,54,23,40,45,75 सभी मांगों का समर्थन करता हूं और इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है। आज भी हमारी अधिकतम आबादी गांवों में रहती है और गांवों की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, किसान पर आधारित है। यदि हमारे कृषि के क्षेत्र का विकास होगा तो हमारे किसानों का विकास होगा। हमारे किसान समृद्ध होंगे, किसान यदि खुशहाल होगा तो प्रदेश पूरा खुशहाल होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले हम लोगों ने सपना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देखा था, अलग राज्य निर्माण करने के पीछे जो मांग थी उसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण यही था कि यहां पर प्रकृति ने हमें तमाम सारे संसाधन दिये। यहां पर अच्छे वन हैं, अच्छी नदियां है, जंगल है, खनिज संपदा है, इनका अच्छा दोहन करके एक एक खेत तक पानी पहुंचायेंगे। कोई भी इलाका हमार असिंचित नहीं रहेगा। 12 महीनों हम खेतों को पानी दे सकेंगे, यह हम सब लोग सपना देखते थे। यहां कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। कृषि के क्षेत्र में ही इतना अधिक, हमारे रोजगार सृजन होंगे कि हमारे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। किसान कोई गरीब नहीं होंगे ये हम सब लोग राज्य निर्माण के पूर्व सपना देखते थे। बड़ा दुर्भाग्य है, राज्य तो बना लेकिन राज्य बनने के बाद आज 15 साल, थोड़ा समय नहीं होता। 15 साल तक इस प्रदेश की राज्य सरकार की सत्ता ऐसी विचारधारा और ऐसे लोगों की पास रही जिनकी प्राथमिकता में न तो किसान थे, न यहां खेती किसानी थी। उसका दुष्परिणाम हम लोगों ने भोगा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इस 15 साल में हमारा कृषि का क्षेत्र काफी अधिक उपेक्षित हुई है। सिंचाई बहुत उपेक्षित हुई है। अन्य कृषि से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, ये कई साल पीछे ढकेल दिया गया है और उसी का दुष्परिणाम है कि आज भी हमारी इस राज्य की गिनती बिमारू राज्य के रूप में है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसी विधानसभा में पिछली सरकार से जो जानकारी ली थी। 3 साल में, ये गृह विभाग का जवाब है, आज भी मेरे पास लिखित आंकड़ा है। उन 3 सालों में 20 हजार 658 लोगों ने आत्महत्या की है। ये ठीक है कि आप मानने को तैयार नहीं होते कि उसमें कितने किसान मरे हैं। हमेशा आंकड़ा आपने छिपा के बताया है और ये मरने वालों में जो आपके गृह विभाग के द्‌वारा आईडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा, छोटे कर्मचारी, बहुत छोटे व्यवसायी हैं, उसमें अचिन्हित ही लगभग साढ़े 9 हजार लोग हैं, जिसको आप आईडेंटिफाईड नहीं कर सकें। कुल मिलाकर, 20 हजार, 658 लोग किसी राज्य में यदि तीन साल के भीतर आत्महत्या करते हैं ये कोई बड़े उद्‌योगपति नहीं है, ये कोई बड़े अधिकारी नहीं हैं जो आत्महत्या किये हैं। हो सकता है हजारों में एकाध-दो होंगे। लेकिन यही छत्तीसगढ़ है, यही छत्तीसगढ़ की आम जनता है जो लगभग 3 सालों में 21 हजार लोगों ने आत्महत्या की है । ये सिर्फ इसलिए कि आपने कृषि के क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया। ये सारे वे लोग हैं जो खेती में घाटा हुआ । आज भी आधी से ज्यादा खेती हमारी रेगहा, अधिया में होती है वे आपकी डिशनरी में किसान नहीं है, आपकी परिभाषा में किसान नहीं आते जो गांव में ठेका लेकर, कृषि श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। अधिया रेगहा के रूप में काम कर रहे हैं। आपकी परिभाषा में वे किसान नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी, आपके ही क्षेत्र में तत्कालीन माननीय पंचायत मंत्री जी, हम लोग सब गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा क्षेत्र क्यों कह रहे हैं आप मेरे ससुराल इलाके में, आप ऐसा कहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- वह भी सही हैं। वह भी जोड़ लीजिए। जब हम लोगों ने उस गरीब परिवार के घर देखकर आये, किसानों से मिलकर आयें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया था, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो मरा है ये किसान है या कांग्रेसी है? आपके सोचने का नजरिया ये है आप ठीक है उसको किसान नहीं मानना है आप मत मानिये, लेकिन उसका अपमान तो मत करिये। उसको पैसा, मुआवजा नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन जो किसान हैं उसको कितना नहीं मानना, ये पिछली सरकार की सोच का, आपको मैंने एक उदाहरण बताया कि किसानों के बारे में क्या सोच रही है? मेरे ही क्षेत्र में गंगरेल में पानी है सिंचाई के लिए हमको आन्दोलन करना पड़ रहा है, मेरे और मेरे बच्चों सहित, मेरे कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित 3200 लोगों के ऊपर बलवा का केस दर्ज हुआ, जब हम पानी मांगने जा रहे थे। केजूराम बारले जिसकी पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। ये आपकी प्राथमिकताएं हैं, आप उद्योगों को पानी दे रहे हैं आप उद्योगों के लिए आपने योजना बनायी और यहां पर किसान एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते रहे। आज उसका परिणाम है कि आज यहां पर लगभग आपके 15 सालों में 8 लाख किसान भूमिहीन हो गये हैं। लगभग 10 लाख एकड़ के आसपास जो हमारी धनहा जमीन है, वह समाप्त हो गई है। कहीं उद्योग लग गये, कहीं आवासीय कॉलोनी बन गई, आज कहीं पूंजी निवेश का साधन बन गया है। जिन लोगों ने आपके 15 सालों की सरकार में अपूत संपत्ति कमाई, उनका इंवेस्टमेंट, आज पड़ती जमीन के रूप में उन जमीनों में दिख रहा है। आप पूरे छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में चले जाएं आपको बड़े पैमाने पर पड़ती भूमि मिलेगी। खाने वाला पेट रोज बढ़ रहा है जनसंख्या रोज बढ़ रही है और अनाज का औसत उत्पादन प्रति एकड़ आज लगभग स्थिर हो गया। अब कौन सा उन्नत बीज आप कितना और डालेगे? आप कितना फर्टीलाईजर और डालोगे? किसान जितनी मेहनत कर सकता है, जितनी जोखिम ले सकता है। आज अच्छा उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाई, अधिक मेहनत करके अधिकतम पैदावार ले रहा है। आपकी खेती का रकबा घट रहा है किसान घट रहे हैं। अनाज हवा, आसमान में पैदा नहीं होगा। खेत में ही पैदा होना है। किसान ही पैदा करेगा,लेकिन जिस राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जहां खेती किसान बर्बाद हो रही हो, इसी को लेकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता तय की और आज लगभग किसानों के 10 हजार करोड़ रूपये से ऊपर का कर्जा माफ किया है। ये इसी सोच का परिणाम है कि हम खेती और किसानी को बचाना चाहते हैं। किसान को बचाना चाहते हैं। ये इसी सोच का परिणाम है।

श्री अजय चन्द्रकार :- हम कर्जा माफी पर, सहकारिता में भिड़ेंगे। आप कितना किये हैं और हम कितना किये हैं। आप अभी कृषि में बोलिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- आप उस समय गिनवाईयेगा। आज पहले ही दिन, हम लोगों ने कर्ज माफी के लिए 5 साल इंतजार नहीं किया। एक साल भी नहीं, हमारे आदरणीय नेता जी ने 10 दिन कहा था। उन्हीं के निर्देश पर एक ही दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ग्रहण किया, 3 घण्टे के अंदर फैसला लेकर के किसानों के कर्ज को माफ किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, जितना भी अच्छा, बुरा किया, आपने किया है, सच में किया, गलत में किया, उसमें असहमति नहीं है, क्या आपकी सोसायटी ने नोड्यूज दे दिया, किसानों को रबी में ऋण मिलना शुरू हो गया है?

श्री धनेन्द्र साहू :- आप बैठिये न, मैं आपको बताता हूं। इसके बाद अभी लगभग 5 हजार करोड़ रुपये व्यावसायिक बैंकों के ऋण को भी माफ किया है। आप जो चिंता कर रहे हैं न, वह मार्च तक मिल जायेगा। सारे लोगों के खाते में जमा हो जायेंगे, अभी तो आप बजट पारित करेंगे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके लिए तो अनुपूरक में हो गया है। रबी फसल का कर्ज दिलवाईये।

श्री धनेन्द्र साहू :- यहां आज बजट पारित हो रहा है, सारे लोगों के खाते में जमा हो जायेगा, आप मार्च के बाद ये बात नहीं पूछ पाओगे। इसी तरह से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आपने खाली प्रदेश के किसानों को ठगा कि हम 2100 रुपया समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपया क्विंटल बोनस देंगे, किसानों ने 5 साल तक इंतजार किया, दिल्ली में फिर सरकार बनाने की बात कही, उसके बावजूद भी 2100 रुपये समर्थन मूल्य नहीं मिला। सारे लोग इंतजार करते रहे। आप बड़ी मुश्किल से 5 साल में 1750 रुपये क्विंटल तक धान का समर्थन मूल्य पहुंचा पाये। हमारी सरकार बनते ही एक दिन में 1750 रुपये धान की कीमत को 2500 रुपये क्विंटल करके लगभग 750 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा करते हुए लगभग 6 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आप भी किसान हैं, आप भी बहुत खुशहाल हैं, अंदर ही अंदर आप खुद बहुत खुश हैं, आपको भी धान के समर्थन मूल्य की वृद्धि का फायदा हुआ है, आपको भी कर्ज माफी का फायदा हुआ है। ठीक है हो सकता है कि आपने कर्ज नहीं लिया हो, आप संपन्न हैं।

श्री संतराम नेताम :- आदरणीय सबसे ज्यादा चन्द्राकर जी ही लिये हैं।

श्री दीपक बैज :- धनेन्द्र भैया, सबसे ज्यादा फायदा उनके दल के नेताओं को हुआ है, बड़े-बड़े किसान वही लोग हैं।

श्री संतराम नेताम :- आपके दोनों हाथ घी में हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि भाटों का भाषण सहकारिता में हो रहा है, मैं सोच रहा हूं कि इतने अच्छे किसान हैं, मैं देखा हूं, उनके घर गया हूं, उनसे पूछ लीजिए। मैं सोच रहा हूं कि किसानी में भाषण आयेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- मैं आ रहा हूं, ये भी किसानी है। ये खेती, किसानी से ही सारे जुड़े हुए विषय हैं। सिंचाई का कर, ऐसे किसान जो 15 साल से सिंचाई कर पटा नहीं पाये थे, उनका 207 करोड़ रुपये सिंचाई कर माफ करने का भी जो फैसला हुआ, ये सारे फैसले इस बात को साबित करते हैं कि आज हमारी सरकार की सोच किस दिशा में है, हम दिशा में हमारे प्रदेश को खुशहाल बनाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इस प्रदेश के विकास, उन्नति, खुशहाली का सारा आधार खेती और किसानों के ऊपर में है। जब हमारे किसान, खेत सही हो जायेंगे तो अपने आप यह राज्य समृद्धि की ओर बढ़ेगा। आप लोगों ने तो चंद लोगों का विकास किया था। इससे हमारे प्रदेश के लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।

माननीय सभापति महोदय, सोयाबीन का 3399 रुपये समर्थन मूल्य था, हमारी राज्य सरकार की ओर से उसकी खरीदी मूल्य 3500 रुपये तय किया गया है। गन्ना में भी काफी ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी की गई है, जहां वह 261 रुपये प्रति क्विंटल था, उसे बढ़ा करके 355 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इस तरह से हमारे सारे किसान जो विभिन्न फसल लेते हैं, सभी फसलों के मूल्य को बढ़ा करके उनकी आर्थिक हैसियत बढ़ाने का पूरी तरह से इस सरकार ने निर्णय लिया है, ये ऐतिहासिक है। आज हिन्दुस्तान के किसी राज्य में, किसी सरकार के द्वारा इतना अधिक उनकी फसलों का मूल्य नहीं दिया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ में हमारी नई सरकार के द्वारा दिया गया है। यही हमारी सरकार की किसानों के प्रति सोच को साबित करता है। चाहे उद्यानिकी का क्षेत्र हो, पशुधन हो, जल प्रबंधन के लिये हो, बाड़ी विकास की बातें हों, जैविक खाद की बातें हों, औषधि फसलों की बातें हों, ये सभी में उसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। इन तमाम सारे संसाधनों के प्रयोगों से किसान खुशहाल हो सकेंगे। अभी जिसके बारे में एक माननीय सदस्य बहुत प्रश्नचिन्ह उठा रहे थे तो नरवा, घुरवा, गरूआ, बारी यह हमारी विकास के प्रति एक सोच है । आज जो लोग गांव में रहते हैं, जो खेती करते हैं, जो किसान हैं वे हमारी इस सरकार की इन बातों से और इस सोच से काफी अधिक खुश हैं । नरवा का मतलब केवल नरवा नहीं है, नरवा का मतलब हमारा नरवा, नदिया सभी तालाब, जितने भी हमारे सिंचाई के सारे संसाधन हैं उसमें जल संवर्धन करना, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना जहां हमारा लक्ष्य है कि सिंचाई के रकबे को दुगूना किया जायेगा । नरवा, यह तमाम् सारे हमारे जितने नाले हैं उनको रिचार्ज कर सकें, हमारा जो भूजल स्रोत है वह बढ़ सके और व्यर्थ बहकर जो पानी जाता है उसका हम लोग अच्छी तरह से दोहन कर सकें । इसी तरह से गरूआ, आज किसानों की जो सबसे बड़ी पूंजी होती थी वह गोधन होती थी । किसानों के लिये गाय-बैल-भैंस ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती थी लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा जो गौधन है, जो गौवंश है वह छत्तीसगढ़ में लगभग आज समाप्ति की कगार पर आ रहा है । आज कीटनाशक दवाईयां खेती-किसानी की सबसे बड़ी लागत होती

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं । आज हमारे जितने भी फर्टिलाईजर हैं, जो रासायनिक खाद है यह हमारे किसानों का सबसे बड़ा खर्चा है । यदि हम अपने गौधन को पूरी तरह से संरक्षित कर लें तो उनके ही गोबर और गौमूत्र से आज हमारी कीटनाशक दवाईयां, चूंकि आज विज्ञान ने इतनी अधिक प्रगति की है और मैंने स्वयं देखा है । मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई किसानों के घर में देखा है कि पूरे साल भर गौमूत्र को एक बड़े चैंबर में इकट्ठा करते हैं और खेती-किसानी के दिन में उसका पूरा उपयोग करते हैं । उसको एक पैसे की भी कीटनाशक दवाईयां डालने की जरूरत नहीं पड़ती है । इसी तरह से गोबर से हम इतना अधिक जैविक खाद पैदा कर सकते हैं, एक गांव से ही जितने लावारिश पशु हैं उसी से ही हम और वहां के किसानों को प्रेरित करके जो लोग अपने घर में संवर्धन करें, गौमूत्र का कलेक्शन करें, गोबर का कलेक्शन करके जैविक खाद बनायें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जनजागरूकता पैदा करें और सरकार उसमें जुड़कर के सहयोग करे तो कहीं भी किसी भी किसान को एक पैसे की भी रासायनिक खाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न कीटनाशक दवाई लेने की आवश्यकता पड़ेगी इसी सोच पर आज हमारा यह नरवा, गरूआ, घुरवा है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता कि दूसरे प्रदेशों में है कि नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्वजों ने आज से न जाने कितने सालों से जो सोच रखी थी, आपको यह अच्छी तरह से याद होगा, आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी को मालूम होगा कि यहां पर जितनी भी जो सरकारी जमीन हर गांव में हो, रिकॉर्ड में घास जमीन भी है उसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्राय: हर गांव में चकबंदी के समय हमारे उस समय के किसानों ने अपनी लगानी जमीन में से सारे किसानों ने अपनी लगानी जमीन में से निकालकर शामिलात चारागाह बनाया हुआ है । कितनी भी सरकारी जमीन है उसके ऊपर लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया । आज सारे शामिलात चारागाह अतिक्रमण के भेंट चढ़ रहा है । वह लगानी जमीन है, उसको आप तत्काल बेदखल कर सकते हैं । आप अच्छे चारागाह का विकास कर सकते हैं, यह किसानों की जमीन है, यह सरकार की भी जमीन नहीं है, यह पूरी तरह से आज भी गांव के उन तमाम् सारे किसानों की जमीन है, जो भी उस गांव के किसान हैं । उसको आज चारागाह के रूप में विकसित करने की यह योजना है । आज जो हमारे गौशाला बनाने की बात है, हम लोगों ने देखा है, आदरणीय चौबे जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय सब लोग वहां पर गये हैं, हम लोगों ने दुर्ग-धमधा क्षेत्र में देखा है। आपने गौशाला के नाम पर क्या किया है, उनको अनुदान देने के नाम पर क्या किया । बाहर बोर्ड लगा है, बहुत बड़ा कमल का निशान और वहां जाकर के भीतर देखते हैं तो 200-300 गाय आपकी गौशाला जिसमें करोड़ों का अनुदान प्राप्त होता है वहां पर गाय मरी हुई हैं । आपने गौमाता का नाम तो बहुत लिया लेकिन गौमाता के लिये कुछ नहीं किया केवल पेशेवर लोगों को अनुदान देने के सिवाय आपने कुछ नहीं किया । आज हमारी सरकार का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संकल्प है कि हर गांव में हम गौशाला का निर्माण करायेंगे और गौमाता की रक्षा करेंगे और आज जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है फसल रक्षा की, चराई की, आज इस समस्या से हम पूरी तरह से, पूरे 5 साल के भीतर सारे गांव में हम लोग एक-एक गौसदन बनायेंगे, गौशाला बनाकर, गौमाता की रक्षा भी करेंगे । वहां वर गौमूत्र से जैविक खाद भी बनेगी, कीटनाशक दवाई बनेगी । वहां पर नस्ल सुधार का काम हो सकेगा । आपने तो 15 सालों में छत्तीसगढ़ के केवल शराब की नदियां बहाई हैं । हमारी कोशिश है कि शराब के बदले दूध की नदियां बहेगी (मेजो की थपथपाहट) आपकी सोच केवल कागजी थी । हम लोगों ने आज उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की है । आप लोग नरवा, घुरवा, बाड़ी की हंसी उड़ाते हैं । यह वह नरवा, घुरवा बाडी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- और एसआईटी ?

श्री धनेन्द्र साहू :- वह तो आप लोगों के लिए आवश्यकता पड़ेगी । सभापति महोदय, बाड़ी का मतलब केवल बाड़ी नहीं है, हमारी खेती बाड़ी है । खेत का, बाड़ी का सभी का समग्र विकास करना है । आज जिस तरह से प्रदेश में पूरी तरह से खेती का रकबा घट रहा है, उसके संरक्षण की जरूरत है। ऐसे नियम कानून बनाने की आवश्यकता है कि खेती को संरक्षित करें और गैर कृषि कार्यों के लिए हमारे खेतों का हस्तांतरण न हो । मिट्टी परीक्षण के माध्यम से किसानों को और अधिक जागरूक कर सकें कि वे जमीन को कैसे उपजाऊ बनाएं ? बाड़ी जो कि हर परिवार के अतिरिक्त आमदनी का साधन होता है । उस बाड़ी को किस तरह से विकसित करें, यह हमारी सोच है और उसी के अंतर्गत, ये सारी चीजें आ जाती है । बाड़ी का मतलब, केवल हमारी 5 डिसमिल की बाड़ी नहीं है । आज हम गांव में उद्यानिकी के क्षेत्र को, फल-पुष्प के क्षेत्र को बाड़ी के माध्यम से कितना विकसित कर सकें, नई वैज्ञानिक प्रणाली को किस तरह से बाड़ी तक उपयोग कर सकें, यह सोच है । जब हमारी कृषि तरक्की करेगी तो निश्चित तौर पर गांव में समृद्धि बढ़ेगी और जिस दिन हम 12 महीना यहां के खेतों को पानी दे सकेंगे, उस दिन कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार नवयुवक शहर की ओर नौकरी के लिए नहीं भागेगा । यदि हम उनकी खेती को लाभप्रद बना दें । ऐसा न हो कि उन्हें हर साल खेती बेचना पड़े, जैसा कि आपकी सरकार के समय हुआ है । यदि हम खेती को लाभप्रद बना दें तो कोई नवयुवक शहर की ओर नौकरी करने के लिए नहीं भागेगा ।

सभापति महोदय :- आपको 20 मिनट हो गया है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, मैं जल्दी समाप्त करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, इन्हें थोड़ा और समय दीजिए । प्रशंसा तो अभी शुरू हुई है, एक पोस्ट के लिए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, आप उसकी चिंता न करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है लेकिन अब क्या करोगे।

सभापति महोदय :- बोलने वालों में आपका भी नाम है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, खेती के लिए सबसे आवश्यक है सिंचाई, जल संसाधन । ईश्वर ने प्रकृति ने छत्तीसगढ़ में तमाम संसाधन दिए हैं । राज्य निर्माण के प्रति यही सोच थी कि हम हर खेत को बरहों महीना पानी देंगे ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मछली के विषय में जानथस का । आज मछली विभाग के चर्चा चलत हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी भइया सुनिस, मछली के नाम पहिली वक्ता ला बतात रहेंव । अभी मछली के बारे में एकाध कनी बोलहूं ना ।

श्री धनेन्द्र साहू :- राज्य बनने के बाद जल संसाधन के क्षेत्र में विकास की जितनी आवश्यकता थी, पूरी तरह से । दुर्भाग्य है इस सरकार का, इन लोगों ने 15 सालों में आज तक अपनी जल नीति नहीं बना पाए । 15 साल छोटा मोटा समय नहीं होता । आप बिना नीति के ही चलते रहे । आपने जल नीति को अंतिम रूप नहीं दे सके और बिना नीति के यहां काम करते रहे । आपकी तो एक ही नीति थी, भ्रष्टाचार । आपने करीब 718 एनीकट बनाएं। मैं पूछना चाहूंगा कि एनीकटों में आपने कितनी सिंचाई विकसित की और कितनी लागत आई है । आपने यहां पर 2028 तक सिंचाई के सभी क्षेत्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा था । अनुमानित 25 हजार करोड़ था, पैसा खत्म हो गया । आपने वह पैसा पूरा समाप्त कर दिया और सिंचाई का क्षेत्र कितना बढ़ा? राज्य बनने के बाद वह भी मात्र 60 लाख हेक्टेयर और वह भी कागजी है। वास्तविक सिंचाई इससे और कहीं अधिक दूर है। आपने सैकड़ों करोड़ों रूपये लागत का एनीकट बनाया और 100 एकड़ भी वहां सिंचाई नहीं हो रही है।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- साहब, तुरंत बने और बहना शुरू हो गये। मेरे ही क्षेत्र के...।

श्री धनेन्द्र साहू :- कहीं एक बुंद पानी नहीं रूकता। किसी एनीकट में जल भराव नहीं है। एनीकट को भरने के लिए जलाशयों से पानी छोड़ना पड़ता है अपने ही महानदी में। आपके जितने भी एनीकट है उनमें। अभी राजिम मेला चल रहा है तो अभी से गंगरेल का पानी डालना पड़ रहा है। सारे एनीकट में। आपको नया रायपुर में पानी चाहिए, उसके लिए अभी से गंगरेल में पानी डालना पड़ रहा है। यह एनीकट किसलिए है ? मैंने एक अधिकारी से पूछा पिछले बारिश में डुबान आ गया। आपके क्षेत्र का भी गांव डूब गया मेरा भी डूब गया। मैंने बोला भाई क्यों डूब गया तो बोले कि साहब, गेट नहीं खुल रहा है, क्या करें ? गेट नहीं खुलता। बारिश में गेट नहीं खुलता और गर्मी में गेट बंद नहीं होता। यह हालत है। आपने ऐसे एनीकट बनाये हैं। है न। जब हमें जल संग्रहण करने की आवश्यकता है तब आपका गेट बंद नहीं होता और जब बारिश में सारे गेट खोलने हैं कि हमारी फसल न डूबे, गांव न डूबे तो आपका गेट नहीं खुलता है। यह स्थिति है। जहां तक आपके फाउंडेशन को जाना चाहिए पानी का सिपेज रोकने के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए। पता नहीं सब नदी के भीतर क्या हुआ ? मैं तो कहूंगा इस पर तो जरूर एस.आई.टी. बैठानी चाहिए। माने जनता के पैसे का यह जितनी बर्बादी आज एनीकट में हुआ है वहां नीचे....।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- सभापति महोदय, एक राजाडेरा बांध बना है, वहां गेट नहीं खुल रहा है। गांव को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा इन लोगों ने किया है।

श्री धनेन्द्र साहू :- फाउण्डेशन जाना है। आप ठेकेदार को भुगतान कर रहे हैं। नीचे 20 मीटर जाने का, 30 मीटर जाने का। वहां काम 10 मीटर नहीं हो रहा है। कौन जांच करेगा ? नदी के अंदर आपने कितना फाउण्डेशन डाला ? सारे एनीकटों की यही स्थिति है। अब वहां नदी के अंदर कौन जांच करे ? आपने जो मेजरमेंट रिकार्ड कर दिया वह सब सही है। आज पूरी तरह से एनीकट बना बनाकर बर्बाद कर दिया गया है।

समय :
1:48 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री धनेन्द्र साहू :- आप अच्छे डायवर्सन स्कीम बना सकते थे। अच्छे बैराज बना सकते थे। साइज को भी आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपने भविष्य की संभावनाओं को समाप्त कर दिया जबकि उन्हीं नदियों में उसके बदले आपके बैराज बनते। डायवर्सन बनता कि उसको डायवर्ट करके आप नहर करके पानी ले जा सकते थे लेकिन पूरी तरह से बिना नीति के बिना योजना के सिर्फ भ्रष्टाचार। वह इसलिए कि आप सिंचाई की अच्छी योजना बनाएंगे तो कहीं डुबान आयेगा, कहीं फारेस्ट क्लीयरेंस की समस्या आती है। एक योजना को आपको 4 साल 5 साल लग सकती थी लेकिन मेहनत नहीं किया। यह तो बड़े-बड़े 100 करोड़ के एक-एक एनीकट 4 महीने में बन गये हैं। 4 महीने में। सिर्फ कमीशनखोरी, सिर्फ भ्रष्टाचार, यही उद्देश्य एनीकट के पीछे में रहा है। एक भी आपकी ऐसी मौलिक सिंचाई योजना नहीं, मैं बता रहा हूं न आपने 718 एनीकट बनाये। मुझे नहीं मालूम कि कितनी लागत है ? उसकी लागत और उसके बाद उसका अनुबंध, पूरी तरह से केन्द्रीय जल आयोग को भी झूठा रिपोर्ट दे देकर कि इतनी एकड़ सिंचाई है, आपने सारी योजनाओं का अनुमोदन कराया लेकिन वहां सिंचाई नहीं हो रही है। तो बहुत बड़ी जांच का विषय आज यह हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से यह जो सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं हैं, जहां पर पहले से ही सिंचाई हो रही है, आप उन गांवों को ले रहे हैं। बहुत सारे गांव हैं। हमने देखा है जो इधर हरदी एनीकट है वहां पर वही स्थिति रही। जहां पर पहले से ही सिंचाई हो रहा है वहां पर आप करोड़ों रूपयों की योजना बना रहे हैं। तो यह पूरी तरह से फिजूलखर्च और भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी जो जल संसाधन का प्रतिवेदन है। आपके प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट हो रहा है। आपने अभी तक 20 लाख 88 हजार हेक्टेयर क्षेत्र हैं, जो आपके आंकड़े हैं जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सृजन क्षमता है जो आपने जितने भी जलाशय बना दिये उसमें सारी क्षमता कुल मिलाकर 20 लाख 88 हजार की है और सिंचाई के जो वास्तविक आंकड़े हैं वह है 11 लाख 49 हजार हेक्टेयर। अभी भी आपके 9 लाख 39 हजार हेक्टेयर में पानी नहीं पहुंचा है । सिर्फ कागजी है, बोगस है। सिर्फ 55 प्रतिशत वास्तविक सिंचाई हुई है, शेष 45 प्रतिशत सिर्फ कागजों में योजना बनी है, उस सिंचाई का लाभ उन किसानों को नहीं मिल रहा है। आज यह हकीकत है। आप एक तरफ 32 प्रतिशत सिंचन क्षेत्र बता रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल का भ्रष्टाचार का यह परिणाम रहा कि आज 32 लाख का 55 प्रतिशत निकाल लीजिये, सिर्फ इतनी ही सिंचाई हो पा रही है।

समय :
1:51 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, इसीलिए आज हमारी सरकार ने सिंचाई क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इन तमाम उन सिंचाई योजनाओं की समीक्षा किया जाए। आज सिंचन क्षमता तो है, लेकिन वास्तविक सिंचाई किस तरह से बढे, उसको विकसित करने की दृष्टिकोण से ही उसे प्राथमिकता के तौर पर हमारी सरकार ने रखा है। उसी के तहत ये तमाम सिंचाई की योजनाओं का संरक्षण करने के लिए धनराशि रखी गई है। यहां पर सिंचाई का क्षेत्र दोगुना करने का लक्ष्य है।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रथम वर्ष है। हां-हां, बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। मनरेगा में भी बहुत सारी योजनाओं को लिया गया है। अन्य बहुत सी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के साथ-साथ हमारे राज्य की भी तमाम सारी परियोजनाओं को के माध्यम से सिंचाई का क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, और अन्य विभाग भी हैं। समय की कमी के कारण नहीं बोल पा रहा हूँ। वह चाहे पशुधन विकास है, पशुधन के बारे में भी बातें हुई हैं। मैं उस पर भी यह कहना चाहूंगा कि आज नस्ल सुधार पर काम करने की आवश्यकता है। चारागाह विकसित करने की आवश्यकता है। आज हमारी उस ओर जो प्राथमिकता रखी गई है, निश्चित तौर पर उसका परिणाम बेहतर आयेगा। आज हमारे पशुधन का संवर्धन पूरी तरह से हो सके। मैं मत्स्य पालन के बारे में, वह आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसमें आप सुझाव देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा। हमारा अभी भी महानदी जलाशय परियोजना समूह है, उसका जो कैचमेंट एरिया है, उसमें भी अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम बहुत सारे ऐसे बांध बनाकर इस महानदी जलाशय समूह को 12 महीने पानी दे सकते हैं। मैं माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मंत्री जी से उस पर आग्रह करूंगा कि उसका व्यापक सर्वेक्षण कराये। चाहे वह सोढूर-2 की बातें हो, पैरी से बहुत ज्यादा पानी बहकर व्यर्थ जा रहा है, चाहे उस पानी को डायवर्ट करके, ले जाकर के रूद्री बैराज तक ले जा सकें। उससे हमारा रायपुर, धमतरी और दुर्ग तथा रायगढ़ जिले के बहुत बड़े हिस्से में 12 महीने पानी देने की स्थिति होगी।

मानननीय सभापति महोदय, जल उपभोक्ता संस्था, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। 2007 से पिछली सरकार ने जल उपभोक्ता संस्था का चुनाव नहीं कराया है। हम लोगों ने पिछली कांग्रेस सरकार में कानून बनाया था, पी0आई0एम0 हमने बनाया था, जब मैं मध्यप्रदेश में राज्य मंत्री था, तब बनवाया था। तो इस जल उपभोक्ता संस्था का चुनाव 2007 से नहीं कराया है। यह किसानों की संस्था है, इसका शीघ्र ही चुनाव हो सके। इसी तरह से हमारी अधिकतर योजनाओं से कृषि का रकबा कम न हो, इसलिए भूमिगत पाईप लाईन जैसा कि हमारी सरकार की योजना में भी आपने सम्मिलित किया है, इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दें। ताकि कृषि का रकबा कम खराब हो, लागत मूल्य भी कम आये। भूमिगत पाईप लाईन से अधिकतम नहरें बनाई जा सकती है।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करें। 35 मिनट हो गया है।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, साथ ही मेरे यहां सिंचाई योजना है। दुलना जो डायवर्सन स्कीम थी, उसकी काफी अधिक लागत आ गई है। उसके जितने कमांड एरिया हैं, जिसके सिंचन क्षेत्र के लिए बनाया गया था, उसमें सिर्फ एक किलोमीटर नहर बनाये हैं। उसके बाद नहरों का निर्माण उसमें नहीं हो पा रहा है। तो इसको भी प्राथमिकता के साथ नहर निर्माण कराने की या माईक्रो इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई रकबा बढ़ाने की उसमें आप जोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करते हुए, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आपने नियम 139 के तहत मेरी एक चर्चा स्वीकार की है- नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी में । मैं तो अपनी अधिकांश बातें उस समय रखूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा । सम्माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हैं, जो 12 मंत्री हैं, उनमें सर्वाधिक सम्भावनाओं वाले आदमी में से हैं, क्षमता वाले आदमी में से हैं, जिनसे अपेक्षा की जा सकती है कि कुछ होगा क्योंकि मंत्री बनने के लिए मंत्री बनना एक अलग चीज है । कुछ करने के लिए मंत्री बनना है और कुछ करना है तो ये जो कमिटमेंट हैं, वह हम उनमें महसूस कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, मैं छोटी-छोटी बातों में ही शुरू करूंगा और छोटी-छोटी बातों में ही समाप्त करूंगा क्योंकि समय का अभाव है । हम प्रतिवेदन को अमूमन संसदीय कार्य विभाग से कभी शुरू नहीं करते, आखिरी में चलते-चलते बोलते हैं । माननीय भाटो साहब, इस कार्य की महत्ता, संसदीय कार्य की जो गरिमा और गंभीरता है और उसमें जितनी गंभीर चर्चा होगी और उसके प्रति हम जितनी गंभीरता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिखाएंगे और इस सदन को हम मजबूत करेंगे, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में दिखेगा । माननीय रविन्द्र चौबे जी पहली बार संसदीय कार्यमंत्री नहीं हैं । राजिम पुन्नी मेला ऐसा कौन सा लोक महत्व का विषय था, जिसको उसी दिन सब चीज किया गया, विधेयक के बारे में वे जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा क्या विषय था, जिसको तुरंत उसी दिन लाना पड़ा ? अब उसकी पृष्ठभूमि । पृष्ठभूमि में दूसरी बात ये है कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की चर्चा भी स्वीकार की, लंबित है, स्वीकार नहीं की, विचारार्थ है । मंत्रीगण बने हैं, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से यही चाहूंगा कि इस विधान सभा की गरिमा को स्थापित करने में, बनाने में वे महत्वपूर्ण काम करें । दो घटनाएं ऐसी हुईं कि जब सदन चल रहा है, सदन का नोटिफिकेशन हुआ है और बाहर में सरकार के द्वारा घोषणाएं हो रही हैं । संसदीय कार्य विभाग में मैं तीसरा बात कहना चाहता था कि मैंने एक नेता का बयान पढ़ा कि शेडो विधायक बनाएंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये बयान है कि शेडो विधायक हम लोगों की सक्रियता के लिए बनाएंगे । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, वेस्टमिन्स्टर प्रणाली जो हमने स्वीकार की, हमने छाया मंत्रिमण्डल विपक्ष के लिए स्वीकार किया । यदि आप सत्तारूढ़ दल से शेडो विधायक बना रहे हैं तो इसका मतलब संसदीय प्रणाली की कोई नई चीजें आप छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं क्या, कोई नई चीजें जोड़ रहे हैं क्या ? वह जो 22 निर्वाचित लोग हैं, उसकी गरिमा को कम करके समानांतर सत्ता बनाने का एक प्रयास है-शेडो एम.एल.ए. ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी किस बयान का जिक्र कर रहे हैं ? शेडो विधायक का मतलब कोई सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए है कि शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए है ? क्षेत्र की बात हुई थी शेडो विधायक की बात, आप उसको लाकर संसदीय कार्य विभाग से जोड़कर इतना बड़ा मुद्दा बनाना । अजय जी, आप 10 साल संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपकी आलोचना करूंगा ही, देखिएगा ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, उसमें शेडो विधायक का हाऊस के लिए नहीं है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उनको उस क्षेत्र के लिए है तो जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं..।

श्री रविन्द्र चौबे :- उनका पूरा सम्मान है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, नहीं, पूरा सम्मान, इसी बात पर तो अजय जी बोल रहे हैं कि जब पूरे सम्मान की बात आई तो शेडो विधायक कहां से आ गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है और आदरणीय अजय जी, आप सुन भी रहे हैं, बहुत विद्वान सदस्य हैं । संसदीय कार्य विभाग में मैं आपसे चाहता था कि आप कुछ अच्छे सुझाव दें, जिसको हम लोग यहां पर एम्प्लीमेंट कर सकें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, ये बातें मैंने इसलिए कही कि आपके रहते ये घटनाएं घटीं, जिससे दोनों, तीनों अवसरों पर सदन की गरिमा कम हुई चाहे विशेषाधिकार के प्रश्न पर हो, चाहे आपने विधेयक को तत्काल पारित करवाया हो, चाहे वह शेडो विधायक का मुद्दा हो, अन्यथा जब पहला विधायक...।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, जब प्रीविलेज मोशन आपने लगाया, उसमें इधर से सदन की गरिमा कम करने की क्या बात हुई ? प्राविलेज आपने लगाया, आसंदी को पूरा अधिकार है कि वे चर्चा कराए, वे सदन में प्रस्तुत करे, वह प्रीविलेज कमेटी को सौंपे । आप तो विद्वान सदस्य हैं न । उसमें हम लोगों ने कहां गरिमा गिराई । आपने प्रिविलेज का मोशन दिया है । वह आसंदी में विचाराधीन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे यह जरूर सुनना चाहूंगा, पुन्नी मेला या राजिम मेला, ऐसा कौन सा लोक महत्व का विषय था कि जिसको आपने तुरन्त उसी दिन किया ? उसकी पृष्ठभूमि भी यही है। खैर अब बढ़ते हैं । चूंकि मैंने संसदीय कार्य विभाग से बात शुरू की, छत्तीसगढ़ के सदन की परम्परा सर्वोच्च है, उसको हम सब बनाये रखेंगे, मूल्य को स्थापित करेंगे, इसमें कहीं कोई असहमति नहीं है । माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैंने शुरू की कि 19 साल या 18 साल के नवजवान होने के बाद जो हमारी कार्यप्रणाली इसमें है, जो हमारे उद्येश्यों में है, मैं ज्यादा वृहत नहीं बोलूंगा, इसकी चर्चा कैसे ऊंची हो ? कैसे कर सकते हैं ? उसमें एक निरंतर कार्य होने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है, 38 लोग आये हैं । अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने कहा कि बहुत सारी बातें कर दी है, कृषि पर माननीय भांटो साहब बात कर रहे थे, सिंचाई पर बात कर रहे थे, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम सिंचाई को दोगुना करने जा रहे हैं । मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत क्षमतावान मंत्री है । कमिटमेंट है, यह बात एकदम सत्य है । सिंचाई के बजट को कितना प्रतिशत कम किया गया है ? ग्यारह प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई के बजट को कम किया गया है । माननीय सभापति महोदय, आप बजट के जितने हेड को आप देखेंगे, दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ हैं, बहुत सारी बातें सौरभ जी ने कही है, सभी विचारकों का यही कहना है कि ऋणमाफी अल्पकालीन उपाय है । यह एक राजनीतिक उपकरण है कि छः महीने आगामी चुनाव का है तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी आलोचनायें कर सकते हैं । आपका जो कमिटमेंट है, जो स्थायी उपाय है कि कृषि में पूंजीगत निवेश हो । कृषि के बजट में जो नये नियम आये हैं, उसमें नई चीजें बजट में देखी है, उद्यानिकी प्रशिक्षण के बजट 50 लाख, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान हार्टिकल्चर में 4

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करोड़, रायपुर में महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना में 4 करोड़ रूपया, पोषण बाड़ी विकास में, बाड़ी आपका कार्यक्रम है साहब, 10 लाख रूपये । वह तो पहले से ही चल रही है, आपने नया नहीं बनाया है । उसके बाद टपक सिंचाई योजना, जो सिंचाई का रकबा, या बाड़ी विकास, टपक सिंचाई हो चाहे ड्रिप एरिगेशन हो, चाहे स्प्रिंकलर हो । टपक सिंचाई योजना में 15 लाख रूपये । आपने छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला विश्वविद्यालय हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय बनाया था । मैंने उसके बहस में भाग लिया । मैं आपको एडवांस में बधाई दे देता हूँ । उद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए 10 लाख रूपये । 50 वर्षीय कार्यकाल का है, पांच वर्षीय है, यह मैं नहीं जानता ?

श्री रविन्द्र चौबे :- बीच में उत्तर नहीं देना चाहिये था । उत्तर तो पूरा मिलेगा । मद रखा गया । विश्वविद्यालय की शुरूआत होगी । उसके बार सरकार चलाये हैं आप 15 साल ? आप बधाई दे रहे हैं तो पूरा दीजिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, 10 लाख भी रखने की जरूरत नही थी । आपके पास लोग हैं, कानून बनाकर इन्ट्रोडयूस कर दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- पूरा दीजिए । उद्यानिकी विश्वविद्यालय की जरूरत थी । स्थापना करने के लिए हमने निर्णय लिया है । छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी नहीं है । यह आप भी जानते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखते हैं, बिल्कुल ।

श्री अजय चन्द्राकर :-इसके अतिरिक्त कुछ चीजें मैं बाद में बोलूंगा । एक बजट पत्रिका है साहब । पृष्ठ 6 में एक लाईन भर पढूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ता । उत्पादन वर्ष 2017 का 4725.4 क्विंटल, उत्पादकता है उसमें, 1967 मेंरे ख्याल से क्विंटल होगा, किलोग्राम हेक्टेअर है । वर्ष 2018 में जब हम चुनाव लड़ें ना, अभी नवम्बर में, उसके बाद कही है । उत्पादन है 8445 और उत्पादकता बढ़ी है 2270, अब आप उत्तर दीजिए या आपके लोग हैं, 8445 यानी लगभग दोगुने के आसपास, कुछ कम प्रति हेक्टेअर उत्पादकता बढ़ा रहे हैं 1900 से 2200, यह इतनी उत्पादकता अगर बढ़ेगी तो आपकी जमीन दोगुनी चाहिये । ऐसा कौन सा जादू हो गया कि आपकी उत्पादकता इतनी हो गयी ? आपने 8 महीने के अंदर ऐसा क्या किया? अब यह एक विषय बनता है कि वह विषय यह बनता है कि ये 2500 रूपये का फर्जी वितरण है। अक्टूबर के बाद ये धान आये, रोककर रखे थे कि बाहर के लोगों को आपने दिया, इसका कोई तथ्य साबित ही नहीं हो रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ये आंकड़े बोल रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर के बाद जो भी धान 2500 रूपये प्रति क्विंटल में खरीदी हुई वह धान कहां से आये जब छत्तीसगढ़ की उतनी उत्पादकता नहीं है तो। वह आये कहां से यह जांच का विषय बनता है। यह आपके प्रतिवेदन में है, वर्ष 2018 के में है जिसमें हम चुनाव लड़े उसमें है। आपने जो बड़ा काम किया, वह बड़ा काम यह है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य मछुआरा कल्याण बोर्ड है और छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ है उन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दोनों के पदाधिकारियों की केबिनेट की पात्रता आपने वापस ले ली। निर्वाचित संस्थाएं हैं, दो प्रतिनिधि हैं किसी भी दल के हैं, क्या राजनीतिक स्टेप लेना? बाकी ये यह अपेक्षा हो सकती है आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। यह पहला आदेश, सरकार की पहली उपलब्धि कि दोनों की केबिनेट की मान्यता वापस लो। मैं कुछ छोटी-छोटी आपको कहूंगा। आप बागवानी विश्वविद्यालय के बारे में बता रहे हैं, कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने मत्स्य महाविद्यालय खोला। हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि छत्तीसगढ़ को हम समुदाय आधारित शिक्षा पर जोर नहीं दे सकते। उनकी क्षमता नहीं है कि वह काम्पेटीटिव एक्जाम में पास होकर आयें। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें वहां मत्स्य पालन वाले वहां प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर सकें, उनकी चार-पांच सीटें आयें, बागवानी में हमारे मरार-पटेल समाज के लोग आयें जो कि बागवानी का काम करते हैं। ये आप मजबूतीकरण, समुदाय आधारित शिक्षा, परंपरागत चीजों को मजबूती नहीं देंगे तो छत्तीसगढ़ के बच्चों में अभी वह स्किल नहीं है। उस समाज में शिक्षा का विस्तार अभी नहीं है कि आधुनिक शिक्षा से वह अपने व्यवसाय को जोड़ सकें या उसका लाभ उठा सकें। दूसरी जो बात है कि कौशल उन्नयन का काम चल रहा है। कौशल उन्नयन में एक भी वी.टी.पी. कृषि से संबंधित प्रशिक्षण नहीं देती। मैं कभी-कभी चर्चा करता था, हम लोग दरोगा रखते थे। स्प्रिंकलर बिगड़ गया, ड्रिप जाम हो गया, केचमिल बदलना है, कुछ भी छोटे-छोटे काम हैं इस प्रकार की चीजों के लिए अभी जितने भी वी.टी.पी. हैं उनके बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो हो सकती हैं। मैं जब मछली पर बात कर रहा था तो मछली में जल क्षेत्रों के जितने विवाद हैं उन्हें व्यक्तिगत रूचि लेकर निपटाईये। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों लोग उसमें अदालतों में पेशी में जा रहे हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूचि लेंगे तो जो छोटे-छोटे विषय हैं, जल क्षेत्र के विवाद के विषय का आप निपटारा कर सकते हैं। आपके विभाग में मछली पालन के लिए जो मात्र 3 दिन का रिफ्रेशर कोर्स है उस रिफ्रेशर कोर्स को कम से कम 15 दिन का बनाईये ताकि वह पूरी तरह से नई तकनीक से प्रशिक्षित हो सकें जब तक उनको अनुमति नहीं मिलती है तब तक। उनके जो आवास की योजना है प्रधानमंत्री आवास में उनको दिया जायेगा ये प्राथमिकता थी पर प्रधानमंत्री आवास में हम 2011 सेंसस के आधार पर लिये। उसमें बहुत सारे मछुआरे छूट गये। तो मछुवारा आवास की जो योजना है, जो पंजीकृत हैं, उनको शत प्रतिशत आवास मिलना चाहिए। ये गरीब लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई में साहब जो बोल रहे थे कि हमको लाभ है या हानि है। सूक्ष्म सिंचाई की जितनी योजनाएं आपने स्वीकृत की हैं और अभी भी बजट में हैं, जो एजेंसी तय हो गई है वह काम शुरू नहीं कर रही है। जो बजट में है, पिछले साल की प्रशासकीय स्वीकृति अभी नहीं हुई तो वह विलोपित हो जायेगी, तो इसमें फिर राजनीति होगी कि साहब इस क्षेत्र में जरूरत है, उस क्षेत्र में जरूरत है और उनके कथन से मैं असहमत हूं कि सिंचित क्षेत्र में ही सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

गईं थी, माननीय मंत्री जी, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं आज की जरूरत हैं कि हम पानी कम और फसल ज्यादा लें। उसको मजाक की तरह उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप भी उसको इस साल बजट में स्थान दिये हैं। दूसरी जो बात है, छत्तीसगढ़ में सर्वे का काम नई परियोजनाओं के लिए पूरी तरह बंद है। एक भी नये सर्वे नहीं हो रहे हैं कि हमारी जितनी परियोजनाएं हैं, लगभग अंग्रेज जमाने की या कुछ स्वतंत्र भारत में बड़ी योजनाएं सर्वे हुई उसके बाद नई सर्वे न छत्तीसगढ़ में न मध्यप्रदेश में। आज की जरूरत में जब पर्यावरण या जमीन इस तरह की चीजों की जब बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में जो लघु मध्यम सिंचाई योजना है, इसमें हमको जमीन भी डूब में मत आये, न हम किसी तरह के पर्यावरण के लफड़े में न पड़े तो उस तरह की योजनाएं यदि बने और उसको हम स्थान दें तो वो महत्वपूर्ण चीजें होंगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात श्री धनेन्द्र साहू जी ने कही। एम.आर.पी बनी, एम.आर.पी का पूरा सोंढर उन्होंने कहा पैरी पर चलते चलते बात की। पैरी परियोजना के बारे में राजनीतिक दृष्टिकोण, पैरी परियोजना को बनना है कि नहीं बनना है। एम.आर.पी. का पूरा उपयोग करना है कि नहीं करना है। सोंढूर को पूरा भरना है कि नहीं भरना है। सोंढूर को पूरा भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी उसमें कोई सोच है कि नहीं है। किसने क्या किया इसमें मैं नहीं जाना चाहता न मैं आपनी आलोचना में जाना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जितनी परियोजनाएं पर्यावरण स्वीकृति के कारण रूकी हैं, उन परियोजनाओं में या तो पर्यावरण स्वीकृति के लिए सेल सीधे बने कि साहब इतने दिन में इसको स्वीकृत करायेंगे जो मदद होगी, जो हस्तक्षेप होगा दिल्ली में वो होगी। यदि वो चीजें नहीं होती है तो उनको वाइंडप किया जाये। माननीय मंत्री जी आपको कुछ छोटा सा एकात दो आकड़ें बता देता हूं। डेयरी पशु पालन विभाग भारत सरकार द्वारा आप प्रतिवेदन में देख लिजियेगा, 2017-18 में कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 12 लाख रखा गया था और उसमें राज्य ने 7.47 लाख उपलब्धि अर्जित की, इसकी गंभीरता देखिए। दूसरी बात कृत्रिम गर्भाधान के लायक योग्य पशु जिसके लिए अपने को संवर्धन का काम करना है। एन.डी.बी.बी. के अनुसार 2016-17 में दुग्ध की कुल 701.4 लाख की तुलना में छत्तीसगढ़ में मात्र 5.71 ही कृत्रिम गर्भाधान हुए हैं पिछले साल। अब दूसरा दुग्ध उत्पादन ये बात में चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा खुद का जो है, उसका उत्पादन बाजार में क्यों नहीं चल रहा है, कहां पर कमजोरी है कैसे उसको लाभप्रद बनाये और उसके बाद जो हमारी सहभागिता है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन 176.4 मिलियन टन में छत्तीसगढ़ का स्थान .08 प्रतिशत है मात्र और उसके बाद प्रति व्यक्ति उपलब्धता। जब आप नरूवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी से बाहर निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण का विषय भी आयेगा, छत्तीसगढ़ के किसान के भी बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले भी हैं, छत्तीसगढ़ में छात्र छात्राएं है चार ही चीज नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें छत्तीसगढ़ में पंजाब में 1120 ग्राम, हरियाणा में 1005 ग्राम, और यहां 149 ग्राम। छत्तीसगढ़ के बच्चों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पोशाहार के लिए, अब आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, डेयरी लाभप्रद कैसे हो, जो आपका रेट है, 22 रूपये 30 रूपये कुछ है। अब वो रेट लागत के हिसाब से बाजार में मेच करता नहीं है। आपके छूट के पैसे वर्षो से मिले नहीं है, मेरा उसमें प्रश्न भी है। जितने पैसे आपने दिये वो योजनाएं वापस ले ली गई। अब जब हम ऐरिगेशन सेक्टर और दूसरे में बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों के आय को दो गुना करना चाहते हैं आपने भी योजनाएं बनाई, इनने भी बनाई, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एलाईड सेक्टर को मजबूती के लिए, जैसे वो विधायक महोदय का एक प्रश्न था कि वो मिलता ही नहीं, तो इसलिए कि एलाईड सेक्टर के लिए योजनाएं उसको लाभप्रद बनाने के लिए कोई कार्यक्रम आपके बजट में नहीं है न आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है और आप शायद उसको करें। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो चीजें हम देते हैं, आप मेरे साथ चलिये स्प्रींकलर खरीदते हैं, वो कितने में मिलेगा, ड्रीप खरीदते हैं वो कितने में मिलेगा, नेट खरीदेंगे, ग्रीन हाउस खरीदेंगे वो बाजार में कितने में मिलेगा? या कोई भी ऐसी चीजें नवाचार के लिए बाजार में कितने में मिलेगा? और आप कितने में देते हैं? और इसको क्यों देते हैं? मेरी आलोचना, इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, ये प्रशंसा पर ये गैप है और गैप के कारण गलत चीजें किसानों को मिलती हैं और उसका लाभ किसी भी क्रांति में या किसी भी परिवर्तन में नहीं दिख पाता है। चूंकि इसमें मेरी तो चर्चा लगी हुई है इसलिए मैं बाद में बातचीत करूंगा। लेकिन आपसे मेरा आग्रह इतना ही है कि कृषि, सिंचाई में बजट कम हुआ। एग्रीकल्चर विभाग में जो बजट दिया, वह पूरा छूट का है उसमें पूंजीगत व्यय या योजनागत आयोजन है उसमें जीरो। अब आप जितनी भी बात कहें, तो आपने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें आपका कमीटमेंट कहीं पर नहीं दिख रहा है सिर्फ एक नारा कि हमने माफ कर दिया। ठीक है साहब, हमने दो सालों का बोनस नहीं दिया होगा। आपने लाभ उठा लिया। पर आपने जितनी ऋण माफी की है हमने केवल 10 हजार, 661 करोड़ का बोनस दिया। बाकी छूट को तो मैं जब कॉपरेटिव विभाग में बात करूंगा, मैं उस दिन गिनाऊंगा कि 76 हजार करोड़ रूपया जो डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने दिया, किस-किस मद में किसानों को कब-कब दिया? लेकिन आज जो बजट आया है आज आपकी योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगेंगे। बिल्कुल आप उसी ओर मूसली की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सेक्टर 75 प्रतिशत लोग, जिस पर हैं आपके द्वारा उस पर वास्तव में एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत हो और बहुत दिन बाद चूंकि आप जमीनी लेवल पर इन बातों को समझते हैं आप कर सकते हैं ये शुभकामना दे सकता हूँ पर बजट में आपकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं है। विशुद्ध रूप से नारेबाजी है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि शायद आप छत्तीसगढ़ के लिए भला कर सकेंगे। लेकिन आपको शुभकामना के साथ जब अगला बजट आएगा तो मैं सोचता हूँ कि ऋण-विण जो भी है आप उसको देते रहिए, लेकिन पूंजीगत व्यय अगले बजट में दिखेगा। मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बोल रहा हूँ कि ये मोटे तौर पर प्रतिवेदन हमारा प्रतिवेदन है। लेकिन अगली बार में बजट में आपकी क्षमता दिखेगी कि कृषि में पूंजीगत व्यय हो रहा है इसकी ओर माननीय रविन्द्र चौबे जी, इस विभाग के बजट को ले जा रहे हैं। समुदाय के संरक्षण के लिए बजट को ले जा रहे हैं, योजनाओं को ले जा रहे हैं। जितनी छूट की स्किम है किसानों को सीधे मिल रही है बाजार से उसकी तुलना हो रही है नकली समान नहीं हो रहा है बीज नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तीसरी एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। मण्डियों में ई ऑक्शन होता है। एक मण्डी कनेक्ट। आप ई ऑक्शन में 4 मण्डियों को क्यों जोड़ नहीं देते हैं? ई ऑक्शन में बेचने, नहीं बेचने में जो डिमाण्ड हैं वही चीजें ऑक्शन में आती हैं। एक उदाहरण आ रहा था कि यदि सफरी लेना है या आई आर-36 या सरना लेना है तो बाकी धान ई ऑक्शन में नहीं बिक रहे हैं। आपने मण्डी में जो मण्डियों को ऋण स्वीकृत किये हैं। सरकार बदली, उस दिन से ऋण स्वीकृत है, निर्माण कार्य हो चुके हैं उसको तो जारी करवा दीजिए। उसमें भी कह रहे हैं कि साहब अभी नहीं जारी करेंगे तो जो स्वीकृत है यही रेक्टेविजम को पैदा करते हैं। आप नई चीजें मत दीजिए, लेकिन जो चीजें हैं मण्डियों में स्वीकृत हैं उनकी राशि तो जाये। आप कहते हैं कि साहब, आप स्वीकृत का पैसा दे देंगे। लेकिन आप नहीं दे रहे हैं तो ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं छत्तीसगढ़ के गांवों में हम इन छोटी-छोटी चीजों को कर दें तो बड़े व्यापक परिवर्तन का श्रेय आपकी ओर जाएगा। आपको उसका श्रेय मिले, इस सद्भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत भगत, मांगों पर चर्चा हेतु 24 सदस्यों के नाम है। दोनों दल के प्रथम वक्ता विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मांग संख्या 28, 29, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45 और 75 के संदर्भ में अपनी बात कहना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2019-2020 हेतु प्रस्तावित बजट 21597 करोड़ 57 लाख 98 हजार का बजट पेश किया है, पिछले वर्ष 2018-19 में 14506 करोड़, 51 लाख 71 हजार था, इसमें वर्ष 2018-19 की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में 4452 करोड़ 33 लाख 24 हजार और 2019-20 हेतु प्रस्तावित बजट 7604 करोड़ 9 लाख 54 हजार है, वर्ष 2018-19 की तुलना में लगभग

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

71 प्रतिशत की वृद्धि है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति की सोच, उसका काम करने का साहस, उसका सपना इसी बात से दृष्टिगत होता है, छत्तीसगढ़ में हमारे विपक्ष के साथियों ने स्लोगन कहा है- छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरूआ, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी, ऐला बचाना है, संगवारी। हमारे विपक्ष के साथी जिस प्रकार से इसमें उपहास उडाते हैं, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। कम से कम आपने नहीं किया, जो कार्य कर रहा है उसका उपहास तो मत उड़ाओ। मैं माननीय रविन्द्र चौबे जी को बहुत बधाई देता हूं कि आपने उनके लिए काम करने के लिए बजट बनाया है जो हमारे अन्नदाता हैं। कृषक हमारे अन्नदाता हैं और उनके विकास से ही समृद्धि आयेगी। हमारे विपक्ष के साथी बोलते थे कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देंगे, वह केवल स्लोगन बनकर रह गया। यहां लगातार कृषि और सिंचाई का रकबा बढाने की चुनौती है। जहां कृषकों को औद्योगीकरण या नई परियोजनाओं के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर उनकी कृषि का, सिंचाई का रकबा बढ़ाना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिस छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के रूप में हुआ करती थी और वहां के किसान आत्महत्या जैसे जघन्य कदम उठायें, यह हमारे लिए एक बदनुमा दाग था। मैं माननीय रविन्द्र चौबे जी को धन्यवाद देता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जहां किसान आत्महत्या की लगातार खबरें आ रहीं थीं, उसको आपने रोकने का काम किया, बदलने का काम किया। आपने हमारे अन्नदाताओं को सहारा देने का काम किया। वास्तव में किसी भी प्रदेश के लिए मैं इसको अच्छा संकेत नहीं मानता कि किसी भी प्रदेश में किसान आत्महत्या करे। पिछली सरकार में जब हम लोग चर्चा करते थे, किसानों की समस्याओं को उठाते थे, माननीय उस पार के सदस्य आज विपक्ष में बैठे हैं, वह उपहास उड़ाते थे। किसान आत्महत्या की कहीं घटना आती थी तो उनको बोलते थे कि आपसी रंजिश और झगड़ा के कारण हुआ, किसी के ऊपर चोरी जैसा संगीन अपराध लगा देते थे। आज ये हश्र क्यों हुआ? क्योंकि आपने किसानों की मदद नहीं किया। आत्महत्या जैसा कदम जब उठता है, जब वह मानसिक रूप से परेशान रहता है, उनको मदद करने वाला कोई नहीं रहता है, दूर-दूर तक मदद की कोई संभावना नहीं दिखती है। जिस प्रदेश में अगर किसान को यह लग जाये कि सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार मदद करेगी । हमारी बात को सुनने वाला कोई खड़ा है तो वैसी घटना जो पिछले समय सुनने को मिली वह नहीं होगी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने धान के कटोरा को संजोने का काम किया है । आपने यहां दूध का कटोरा परोसने का काम किया है, आपने लोगों को ताजा सब्जी उगाकर के उनको प्रोटीनयुक्त सब्जी उपलब्ध कराने के लिये आपने काम किया है, उनके खेत में कम्पोस्ड खाद मिले उसके लिये आपने प्रयास किया है । जिस प्रदेश में सरकार बने और महज कुछ ही घंटों में किसानों का कर्जा माफ हो जाये इससे और बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो सकता है । किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाये तो उसको संजीवनी मिल जाती है । छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल और श्री रविन्द्र चौबे जी की सरकार ने किसानों के लिये जो कार्य किया है वास्तव में हम उसके लिये हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । जहां के कृषि मंत्री, जहां के मुख्यमंत्री किसानों की आय बढ़ाने की बात सोचें, कैसे उनकी आय में बढ़ौत्तरी होगी उस पर विचार करें, उसके लिये योजना बनायें और जो यहां केवल नारों में ही रह गया, स्लोगन में ही रह गया । सरकार बनने के बाद किसानों की आय बढ़ाने के लिये जिस प्रकार से 2500 रूपये क्विंटल धान की दर बढ़ायी गयी उसके लिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । इस प्रदेश में केवल अभी तक बात ही बात हुई है । पिछली सरकार ने किसानों को बहुत आईना दिखाया, बहुत सब्जबाग दिखाया उनको यहां तक बता दिया कि आपकी बाड़ी से डीजल निकलेगा, डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल निकलेगा बाड़ी से । किसान सब कामों को छोड़कर, केवल एक ही काम में लगा रहा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या श्री अमरजीत जी, अब तो जो इकानॉमी है न वह घुरवा से निकलेगा । अब इकानॉमी है घुरवा से निकलेगा, उसी से ग्रोथ होगी ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, जितने विभाग कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, आर.ई.एस. विभाग, पंचायत विभाग जितने विभाग थे सब एक ही काम में लगे थे कि डीजल निकलेगा बाड़ी से, नहीं साहब रतनजोत से एक बूंद डीजल नहीं निकला । छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई, किसानों के पसीने की कमाई का केवल और केवल बंदरबांट और भ्रष्टाचार हुआ, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? आज जिस प्रकार से नरवा, गरूआ, घुरवा के बारे में उपहास करते हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- श्री अमरजीत भैया, अब पता तो चल गया न कि रतनजोत से अब इतना खर्च करने के बाद भी डीजल नहीं निकलने वाला है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, तो ये लोग केवल बात कर सकते हैं । ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों के लिये योजना बनाती है, बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिय काम करती है ।

सभापति महोदय :- माननीय अमरजीत जी, 10 मिनट हो चुके हैं । समय का ध्यान रखें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, कहीं अंबानी के लिये, कहीं अदानी के लिये, कहीं रिलायंस ग्रुप के लिये केवल यह सरकार उनके लिये ही काम करती है । जमीन में काम नहीं करती, जहां किसान और यहां की आम जनता रेंगे । केवल स्कॉयवॉक सेंटर में ऊपर-ऊपर उड़ाने की बात, केवल लाभ पहुंचाने के लिये । छत्तीसगढ़ सरकार का जो कांसेप्ट है, जो विचार है, छत्तीसगढ़ियों के लिये बहुत सम्मान की बात है । किसानों के लिये बहुत सम्मान की बात है, किसानों के लिए बहुत सम्मान की बात

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, इससे पूरी अर्थव्यवस्था सुधरेगी । सभापति महोदय, इस प्रदेश में तो एक से बढ़कर एक कारनामे हुए । हम लोग उस तरफ बैठकर सरकार को चेताते रहे । लेकिन हम लोगों की एक नहीं मानी । किसान जब गंगरेल के पानी को अपनी रबी की फसल के लिए मांग करते थे तो ये लाठी बरसाते थे । कल मैं गंगरेल घूमने गया था । वहां के सताए हुए लोग, हमारे उस तरफ के कुछ साथियों का नाम ले रहे थे । किस प्रकार से लोगों पर जुल्म और ज्यादती की है। उसी का नतीजा है कि सीमित संख्या में सिमट कर रह गए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो जितने में भी सिमट गए वह ठीक है । आपको मिला क्या ? यहां से भी बोलते थे और वहां से भी बोल रहे हो । हमारी स्थिति को तो छोड़ो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उसके पास सब कुछ है ।

श्री अमरजीत भगत :- प्रजातंत्र में जनता सब कुछ है । जनता सब देखती है, सब जानती है, बोले या न बोले । समय आने पर सबक सिखा देती है ।

श्री संतराम नेताम :- अमरजीत जी, अभी तो इनको 2 महीना हुआ है । अभी तो 15 साल उधर ही झेलना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, 15 साल बाद आए और ये सब भविष्यवक्ता हो गए । हाथ देखो अपना और दिखवाओ कि कब बनोगे ?

श्री संतराम नेताम :- धीरे से सब चीज ठीक हो जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अमरजीत भगत जी अगर बोल रहे हैं तो सदन यह भी जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी को छोड़ने गए थे तो ये किस आश्वासन पर माने ? यह भी उनको बताना चाहिए, जब चर्चा में भाग ले रहे हैं तो, और सीतापुर क्यों नहीं जा रहे थे, यह भी बताना चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- इसके अलग से बुलाकर बता देना ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, कुछ लोगों को जो सावन का, क्या बोलते हैं उसको, हरा हरा दिखता है । मतलब, अपना काम बनना चाहिए, बाकी का काम बने या न बने । मैं बोलता हूं कि दूसरों का भला करते चलो, अपना भला, अपने आप ही होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमन तोर भला के चिंता करत हन । हमन ला छोड़, अभी पांच साल हे । तोर भला कब होही एला बता ?

श्री अमरजीत भगत :- यहां की जमीन बिक गई, यहां का जंगल बिक गया, यहां की हवा बिक गई, यहां का पानी बिक गया । ये जो बैराज बन रहे हैं उसका पानी किसान को मिले या न मिले, एनीकट का पानी किसानों को मिले या न मिले, उद्योग को जरूर मिलना चाहिए । सभापति महोदय, किसान हमारे अन्नदाता हैं । पहला हक किसान का है । कई बांध बिक गए । ये आपका सिद्धान्त, यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आपके चरित्र को बताता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकेंड । माननीय सभापति महोदय, ये विद्वान आदमी हैं । मैंने मान लिया कि पानी प्राकृतिक स्रोत है । देश में पहली बार किस सरकार ने कहां का पानी बेचा । किस दर में बेचा, किस समिति ने उसकी जांच की । यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है । संसाधनों को बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, पानी को । इसी विधान सभा में उसकी बड़ी जांच हुई ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, हमारे कुछ मित्रों को इधर उधर की बात करने में बहुत इंट्रेस्ट रहता है । मैं इतना बताना चाहता हूं कि..।

सभापति महोदय :- अमरजीत जी जल्दी समाप्त करें ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं समाप्त कर रहा हूं, आधा समय तो हमारे साथी लोग ले लेते हैं । सभापति महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी को, रविन्द्र चौबे जी को और सारे मंत्रिमंडल के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने किसानों के मर्ज को समझा और उनके जल कर को माफ किया । जो कई वर्षों से नहीं पट पा रहा था, उसको माफ किया और निश्चित रूप से हमारे नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कॉन्सेप्ट है । यहां की अर्थव्यवस्था को तेजी से बदलेगा । लोग समृद्ध होंगे, यहां के किसान तरक्की करेंगे । जब हमारे अन्नदाता सुखी होंगे तो प्रदेश सुखी होगा । इन्हीं शब्दों के साथ आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अमरजीत भाई, बाड़ी से कितनी आर्थिक आय होगी, इसका जरा उल्लेख कर तो देना ।

सभापति महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 28, 29, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45 और 75 का विरोध करते हुए कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी बहुत सी बातें सभी माननीय सदस्यों ने कही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में यहां की पानी और जवानी, इन दोनों का हम कैसे उपयोग करें ? हम पानी को कैसे रोकें ? और हम जवानी के हाथ में कैसे काम दें ? इसके बारे में सरकार को कोई ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। जो पानी बेकार बह रही है उसको हम कैसे खेत की ओर मोड़े ? हम एक-एक बूंद पानी का कैसे सदुपयोग करें ? और जो जवानी सड़कों पर घूम रही है, हम उसके हाथ में कैसे रोजगार उपलब्ध करायें ? यह वास्तव में..।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल क्या हो रहा था साहब ? उस समय 15 साल में क्यों नहीं बताया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, बस्तर के.....।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- कवासी आप तो चिंता करो कि आपके हाथ से कड़कनाथ निकल रहा है। कड़कनाथ निकल रहा है। समझा करो।

श्री मोहन मरकाम :- चंदेल साहब, महानदी में पूरा बैराज बनाकर आपकी सरकार ने उद्योगपतियों को दे दिया था। यह क्यों भूल रहे हैं ? चांपा-जांजगीर में महानदी का पानी पूरे उद्योगपतियों को आपकी सरकार ने दिया था।

श्री नारायण चंदेल :- चुप बइठ तो ते हा। खाद्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्थानापन्न सिंचाई मंत्री।

श्री नारायण चंदेल :- खाद्य मंत्री जी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि खरीफ 2017 में इस प्रदेश में जो धान का उत्पादन हुआ है, वह 47 लाख मीट्रिक टन था। अभी जो उत्पादन हुआ है, वह 84 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इतना उछाल कैसे आ गया ? हा ले गोठिया (श्री मोहम्मद अकबर की ओर इशारा करते हुए)

श्री मोहम्मद अकबर :- उत्पादन 125 लाख मीट्रिक टन है। यह तो 80 लाख मीट्रिक टन केवल खरीदी है।

श्री कवासी लखमा :- हां, यह हुई बात।

श्री नारायण चंदेल :- देखिए, ये 2500 रूपए का कमाल है। ठीक है न। थोड़ा चुप बैठ तो ते हा। यह 2500 रूपए का कमाल है और इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक-एक सोसाइटी का, एक-एक धान खरीदी केन्द्र का, धान खरीदी केन्द्रों में व्यापक रूप से गड़बड़ी हुई है। व्यापक रूप से। सारी बातें हमारे सदस्यों ने कहा है। मैं माननीय मंत्री जी को, इस सरकार को कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में हमारे जांजगीर-चांपा जिले सहित हमारा जो जांजगीर-चांपा जिला है वह प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला है। जहां सिंचाई का रकबा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पिछली सरकार में हमारी सरकार ने जब बोनस दिया था 211 करोड़ का बोनस जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को मिला था और इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी उसे विशेष रूप से नोट कर लें कि जांजगीर-चांपा जिले सहित पूरे प्रदेश में हर जिले में मैं मांग करता हूं कि एक किसान सदन बनाया जाना चाहिए। किसान सदन किसलिए कि आज जो बड़ा आदमी है वह गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में रूक जाता है। अनेक विभागों के विश्राम गृहों में रूक जाता है लेकिन जब किसान जिला मुख्यालय आता है, आपने शासकीय काम के लिए या अन्य काम के लिए तो उसके रूकने के लिए, उसके ठहरने के लिए उसके विश्राम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और किसान सड़कों पर घूमते रहते हैं। कार्यालय के बाहर बैठे रहते हैं। मैंने उस दिन कृषि मेले में माननीय चौबे जी से इस बात का आग्रह किया था। दूसरी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बात कि हमारे प्रदेश में जितने भी धान खरीदी केन्द्र हैं, यहां माननीय अकबर जी बैठे हैं, उन धान खरीदी केन्द्रों में किसान जब धान लेकर बेचने के लिए आता है तो तुरन्त उसके धार की खरीदी नहीं हो जाती , तौल नहीं हो जाता। धान खरीदी केन्द्रों में भी जितने हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रतीक्षालय होनी चाहिए, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस सरकार को उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15, किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं। इस बजट में सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े, इसके लिए कोई कार्ययोजना नहीं है। सिंचाई की क्षमता कैसे बढ़े, इसके लिए जो राशि है, उसमें कटौती की गई है। तो जब सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ेगा तो आने वाले समय में फसल का उत्पादन कैसे ज्यादा होग ? इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करें, इस पर कोई कार्ययोजना बनायें ताकि इस प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़े। जो लिफ्ट एरीगेशन है, जो छोटी-छोटी सिंचाई उद्वहन योजनाएं हैं, उस पर सरकार कोई कार्ययोजना बनाये। अभी हमारे जिले में रबी फसल के लिए पानी दिया गया है। बहुत किसानों से फसल बोया है और बहुत से किसान अपने खेत को खाली रखे हैं, पानी बेकार जा रहा है। जब हम पानी देने का निर्णय करें तो वर्ष में एक बार कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासन को एक बार बैठकर के कृषि का वार्षिक कैलेण्डर बनाने की आवश्यकता है। कृषि का चार्ट बनाने की आवश्यकता है कि हम खरीफ के लिए कब पानी देंगे, वह पानी कब से कब चलेगा, किस-किस एरिये में चलेगा ? हम रबी के लिए कब पानी देंगे ? क्योंकि किसान इससे भ्रमित रहता है कि कब पानी शुरू होगा और कब पानी बंद होगा। इसलिए मैंने कहा कि पानी के एक-एक बूंद का सदुपयोग हो। इसके लिए चारों-पांचों विभाग जो कृषि से संबंधित हैं, उनको बैठकर एक वार्षिक कैलेण्डर बनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके कृषि विस्तार अधिकारी हैं, कृषक मित्र हैं, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित हैं। चाहे वह केन्द्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो। जिन योजनाओं में किसानों को सब्सिडी मिलती है, सहुलियत मिलती है, जो समाज में सबसे पीछे और नीचे रहने वाला किसान है, गांव में रहने वाला दुकालू, सुकालू, बैसाखू, समारू, पहारू, ढहारू, वहां तक तो उन योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं पाता है। उनको मालूम ही नहीं है, वे अनभिज्ञ हैं। इसलिए जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं, जो कृषक मित्र हैं, वे पंचायतों में जाये। अच्छा होगा वे ग्राम सभा में जाकर बातचीत करें। गांव के चौपाल में, गुड़ी में, हाट में, बाजार में, जहां पर किसान आते हैं, वहां पर जाकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जो सहुलियत वाली योजनाएं हैं, जो किसानों से संबंधित हैं, उन योजनाओं की पर्ची लेकर जाये, पाम्पलेट लेकर जाये। वहां नुक्कड़ सभा के माध्यम से किसानों को बतायें ताकि किसानों को यह मालूम हो कि हमारे लिए यह कार्यक्रम बना है। नहीं तो बहुत सी चीजें कागजों पर ही

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चलती है। फाईलों में ही चलती हैं। तो आज हम कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हसदेव बांगो परियोजना, जो हमारे क्षेत्र में बहती है। हसदेव की दांयी तट नहर है, बांयी तट नहर है। अनेक ऐसे ग्राम हैं, जहां टेल एरिये तक पानी नहीं जाता है। जो अंतिम छोर के गांव हैं, जब भी पानी छोड़ा जाता है, उन किसानों में सदैव आक्रोश पैदा होता है। वे कलेक्टोरेट तक आते हैं, लड़ाई-झगड़ा होता है, वे कभी चक्काजाम करते हैं, इसलिए इस सरकार को कोई न कोई कार्ययोजना बनानी चाहिए कि हम उन किसानों तक जो दूरस्थ गांव हैं, जो टेल एरिया हैं, वहां तक हम नहरों के पानी को कैसे पहुंचाएं, ताकि उनका भी खेत सिंचित हो सके ।

सभापति महोदय :- माननीय चंदेल जी, जल्दी समाप्त करें ।

श्री नारायण चंदेल :- बस थोड़ा सा । माननीय मंत्री जी, जो बड़े-बड़े नहर हैं, नहर में आवागमन भी होता है। हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि जो बड़े नहर हैं, मुख्य नहर है, उनके ऊपर पक्की सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए । डामर की सड़क है, सी.सी.रोड़ है और वह हमारे घोषणा-पत्र में था तो हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि सारी चीजों से परे हटकर आवागमन की दृष्टिकोण से जो बड़ी नहरें हैं, उनके ऊपर पक्की सड़कों का निर्माण ये सरकार करे ।

माननीय सभापति महोदय, खाद और बीज की समुचित व्यवस्था समय पर हो, उसके लिए किसानों को भटकना मत पड़े, ऐसी कार्य योजना कृषि विभाग के वार्षिक कैलेण्डर में बननी चाहिए । डेयरी विकास और मछली पालन, हमारे अजय जी ने कहा कि डेयरी विकास के लिए हम गुजरात के मॉडल का अध्ययन करें, गुजरात में जिस तरीके से डेयरी का विकास हुआ है और गांव-गांव तक वहां पर डेयरी से समृद्धि आई है, उसकी जानकारी लेकर हम छत्तीसगढ़ में कार्य योजना बनाएं । मछली पालन, हम गांव में मछली पालन के माध्यम से समृद्धि ला सकते हैं । फसल चक्र परिवर्तन की बात हो, कैसे हमारे जो किसान हैं, वे धान के अलावा कैसे सब्जी-भाजी लें, हम कलकत्ता से, बंगाल से फूल मंगाते हैं, कैसे यहां पर फूल की खेती हो, इन सारी चीजों पर भी सरकार को कार्य योजना बनाकर उसको नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चौबे जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, संसदीय कार्यमंत्री हैं । संसदीय बातों को लेकर मैं माननीय चौबे जी से निवेदन करूंगा के प्रत्येक बजट सत्र के पहले प्रबोधन का कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें बजट के बारे में विशेषज्ञों से विधायकों को जानकारी मिलनी चाहिए कि बजट कैसे बनता है और विधान सभा का जो मूल काम होता है, हम बजट पारित करते हैं, एक रूपया भी बिना विधान सभा से पारित हुए सरकार खर्च नहीं कर सकती, लेकिन सामान्य रूप से जब बजट सत्र चलता है तो विधान सभा खाली रहती है । विधेयकों की प्रस्तुति कैसे होती है, विधेयक के माध्यम से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हम कानून बनाते हैं तो इन सारी चीजों पर पांच साल में एक बार प्रबोधन हो गया, लेकिन विशेषज्ञों को बुलाकर इस बारे में विधायकों को जानकारी देने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चौबे जी, आपके पास विधि विभाग भी है । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम जितने भी न्यायालय परिसर में जाएंगे, चाहे वह छोटा न्यायालय का परिसर हो या बड़ा, वहां पर जो लोग आते हैं, गांव से लोग आते हैं, उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बेचारे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5-6-7 बजे तक बैठे रहते हैं । सरकार को चिन्ता करके उनके बैठने की भी, वहां पर पानी की व्यवस्था सरकार को करने की आवश्यकता है । माननीय चौबे जी से मैं निवेदन करूंगा, अमरजीत जी चले गए । हमारे विधायकों की कालोनी बनी है, उसकी सड़क इतनी जर्जर, जीर्ण-शीर्ण है कि अबूझमाड़ से भी बदतर स्थिति उस विधायक कालोनी की है और मात्र वह डेढ़ सौ मीटर के आसपास की वह सड़क है तो माननीय चौबे जी, उस सड़क को जल्दी बनवा दीजिए । आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- शिव डहरिया जी, मंत्री जी बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से इस बार उस सड़क को बनवा लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं ।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- यही सारी बातें, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ ...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसके लिए 4.50 करोड़ रूपये स्वीकृत हुआ था ।

श्री मोहन मरकाम :- पिछले पांच साल में बोल-बोल कर थक गये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- विधायकों का, विधान मंडल का, संसदीय कार्य की बात हो रही है, वह हम सब की है, सरकार के पांच साल, दस साल, पन्द्रह साल की नहीं है ।

सभापति महोदय :- माननीय चंदेल जी, जल्दी समाप्त करे ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, रबी फसल के लिए हमने पानी तो दिया है, किसान रबी फसल लेता है, लेकिन सरकार रबी फसल को खरीदती नहीं । पिछले रबी की भी फसल को सरकार को खरीदनी चाहिये । किसानों के लिए भी उचित मूल्य के दुकान की व्यवस्था, हमारे कृषि मंत्री जी को करना चाहिये । जिसमें किसानों को उचित मूल्य में जो उसकी आवश्यकता से कृषि से संबंधित जो सामान है, वह मिल सके । इन्हीं सब बातों को रखकर सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बात मैंने पहले कही कि इस प्रदेश में पानी और जवानी, इन दोनों को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है । पानी को हम खेत तक पहुंचाये, सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाये । पानी के एक-एक बूंद का प्रयोग करें और जवानों के हाथ में हम रोजगार उपलबध करायें । सभापति जी, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक । माननीय नायक जी, कृपया पांच मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, बोलने का मौका मिला है, आज मैं वित्तीय वर्ष वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ और माननीय कृषि मंत्री जी की अनुदान मांगों की संख्या 13 पर खासकर बोलूंगा । माननीय सभापति जी, इस प्रदेश में पहली बार कोई भागीरथी पैदा हुआ, जिसने किसानों के दर्द को सुना, किसानों के दर्द को समझा और जो कहा, वह किया, किसानों का कर्जा माफ किया । माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, किसान जब कर्जा से दबे हुये थे, लगातार आत्महत्या कर रहे थे । हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया और किसानों के चेहरे में एक खुशी की जो लहर इस प्रदेश में उठी है, उसकी कल्पना हम सब नहीं कर सकते। जो किसान कर्जा से दबा हुआ था, उसी के चेहरे में या वही व्यक्ति ने उसी खुशी को महसूस किया है । माननीय सभापति जी, सरकार के गठन होने के बाद तत्काल 6100 करोड़ का कर्जा माफ हुआ । न केवल ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, बल्कि केन्द्रीयकृत बैंक का भी कर्जा, हमारी सरकार ने माफ किया है । मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे नेता जी को, धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा और उस इस सरकार ने किया । इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । माननीय सभापति जी, मैं पिछले पन्द्रह वर्ष से बताना चाहूंगा कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, चाहे वह कर्जा के कारण हो, चाहे वह अपने उत्पाद की सही कीमत न मिलने के कारण हो । जो पिछले वर्ष की बात है, जो 1450 रूपये प्रति क्विंटल धान का था । उसको बढ़ाकर 2500 रूपये किया गया। धान की कीमत लगभग एक हजार प्रति क्विंटल बढ़ाया जिससे किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिला और किसान आज खुशहाल है और गदगद है और किसान आज अपनी हर जरूरत को अपनी बढ़ी हुई कीमत से पूरा कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पिछले वर्ष तक 10 एकड़ तक का किसान जो धान बेच रहा था, इस वर्ष 10 एकड़ वाले किसान को लगभग डेढ़ लाख रूपये का फायदा हुआ है। किसान उस डेढ़ लाख से अपने बच्चे को पढ़ा सकता है और अपने बेटियों की शादी कर सकता है और अपनी छोटी-मोटी सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है। आपने मुझे कम शब्दों में बोलने के लिए कहा है लेकिन मैं थोड़ी सी बात और रखना चाहूंगा कि हमारी सरकार के हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने पांच फुडपार्क के स्थापना की भी घोषणा की है जिसमें से प्रथम का शिलान्यास हो चुका है। फुड प्रोसेसिंग नहीं होने से हमारे किसान दर-दर भटकते थे, अपने उत्पाद को रोड में फेंकते थे। आज इसकी स्थापना होने से हमारे किसानों का सब्जियों का भंडारण अच्छे से होगा और उसका लाभ किसान को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कहा, हमारी पार्टी ने जो कहा वह किया है। खासकरके मैं नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के संबंध में बताना चाहूंगा कि नरवा मतलब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सिर्फ नाला नहीं है। नरवा से अभिप्राय है कि हम अपने जल श्रोतों का कैसे संरक्षण करें। हमारी सरकार ने इस दिशा को प्राथमिकता से लिया है कि हम जल का संरक्षण करें चाहे वह तालाब हो, नाला हो, कुआं हो इसका संरक्षण करें। घुरवा- आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जो धरती है जिसमें हम धान उगाते हैं वह लगातार बदतर होती जा रही है। घुरवा के माध्यम से गौवंश का गोबर एकत्रित करके हम उसका जैविक खाद बनायेंगे उससे हमारे गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी भूमि जो लगातार क्षारीय होती जा रही है वह वापस सही स्वरूप में आयेगी और खाद और दवा दोनों इस जैविक माध्यम से उपलब्ध होंगे। हम सब जानते हैं कि आज दवा की इतनी ज्यादा मात्रा खेतों में उपयोग हो रही है उसकी जगह यदि हमारे किसान गौमूत्र का प्रयोग करें तो हम जो अन्न खाते हैं उसका स्वरूप भी अच्छा होगा और किसान का पैसा भी बचेगा और हमें सही उपज भी मिलेगी।

मानननीय सभापति महोदय, गरूवा। हमारे प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतने ही लगभग गाय, बैल और अन्य पशु हैं। अगर हम उन पशुओं के लिए गौठान बनायें, लावारिश पशुओं को एक जगह एकत्रित करके उनको चारागाह की सुविधा दें, शेड बनायें और उनका सही संधारण करें तो जो गौवंश आज लावारिस हैं उसका संरक्षण करने का भी हमें लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो बाड़ी शब्द का प्रयोग किया है, बाड़ी से अभिप्राय यह भी है कि पांच डिसमिल या 10 डिसमिल की बाड़ी हो। आज बाड़ी का मतलब यह होता है कि जहां हम लोग सब्जी उपजायें, जहां हम लोग सब्जी की खेती करें। हमारी सरकार चाहती है कि बड़ी मात्रा में सब्जी को प्रोत्साहन दें, इसके लिए हम उद्यानिकी फसलों सब्जियों और खास करके जो मसाला या जड़ी बूटी फसल है, उसको हम संरक्षित करें, इसके लिए हमारी सरकार ने बाड़ी का संधारण करके रखा है। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार सिहं :- सभापति महोदय, आज मैं बजट की जो 28, 29, 13, 14, 16, 54, 53, 40, 45, 75 अनुदान मांगों के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्य में कुल 37.46 लाख प्रतिवेदन के हिसाब से कृषक परिवार हैं। कुल लगभग 16 लाख किसानों का कर्जा माफ किये हैं और वो बार बार जिक्र आ रहा है कि हमने किसानों को खुशहाल कर दिया, ये बात उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो धान के मूल्य की बात आ रही है.....।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, सिंह साहब जो कर्जा लेगा उन्हीं का कर्जा तो माफ करेंगे बाकी का कैसे करेंगे आप ही बताईये न।

श्री रजनीश कुमार सिहं :- सभापति जी, इसके पहले उधर से ही आता था कि इतने को मिला है इतने को नहीं मिला है और जो धान का मूल्य की बात हो रही है 2500 रूपये में खरीदी हो रह है। जो धान का एम.एस.पी है 1750 रूपये, 300 रूपये पिछली सरकार ने बजट प्रावधान में बोनस के रूप में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया है और उसको मिला के 2050 रूपये होता है। अभी आप 450 रूपये दे रहे है, आपका जनघोषणा पत्र ये कहता है कि हम 2500 रूपये में समर्थन मूल्य की धान खरीदी करेंगे। अभी कुछ लोगों को मिला है लगभग 25 तारीख के बाद धान खरीदी हुई है 2500 के हिसाब से उसके बाद बाकी लोगों का पैसा नहीं आया है और उसमें भी 2200 रूपये के हिसाब से खरीदी हो रही है इसलिए 300 रूपये अभी भी कम है। जो आयेगा वो 2200 रूपये आयेगा जो 300 रूपये बोनस है उसको आप प्रोत्साहन राशि पिछली सरकार की है, आपकी नही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 300 की राशि को उसमें जोड़ा जाये। जन घोषणा पत्र में यह बात रखी गई है कि पिछले दो वर्ष के बोनस का किस्तों में भुगतान करेंगे उसका कहीं जिक्र नहीं है। किस्तों में बात हुई है कम से कम एकात किस्त दें। जब किसानों की हित की बात हो रही है, तो एकात किस्त उनका भी इसमें प्रावधान किया जाये। 3, 4 विषय जो है इस कृषि बजट में, किसानों की न्यूनतम आमदनी का इसमें किसी प्रकार का बात नहीं की गई है, गारंटी नहीं दी गई है कि किसानों के न्यूनतम आय के लिए हम क्या क्या प्रावधान करेंगे। फसल बीमा योजना का जो, जोखिम है उसको लाभकारी बनाने का जो विषय बार बार आती थी कि उसकी यूनिट हम किसको माने। पहले गांव को मानते थे उसमें बात आई किसानों को माने, तो इसमें भी स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है कि इसमें हम मानक किसे बनाये। मेरा अनुरोध है कि इसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई हो सकती है, गांव के किसान के फसल बीमा में किया जाये। प्राकृतिक आपदा में राहत राशि में कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई है, और वास्तव में जब किसानों के नुकसान होते हैं, तो निश्चित रूप से उनको हर वर्ष लागत मूल्य बढ़ता है इसलिए प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए राशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे। सब्जी फल उत्पादकों के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है, जोखिम के लिए उनका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि वास्तव में जो किसान सब्जी या फल लेता है वही सबसे प्रमुख रूप से परेशान रहता है। इसलिए इनके लिए भी कोई योजना बनायी जाये। कृषि से हमारे इस प्रदेश का लगभग 17 प्रतिशत जी.डी.पी. का योगदान है और चूंकि इसमें पूंजीगत व्यय किसी प्रकार का नहीं है इसलिए निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी और उसके कारण हमारे बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ेगी। कृषि से 75 प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अन्य-अन्य कारणों से मजदूरी करके काम प्राप्त करते हैं तो ये भी एक इसमें कमी दिख रही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय जल संसाधन मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे वास्तव में हम सबको बहुत उम्मीद है। मैं नया सदस्य हूँ उसके बाद भी उनकी कार्यक्षमता को देखने, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे बेलतरा विधान सभा क्षेत्र में खारंग जलाशय आता है और बेलतरा विधान सभा में बिलासपुर का भी आधा पार्ट है। एक योजना जो चल रही है अमृत मिशन योजना। खारंग जलाशय से पाईप लाईन बिछाकर के बिलासपुर नगर निगम को पेयजल की दृष्टि से पानी उपलब्ध कराने के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पाईप लाईन बिछाने का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और अंतिम चरणों में है। लेकिन खारंग जलाशय वर्षों पुरानी है, वह अंग्रेजों के जमाने का जलाशय है और कम वर्षा के कारण या कमी के कारण उसमें जल का भराव बहुत अधिक नहीं होता, इसलिए इसमें प्रावधान किया गया है कि पहले हम अहिरन नदी से उसको जोड़ेंगे और ये नगर निगम, नगरीय निकाय को स्पष्ट सशर्त दिया गया है कि अहिरन नदी जो कटघोरा से आती है अहिरन नदी से पहले पाईप लाईन जोड़कर उसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि 70 लाख मिलियन घन मीटर पानी लायेंगे और उसके बाद लगभग 30 लाख मिलियन घन मीटर पानी आपूर्ति करेंगे। मेरा निवेदन है कि इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। अहिरन नदी से खारंग जलाशय को करने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है तो पहले अहिरन नदी से खारंग जलाशय में पानी लाया जाये, उसके बाद निश्चित रूप से जल की आपूर्ति बिलासपुर नगर निगम को किया जाये।

सभापति महोदय :- माननीय रजनीश सिंह जी कृपया समाप्त करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हां। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। अहिरन नदी में पर्याप्त पानी है और उसमें पानी वेस्ट जाता है इसलिए भोपाल में सी.डब्ल्यू.सी. के पास यह योजना पूरी बन कर जा चुकी है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी करें। इसको करने की कृपा करेंगे ताकि पानी भी मिल सके और किसानों को जो फसल के लिए पानी मिलता है वह भी उनको मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, खारंग जलाशय से ही बेलतरा विधान सभा का एक और विषय है। बेलतरा, बामू, टेकर, नेवसा, गिरधौरी, भिलमी, भाड़ी, अकलतरी, गड़वट, ये 10-11 पंचायत हैं जो उसी क्षेत्र में हैं और वहां पर सिंचाई का साधन नहीं है तो खारंग जलाशय से बहुत कम लागत में ये सब उसी कमाण्ड एरिया में है, लेकिन ऊपर होने के कारण यहां पानी नहीं पहुंच पाता और बहुत सारे किसान हैं। बहुत बड़े-बड़े ग्राम पंचायत हैं इसलिए इसको लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से खारंग जलाशय से इन 8-10 गांवों को इससे जोड़ा जाए, ताकि यहां के भी किसान खारंग जलाशय से पानी का लाभ ले सकें, अपनी फसल बचा सकें। विषय और थे, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ और बिलासपुर जिले के हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं इसलिए भी बधाई देता हूँ । आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती ममता चन्द्राकर जी, कृपया 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आप समय का ध्यान रखें।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बजट एवं अनुपूरक बजट की मांग संख्या 28, 29, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45 एवं 75 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद्। माननीय कृषि मंत्री जी एक किसान के बेटे हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह किसान की समस्याओं से भली भांति अवगत हैं किसानों के हित में जो भी निर्णय लिये जा रहे हैं, वह बेहतर निर्णय हैं जिससे हमारे क्षेत्र के सभी किसान संतुष्ट हैं। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 21597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया गया है जो गत वर्ष के कृषि बजट की तुलना में डेढ़ सौ गुना अधिक है। मैं माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो केवल किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार से किसान काफी प्रताड़ित थे, हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या थी। हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में ही निर्णय ले रहे हैं। इस सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा पंडरिया क्षेत्र में पंडरिया नगर से ऊपर कामटी में एक क्रान्ति जलाशय है जिसका विस्तार किया जाये। उससे नीचे के जो लोग बसर करते हैं, क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी, कोढापुरी, नानापुरी, नेऊरगांव, कुंडाकेसली नहर, नाली से अवरूद्ध हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि क्रान्ति जलाशय का किसानों के हित के लिए विस्तार किया जाये ताकि किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्या दूर हो। माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो धान खरीदी केन्द्र है, कुछ जगहों में धान को खरीद कर केवल बाहर में रखा जाता है, 500 मीट्रिक टन धान के रखरखाव के लिए गोदाम भवन की आवश्यकता है, मैा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभी वक्ताओं ने तो किसानों का ही कहा है, किसी ने कोई दूसरा थोड़ी कहा है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं भी तो उनका समर्थन कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हाथी धान, चावल को बहुत खाता है, किसी भी सूरत में हाथी को जिंदा रख रहे हैं, धान की खेती सबसे ज्यादा होनी चाहिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- हाथी प्रभावित क्षेत्र में हमने मुआवजा बढा दिया है अगर वह किसी को मारेगा तो 4 लाख रुपये के बदले 6 लाख रुपये मिलेगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, किसान तब खुशहाल रहेंगे, जब उनको समय पर बीज, खाद, दवाई, पानी मिले और उनके उत्पादन का सही दाम मिले। अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध होंगे। माननीय सभापति महोदय, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, पिछली सरकार में जब यह बैठते थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी जब भाषण सुनोगे तो पूरा समझ में आ जायेगा। इधर का समझ नहीं आया तो उधर का आ जायेगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- ये बैठते तो एक ही चीज बोलते थे, 2003 से आंकड़ें की शुरूआत करते थे, अब सरकार बदल गई तो ये 15 साल से आकड़ें की शुरूआत करते हैं, 15 साल से पहले के आंकड़े की बात नहीं करते हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ में किसान की यह दुर्दशा है तो ये दोनों के कारण है, क्योकि सरकार में यही दोनों दल रहे हैं।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- हम तो हमें 2 महीने ही हुए हैं, सबसे ज्यादा तो उधर के ही रहे हैं। उधर में ननकीराम कंवर जी ठीक आदमी हैं। ये सब ऐसे ही आदमी हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब वोट देने का समय आता था तो आप उन्हीं को वोट देते थे।

श्री ननकीराम कंवर :- छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद 27 प्रतिशत था, आज उसको बढ़ाकर देख लो। आपकी सरकार सक्षम है, जब आप 27 प्रतिशत घरेलू उत्पाद ले आओगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब वोट देने की बारी आती थी, उसी को जो कोस रहे हो, हर बार विधानसभा में उसी को वोट देते थे। क्यों देते थे ? उसका पूरा सहयोग करता था।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री ननकीराम कंवर साहब बड़ी-बड़ी फाईल लेकर सरकार के पास जाते हैं । साहब 15 साल तक सरकार ने मेरा कुछ नहीं सुना, मेरी समस्या हल कर दो । देखिये, साहब का कितना दर्द है ।

श्री ननकीराम कंवर :- अब तो आपको बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं कर पाओगे, देखते जाओ ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अब तो कोई भी फाईल लेकर जायेंगे तो आपके पास ही जायेंगे न । चाबी तो आपके पास है । कोई भी जायेगा तो आपके पास ही जायेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- इनका कहना है कि फाईल लेकर अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे उनकी सुनवाई नहीं होती थी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, सरकार किसी की भी रही, कोई भी सरकार में रहे, योजना बहुत अच्छी बनी । योजना में कहीं कोई कमी नहीं रही, अगर कमी रही तो इस योजना को, उस लाभ को उस व्यक्ति तक पहुंचाने में जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए । आज भी बहुत सारी योजनाएं हैं । आज अगर आप देखें तो कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में तो इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर वह किसान के पास पहुंच जायें तो उनको उसका लाभ मिल जाये तो मेरे हिसाब से किसानों का कर्जा माफ करने की आवश्यकता नहीं है या किसान को अतिरिक्त बोनस देने की जरूरत नहीं है लेकिन आवश्यकता है तो ईमानदारी के साथ उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की । मैं प्रतिवेदन पढ़ रहा था और मैं किसान हूं तो थोड़ा बहुत समझता हूं कि योजना कैसे उन तक पहुंचती है और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

योजना की बलि कहां पर चढ़ायी जाती है । अभी श्री सौरभ सिंह जी बता रहे थे कि जो 80 प्रतिशत बजट की राशि है वह अनुदान में चली जाती है लेकिन अनुदान किसको मिलता है । अभी हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे कि आप बाजार से जाकर के उस सामान की तुलना करें, वास्तव में आपकी जो लागत है और उसका बाजार में क्या मूल्य है । माननीय सभापति महोदय, आज जो सरकार में बैठे हैं वे यहीं बैठे रहते थे तो यही चिल्लाते थे कि खुले बाजार से उसकी खरीदी होनी चाहिए । यह जो उनको सब्सिडी का लाभ है, किसान को सीधे उनके खाते में नगद के रूप में मिलना चाहिए, माननीय मंत्री महोदय यदि आप यह व्यवस्था कर दें तो बेहतर रहेगा, किसान अपनी पसंद की कंपनी का, अपनी जरूरत के हिसाब से वह सामान खरीदेगा और जितनी आप सब्सिडी देते हैं, किसान को लागत लगाने की भी जरूरत नहीं है, उससे बेहतर सामान उस किसान को मिलेगा । हर समय प्रदर्शन पर बीज मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, खाद मिल रहा है लेकिन वह किसानों तक पहुंच नहीं रहा है । जो दवाई दे रहे हैं वह कोई काम का नहीं है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है । अगर किसान उसको अपने स्पेयर में डालकर खेत में घूम लेगा तो उसकी उस दिन की मेहनत खराब हो गई, दवाई कोई काम करने वाला नहीं है । खाद की कहीं कोई क्वालिटी नहीं है । बहुत सारी योजनाएं हैं चाहे उद्यानिकी के क्षेत्र में हम ग्रीन शेड नेट हाऊस की बात करें । 28 लाख की स्कीम है और 50 प्रतिशत अनुदान है, 14 लाख किसान लगायेगा, 14 लाख आपका विभाग देगा लेकिन आज भी मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जहां-जहां भी ग्रीन शेड नेट हाऊस का निर्माण हुआ, 5 लाख से ज्यादा की लागत नहीं आयी और कोई भी किसान 14 लाख रूपये जमा नहीं किये हैं बल्कि एक व्यवस्था चल रही है, किसान से संपर्क कर रहे हैं कि भई आपको अपनी राशि देने की जरूरत नहीं है, आप यह सेंक्शन करा लो, हम आकर लगा देंगे, आपको कोई एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है । एक साल से ज्यादा कहीं टिक नहीं रहा है, न तो उसका उपयोग हो रहा है । बाद में उसको बल्ली के रूप में वह जो खम्भा गाड़े रहते हैं उसको उपयोग कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इतनी सारी योजनाएं चाहे मसाला की बात करें, पुष्प की बात करें । आप सब्जी का मिनी किट दे रहे हैं, सब्जी के क्षेत्र विकास के लिये यह योजना है, फल पौध प्रदर्शन की यह योजना है, नदी-कछार के तट पर जो है किसानों के समुदाय को प्रोत्साहित करने की योजना है सब योजनाएं केवल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है, किसान को कहीं लाभ नहीं हो रहा है और किसान के नाम पर व्यापारी, आपके अधिकारी और नेता लोग लाल हो रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले समय एक शिकायत की थी कि रबी फसल में धान के बदले में दलहन-तिलहन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार की योजना थी । एक-एक विकासखंड में बहुत सारे बीज गए । एक अकेले मालखरौदा विकासखंड में गेहूं 40 हेक्टेयर के लिए, सरसों 40 हेक्टेयर के लिए, मक्का 30 हेक्टेयर के लिए, मूंग 30 हेक्टेयर के लिए, उड़द 40 हेक्टेयर के लिए, सूर्यमुखी 30 हेक्टेयर के लिए, मटर 100 हेक्टेयर के लिए,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

310 हेक्टेयर के लिए मुफ्त में बीज देने के लिए योजना थी । एक भी किसान को एक डिसमिल के लिए बीज नहीं मिला लेकिन रिकॉर्ड में पूरा बांट दिया गया था । मैंने शिकायत की जो जांच भी हुई, कलेक्टर साहब ने जांच कमेटी बनाई । जांच हुई, जांच में सिद्ध भी हो गया कि किसी किसान को कोई बीज नहीं मिला है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं । जांच करने के बाद और दोषी पाये जाने के बाद भी अगर आप किसी पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कल वह किसान को लूटने का काम करेगा । सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्रा जी, समय का ध्यान रखेंगे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी । माननीय मंत्री जी, योजना बढ़िया है, कृपया आप किसानों के हित में जो इसे बेहतर लागू कर सकते हैं उसे करवाएं । सभापति महोदय, मैं जल संसाधन पर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं जिस जिले में रहता हूं वह 85 प्रतिशत सिंचित एरिया है । बांगो बांध का पानी आता है, दांई तट केनाल और बांई तट केनाल । दोनों केनाल के माध्यम से अधिकांश जगहों में सिंचाई हो जाती है । बहुत सारी जगहों पर अगर किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचता तो केवल नहर की मरम्मत की कमी के कारण, या जो प्रारंभिक स्थिति में, जहां तक नहर बनी, उसके आगे नहीं बनी, इस कारण कुछ किसान सिंचाई से वंचित हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट की योजना बनी और थोड़ी बहुत राशि से और कुछ किसानों को पानी मिल सकता है, नहर का विस्तार किया जा सकता है तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पूरा करें क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक झारओंदा वितरक नहर है, जो उसी समय से वन विभाग की जमीन आने के कारण आज तक एनओसी नहीं मिल पाया, जिसके कारण नहर पूरी नहीं हो पा रही है । मल्ली वितरक नहर, मुल्लीडी वितरक नहर, कलमीडी वितरक नहर, बरदुली वितरक नहर, लाइनिंग नहीं होने के कारण काम पूर्ण नहीं हो पाने के कारण अभी भी अधूरी है । मैं अलग से माननीय मंत्री जी को लिखकर और मिलकर बताउंगा । उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत आवश्यकता के लिए राशि उपलब्ध करवाकर उन कार्यों को पूर्ण कर दें ताकि उन किसानों को पानी मिल सके । सभापति महोदय, धन्यवाद् ।

श्री दीपक बैज (चित्रकोट) :- माननीय सभापति महोदय, आज कृषि विभाग के अंतर्गत मांग संख्या 28, 29, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45 और 75 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है । इस प्रदेश में कुल 47 लाख 40 हजार किसान हैं । इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान है कि यहां के किसान समृद्ध हों, यहां के किसान विकास की ओर जाएं, यहां के किसान मजबूत हों, यहां के किसान विकसित हों । सभापति महोदय, लेकिन पिछले सालों ने पूर्व की सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दीपक जी, मैंने यही कहा था कि 15 साल के पहले आपकी सरकार थी ।

श्री दीपक बैज :- कैसा करोगे, गड़ा मुर्दा तो उखाड़ना पड़ेगा ना (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 15 साल पहले की बात कीजिए या फिर अभी की बात कीजिए।

श्री दीपक बैज :- करेंगे, करेंगे । अब आपको तकलीफ तो होना ही है । इधर के न उधर के । आसमान से टपके, खजूर में अटके ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं । आपकी थोड़ी भाषा बदल गई है, पहले विरोध में बोलते थे, अब प्रशंसा में बोल रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- आप लोगों के गठबंधन का क्या हो रहा है, उसकी चिंता है थोड़ी ।

श्री दीपक बैज :- चंद्रा साहब, अभी जनता ने हमको इधर बिठा दिया, ठीक है ना ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, समय की मांग है।

श्री दीपक बैज :- कभी कभार चंद्रा दिमाग का काम कर लेते हैं नहीं तो उधर ही ज्यादा जाते थे। वे और उनके दोस्त उधर ही जाते थे पहले। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 10 हजार करोड़ का कर्जा माफ, 2500 रूपये समर्थन मूल्य। 15 साल हमने इनकी सरकार को देखा है। किसानों की क्या हालत रही? किसान लाठी खाये, गोली खाये। किसान आंदोलन करते रहे। एक-एक रूपये के लिए तरसते रहे। हर साल चुनाव आता है। चुनाव में सिर्फ इनकी घोषणाएं रहती हैं। आज कृषि विभाग में 21 हजार करोड़ की बजट है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ? आज अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखेंगे, इस कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में, माननीय रविन्द्र चौबे जी विभागीय मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को सबसे बड़ा बजट मिला है। 15 साल आपने ठगा है। 15 साल आपने चलाया है। आज किसान 2100 रूपये बोनस के लिए, समर्थन मूल्य के लिए तरसते थे । हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 3 घंटे में निर्णय लिया है। इससे बड़ी बात क्या होगी? कितना झूठ बोलकर आपने 15 साल राज किया, अब आपको 15 साल उधर ही रहना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए। माननीय सभापति महोदय, 10 हजार करोड़ का कर्जा माफ, 20 लाख किसानों को लाभ और 2500 रूपये समर्थन मूल्य, 5 हजार करोड़ का बजट और वह भी हमने चुनाव के 1 साल पहले घोषणा नहीं की है। यह पूरे 5 साल हमारी सरकार ने देने की घोषणा की है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा लाभ किसानों के लिए होगा और तो और मक्का खरीदी 500 रूपए। 1700 रूपये समर्थन मूल्य में खरीदी की अगर घोषणा की तो हमारी सरकार ने की है। इनकी सरकार में मक्का खरीदी के लिए किसान सोसाइटी में भटकते थे। किसान भटकते थे कोचियों के पास जाने के लिए। आज सरकार ने घोषणा की है कि हर सोसाइटी में जाये और मक्का बेचे और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मक्का खरीदने के लिए सरकार तैयार है और सबसे बड़ी बात सरकार ने तय कर लिया है कि उस किसान के मक्के का बिस्किट बनेगा। कुरकुरे बनेगा। उस किसान के मक्के का पाउडर बनेगा। यह हजारी सरकार ने तय किया है (मेजों की थपथपाहट) और कोण्डागांव जिले में मक्का का प्लांट लगाने के लिए 105 करोड़ रूपये का शिलान्यास किया है। यह हमारी बस्तर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने क्या किया है बस्तर में। बड़े-बड़े उद्योगों को लाकर, आदिवासियों को बेघर करने के लिए आप लोगों ने बड़े-बड़े प्लांट को आपने स्थापित किया और हमारी सरकार ने छोटे-छोटे प्लांट लगाकर उन गरीब मजदूरों को वहां नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए काम किया। बस्तरवासी स्वीकार कर रहे हैं। हमें बड़े-बड़े उद्योग नहीं छोटे-छोटे उद्योग चाहिए। फूड प्रोसेसिंग उद्योग का भी मेरे दुरागांव में शिलान्यास हुआ है ताकि बस्तर में मिलने वाला इमली, बस्तर में मिलने वाला टोरा, बस्तर में मिलने वाला महुआ, बस्तर में मिलने वाली और जिस तरह के फल फ्रूट हैं। हमारे बस्तर के किसान के लिए लाभ होगा। यह हमारी सरकार ने तय किया और इसके लिए माननीय सी.एम. साहब और माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बस्तर के लिए इतना बड़ा उपकार किया है। और तो और सबसे बड़ा निर्णय सिंचाई कर 207 करोड़ रूपये माफ किया है। क्या यह छोटी मोटी राशि है ? किसान तरसते थे। इनकी सरकार ने पानी तो दिया नहीं। नोटिस ऊपर नोटिस, कागज ऊपर कागज भेजते थे कि आप सिंचाई कर पटाइए। जब तक सिंचाई कर नहीं पटाओगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 207 करोड़ रूपये सिंचाई कर माफ कर उन गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया है, इसके लिए भी माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उसके बाद जल संसाधन विभाग। इन्होंने एनीकट बनाया। एनीकट में कहां पानी रूका है? कहीं पानी नहीं रूका। एनीकट बनते गये, पानी नीचे से चला गया। मैंने इनका डेम देखा है पिछले 5 साल के कार्यकाल में कोई निर्माण कार्य होता है, दिन को होता है। इंजीनियर बैठा होता है। एस.डी.ओ. बैठा होता है लेकिन इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने के लिए रात को भी एनीकट का निर्माण कर रहे हैं ताकि वहां पर जाकर कोई न देखे। दिन में तो कोई भी जाकर देख लेगा कि कौन सी रेती, कौन सी गिट्टी, कौन सा सीमेन्ट मिला रहे हो। लेकिन इन्होंने रात में 12 घण्टे काम करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आपके एनीकट का ये हाल है। कहीं पानी नहीं रूका, कहीं पानी नहीं मिला, आपको पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है। आपने किसी भी नाले में एनीकट बना दिया। जहां जरूरत नहीं है, वहां बना दिया। किसान एनीकट मांग रहे हैं, लेकिन आपने किसानों को एनीकट नहीं दिया। लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद हमें हमारे कृषि मंत्री और हमारे सी0एम0 साहब से नेतृत्व में उम्मीद है कि एनीकट वहां बनेगा, जहां किसानों को लाभ होगा। एनीकट वहां बनेगा, जहां किसानों के खेतों को फायदा होगा। इसका बहुत बड़ा लाभ दिखेगा। आपने 8 वृहद सिंचाई परियोजना, 38 मध्यम सिंचाई परियोजना, 2430 लघु सिंचाई परियोजना, 712 एनीकट डेम है, जहां

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारी सरकार किसानों के लिए निर्माण करेगी और निश्चित रूप से हमारे किसान को दूसरी और तीसरी फसल दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से पशुधन विभाग है। हमने देखा कि पिछली सरकार में पशुधन विभाग का क्या हुआ ? देश में लालू प्रसाद के नाम से चारा घोटाला हुआ। यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में आप तो **[XX]** [5] आप लोग उसके बाप निकले हो। लगातार पशु मरते रहे, लगातार गाय मरती रहीं। आप लोग गौ माता, गौ माता, गौ माता करते रहते हैं। क्या गौ माता हमारी नहीं है ? गौ माता हमारी भी है। लेकिन ये लोग सिर्फ गौ माता के नाम से पैसा खाने का काम किया है। सगुन गौशला याद है ? वहां 300 से अधिक गायें मर गई। इन्होंने गाय के चमड़े तक को बेच डाला, गाय का मांस तक बेच डाला, यहां तक की हड्डिया तक नहीं बची, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और आप लोग बोलते है- घुरवा,गरूवा, नरवा, बाड़ी। माननीय सभापति महोदय, इसको संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने नरवा, घुरवा, गरूवा बाडी की योजना लाई है। निश्चित रूप से यह कृषि बजट 21 हजार करोड़ इस योजना के तहत बिलकुल फिट होता है। कुक्कुट पालन के लिए 21 करोड़, सुकर पालन के लिए 4.49 करोड़, बकरी पालन के लिए 4 करोड़ का प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, डेयरी उदयमिता, हमने इनके डेयरी का दूध देखा है। बीजापुर के स्कूल के बच्चे मर रहे हैं। कहीं का बच्चा बीमार हो रहा है। आप लोग कौन सा दूध मिला रहे थे। उसमें दूध कम था, पानी ज्यादा था। वह दूध तो दूध, वह दूध भी जहर बन रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने गरूवा नीति अपनाया। ताकि मिले उनको असली दूध। आपके जैसा पानी मिलाने वाला दूध नहीं। न कोई बच्चा बीमार होगा, न कोई बच्चा अस्पताल पहुंचेगा। इसलिए हमारी सरकार ने डेयरी उदयमिता की योजना बनाया है ताकि बच्चों को असली दूध मिल सके। इसलिए असली दूध देने वाले इधर बैठे हैं और नकली दूध पिलाने वाली उधर बैठे हैं। बस, आप इसके बाद नकली दूध पीते रहना।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में चार पशु मेले का उल्लेख है। पशु मेले में क्या होता है, हमारे बस्तर सबसे ज्यादा पशुओं की खरीदी-बिक्री और देखरेख सब चीज होता है। लेकिन इनके कुछ लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता, आपके आर0एस0एस0 के कार्यकर्ता, आपके विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता धंधा बनाकर रखे थे। कोई आदिवासी पशु खरीदी-बिक्री के लिए ले जा रहा है, उससे हजार-दो हजार रूपया वसूल करने के लिए थाने के नाम से डराने का काम करते थे। माननीय मंत्री साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि यह धंधा बंद होना चाहिए। इन्होंने 15 साल धंधा चलाया। हमारी गरीब आदिवासी धंधा कर रहा है तो उनका लायसेंस बनना चाहिए। लायसेंस बनाये। कलेक्टर आफिस का मैं एक उदाहरण देता हूँ।

---

[5] **[XX]** अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- [XX][6] उल्लेख किया गया है, उसे विलोपित किया जाता है। माननीय सदस्य जी, थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, जी-जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने देखा कि इसी तरह से कितने लोगों को प्रताड़ित करके इन्होंने जेल भेजा है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, उधर सदस्य नहीं हैं, तो थोड़ा सा चलने दीजिये। माननीय सदस्य बढ़िया अच्छा बोल रहे हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, रांची तक कितना जाता है, नागपुर तक कितना गरूवा जाता है, आपने कभी देखा है ?

श्री दीपक बैज :- उसको भी कन्ट्रोल करेंगे।

श्री ननकीराम कंवर :- आपने किसी एक को भी बचाया है, यह बता दो। आपके दल के कोई भी सदस्य बता दें कि एक भी गौ की रक्षा किए हों। आप कहां की बात कर रहे हैं ? अभी तो और भी ज्यादा मवेशी जाना शुरू हो गया है।

श्री संतराम नेताम :- पिछले 15 साल तक तो आपकी सरकार थी, अभी वर्तमान सरकार ने काम शुरू किया है।

श्री दीपक बैज :- अभी हमारी सरकार उसमें भी कन्ट्रोल करेगी।

श्र ननकीराम कंवर :- यदि आप बचा सके तो तो आपको धन्यवाद। लेकिन नहीं बचा पाओगे।

श्री दीपक बैज :- साहब, आपने तो हड्डी तक नहीं छोड़ा है। उससे और बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है ?

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करें।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से उन आदिवासियों को पशुधन खरीदी-बिक्री के लिए लायसेंस बनाने का जो विभागीय नियम है, उसके तहत काम किया। माननीय मंत्री जी, आज भी हमारे कलेक्ट्रेड में ऐसे कई आवेदन पड़े हुए हैं, लेकिन उसका भी निराकरण नहीं हो रहा है, उस ओर ध्यान दें और लायसेंस के लिए आवेदन दिए गए हैं, उसका निराकरण करवाएं, ताकि वहां पैसा हड़पने का काम बंद हो । निश्चित रूप से कृषि विभाग का बजट 21 हजार करोड़ का है, जो हमारे प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा, हमारे किसानों को विकास की ओर ले जाएगा, हमारे किसान समृद्ध होंगे, उनके बच्चे समृद्ध होंगे । निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा ।

[6] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में मेरे क्षेत्र का गड़िया एनीकट, जो मेरे गांव का ही है, गड़िया व्यपवर्तन योजना बजट में भी शामिल है, कृपया आप उसकी स्वीकृति दे दें, ताकि वहां पर हजारों एकड़ खेत को उसका लाभ मिलेगा क्योंकि वहां पर किसानों को बरसात में पानी नहीं मिल पाता है क्योंकि वहां पर नाला टूट गया है इसलिए अगर आप गड़िया व्यपवर्तन योजना की स्वीकृति दे देंगे तो निश्चित रूप से मेरे गांव के लगभग हजारों किसानों को लाभ होगा । बहुत अच्छा कृषि बजट है । इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले वर्ष 2019-20 के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा और फायदा होगा । आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, मैं इन मांगों में कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नहरों की मरम्मत का कार्य हो रहा है, लेकिन वह गुणवत्ताविहीन है और उसको जल्दी करने के चक्कर में जैसा चाह रहे हैं, वैसा कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप उसको गुणवत्ता रूप लेकर कार्य कराने की कोशिश करें और उसको जल्दी-जल्दी बना रहे हैं, उसको आराम से और गुणवत्ता पूर्वक हो, ऐसा कार्य कराएं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं । साथ ही मेरे पामगढ़ क्षेत्र में छडोलिया गांव में बहुत जनसंख्या है, जहां एक बांध है, जिसमें प्रत्येक किसान अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए और स्नान करने के लिए काफी मात्रा में लोग वहां जाते हैं तो मैं वहां पर एक स्टापडेम की मांग करती हूं, जिससे गांव के लोग सुनिश्चित रूप से उसका उपयोग कर सकें और मेरे पामगढ़ क्षेत्र में कोसीद, मुढ़पार, कुड़ियारी, बिलारी, कामता, कनसदा, नंगारीडीद, कटौद में स्टापडेम की मैं मांग करती हूं। चूंकि वहां पर सभी लोग किसान हैं और बहुत ही सिंचित जमीन भी है तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि बजट में मैंने पामगढ़ क्षेत्र के जितने भी नाम बताए हैं, उसको जोड़ने की कृपा करें और सभी में स्टापडेम, पिचिंग और गहरीकरण का कार्य कराकर हमारे पामगढ़ क्षेत्र के लोगों को, किसानों को एक नई दिशा और नई सोच दें । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं । जय भीम, जय भारत ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज के बजट चर्चा में मैं कृषि, जल संसाधन भाग संख्या-23 से संबंधित बजट के समर्थन में अपने विचार रखना चाहती हूं । जैसा कि बजट की प्रस्तावना में है कि अगले वर्षों में सिंचित रकबा लगभग दो गुना क्षेत्र करने की ओर बजट का प्रस्ताव रखा गया है तो मैं सरकार को, मंत्री जी को इसके लिए बधाई देती हूं और जिस तरह से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पूर्ववर्ती जो सिंचाई व्यवस्था थी, उसके बारे में अध्ययन करके और बदलाव के दौर में हम जा रहे हैं कि भूमिगत पाईप लाईन की व्यवस्था करके सिंचाई की दक्षता में 15 प्रतिशत वृद्धि की जो प्रस्तावना है, उसका मैं स्वागत करती हूं । जैसा कि विभागीय अध्ययन में ये बात सामने आई है कि अरपा भैंसाझार की परियोजना में भू-अर्जन और नहर निर्माण में जो व्यय हुआ, उस अनुपात में अगर भूमिगत किया जाता तो कम व्यय में नहर और भैंसाझार परियोजना का निर्माण हो सकता था । तो जब भविष्य में जो प्रस्तावित योजना रहेंगी, उनमें अब भूमिगत लाईन डालकर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी । मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि अरपा-भैंसाझार परियोजना में जो विगत वर्षों में कार्य हुए हैं और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, कृपा करके उसकी जांच करवाएंगे क्योंकि लगातार इन्हीं गलतियों के कारण लागत बहुत अधिक बढ़ गई है और अभी तक उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू नहीं हो पाया है, लगातार कार्य जारी है, मैं उन कार्यों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि बहुत ही गुणवत्ताविहीन कार्य वहां चल रहा है । आपके बजट प्रावधान में पुरानी सिंचाई योजना के पुनरोद्धार कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ । पुरानी सिंचाई योजनाओं का विस्तार मेरे तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में है, वहां नहरों में मिटटी जमा होने के कारण सिंचाई बाधक हो रही है । सिंचाई वहां पर जैसी होनी चाहिये, उसके अनुरूप नहीं हो रही है । इसमें अगर सुधार के लिए धन व्यय किया जाता है तो तखतपुर क्षेत्र के भी प्रस्ताव देना चाहूंगी । तखतपुर में भी सिंचाई के जो पुराने साधन हैं, उसको भी पुनरूद्धार कार्यों में शामिल किया जाये । मैं विशेष तौर पर भूमिगत पाईपलाईन की सराहना करती हूँ । मैं जल नीति के संदर्भ में भी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मिशन अमृत योजना के अंतर्गत बिलासपुर में खारंग जलाशय के जल की स्वीकृति की गई है । जल नीति के अंतर्गत संसाधनों के व्यवहारिक और प्रभावी दोहन के लिए आपके द्वारा प्रस्तावित जल संसाधन विकास नीति की जो कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहती हूँ । संपूर्ण विश्व में जो गहराता जल संकट है, उसकी ओर आपकी नीति निश्चित तौर पर प्रभावी बनेगी । नदियों के संरक्षण के विषय में भी अपने विचार रखना चाहती हूँ । जिस तरह से आपने नदियों के संरक्षण का प्रावधान किया है कि उसके किनारे वृक्षारोपण और संवर्धन किया जायेगा, इस हेतु मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि अरपा नदी का भी संरक्षण उसमें सम्मिलित करें । अरपा नदी के किनारे, वृक्षारोपण के साथ ही नदी के ऊपर बहुत सारे मिटटी का जमाव हो गया है, उससे जल स्तर बहुत नीचे चला गया है । बिलासपुर, तखतपुर के आसपास सभी विधान सभा में जल का संकट बहुत गहरा गया है । मेरी स्वयं तखतपुर विधान सभा में अभी मार्च महीने से ही जल संकट की स्थिति बहुत गंभीर हो जायेगी । लोग पानी की समस्या के लिए आयेंगे तो मेरा आग्रह है कि तखतपुर विधान सभा के जल संकट की ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी । उसमें भी समय रहते ध्यान देंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :-कृपया समाप्त करे ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- मुझे आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद शर्मा जी ।

श्री प्रमोद शर्मा जी (बलौदाबाजार) :- सभापति महोदय, धन्यवाद । वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांग संख्या 23 जल संसाधन विभाग के लिए आंशिक रूप से संशोधन की मांग करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, बलौदाबाजार विधान सभा में करीब 22 वर्ष पुरानी जो मांग है, वह अधूरी पड़ी हुई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वह क्षेत्र में करीब 10 गांव खपराडीह, रवेली, रवान, झीपन, कुकुरदी, पड़कीडीह, अमेरी और पेण्ड्री, यहां किसान अपने जमीन में सिंचाई के लिए तरस रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह 22 वर्ष पुरानी मांग है, यह मांग पूरा भी हुआ, क्षेत्र वाले आंदोलन भी किये, 26-5-1992 को इसका टेण्डर भी हुआ, उस समय 2 करोड़ 52 लाख रूपया का यह काम माननीय स्व. श्री गणेशशंकर बाजपेयी के अथक प्रयासों से जो कि तत्कालीन विधायक थे, एक ग्रासीम सीमेंट जो अब अल्ट्राटेक सीमेंट है, उनके आने के बाद किसानों का काम है, इसको रोक दिया गया है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान करीब 1680 हेक्टेअर जमीन जिनको सिंचित करने के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके इस योजना को पुन: लागू किया जाये । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा तरह-तरह के बीच-बीच में, अवरोध पैदा करके, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसमें उनकी पूरी सहमति रहती है । माननीय सभापति महोदय, आज मेरा तारांकित 22 नंबर का प्रश्न था, मैं इसमें माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि यही अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो बहुत पुरानी बांध है, उसमें रोड बना दिये थे । माननीय सभापति महोदय, आपको जानकार आश्चर्य होगा, इधर यह प्रश्न लगा, उधर रातों-रात प्लाण्ट को उखाड़कर फेंक दिया । कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोग इतने अधिकारी के साथ मिलीभगत करके अत्याचार कर रहे हैं । इतनी मनमानी कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीयमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जवाब में लिखा है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। माननीय मंत्री जी, मेरे पास लिखित में जो गांव वाले बार-बार शिकायत किए हैं जिसका सील, ठप्पा, रिसिप्ट होने के बाद अधिकारियों द्वारा ये जवाब आ रहा है कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मैं नहीं जानता इससे पहले कैसा, क्या होता था, जिला पंचायत में बैठते थे और अधिकारी गलत जानकारी देते थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, ये सदन गरिमामय सदन है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र का मंदिर है यहां यदि इस प्रकार की कोई गलत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जानकारी अधिकारी दें तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कार्यवाही करें। माननीय मंत्री जी, आप जिस दिन कहेंगे मैं तुरंत प्रूफ के साथ आपके सामने पेश करने को तैयार हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के आठ गांव के किसान जो लगातार मांग कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र द्वारा 1.52 किलोमीटर की नहर खपराडीह माईनर की कुछ जमीन सीमेंट प्लांट वाले के एरिया में आ गई है, उस समय विधायक माननीय गणेश शंकर बाजपेयी जी थे, उनके अथक प्रयास से एक समझौता हुआ था जिसमें सीमेंट संयंत्र वाले यह बोले थे कि अंडरग्राउंड पाईप लाईन के द्वारा मैं किसानों की सिंचाई के लिए जमीन उपलब्ध कराउंगा। लेकिन आज तक हमारे उस क्षेत्र के करीब 8 गांव के किसान जिसकी करीब 1680 हेक्टेयर जमीन आज भी सिंचित होने के लिए तरस रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र के किसान जो आज सिंचाई के लिए तरस रहे हैं उनकी मांग पूरी की जाए। हमारे बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी मांग जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा वह मांग भी वर्षों पुरानी है, कुम्हारी जलाशय परियोजना की मांग थी उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री जी से आखिरी निवेदन करूंगा कि जो रूका हुआ काम है उसका तत्काल प्रवाहित करके किसान के लिए एक जल कलयाण चालू करेंगे, धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने 21 हजार करोड़ रूपये का कृषि बजट रखा है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के उन किसानों को बधाई देना चाहूंगा जिनका लगभग 10 हजार करोड़ का कृषि ऋण हमारी सरकार ने माफ किया है और इसके साथ ही 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर उनका धान खरीदा है। इससे वास्तव में छत्तीसगढ़ के किसानों में और उनके परिवार में बहुत उत्साह और उर्जा का संचार हुआ है। खरीफ की फसल में किसानों को जो समर्थन मूल्य मिला इसके चलते किसान खेती के प्रति बहुत उत्साहित हैं और दलहन, तिलहन और मक्का की अभी गर्मी की फसल भरपूर मात्रा में लेने के लिए सभी लगे हुए हैं। हर नदी, नहर, कुआं, बाड़ी में खेती को वह लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। अंबिकापुर, बस्तर और सरगुजा में जो किसान मक्के की खेती करते थे उनको पहले सही मूल्य नहीं मिल पाता था। पहले वह मक्का कोचिए को बेचते थे किन्तु हमारी सरकार ने उसका समर्थन मूल्य 1700 रूपये किया है। हमारी सरकार ने गन्ना के किसानों को जो बोनस देने की बात कही है इसके लिए मैं हमारे कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, किसानों को पांच एच.पी. तक नि:शुल्क बिजली प्रदाय हेतु 2164 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया है और नये कृषि पंपों के उर्जीकरण के लिए 100

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, सौर उर्जा के सहयोग से सिंचाई हेतु 20 हजार नये सोलर पंप की स्थापना हेतु 467 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं हमारे कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे गांव के किसान बिजली पर आधारित हैं और मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस स्तर पर खेती का रकबा बढ़ा है, गर्मी का फसल जिस हिसाब से किसान कर रहे हैं, वहां पर जो हमको बिजली की ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। आज बिजली की पावर को बढ़ाने के लिए विधानसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र में जहां पर बिजली की समस्या आती है, वहां पर सब स्टेशन 132 के.बी निर्माण करने के लिए जहां जहां आवश्यकता हो। मेरे यहां 3 सब स्टेशन निर्माण करने की आवश्यकता है। एक धरमजयगढ़ में 132 के.बी का, एक सी श्रृंगा में और एक नवापारा टेंडा घरघोड़ा ब्लाक में, इससे किसानों को सही ढंग से बिजली मिल पायेगा, उससे उचित ढंग से खेती कर पायेंगे। इसी तरह हमारे किसानों को खेती के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन करते है। आज खेती के साथ साथ अन्य जहां पर छोटे छोटे बोर खनन किये हैं, बोर लगाये हुए हैं, वहां पर किसान लोग छोटे छोटे तालाब का निर्माण करके खेती के साथ साथ मछली पालन से भी आय अर्जित करते हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको किसानों को कृषि तालाब खोदने के लिए हर किसान जहां बोर खनन कराते हो, वहां पर कृषि विभाग के साथ साथ बोर खनन हेतु मछली पालन में सब्सिडी दें। ताकि उसमें और अधिक लाभ ले सकें। बाड़ी विकास की योजना है, वहां पर जिस तरह से हमारे यहां पिछली बार घटिया बीज पिछली सरकार ने बांटी थी, उड़द, मूंगफली के जो है, बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ और किसान लोग मूंगफली को 15 से 20 से 30 रूपये किलो में बेचने में मजबूर हुए थे। हमारी सरकार इस बार अच्छे से बीज उपलब्ध कराई है, अच्छे से अंकुरण आ रहा है मैंने खुद जा के जांच किया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जो हमारे नदी नाले हैं, नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी जो हमारे विपक्ष के जो साथी है, वो आलोचना कर रहे हैं। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए वरदान है कि गंगा मैया यहां पर साक्षात विराजमान है। जहां पर हमारे महानदी, केलो नदी, गंगरेल बांध, इंद्रावती नदी, जोक नदी, हसदेव नदी, अरपा नदी, पैरी नदी है, जेमा हमर छत्तीसगढ़ के गाना बने हे, अरपा पैरी महानदी के धार, ये छत्तीसगढ़िया के हमर नैया के तार। संगवारी ये गाना बने है, येला हमर सरकार बनाए के कोशिश करत हे, तुहर जैसे उद्योगपति ला बेचे के काम सरकार हा नई करत हे। जतका नदी नरवा ला उद्योगपति ला बेच दे हो आप मन। हमर सरकार ह 2 हजार 7 करोड़ 26 लाख रूपये किसानों का जल कर माफ किया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा जिस तरह से किसानों को हम लोग राहत देते आ रहे हैं, वास्तव में बहुत खुशहाल हैं। जो छोटे छोटे नदी नाले है, जिस पर बांध बंधे हुए हैं, नदी के एनीकट तो बना दिये गये हैं लेकिन पानी ठहर नहीं रहा है। उस पानी को लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से पहले हमारी सरकार 1985-86 में उस योजना को लागू की थी, बहुत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सारे किसान उसको लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी को खेतों में पहुंचाकर आज भी उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं और समृद्धशाली किसान हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस योजना को पुन: चालू करें, लिफ्ट ऐरिगेशन कीट बना हुआ है, जहां नहर नहीं बने हैं, उसको लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, नदी नाले को बनाने की आवश्यकता है। एक झापी नाला है, जहां पर परेवा झून करके स्थान है वहां अगर हम लोग एनिकट का निर्माण कर दें तो वहां के पानी को लिफ्ट एरिगेशन करके 4, 5 गांवों का सिंचाई कर सकते हैं। उससे वहां के किसानों को फायदा होगा। एक कोरजा नदी है, वहां एनिकट पुलिया निर्माण बना देते हैं, तो वहां लोगों को आने जाने का भी काम भी हो जायेगा और सिंचाई भी हो जायेगा। पुल बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। एक हमारे यहां कोपर नाला है, जिसमें गांव के लोग हर हफ्ते दो दिन काम करते हैं, गांव के लोग कोपर नाला को बांधे हैं। जैनपुर के पास धरमजयगढ़ ब्लाक में, उसमें हमको शासन की मदद मिल जाये तो वहां पर पुल बन सकता है। उनमें लिफ्ट एरिगेशन सिंचाई कर सकते हैं। उसमें लोगों को आने-जाने का भी काम हो जाएगा और सिंचाई की भी हो जाएगी। वहां पुल बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी।

सभापति महोदय :- राठिया जी, आप कृपया समाप्त करें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। एक हमारे यहां कोपर नाला है जिसमें गांव के लोग हर हफ्ते दो दिन काम करते हैं और चैनपुर के पास धरमजयगढ़ ब्लॉक में कोपर नाला है, उस गांव के लोग नहर को बांधे हैं। उस नहर के लिए हमें शासन की मदद मिल जाए तो वह अच्छा बन सकता है, वे लोग लिफ्ट एरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। वैसे मेरे यहां एक पेलम नाला बांध है वह कई वर्षों से वन विभाग के द्वारा पेंडिंग था, अब उसकी सारी क्लियरेंस मिल चुकी है मैं उसका कार्य चालू करवाने के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मेरे क्षेत्र की समस्या है। भू अर्जन में पिछली बार किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिल पाया था। भूलेकेरा कुरकुट नदी पर जो डेम बनी है किसानों की जमीन डूबान में गई है वैसे ही बहिरकला में हमारे अउरिंजपारा नाला में आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ(श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री जी की मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के विषय में सर्वप्रथम बोलना चाहूंगी। मेरा क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि क्योंकि यहां कई नदियां जैसे सोन, तिपान, अरपा और अन्य छोटी-छोटी नदियों का उद्गम स्थल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं और संयोग से प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई की योजना अरपा भैंसाझार मेरे क्षेत्र में चल रही है। वर्ष 2013 में माननीय आडवाणी जी की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ और अब वर्ष 2019 आ गया है। 6 साल बीत गये हैं पहले ये योजना 6 अरब की थी अब लगभग दुगुनी होकर, 12 अरब के पास पहुंच गई है। जून, 2019 में इसे खत्म, इसके समापन होने की घोषणा प्रतिवेदन में की गई है, पर मुझे लगता है कि ये पेपर में ही शोभा देगी। धरातल पर ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि अभी भी नहरों का 70 प्रतिशत कार्य अधूरा है इसके अलावा इस बार आपने छपराटोला को करीब डेढ़ सौ करोड़ की स्वीकृति दी है, जो एक रिजर्व वॉयर के रूप में काम करेगा। वहां अरपा नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है संग्रहित होगा, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और चूंकि ये अरपा भैंसाझार में दो गांवों का डूबान क्षेत्र होने के कारण करीब 2-3 करोड़ रूपये के काम प्रस्तावित थे। 6 वर्ष बीत गये । जोगीपुर ग्राम पंचायत में उमरमरा और नवापारा में 6 लाख का मात्र सामुदायिक एक भवन बना है तो कृपया वहां के कार्य घोषणा में शुरू से घोषित थे। उन्हें शीघ्र पूरा करें। यही मैं अनुरोध मंत्री जी से करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मछली पालन पर काफी चर्चा हो चुकी है। जोगीडोंगरी जलाशय जो गौरेला में स्थित हैं, आपने आश्वासन दिया है कि उसमें स्व सहायता समूह के द्वारा मछली पालन हो सकेगा, पर रतनपुर में 159 तालाब हैं जो विगत 5 वर्षों से उनका आवंटन मत्स्य निरीक्षक और वहां की नगर पालिका की चयन समिति के द्वारा नहीं हुआ है और अभी तक वहां मछली पालन का कार्य 159 तालाबों में 5 वर्ष से लंबित है और उसे आप अपने अधिकारियों से कहकर, आवंटित करवा देंगे तो क्षेत्रवासियों, महिला स्वसहायता समूह को इसका बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मत्स्य बीज, प्रजनन केन्द्र के विषय में बोलना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतने सब जलाशय सिंचाई की सुविधा होने के बाद भी नहीं है, एकमात्र मरवाही कोटा में गौरेला विकासखंड के गिरवर ग्राम पंचायत में मत्स्य बीज प्रजनन केन्द्र है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कोरी बांध जो कोटा से मात्र 5 किलोमीटर पटैटा पंचायत में स्थित है, उसमें भी एक मत्स्य बीज प्रजनन केन्द्र प्रारंभ कर सकें तो उस क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। पशुपालन विभाग में कहना चाहती हूं कि पशुधन विकास विभाग में पेज नंबर-18 में सबसे पहले पकरिया का उल्लेख किया गया है। यह जो 4 कृत्रिम पशु प्रजनन केन्द्र हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि पकरिया गौरेला विकासखंड में पेन्ड्रा रोड स्टेशन से 7 किलोमीटर दूरी में एक ग्राम पंचायत में वर्ष 1923 से संचालित है, अंग्रेजों के जमाने का करीब ढाई हजार एकड़ में ये केन्द्र है। वहां जगदलपुर से लेकर बीजापुर, अंबिकापुर के लोगों को पहुंचने में ढूंढते-ढूंढते दो-तीन लग जाते हैं, 7 दिन का प्रशिक्षण है और वहां उनके रहने की कोई सुविधा नहीं है। गांव के दो-तीन घरों में उनको किसी प्रकार रखा जाता है। यदि आप एक या दो करोड़ रुपये का अतिथि गृह या छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में एक हास्टल छात्रावास टाईप दे दें तो लोगों के रहने के लिए एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अच्छा प्रयास रहेगा। उसकी समयावधि को कम से कम 15 दिन कर दें। बिलासपुर में पशु चिकित्सालय, महाविद्यालय प्रारंभ है, वहां के छात्र वहां ट्रेनिंग लेने आ सकें तो ये उस क्षेत्र के छात्रों के लिए भी फायदेमंद होगा और उस क्षेत्र का भी इससे विकास होगा। वहां साहीवाल और उन्नत बकरियां, जमनापाली बकरियां आदि का भी केन्द्र है मैं चाहूंगी कि आपके द्वारा पकरिया का जीर्णोद्धार हो सके।

मानननीय सभापति महोदय, अंत में हार्टिकल्चर, उद्यानिकी विभाग मेरा प्रिय विभाग है। गौरेला में लालपुर नर्सरी है जो इस प्रदेश में सबसे सर्वोत्तम नर्सरी है।

श्री मोहन मरकाम :- मेडम, बजट का विरोध भी कर रही हैं और मांग भी रहीं हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप विरोध में बोल रही हैं या मांग रहीं हैं।

श्री सौरभ सिंह :- विरोध भी कर रही हैं और मांग भी रही हैं, बजट तो सब 90 विधायकों का बजट है।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- मेरा नाम भी जोगी है, जोगी का काम ही है मांगना, देना या न देना पंडित जी के ऊपर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की भी गौरेला में लालपुर जो सर्वश्रेष्ठ नर्सरी है, वहां वर्तमान में कुछ राजनीतिक कारणों से तीन वर्ष पूर्व एक व्यक्ति अधीक्षक जो पास हुआ था, वह अभी वर्तमान में अधीक्षक है। वहां व्यापक अव्यवस्था है, कर्मचारी हड़ताल पर चले गये थे, मैं चाहूंगी कि उस नर्सरी के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारी की वहां पदस्थापना की जाये। पेन्ड्रा में पतगवां भी बहुत पुरानी नर्सरी संचालित है, कोटा विकासखंड में करगीकला में है, दुर्भाग्य यह है कि वह सबसे बुरी नर्सरी है, वहां भी आप कोई अच्छे अधीक्षक की पदस्थापना करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे विधानसभा से कटहल, मुनगा, जामुन आदि दिल्ली तक जाता है। मैं मशाले के बारे में बार-बार अनुरोध करती हूं कि वहां तेजपान के 500 पौधे तैयार करके वितरित किये और वह बहुत स्वस्थ हैं। मशाले की खेती के लिए भी उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी सूटेबल है, आप इस बारे में प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। केन्द्र की एक योजना कृषक भ्रमण प्रशिक्षण अध्ययन है, मेरे क्षेत्र के लोगों को आप अपना क्षेत्र साजा या डोंगरगांव के जो हमारे उन्नत किसान श्री दलेश्वर साहू जी बताते रहते हैं वहां का भ्रमण करायें तो उनका भी ज्ञानवर्धन होगा । जनसंपर्क राशि के बारे में हमारी महिला विधायक चर्चा कर रहीं थीं कि वर्तमान में 4 लाख है, प्रभारी मंत्री 50 हजार खर्च करते हैं और जब हम लोग आजकल क्रिकेट या नवधा रामायण जाते हैं तो 5-10 हजार से तो कोई कम लेता नहीं है तो यदि उसे बढ़ा सकें, कम से कम 10 लाख कर दें तो मैं उसके लिये अनुग्रहित रहूंगी ।

माननीय सभापति महोदय, विधायक चिकित्सक परिचर्या एवं उपचार के लिये हम लोगों को मात्र 10 लाख रूपये मिलते हैं । हम लोग मान लीजिये कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो सामान्य कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी के जो नियम हैं उसके द्वारा ही हम लोगों का रियेम्बर्समेंट होता है, जैसे जोगी जी के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अभी जून में चिकित्सा का बिल अभी भी मंत्रालय, जिला चिकित्सालय आदि के चक्कर खा रहा है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । जैसे लोकसभा या राज्य सभा में जब सांसद भर्ती होता है तो एक फॉर्म भर साईन करना पड़ता है और पूरी व्यवस्था आर्थिक यानी संचालनालय, लोकसभा या राज्य सभा करता है । कुछ ऐसी आपके कार्यकाल में व्यवस्था हो जाये तो यह हमारी विधानसभा के लिये बहुत ही अनुकरणीय होगा । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री शैलेष पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत साल बाद जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, जनता ने जो इतना बड़ा जनादेश दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, छत्तीसगढ़ की जो छवि है, हम लोग बचपन में जो किताब में पढ़ते थे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था यह छवि, यह पहचान पिछले 15 वर्षों से खत्म होती जा रही थी और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट ज्यादा दिखता रहता था जबकि यह हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं थी ।

माननीय सभापति महोदय, एक कृषि प्रधान बजट लाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ को वापिस यह पहचान दिलायी है इसके लिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । दूसरी बात जो मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बिलासपुर में पशु चिकित्सालय को जो एक बड़ा बजट दिया है, बिलासपुर में पशु चिकित्सालय की स्थिति पशुओं से भी बद्तर हो चुकी थी । मैं वहां के निरीक्षण में गया था और मैं वहां देखता था कि वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिससे वहां कोई व्यक्ति पशु को लेकर आये और चिकित्सालय में भर्ती करे और उसका उपचार होते हुए दिखे ऐसी स्थिति नहीं थी । वहां कोई रहने वाला भी नहीं था, बाहर के लोग आकर अंदर सेवा कर रहे थे लेकिन आपने उस पर दया की, पशुओं पर दया की और आपने एक अच्छा साढ़े 8 करोड़ का बजट दिया इसके लिये मैं पूरे विभाग का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । माननीय मंत्री जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । मैं मुख्य रूप से मछली पालन विभाग पर बोलना चाहता हूं ।

श्री मोहन मरकाम :- आप पंडित आदमी हैं और मछली पर बात कर रहे हैं ।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय सभापति महोदय, यह जनता से जुड़ा हुआ विषय है और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ विषय है इसलिये बोलना जरूरी है ।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज तो मंत्री हैं ।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय सभापति महोदय, यह बात कहना जरूरी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा प्रदेश रहा है, एक गरीब प्रदेश है और यहां की अधिकतम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आबादी जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और चूंकि यह नदी-तालाबों का प्रदेश है तो नि:संदेह यहां पर मछली पालन बहुत अधिक मात्रा में होता है । मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रदेश में आपने जब से आपने पदभार संभाला है, तब से आपने मछली विभाग में एक ऊर्जा भर दी है । वरना प्रदेश में मछलीपालन को लेकर कोई उत्साहजनक कार्य, पहले की सरकार में होता हुआ नहीं दिखा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में लगभग 2 लाख से ज्यादा हितग्राही मछली पालन विभाग के द्वारा लाभ उठा रहे हैं, उन्हें विभाग की योजनाओं का लाभ मिलता है । इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि मत्स्य पालन के लिए मत्स्य बीज का उत्पादन महत्व रखता है । इसमें अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए विलुप्तप्राय मत्स्य मांगुर के संरक्षण के लिए पांच मांगुर हैचरी की स्थापना की गई है । यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान है । इसके लिए हमारे प्रदेश में जो पंगेसियस मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी स्थापित की गई है । यह बहुत ही अच्छी चीज है इससे प्रदेश के बहुत ही आर्थिक लाभ होगा और इससे प्रतिष्ठा भी मिलेगी । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश से इस विभाग के माध्यम से केरल, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में ये सारी मछलियां भेजी जाती हैं । इसके साथ ही जो थाईलैंड की प्रजनक टेक्नालॉजी है इसके अंतर्गत मोनो सेक्स तिलापिया की पांच हैचरी का निर्माण किया गया है, यह भी बड़ी उत्साहजनक बात है । इससे भी प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा । साथ ही साथ बहुत सारे केज वगैरह बनाए गए हैं, ये भी अच्छी बात है । माननीय मंत्री जी जो आरएएस और आईपीए टेक्नालॉजी है, एक इजराइली टेक्नालॉजी है, एक चाइनीज टेक्नालॉजी है। इसके अंतर्गत जो प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें कि 15 टन तक उत्पादन किया जा सकता है । इसमें जो ग्रामीण लोग काम करते हैं उन्हें बहुत सहयोग प्रदान करता है, उन्हें लाभ मिलता है । इससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि इस विभाग को इसी प्रकार से उत्साहित रखने की जरूरत है । क्योंकि इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलता है और सरकार का बोझ भी अधिक नहीं आता है । मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं इसमें राज्य में नवीन मछुवा नीति बनाई जाएगी । राज्य में मत्स्य प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी, राज्य में मोनो सेक्स तिलापिया का निर्यात किया जाएगा। साथ ही राज्य में नवीन मोनो सेक्स तिलाफिया का निर्यात किया जाएगा । साथ ही मोनो सेक्स तिलाफिया की अतिरिक्त हैचरी की स्थापना की जाएगी ।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- जी सर । मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूं । मैं, माननीय मंत्री जी से अपनी ओर से भी निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों की जो जनसम्पर्क की निधि है, यदि उसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रतिमाह 1 लाख के हिसाब से 12 लाख रूपया किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, यह निवेदन है (मेजो की थपथपाह) सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । बिलासपुर की बहुत जरूरी बात है, बिलासपुर की अरपा नदी में जिस प्रकार की अव्यवस्था हो गई है । मैं चाहता हूं कि हमारे बिलासपुर को लेकर आप दया दृष्टि कीजिए । इसके लिए अरपा में बैराज और एनीकट की स्थापना होनी चाहिए ताकि हम अरपा का संरक्षण कर पाएं । सभापति महोदय, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जो खूंटाघाट से पानी लाने की जो तैयारी की जा रही है, जिसके लिए पाईप डाली गई है । इसमें मैं कहना चाहता हूं कि खूंटाघाट जलाशय की कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसलिए हमको अहिरन नदी से पानी लाना ही पड़ेगा । इसके लिए शासन को इसे जल्दी से जल्दी बनवाना चाहिए ताकि आने वाले 50 सालों के लिए हम सबको पानी की समस्या से निजात मिल सके । इस हेतु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिलासपुर में पानी की बड़ी समस्या आ रही है । सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद् ।

सभापति महोदय :- श्री विनय कुमार भगत जी।

श्री विनय कुमार भगत (जशपुर) :- मैं कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करने हेतु खड़ा हूं।

सभापति महोदय :- माननीय भगत जी, समय का थोड़ा ख्याल रखेंगे। 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे।

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना के साथ काम कर रही है। सरकार ने जनघोषणा पत्र में किसानों का कर्जा माफ करने का और कृषि उपज का उचित मूल्य देने का वादा किया था। इसी तारतम्य में जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण किये, 3 घंटे के अंदर उन्होंने किसानों के कर्जे को माफ किया है और तो और हमने वादा किया था 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों का धान खरीदा जायेगा और कांग्रेस की सरकार ने खरीदा और इसी का परिणाम यह हुआ कि 75 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लक्ष्य को पार करते हुए 80 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और हमारी सरकार की प्रमुखता से जो बातें आती हैं छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा पोषण बारी विकास हेतु 9 लाख का प्रावधान किया गया है ।

समय :
4:16 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जशपुर जिले में पलक टाइप यूनिट की स्थापना हेतु एक करोड़ का प्रावधान किया है और हमारे क्षेत्र में मरगा व्यपवर्तन नहर के रि-मॉडलिंग तथा लावा जलाशय निर्माण कार्य हेतु 50-50 लाख रूपये का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं तथा यह अनुरोध करता हूं कि यह राशि कम है। इसको बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारे जशपुर में सिंचाई के स्रोत पर कोई खास काम नहीं हो पाया है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि राजपुरी नदी विकासखंड बगीचा में सतखटिया के पास डेम सह नहर का निर्माण किया जाए ताकि किसानों की कृषि पैदावार बढ़े। कल्हण नाला में डेम सह नहर निर्माण किया जाए और सुलेसा नहर नाला में डेम सह नहर निर्माण किया जाए और हमारा जशपुर क्षेत्र नासपाती, लीची, मिर्च का बहुत बड़ा पैदावार का क्षेत्र रहा है लेकिन इसका समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि इसका समर्थन मूल्य निर्धारित हो और तो और हमारे पनरापात एरिया जो आलू के लिए जाना जाता है परंतु इसका समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। मैं यह मांग करता हूं कि हमारे पनरापात क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए ताकि किसान अपने उपज को अच्छी तरह से रख पायें और सबसे बड़ी बात हमारा जशपुर क्षेत्र चाय के लिए आजकल जाना जाता है। असम और दार्जिलिंग की जो क्वालिटी मिलती है वही चाय आजकल हमारे जशपुर में मिल रहा है। मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से यह गुजारिश करता हूं कि चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि दिया जाए ताकि इसकी पैदावार में वृद्धि हो सके और सबसे बड़ी बात हमारा जशपुर क्षेत्र टमाटर पैदावार के लिए जाना जाता है। पिछली सरकार ने टमाटर का उचित मूल्य देने के लिए नहीं सोचा। कोई समर्थन मूल्य लागू नहीं किया और आज परिणति यह हुआ था कि टमाटर को रोड पर फेंककर ट्रक व ट्रेक्टर से उसको कुचला गया तो मैं मांग करता हूं कि इसका समर्थन मूल्य माननीय मंत्री जी दें और सबसे बड़ी बात हमारा क्षेत्र विशेष रूप से छत्तीसगढ़ तो है ही हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान जो जिला है इसमें मैं यह मांग करता हूं कि हमारे जशपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि इसमें अच्छे से शोध होकर और जो भी पैदावार हो उसका उचित मूल्य एवं उसमें उचित कार्यवाही हो सके और बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का जो असवर दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के विद्वान, अनुभवी कृषि मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या-द 28, 29, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45 एवं 75 का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी, संवेदनशीलन किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत किया है। यह ऐतिहासिक बजट है। इससे छत्तीसगढ़ के 37 लाख 46 हजार किसानों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में 80 प्रतिशत लोग खेती-किसानी करते हैं। उसमें लगभग 76 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान हैं। वे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कैसे आगे बढ़े, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति जी, आज हम देखते हैं कि बजट में कृषि विभाग के 21,597 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट का डेढ़ गुना अधिक है। साथ ही साथ मैं पिछले 4 वर्षों का बजट देख रहा था। सभापति जी, वर्ष 2014-15 में 8,495 करोड़, वर्ष 2016-17 में 10,676 करोड़, वर्ष 2017-18 में 10,433 करोड़, वर्ष 2018-19 में 13,480 करोड़ रूपये का पिछली सरकार में बजट था, उससे डेढ़ गुना अधिक 21 हजार करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने की परिकल्पना वर्तमान सरकार ने की है, "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" की परिकल्पना की है, मानव संसाधन का ज्यादा से ज्यादा बेहतर उपयोग कैसे हो, इस बजट में परिलक्षित होता है। वरिष्ठ सदस्य आदरणीय चंदेल जी ने पानी और जवानी की बातें कहीं। माननीय सभापति जी, इसमें दोनों बातों का समावेश है। हम पानी का बेहतर उपयोग कैसे करें, नदी-नालों के पानी को रोककर सतही उपयोग कैसे करें, जवानी जो 19 हजार से अधिक गांव हैं, हर गांव से 10 युवकों को ट्रेनिंग देकर लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात इस बजट में आई है, उसमें सब समाहित हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय भी कम है, मुझे कहना तो बहुत कुछ था। लेकिन फिर भी जो मेन मुद्दे हैं, मैं उन बातों को कहूंगा। मैं श्रद्धेय पं0 श्यामाचरण शुक्ल, पं0 विद्याचरण शुकल को याद करना चाहता हूँ। जब उन्होंने मंत्री के रूप में, जल संसाधन मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े बांधों का निर्माण कराया है, आज उसी की परिणति है कि छत्तीसगढ़ में कृषि का रकबा इतना बढ़ा है। तो कहीं न कहीं उनकी देन का इस सदन में याद करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब उस समय लगभग 23 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा थी। आज हम 18 साल देखते हैं, उसमें 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें जो सरकारी आकड़ें हैं, 34 और 36 प्रतिशत सिंचाई सुविधा है। इनके कार्यकाल में 10-12 प्रतिशत ही सिंचाई सुविधा बढ़ी है। जबकि उनके जमाने में बजट में बहुत ज्यादा प्रावधान हुआ करता था। उसके बाद भी सिंचाई सुविधा नहीं बढ़ी है। माननीय सभापति जी, मैं जल संसाधन विभाग की बात कहूं। मानव जीवन में जल संसाधन का विशेष महत्व है। हम जल सम्पदा का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। कृषि, पेयजल, निस्तारी और उद्योग में जल का उपयोग होता है। सतही एवं भू-जल संसाधनों का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समुचित उपयोग कैसे हो, इसके लिए सरकार ने वृहद कार्ययोजना बनाई है। पूर्व पंचायत मंत्री पूंजीगत व्यय के बारे में कह रहे थे। जबकि नवीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए, सिंचाई योजनाओं के लिए 3 सौ करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट से कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई के रकबे के बारे में कह सकते हैं कि कम है। उसके साथ-साथ प्रदेश गठन के समय सिंचाई क्षमता 13 लाख 28 हजार हैक्टेयर का था और पिछले 15 साल में जो पिछली सरकार था, वह लगभग 20 लाख 60 हैक्टेयर सिंचाई की सुविधा वर्तमान में है। यह कहीं न कहीं कम है। पिछल सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि सन् 2028 तक उपलब्ध सतही जल से 32 लाख हेक्टयर रकबे में सिंचाई क्षमता का सृजन करेंगे । जब 15 सालों तक सरकार में रहने के बाद भी मात्र 13-14 प्रतिशत सिंचाई क्षमता बढ़ी है, वह कहीं न कहीं पिछली सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह बहुत ज्यादा थी । पिछली सरकार ने सिंचाई योजनाओं के लिए 2518 करोड़ रूपए और वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए 946 रूपए का प्रावधान बजट में किया था, उसके बाद भी बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा नहीं है । हम बस्तर की बात करते हैं, हम बस्तर से चुनकर आते हैं । आज बस्तर जिले में मात्र 4 प्रतिशत और मेरे जिले में मात्र 5 प्रतिशत सिंचाई सुविधा है, नारायणपुर में 1 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 1 प्रतिशत, कांकेर में 14 प्रतिशत, सुकमा में 1 प्रतिशत, बीजापुर में 6 प्रतिशत है । अगर आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं तो जांजगीर में जहां 78 प्रतिशत सिंचाई सुविधा है, रायपुर में 74, धमतरी में 67, दुर्ग में 63 प्रतिशत है तो कहीं न कहीं बस्तर के साथ पिछली सरकार लगातार भेदभाव करती रही है । इस कारण आज बस्तर के लोग सब कुछ चाहते हुए भी खेती-किसानी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आज बस्तर की जो भी समस्याएं हैं, जो यथावत् है । वहां के लोग, वहां के किसान खेती करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं तो वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि बस्तर में विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा । आज जो 1 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है तो कहीं न कहीं चिन्ता का विषय है । आज जांजगीर-चांपा में 78, रायपुर में 74 प्रतिशत सिंचाई सुविधा इतनी ज्यादा है तो बस्तर में सिंचाई सुविधा की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा । सभापति जी, मैं पिछले पांच सालों से मांग करता रहा, लेकिन पिछली सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन काम बजट में प्रावधानित भी किये थे, टेडमुंडा सह स्टापडेम सह पुलिया, कलिबेडा झरंडी स्टापडेम सह पुलिया, मसौरा छुई बेड़ा स्टापडेम सहपुलिया । ये काम बजट में भी आए, प्रशासकीय स्वीकृति भी हुआ, काम शुरू होना था, मगर पांच साल हो गए, मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन कामों को आप स्वीकृत कराएं । अभी पता चला है कि सरकार ने फिर से उस पर रोक लगा दी है, जो काम बजट में स्वीकृत हुए पांच साल हो गए, वह काम स्वीकृत होने चाहिए। साथ ही मसौरा छुईडोड़ा स्टापडेम सह पुलिया जो बीच में लटका हुआ है, ऐसा अधिकारियों का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कहना है । मैं चाहूंगा कि इसको भी आप स्वीकृति दिलवाएंगे । क्योंकि मैं पिछले वर्षों का देख रहा था तो 2018-19 में 332 करोड़ रूपए, 2017-18 में 330 करोड़, 2016-17 में 450 करोड़, 2015-16 में 523 करोड़ और 2014-15 में भी 440 करोड़ का प्रावधान किया गया था । आखिर ये पैसा कहां गया ? बजट में इतना प्रावधान होने के बाद भी हम लोग पांच सालों में दो-तीन काम मांगे, वह स्वीकृत हुआ, वह भी काम आजतक चालू नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं पिछली सरकार ने हम बस्तरवासियों के साथ जो भेदभाव किया । हम चाहेंगे कि हमारे कृषि मंत्री संवेदनशील हैं, वे उस ओर जरूर संज्ञान लेंगे और उसको करेंगे ।

मानननीय सभापति जी, लघु सिंचाई योजनाओं की बात जहां होती है, मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी का जवाब आया था । हमारे कोण्डागांव जिले में लगभग 85 हजार किसान हैं, उसमें लघु सिंचाई के माध्यम से मेरे प्रश्न के उत्तर में जानकारी आई थी कि 55 ग्रामों के 3232 किसानों को लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल रहा है । 85 हजार किसानों में मात्र 3232 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है । कहीं न कहीं ये चिन्ता का विषय है । जब हमारे बस्तर के कोण्डागांव जिले के किसान आगे खेती करना चाहते हैं तो सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और मैं सरकार के मुख्यमंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और मेरे जिले में 105 करोड़ का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत् उद्घाटन किया है, कहीं न कहीं स्वागतयोग्य है । मेरे जिले में 65 हजार किसान हैं, जो मक्का उत्पादन करते हैं । कहीं न कहीं उन किसानों को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। आज व्यपवर्तन की बात है, वर्ष 2011-2012 से चाहे बानगांव हो, मारनपुरी हो, भैंसाबेड़ा हो, कुचनार हो, चांदाबेड़ा हो, गोड़मानाला हो, जोबरा हो, बम्हनी हो, डिलमिली हो, छोटे बारनालाकोलया, वर्ष 2012 से स्वीकृत है । पिछली सरकार ने लगातार विधान सभा में हम लोगों को आश्वासन देते रहे कि हमने बजट में प्रावधान किये हैं और इन कामों को स्वीकृत करेंगे । माननीय सभापति जी, पांच साल निकल गये । पिछली सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भी 655 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया था, उसके बाद भी वर्ष 2011-2012 के इतने व्यपवर्तन बस्तर के लिए एक भी काम नहीं हुआ, जो कि कहीं न कहीं चिन्ता का विषय है । मैं आज माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप करीब से देखें, आपने मेरे क्षेत्र को देखा है । मेरी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, सचमुच में सरकार गंभीर है । बजट में जो चिन्तन-मनन कर रही है, आगे बढ़ाना चाह रही है । कुछ मांगे हैं, ग्राम ओटेंडा, स्टॉप डेम निर्माण । बासमीनाला, ग्राम पंचायत रांदना में स्टॉपडेम निर्माण, भंवरडीह, कोटवेल मंदिर के पास स्टॉपडेम निर्माण, गुडरानाला, ग्राम पंचायत, पीड़ापाल में स्टापडेम निर्माण, टेमरूखड़का कालीबेड़ा, नारंगी नदी पर स्टॉपडेम निर्माण करना चाहेंगे । माननीय कृषि मंत्री जी, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ । माननीय सभापति जी, इसके साथ-साथ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पशुपालन की बात है, कहीं न कहीं आज जो गरूवा की बात हो रही है, जो हम लोग हिन्दू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिये हैं, कहीं न कहीं उसके संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए, सरकार लगातार हर विधान सभा में लगभग 20-30 लगभग जो गोठान बनाने का निर्णय लिया है, कहीं न कहीं स्वागत योग्य है । इससे पशुधन का विकास होगा । हम लोग दूसरे प्रदेशों से दूध आयात करते हैं,
छत्तीसगढ़ से पशुधन के विकास से हमको दूध मिलेगी । इसके साथ-साथ आज हम देखते हैं कि प्रदेश में 98 लाख 12 हजार 868 गाय है, भैंस 13 लाख 90 हजार, 183, बकरी 32 लाख 24 हजार 708, इस ढंग से कई जो पशुधन है, उसके माध्यम से अतिरिक्त आय, हमारे कृषक भाईयों को, हो सकता है। माननीय सभापति जी, आज हम देखते हैं कि मछलीपालन की बात होती है, कई बांध है, कई तालाब हैं, इसके माध्यम से भी मछली पालन किया जा सकता है और हमारे किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकेगा । माननीय सभापति जी, आज हम देखते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में या हमारे बस्तर में मछली चाहिये तो वह कलकत्ता और विशाखापटनम से आता है । कहीं न कहीं अगर मछली उत्पादन होगा, यहां के कृषकों की भी अतिरिक्त आय होगी, इसके साथ-साथ जो उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में जो 419 मत्स्य सहकारी समितियां है, उनको भी कहीं न कहीं उसका लाभ मिलेगा । लगभग 22 लाख हमारे जो मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले भाई हैं, उनको भी उसका लाभ मिलेगा । माननीय सभापति जी, उद्यानिकी की बात है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए उद्यानिकी फसलों के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा फल, सब्जी, मसाला के साथ पुष्प औषधि एवं सुगंधित पौधों का विकास कर सकते हैं, मानव संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकता है । माननीय सभापति जी, आज हम देखें कि लगातार कहीं न कहीं जो बातें आ रही है, उन बातों को हम लोग विशेष ख्याल करेंगे । पिछली सरकार ने, केन्द्र सरकार ने, नदियों को जोड़ने की
अत्यन्त महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी एक योजना बनाई थी । पांच साल हो गया है, केन्द्र सरकार ने एक भी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया है । पिछली छत्तीसगढ़ की सरकार हो या वर्तमान केन्द्र की सरकार हो, नदियों को जोड़ने की जो बात है, बड़ी-बडी परिकल्पना जो की थी, वह भी संभव नहीं हुआ है । वर्तमान सरकार नदियों को, नालों को, पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लिया है । नरवा, नदियों को जोड़कर सतही जल का उपयोग हम बेहतर कैसे कर सकें, उसका उपयोग करने के लिए वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है, कहीं न कहीं उसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति जी, हम देखते हैं कि आदरणीय जो बातें कह रहे थे, हमने देखा है कि पिछली सरकार अक्सर उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था करती थी मगर किसान जब भी पानी मांगते थे उनके ऊपर डंडे बरसाये जा रहे थे और उनके आंदोलन को कुचला जाता था। मगर वर्तमान सरकार ने एक वृहद कार्ययोजना बनायी है ताकि हमारे किसानों को कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध हो। हम सी.ए.जी. की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रिपोर्ट देख रहे थे। हम पिछले सत्र में लगातार आवाज उठाये थे कि किसानों को बीज निगम के माध्यम से घटिया खाद, बीज का वितरण किया जा रहा है। आज कैग की आडिट रिपोर्ट आई है जिसमें 32 हजार करोड़ रूपये का बीज निगम में घोटाला बताया जा रहा है। यह हमारी बात नहीं है बल्कि कैग की रिपोर्ट है। कहीं न कहीं पिछली सरकार के संरक्षण में बीज निगम में घटिया बीज, अंकुरित बीजों का वितरण किया गया है। पिछली सरकार किसानों के साथ लगातार धोखा करती रही है। पिछले मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में अन्नदाता सुखी भव कहा था, मगर बीज निगम के माध्यम से लगातार किसानों को ऐसे बीज वितरित किये जा रहे थे जो अंकुरित भी नहीं होते थे। हमने प्रश्न के माध्यम से भी इन बातों को लगातार उठाया था। आज उद्यानिकी विभाग में लगभग 100 करोड़ रूपये का खरीदी घोटाला हुआ है। डी.बी.टी. की जगह एक ही पते वाली तीन फर्मों में आदान सामग्री पिछली सरकार ने खरीदी थी। पिछली सरकार में कृषि विभाग में जो लगातार गड़बड़ियां होती थीं, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज छत्तीसगढ़ के 37 लाख 46 हजार किसानों का भला करना है तो पारदर्शिता के साथ किसानों के हित में निर्णय लें। किसानों को सही खाद, बीज मिले, उनको शासन की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले ये मेरा निवेदन है। आज हम देखें तो छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार सोच के साथ काम कर रही है और आज हमें विशेष ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। आज सरकार जो नई परिकल्पना गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ आगे बढ़ रही है उसमें छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी और अनुभवी कृषि मंत्री जी का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय के वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग में मछली पालन विभाग की मांग संख्या 16 का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मछली बीज उत्पादन के संबंध में वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसके संबंध में बात करना चाहूंगा। राज्य में मत्स्य बीज की आपूर्ति में इस बार छत्तीसगढ़ देश का छठवां राज्य है जहां मत्स्य बीज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ समृद्ध हुआ है। राज्य गठन के बाद जहां 25 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन हो रहा था आज वर्तमान में 249.10 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन हो रहा है। साथ ही 41 नवीन सर्कुलर मत्स्य बीज हेचरी की स्थापना भी की गई है। वर्तमान में कुल 74 हेचरी मत्स्य बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध है। राज्य से अन्य राज्यों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश को भी मछली बीज का निर्यात किया जा रहा है। जिस प्रकार राज्य में प्रमुख तिलापिया जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में तेलबिया बोलते हैं, उस मछली का 10 टन प्रति हेक्टेयर एवं 70 टन प्रति हेक्टेयर मंगेशियस जिसको पंकाज बोलते हैं उसका उत्पादन किया जा रहा है। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और सम्माननीय

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिकारीगणों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने मांगूर और मंगेशियस के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इनके उत्पादन में बढ़ावा देने की बात की तो मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ में देशी मछली की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं । मछली का नाम पता है, लेकिन आजकल देखने को नहीं मिलती ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, आज कल वो देशी वाली ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, अगर अधिकारी बैठे हैं, संबंधित अधिकारी से अगर पूछना चाहूंगा कि मोहगीर क्या है

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- सभापति महोदय, वह स्वादहीन और अच्छी नहीं लगती है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, माननीय मंत्री जी एवं अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि डरई और मोहराली क्या है तो वे नहीं बता पाएंगे । छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया मछली हैं । डरई, मोहराली, सरांगी, कोतरी, टेंगना, रूदनी, बांबी, खोकसी, सितहा, बिजलू, यह बहुत स्वादिष्ट और शरीर के लिये बहुत ही उपयोगी है । तो मैं सम्माननीय अधिकारीगण से भी चाहूंगा कि इसकी प्रजातियां गांव में आज भी बहुत सी जगहों पर पाई जाती हैं, उसमें केवल संरक्षण और संवर्धन की बात है । अगर हम उसमें पहल और कोशिश करें और हर गांव में आप चिन्हांकित कर लीजिए, एक छोओी से डबरी से शुरूआत कीजिए । नाला में मछली डाली जाती है, लेकिन देशी नहीं पाई जाती क्योंकि पहले वर्षा ऋतुकाल के समय गांव में जब पानी गिरता था तो नदी के मुहाने के हिसाब से गांव में कच्ची नालियां होती थी, अब तो पक्की नाली के कारण सीध स्त्रोत नाले में जाकर गिर रहा है । गांव में जब वर्षा का पानी तालाब में जाता था तो हम लोग रात में जगते थे । जब मछली आ जाती थीं तो रात में पकड़ने के लिए जगते थे ।

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- सभापति जी, निषाद जी, ये मछली आपको नरूवा में दिखेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, रात में जगते थे तो लंबी लाईन होती थी और पूरा मछली उस लाईन में जो कि चढ़ते रहते थे, तो हम लोग बीच बीच में ग्रुप बना के, सभी तो नई पकड़ सकते तो 10-10 का ग्रुप बना के एक एक ग्रुप में हम लोग बैठते थे। आधा मछली उसका, आधा मछली उसका लेकिन आज लगभग 15, 20 साल से मैं ये परंपरा नहीं देख रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी की बात बोले हैं, नरूवा की संरक्षण की बात तो आज नदी के किनारे बहुत से मछुवारे परिवार जो आज भी निवासरत हैं। छोटे-छोटे नदी मुहाने की तरफ मेरे तो बहुत ज्यादा है, बालोद के इस पार, खरखरा जलाशय से लेकर तांदुला जलाशय तक इधर शिवनाथ नदी के मुहाने तक, आज बहुत से मछुवारे हैं लेकिन गंदगी के कारण सारे नरूवा, नदी, लाले सब पट गये हैं। सीधा सीधा छत्तीसगढ़ी में कहावत उथला गेहे। माड़ी भर नई हे, ज्यादा पानी नई हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- सभापति जी, मछली के बारे में जितना बोलोगे महराज को क्या मालूम है कि उसका टेस्ट क्या है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, सब जानत हे, महाराज जी मोला सब पता हे। भले नई खावत होही लेकिन सब ला जानथे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा और सम्माननीय विधायक जी, मेरे पास मोहन केरकेट्टा जी की भी एक बात आई थी कि बांगों बांध और खूटा घाट के आस पास के मछुवारा समुदाय के लगभग जितने भी मछुवारा परिवार हैं, जिनकी जमीन आज उसस बांगो बांध और खूटा घांट में डूबान क्षेत्र में चला गया है न आज उनको विस्थापित किया गया है और न उनको कोई रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आज वो सारे मत्स्य कृषक दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कानपुर सारे जगह कमाने खाने चले गये हैं, अगर उनमें से कुछ परिवार वहां मत्स्य करने आते हैं तो वहां उनको बांध के तट पर घूसने भी नहीं दिया जाता, सारे अधिकारीगण उनको भगा देते हैं। आज मैं सदन में बोल रहा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है बोलने में, सारे अधिकारी लोग बैठे हैं, और अगर ऐसी कोई बात होती....।

सभापति महोदय :- आप माननीय मंत्री जी को संबोधित करके कहें, अधिकारियां का जिक्र न करें न, उसको आप नहीं कर सकते। केवल माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद -: सभापति जी ,क्योंकि उनके द्वारा उनको मना किया जाता है ,तालाब में आपने के लिए ,बांध में आने के लिए तलहटी के क्षेत्र में आने के लिए ,अगर आ भी जाते हैं तो उनके जाल को उनकी सामग्री को पकड़ के जप्त कर लिया जाता है। उनको भगा दिया जाता है। उनके बारे में आज तक ऐसी कोई योजनाएं नहीं है, जो अपने परिवार की आजीविका और भरण पोषण कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उनके बारे में सोचें, क्योंकि उनकी पूरी जमीन चली गई है और आज वो दर दर के भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया है, उनका खामियाजा वो पीड़ित परिवार आज भी भुगत रहे हैं। 15 साल से उसको झेल रहे हैं। आज जो मत्स्य कृषक जिनका उस बांध में अधिकार है न उनको आज तक पंजीकृत सोसायटी को मिल पाया है न मछुवा समूह को मिल पाया है न मछुवा व्यक्ति को उनका लाभ मिल पाया है। बाहरी को ठेका दे दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इसकी विभाग स्तरीय समीक्षा कीजिए कि जितने भी तालाब और बांध छत्तीसगढ़ में जो ठेका के द्वारा दिया गया है, उन सारी प्रक्रियाओं को निरस्त करते हुए संबंधित उस क्षेत्र के जितने मछुवा सहकारी समितियां हैं या मछुवा समुदाय के लोग हैं या जो मछुवा व्यक्ति हैं, उनको इनका लाभ दिया जाये। क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूं। मैं बालोद जिले की बात बता रहा हू, शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं। हम कागज में बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं । पिछले 15 सालों की जो योजनाएं हैं, मैंने उनको देखा, पढ़ा भी है और आत्मसात किया है। उसके बाद अभी आपने जो योजनाएं चालू की हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो शासन स्तर पर स्वीकृत हैं वह बहुत ही कारगर सिद्ध हुई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों से बालोद में जो कृषकों को लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया है। कृषकों के लिए जो जाली, बोट और मोटर साईकिल देने की बात हुई थी, लेकिन आज तक बालोद जिले के मत्स्य कृषकों को नहीं मिल पाया है और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार की बात होती है, सम्माननीय मंत्री महोदय जी, राज्य स्तर पर एक पुरस्कार दिया जाता है जो मछली बीज उत्पादन करने में कृषकों को दिया जाता है। इससे बड़े-बड़े कृषक लाभांवित हैं। जैसे वर्ष 2015-2016 में मुस्ताक खान को दिया गया है, वर्ष 2016-2017 में सारेन्द्र बघेल को दिया गया है, वर्ष 2017-2018 में एक ही बार यशवंत केवट को मिला है, उसके पहले जितने भी लोगों को मिला है, ये सब व्यापारी हैं, बाहर के लोग हैं जिनको दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कि कृषक को दिया जाना चाहिए। अगर आप छोटे-छोटे मत्स्य कृषक को प्रोत्साहित करेंगे, अगर एक डबरी से लेकर 10-20 क्विंटल तक उत्पादन करता है अगर आप पुरस्कृत करेंगे तो हो सकता है कि अगले दो तालाबों में, उसके पास 40, 50, 100 क्विंटल तक उत्पादन कर सके। छोटे-छोटे मत्स्य कृषक जो इस व्यवसाय से जुड़े हों, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम इसमें जिसका व्यवसाय, धंधा, रोजी रोजगार है, उन पर ध्यान देकर, कम से कम मछुआरों के हित में एक बार सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रही बात मछली नीति की बात तो मैंने पिछले पूर्ववर्ती सरकार का 15 सालों का दंश कहा है पट्टा वितरण में विसंगति हुई है। जहां पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति है वहां भी ठेका पर दे दिया गया है। विसंगति यह है कि मछुआ समुदाय, मछुआ समूह को छोड़कर, बहुत से ऐसे समूह हैं जो पंजीकृत हैं उनको भी दे दिया गया है। इसमें थोड़ा संसोधन करने की जरूरत है। एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मछली नीति में एक बार पुनर्विचार करके, इसमें संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है और साथ ही मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मत्स्य बीज के उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन करने के लिए हमारे बालोद जिले में जितने भी बांध, आसपास ऐसे बहुत से बांध हैं। बालोद जिले में तांदुला, खरखरा, गोंदली हैं ये शिवनाथ नदी के आसपास है इसको अगर कैच कल्चर के माध्यम से स्थानीय मछुआरों को दे दिया जाए तो कहीं न कहीं उनके परिवार का भरण पोषण होगा। उनमें भी ये जागृति आएगी कि हम लोग खुद प्रोड्क्शन कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बाहर से जितने भी कैच कल्चर चल रहे हैं उसमें बाहर से लोग आकर कर रहे हैं। लगभग कलकत्ता से आकर कर रहे हैं। जितने भी बंगाल के लोग हैं वे कैच कल्चर के लिए, उनको स्पेशली अधिकृत कर दिया गया है और वही लोग चाहे वह खूंटाघाट में हो, चाहे हंसदेव बांगों में हो, चाहे जहां भी बड़े-बड़े बांध हैं वहां जितने भी हैं वहां वे सारा उन लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि आप लोग जब छत्तीसगढ़ के मछुआरों को 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते हैं उनका प्रशिक्षण केवल 1250 रूपये मानदेय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देने तक या 500, 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दे दिये, उसके बाद चले गये, उसके बाद उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। केवल प्रशिक्षण लेते हैं और जाकर तरिया, नदिया में झोली, फांदा मारते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं तो आप उनको कम से कम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो प्रशिक्षित कर रहे हैं तो उसका लाभ भी तो मिलना चाहिए। उस स्तर पर उनकी बातें होनी चाहिए और मैंने सम्माननीय से कहा कि पंकाज और मांगूर के ऊपर आप लोग जितना प्रयोग कर रहे हो, इस बार शुरूआत छत्तीसगढ़ में सरकार हमारी जो बनी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विभिन्न प्रजाति है जो शरीर के लिए लाभदायक है, ऐसी बहुत सी मछलियां है।

सभापति महोदय :- निषाद जी, कृपया समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट और बोलना चाहूंगा। उस पर विचार होना चाहिए और एक चीज और है कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य महानिकी महाविद्यालय है, उसमें मछुआरा समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा अधिग्रहण करने के लिए, अगर उन लोग चाहते तो कम से कम 30 प्रतिशत सीट उनके लिए आरक्षित होना चाहिए ताकि वे मछुआ समुदाय से जुड़े बच्चे हैं। अगर वे उच्च शिक्षा अर्जन करेंगे तो कहीं न कहीं उनके परिवार को उनकी सेवा का लाभ मिलकर, उनके समुदाय को भी मिलेगा। मैं भी उस समुदाय से बिलांग करता हूँ तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे समुदाय के बच्चे आज उच्च शिक्षा ग्रहण करके, उस क्षेत्र में जाकर, मछुआ, मछुआरों, समुदाय के बारे में मत्स्य महानिकी महाविद्यालय में पढ़कर उनके बारे में सोंचे तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे कोई बेहतर सोच नहीं पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही राज्य में मछुआ कल्याण बोर्ड के नाम से जो संस्था बनायी गई है, उसके माध्यम से आज मछुआरों की नीति के बारे में संसोधन की बातें हो रही हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसमें भी एक बार पुनर्विचार होना चाहिए । पिछली सरकार के समय राज्य में मत्स्य महासंघ के चुनाव हुए, उसमें दो-तीन सदस्य मनोनीत किये गये थे, उनको हटाकर के मछुआ समुदाय के लोगों को भी प्राथमिकता मिलना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि विसंगति बहुत है लेकिन यदि मछुआ नीति में संशोधन कर दिया जाये, मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक 8-10 लोगों की समिति बनाकर जो मछुआ नीति, मछली व्यवसाय के बारे में जानते हैं, उन लोगों को प्रमुखता से बुलाकर, उस समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर, यहां सदन के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उनको बुलाकर एक समिति का गठन होना चाहिए, उसके बाद एक संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए, सभापति महोदय, यह बात मैं सदन के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर (महासमुन्द) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग की अनुदान मागों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के समस्त किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों का कर्ज तत्काल माफ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं एक किसान के बेटे हैं, किसानों की पीड़ा को बखूबी समझा और किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। चाहे वह कृषि ऋण की माफी हो या नहर पानी की राशि हो, सभी राशियों मे किसानों को ऋणमुक्त करने का साहस यदि कोई दिखाया है वह माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। किसान आज खुशहाल हैं एवं छत्तीसगढ़ शासन के वर्तमान में लिये गये ऋण मुक्ति के फैसले से गदगद हैं। यहां तक कि किसानों की फसल धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये से खरीदी प्रारंभ की गई जिसमें समयावधि तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान की लक्ष्य से ज्यादा खरीदी की गई। इसी का परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में किसान अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में लाखों रुपये भेट कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे ही विधानसभा के किसानों ने एक दिवस में लगभग 5 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में माननीय मुख्यमंत्री को भेट किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले ज्वेलर्स लाईन में ज्वेलरी खरीदने गया था। उनका कहना था कि आपने हमको दिवाली जैसा मार्केट दिया है। इसका कारण है कि आपने किसानों का जो 2500 रुपये में धान खरीदे हैं और कर्ज माफ किये हैं, उससे किसानों के पास पैसा आया और वह मार्केट में दौड़ रहा है, लोग अपना दो साल का गिरवी रखा सोना भी छुड़वा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। व्यापारी भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं और छत्तीसगढ़ की समस्त जनता इस फैसले से खुश है। माननीय कृषि मंत्री जी भी एक कृषक हैं, वह किसानों की समस्याओं से भलीभांति अवगत हैं। अभी तक जो निर्णय लिये जा रहे हैं, वह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं जिससे किसान संतुष्ट हैं और आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में किसानों के लिए जो योजनायें संचालित की जा रही थीं, वह किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थीं, अधिकारी उनके आकाओं का केन्द्रीकरण करके योजनाओं की राशि का बंदरबाट कर लेते थे जिससे किसान निराश और हताश थे। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का लाभ सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं तक ही सीमित रह जाता था, किसान केवल आस लेकर बैठा रहता था। यही वजह थी कि किसान कर्ज तले दबकर आत्महतया के अलावा और कोई रास्ता नहीं होने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे, फिर भी पूर्ववर्ती सरकार के कानों तक किसानों की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। पूर्व की सरकार के द्वारा फसल बीमा की प्रीमियम राशि किसानों से ली गई, लेकिन फसल खराब होने के बाद किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई। यदि किन्हीं किसानों को दिया भी गया तो मजाक स्वरूप 100 रुपये या 200 रुपये की राशि दी गई। फसल बीमा प्रीमियम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की राशि केवल बीमा कंपनियों के फायदे के लिए किसानों से ली जा रही थी और जबरदस्ती उनके खाते से राशि काट ली जाती थी।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को सिंचाई हेतु बिजली लगातार प्रदाय की जायेगी एवं आवेदन देने पर सरलता से विद्युत कनेक्शन किसानों को दिये जाने की पहल हमारी सरकार ने की है। 5 एच.पी. तक पंपो कों बिल मुफ्त किया गया है, यह हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की मंशा किसानों के संपूर्ण हितों को सुरक्षित करने की है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी जो अपनी कार्यप्रणाली को बदल नहीं पायें हैं उन्हें सरकार की मंशा अनुरूप कार्य करने की पहल की आवश्यकता है । मेरे जिले महासमुंद में उपसंचालक कृषि के पदस्थ अधिकारी जिनकी कार्यप्रणाली से जिले के किसान त्रस्त हैं । इन अधिकारी के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उक्त अधिकारी के द्वारा बिना नियम, कायदे एवं प्रक्रिया के पालन के बिना अपनी मर्जी से स्वहित को ध्यान में रखकर कृषि उपकरण एवं कृषि से संबंधित वस्तुओं का क्रय किया जा रहा है । आदरणीय सभापति महोदय, ऐसे अधिकारियों के ऊपर नियमत: कार्यवाही की जानी चाहिए तभी किसान हित में आवश्यक होगा नहीं तो सरकार की अच्छी योजनाएं एवं किसान हित का लाभ किसानों को न मिलकर अधिकारी को ही लाभ मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि पॉली हाऊस के नाम पर जो लगभग 15 लाख का प्रोजेक्ट होता है अगर मार्केट से खरीदें उसको 65-65 लाख तक किसानों को ऋण देकर उस पॉली हाऊस का लालच दिखाया गया और आज जो किसान पॉली हाऊस लगाये हैं वे कर्ज तले दबे हुए हैं, छूट के नाम पर खुली लूट मची हुई थी । मैं मार्केट में स्प्रिंकलर लेने जाता था तो उसकी 350 रूपये में खरीदी पड़ती थी । अगर मैं 50 परसेंट अनुदान के नाम पर विभाग में जाता था तो वह लगभग पौने 700, 700 रूपये में खरीदी पड़ती थी तो यह छूट के नाम पर खुली लूट मची हुई थी । किसानों को प्रोत्साहन के लिये बीज वितरण किया जाता था लेकिन वह बीज जो उसके वास्तविक हकदार हैं, जो निर्धन किसान हैं उनको न देकर बड़े-बड़े मालगुजारों तक पहुंचा दिया जाता था और यह मात्र दिखावा भर था इससे किसानों का कोई भला नहीं होता था । मैं आदरणीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां कोडार जलाशय है उसमें टेल एरिया तक पानी पहुंच नहीं पाता है, उसमें पीचिंग कार्य की आवश्यकता है, अगले बजट में जोड़ने की कृपा करेंगे । इसके साथ ही हमारे यहां बहुप्रतीक्षित नैनी नाला प्रोजेक्ट है जो अभी अधूरा है, जो शुरू नहीं हो पाया है, सर्वे का काम शुरू है उसको जल्दी से जल्दी प्रारंभ करने की कृपा करेंगे । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव - XX XX

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री विकास उपाध्याय - XX XX

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-13 कृषि विभाग के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की पहचान चूंकि हर प्रदेश की अपनी-अपनी एक पहचान होती है लेकिन धान के कटोरा के रूप में समूचे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान है । 15 सालों में सरकार की व्यवस्था ने छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा की छवि को किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलने की वजह से किसान कर्ज में लद चुके थे जिसके चलते छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे थे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही पहला हस्ताक्षर उन्होंने किया है तो किसान का कर्ज माफी और 2500 दाम की धान खरीदी की । उनके द्वारा 2 घंटे के अंदर यह निर्णय लिया गया जिससे छत्तीसगढ़ के समूचे किसान बहुत ज्यादा खुशमय हैं, इस तरह से खुशमय हैं जैसे कि अयोध्या नगरी में 14 साल बाद भगवान राम की वापसी से अयोध्या नगरी में जैसे खुशी का माहौल था, आज 15 साल के बाद की वापसी में छत्तीसगढ़ के किसानों में वैसा ही माहौल है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि केवल छत्तीसगढ़ के किसान नहीं बल्कि मैं खल्लारी विधानसभा क्षेत्र का, मेरे क्षेत्र से उड़ीसा राज्य लगा हुआ है । उड़ीसा राज्य के किसान भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी की सराहना कर रहे हैं । उड़ीसा के किसान भी धन्यवाद दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के हित में व्यापक निर्णय लिया है और 10 हजार से ऊपर कर्जा माफी और 2500 रूपये के दाम में खरीदने वाली शायद देश में यह पहली सरकार है ।

समय :
5:00 बजे

सभापति महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे कृषि विभाग के मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी ने अपने समय पर खेती किसानी की है और विद्वान व्यक्ति हैं, जिनके ज्ञान का समुचित लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा और उनकी आय को दुगुनी करने में उनकी योग्यता और उनके ज्ञान का लाभ समूचे किसान भाईयों का मिलेगा । सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने किसानों को कैसा छला है, यह बात सर्वविदित है । 2 साल का बोनस आज भी, पूर्व सरकार द्वारा किसानों को नहीं दिया गया है । बोनस के नाम पर किसानों को जगह-जगह इकट्ठा किया जाता था । कभी दिवाली में बोनस दिए जाने की बात होती थी, तो कभी ब्लॉक मुख्यालय, तो कभी जिला मुख्यालय में बुलाया जाता था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पूर्व की सरकार ने बिजली विभाग में सब्सिडी खत्म कर दी थी, जबकि हमारी सरकार ने किसानों का बिजली बिल हाफ करने की नीति लाई है, जिससे किसान बहुत ज्यादा खुश हैं । चूंकि मैं सदन में पहली बार बोला हूं, कहीं भूल हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं । सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग संख्या 13 पर मैं चर्चा करना चाहती हूं एवं मांग संख्या 28, 29, 13, 14, 16, 54, 23 40, 45, 75 पर समर्थन देती हूं । सभापति महोदय, जब से हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है और धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपया दिया है । तब से हम जहां भी जाते हैं तो हमारे किसान सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं । हम जहां भी जाते हैं, हमारे किसान हर्ष व्यक्त करते हैं । सभापति जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि विगत् कुछ वर्षों में राज्य के कृषकों की स्थिति में सुधार तो हुआ है किंतु कुछ क्षेत्रों में बहुत दयनीय स्थिति थी । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2015-16 में अल्प वर्षा और भूरामाहू के प्रकोप से किसानों की धान की फसल नष्ट हो गई थी जिसके कारण किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ थे । मैं बताना चाहूंगी कि प्रदेश में कई किसानों ने आत्महत्या की थी, उनमें सबसे ज्यादा संख्या संजारी बालोद विधान सभा के किसानों की थी, वहां 5 किसानों ने आत्महत्या की थी, जो सर्वाधिक संख्या थी । साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है । जैसे भूरामाहू का प्रकोप होने से उसे प्राकृतिक आपदा न माना जाना । किसानों की फसल को हल्के रूप में आनावारी की जाना । इन नियमों में सुधार की आवश्यकता है । हमारी सरकार ने किसानों के 5 एचपी तक के पम्पों को नि:शुल्क बिजली प्रदाय किए जाने हेतु बजट में 2164 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है । जिससे किसानों को की लागत कम होगी एवं लाभ में बढ़ोतरी होगी । बहुत से कृषक ऐसे हैं जो दूसरे के खेतों को रेघा, कट्टू, अधिया लेकर अपनी आजीविका चलाते हैं । मेरा निवेदन है कि ऐसे भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए विशेष कदम उठाए जाएं । साथ में गंगरेल, तांदुला लिंक नहर के बारे में वर्ष 2018-19 के मूल बजट में 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली थी । अत: मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रशासकीय स्वीकृति दे दी जाए। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सी.एम. जी को साथ में हमारे सदन के सभी आदरणीयजनों को, साथ में हमारे मंत्रिगणों को धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें। माननीय डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

श्री मोहन मरकाम :- एक और हैं। अनिता योगेन्द्र शर्मा।

सभापति महोदय :- हां। खैर बाद में। बाद में। माननीय डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कृषकों के लिए जो समर्थन दिया और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी और हमारे कृषि मंत्री सम्माननीय रविन्द्र चौबे जी ने बजट के अनुसार कृषि मंत्रालय के जितने भी विभाग हैं उसके लिए जो नियम बनाये हैं और उसको क्रियान्वित करेंगे, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। मैं सबसे पहले विधायी विभाग के बारे में अपना समर्थन देना चाहूंगी। क्योंकि अभी 39 विधायक नये चुनकर आये हैं और हमारे माननीय मंत्री जी ने कार्यपालिका के ऊपर कैसे नियंत्रण लगाना है, इसके बारे में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया और प्रबोधन कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को जो प्रशिक्षण दिया और उसके लिए प्रशिक्षण से संबंधित जो बजट रखा है और क्रियान्वयन कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं और इसका समर्थन करना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कृषि विभाग के बारे में कहना चाहती हूं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित हुई, इसके पहले किसी भी सरकार ने कृषकों के उत्थान के लिए कभी कोई बहुत बड़ी नीति नहीं बनाई है। हमारी जो पार्टी है वह समझ रही थी कि कितना कृषकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और किसान बेहाल निराश जीवन जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको समझा है और कृषकों के उत्थान के लिए, कृषकों की समृद्धि के लिए किसानों का कर्जा माफ किया है और धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं और छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी इसके बारे में वृहद योजनाएं 5 पंचायतों का सलेक्शन किया है मॉडल के रूप में और इसमें मैं एक सम्मलेन में गयी थी एग्रीकल्चर उसमें सभी किसान बहुत खुशी से उसे स्वीकार रहे थे और ये योजनाएं यदि कार्यरूप होंगी तो यह कितना अच्छा गांव होगा। इसकी कल्पना करके सब लोग खुश हो रहे थे कि हमको नि:शुल्क में खाद मिलेगा। रासायनिक खाद का प्रयोस छोड़ना पड़ेगा और हमारी जो फसल है जिसकी वृद्धि होगी, इसके बारे में सब लोग खुशी से इजहार कर रहे थे लेकिन मैं इसके बारे में अपना विचार यह रखना चाहूंगी । क्योंकि जो पिछली सरकार है उन्होंने बीज देने की जो नीति है, जब टाइम निकल जाता था तब बीज मिलता था। किसानों के अनुरूप बीज नहीं मिलता था। इस कमी को हमारे कृषि मंत्री दूर करेंगे और इसके साथ ही साथ जो खाद मिलता था वह प्रत्येक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बोरी 50 के.जी. का लेकिन पिछले 15 वर्षों की जो सरकार थी उस खाद की बोरी में 5 किलो कम मिलता था, जिससे किसान दुखी थे तो इस कमी को हमारे मंत्री जी दूर करेंगे और जल संसाधन विभाग के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि विभाग का मूल दायित्व प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास कर अधिक से अधिक कृषकों तक सिंचाई का लाभ देना है निस्तारी के लिए, उद्योग के लिए और जल ही जीवन है । जब छत्तीसगढ़ बना था, तब 13 लाख 28 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता थी और वर्तमान में यह बढ़कर 21.02 लाख हैक्टेयर हो गया है। 2019-20 में कुल बजट 2,872.81 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए 616.48 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 237.70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। क्योंकि हमने किसानों की इतना बड़ा कर्ज माफ किया, लेकिन फिर भी प्रदेश का विकास करने के लिए इस ओर सरकार का ध्यान गया है। तो मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए 207.26 करोड़ जलकर छूट दिया गया है, यह भी सराहनीय है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। सिंचाई योजनओं का निर्माण के तहत 8 वृहद, 38 मध्यम और 2430 लघु सिंचाई योजनाएं एवं 712 एनीकेट डेम का निर्माण किया गया है। निर्माणाधीन में 4 वृहद, 398 सिंचाई योजनाएं लागू होंगी और 141 एनीकट डेम बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि राज्य का जो बजट है, उसके अलावा सिंचाई क्षमता की वृद्धि के लिए मैं नाबार्ड का उल्लेख कर रही हूँ। क्योंकि मेरा क्षेत्र नाबार्ड के तहत है। वर्ष 1995-96 में योजना लागू हुआ था और 17 चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। 2020 में 57 नवीन कार्य हेतु सौ करोड का प्रावधान है। मैं जल नीति का भी समर्थन करती हूँ। क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसमें सुरही नदी को सलेक्ट किया गया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए 10 करोड़ के बजट का प्रावधान है। मैं भूमिगत पाईपलाईन का भी समर्थन करती हूँ। क्योंकि किसानों की जमीन लेने से मुआवजा अधिक देना पड़ता है। इससे मुआवजा देने के बजट में कमी आयेगी। नरवा विकास कार्यक्रम, यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वन से आच्छादित है, जिसके कारण वन विभाग कई कार्यों में अड़ंगा लगाता है और विकास कार्य रूक जाता है। लेकिन इस बजट में जल संसाधन विभाग और वन विभाग दोनों मिलकर नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे तो निश्चित तौर से क्षेत्र का विकास होगा। हमारे गांव का नाबार्ड का एक मामला है, 52 गांवों को सिंचाई के लिए पानी देने की बात कही गई थी। फुटहामुड़ा का बांध है। वह बना था और बनने के बाद उसको छोड़ दिया गया था। नाबार्ड से बहुत सारा पैसा आया था। बाद में वन विभाग ने भी नाली बनाया और बाद में पाट दिया। तो माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि इस पर जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें शासन का बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ है। इससे 52 गांवों को अभी भी पानी नहीं मिल रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता बहुत आक्रोशित है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि हमारे गांव के पास एक बरबांधा बांध है, जो मिट्टी से पटा हुआ है। जब हम नरवा की बात करते हैं तो वहां पर पहले 20 गांव के किसानों को पानी मिलता था। तो जो मिट्टी पटा है, उसको हटवाकर के 20 गांव के लोगों को लाभान्वित किया जाए, मैं यह कहना चाहती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने छलकनी के पास, जब वे कृषि मंत्री थे तो उन्होंने लिफ्ट एरीगेशन का कार्य करवाया था, लेकिन अभी वह थोड़ा सा ध्वस्त हो गया है। अभी उसको भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि इन छोटे-छोटे कार्यों में सुधार करवाकर किसानों का लाभ पहुंचाया जाये। दीया तले अंधेरा, वाली बात है। मेरा जो सिंहावा क्षेत्र है, वहां पास ही में दुधावा बांध भी है, सोढुर डेम भी है, गंगरेल डेम भी है, माडम सिल्ली भी है। लेकिन अभी भी वहां के कई गांव में, मारा गांव का जो एरिया है, निरई का एरिया है, जहां के लोग पीने के पानी के रूप में दूषित पानी पी रहे हैं। उनको पानी की जरूरत है तो वहां पानी दिया जाए। कई नहर हैं, जहां तटबंध में नदी का बहाव है, वह गांव तक पहुंच गया है। सैकडों गांव ऐसे हैं कि अब-तब गांव में पानी घुस सकता है। यदि हम अभी से इस पर काम करेंगे, निश्चित तौर पर वहां पर तटबंध बनायेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी । मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जितने भी डेम बने हैं, वहां पर वहां के लोगों को विस्थापन किया गया है । आज विस्थापित परिवार बी.पी., शुगर दुनिया भर की तमाम बीमारी से ग्रसित है और कई लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि इस विस्थापित परिवार की जो समस्याएं है, कठिनाइयां हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ।

सभापति महोदय, मैं कुक्कुट पालन के बारे में ये कहना चाहती हूं कि हमारी नीति बहुत अच्छी है । किसानों की आमदनी के लिए कुक्कुट पालन, सुअर पालन, बकरी पालन बहुत अच्छा है, मैं इसका भी समर्थन करती हूं । किसानों के लाभ के लिए इसको और वृहद रूप से लागू किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहती हूं । किसान गाय पालते हैं, लेकिन उनके दुग्ध की बिक्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । उनको शहर जाना पड़ता है । उनके लिए एक अच्छी समिति या सरकार के द्वारा जो उनका दुग्ध उत्पादन हो रहा है, उसको ले तो खुशी से सब लोग गाय भी पालेंगे और उसका लाभ भी मिलेगा, इस ओर सही नीति बनाने की आवश्यकता है । सभापति महोदय और माननीय मंत्री जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं किसान हूं और किसान की बेटी हूं इसलिए मैं किसानों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । छत्तीसगढ़ प्रदेश मूलत: किसान प्रधान प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पिछले 15 वर्षों से यदि कोई प्रताड़ित हुआ है तो मात्र प्रदेश के किसान प्रताड़ित हुए हैं । मेरा सौभाग्य है कि किसानों से संबंधित अनुदान मांगों पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चर्चा करने के लिए आपके माध्यम से मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर मिला है । मैं समर्थन करती हूं। हमारी सरकार हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नारा रहा-जो कहा, सो किया । इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम स्थल से अपने दो सहयोगी मंत्रियों के साथ सीधे-सीधे मंत्रालय, महानदी भवन गए एवं कांग्रेस पार्टी की सरकार के केबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव किसानों के कर्ज माफी एवं 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के निर्णय पर हस्ताक्षर कर अपने प्रथम कार्य की शुरूआत की । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है-जो कहा, सो किया । (मेजों की थपथपाहट) पिछली सरकार किसानों के साथ लगातार वादाखिलाफी कर रही थी । 300 रूपए प्रति क्विंटल प्रति वर्ष धान का बोनस एवं 21 सौ रूपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी का झूठा आश्वासन देकर सत्ता हासिल किये थे, बोनस अंत तक नहीं दिया, जिसका परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के किसानों ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया । हमारी सरकार पिछला बोनस भी देगी, इस प्रदेश के किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय परम श्रद्धेय श्री भूपेश बघेल जी की सोच देखिए, नरवा, धुरूवा, गरूवा, बाड़ी इन चार शब्दों में इस प्रदेश की बुनियाद टिकी है । छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है । राज्य की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है । हमारी सरकार द्वारा राज्य में कृषि कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु, कृषि की आर्थिक उन्नति हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके तहत अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसान एवं कृषि संबंधी बजट में सर्वाधिक राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुझे बहुत खुशी हुई है । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी । आप बटन ठीक दबाईये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं बिना माईक के बोल लेता हूॅ, मंत्री जी तक मेरी आवाज पहुंच जायेगी ।

सभापति महोदय :- आप हल्के हाथ से दबाते हैं तो चालू नहीं होता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय आचरण के खिलाफ दूसरी सीट से बोल रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- खुद ही अपने हाथ से बंद करते हो और बोलते हो कि..।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सारी अनुदान मांगों का मैं विरोध करता हूॅ और कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूॅ । माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ के इस पंचम विधान सभा के चुनाव में इस सरकार को छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश मिला और तीन चौथाई बहुमत के साथ यह सरकार चुनकर आई । इस सरकार को जो इतना बड़ा जनादेश मिला है, उस जनादेश मिलने के पीछे बडा कारण सरकारी पार्टी के द्वारा घोषित किया गया, जन घोषणा पत्र है, क्योंकि उस जन घोषणा पत्र की कापियां, गांव-गांव में लोगों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बीच बांटते रहे । सभापति जी, दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि सरकार बनाने के पश्चात यह सरकार सारे विभागों में अपने जनघोषणा पत्र के क्रियान्वयन से पीछे हट रही है, किसानों और जनता को धोखादेने का काम कर रही है ।

श्री कवासी लखमा :- 15-15 लाख कब बांटने वाले हो । यह तो बताओ ?

श्री डमरूधर पुजारी :- कड़कनाथ समाप्त हो रहा है, इसकी चिन्ता आप करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार बने इतने दिन हो गये, घुरवा जो है, स्मार्ट घुरवा हो गये ।

श्री कवासी लखमा :- कर्जा माफी में इस्तीफा कब होगा, बताओ ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- शर्मा जी का कर्जा माफ हुआ कि नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा देने का काम शुरू किया है । इन्होंने कर्जमाफी की जो परिभाषा बदली वह ....(व्यवधान)

श्री लालजीतसिंह राठिया :- शर्मा जी,आप खेती करते हैं कि नहीं । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- 15 साल तक किसानों को धोखा दिया । इसलिए 15 सालों में 15 सीट पर सिमट गये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :-कृपया टोका-टाकी न करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नरवा, घुरवा, गरूवा और बारी । छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी ।

श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- गरूवा में आप लोग ठगे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस स्लोगन का उपयोग किया । राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस स्लोगन का उपयोग है । माननीय सभापति जी, नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी । इसके लिए आपने बजट प्रावधान क्या किया है । आपने एक नये पैसे का बजट प्रावधान नहीं किया है । खाली इस काम को जो मनरेगा की राशि आयेगी, उस मनरेगा की राशि से क्रियान्वित करेंगे,
यह बात कही है । माननीय सभापति जी, यह विषय नारा लगाने में बड़ा अच्छा लगता है । जितने भी किसान सदस्य बैठे हैं, जरा विचार करें कि आज बाड़ी कैसे चलाई जा सकती है । घुरवा को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हो, गरूवा और नरवा की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में यदि जीवित नदी है तो सिर्फ दो नदी है । महानदी और शिवनाथ नदी । छत्तीसगढ़ का कौन सा नरवा बारहमासी है....।

श्री कवासी लखमा :- सबसे ज्यादा बहने वाली नदी बस्तर में शबरी नदी है । आपको ढंग से मालूम नहीं है ।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए तो नरवा को बचाना चाह रहे हैं । नरवा का सतही जल बढ़ाना चाह रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवतरन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आप फण्ड की व्यवस्था कर नहीं रहे हो । खाली लोगों को धोखा देने की बात कर रहे हो ।

श्री मोहन मरकाम :- धोखा तो आप लोगों ने दिया, इसलिए ....।

एक माननीय सदस्य :- आप लोग केवल कड़कनाथ की चिन्ता करो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, छत्तीसगढ़ में बाडी के कान्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं । आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, यह स्थिति थी कि गांव में हर घर में एक पन्द्रह हाथ, सत्रह हाथ का कुंआ होता था । लोग टेड़ा लगाकर उसमें बारह महीना निस्तार करते थे । जो निस्तार का पानी होता था, वह बाड़ी में आपासी के रूप में पानीपालने के रूप में उपयोग में आता था । आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कुंएं का कान्सेप्ट खत्म हो गया है । माननीय सभापति जी, सवा सौ फीट का जो बोर होता है, वह भी गरमी के दिनों में चार महीने, छः महीने बंद हो जाता है । तो बिना पानी के बाड़ी कैसे होगी जरा स्पष्ट करें? इन्होंने कहा कि हम गरवा की व्यवस्था करेंगे। तीन एकड़ का गौठान बनायेंगे जिसमें पानी, चारे, छाये और बाउंड्रीवाल की व्यवस्था करेंगे। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा गांव की स्थिति यह है कि गौठान की जमीन में अतिक्रमण हो चुका है। जहां अतिक्रमण हो गया, जहां तीन एकड़ जमीन नहीं बची।

श्री मोहन मरकाम :- आप ही की सरकार ने अतिक्रमण किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा अपने जवाब में स्पष्ट करेंगे क्योंकि नोडल विभाग आपका ही है कि जहां आपके गरवा के लिए तीन एकड़ जमीन नहीं मिलेगी वहां अतिक्रमण हटाने का कार्य ये सरकार करेगी क्या? यह जरा स्पष्ट करने की व्यवस्था करेंगे। माननीय सभापति महोदय, नरवा की जो स्थिति है सारे नरवे अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। आपको यदि नरवा भी बनाना है तो लोगों ने जो खेत में मिला लिया है उस अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था करने में यह सरकार सक्षम है क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि यह माननीय मंत्री जी अपने जवाब में देंगे। इस सरकार के चुनाव के जनघोषणा पत्र में था कि छत्तीसगढ़ में हम पांच साल में सिंचाई का रकबा दुगुना करेंगे। अब छत्तीसगढ़ में सिंचाई का रकबा लगभग 34 प्रतिशत है और पांच साल में इस सिंचाई के रकबे को इन्होंने दुगुना करने की बात की है ये 34 प्रतिशत सिंचाई का रकबा 70 साल की देन है जिसमें 50 साल आपकी पार्टी की सरकार रही। अब पांच साल में आप रकबा को डबल करना चाहते हैं तो सिंचाई के रकबे को डबल करने के लिए आपके पास कार्ययोजना क्या है? और कार्ययोजना है तो इसके लिए फंड कहां से आयेगा? आपने बजट में सिंचाई के लिए क्या प्रावधान किया है ये जरा स्पष्ट करने की व्यवस्था करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि पिछले साल की तुलना में सिंचाई का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बजट कम हुआ है। शायद सिंचाई के बजट में 10 प्रतिशत की कटौती हुई है। और जब सिंचाई का बजट कम हुआ है तो आप सिंचाई का क्षेत्रफल कैसे बढ़ायेंगे इसे जरा स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

<u>सदन के समय में वृद्धि</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश :)</u>

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई का रकबा है उस रकबे में बहुत बड़ा रकबा ट्यूबवेल से है। छत्तीसगढ़ में लगभग 4 लाख ट्यूबवेल लगे हुए हैं। आपके घोषणा पत्र में था कि बिजली बिल हॉफ और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उस घोषणा में 400 यूनिट तक का डोमेस्टिक बिजली का बिल हॉफ करने की घोषणा की है। क्या आप चार लाख किसानों का बिजली बिल हॉफ करेंगे?

सभापति महोदय :- शर्मा जी, उर्जा विभाग पर इसमें बोल लीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

श्री सेवकराम नेताम :- शर्मा जी, कोई नई बात बताईये। कोई नया सुझाव दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, चतुर्थ विधानसभा में माननीय धनेन्द्र साहू जी जब भाषण देते थे तो भाषण में उल्लेख होता था कि सरकार 15 लाख -16 लाख किसानों का धान खरीद रही है, छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 36-37 लाख है बाकी किसानों का क्या होगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चतुर्थ विधानसभा में माननीय साहू जी जो भाषण देते थे उस भाषण का कुछ पालन आपकी पार्टी के आदरणीय कृषि मंत्री जी करेंगे क्या? आप कुल 15 लाख 17 लाख का कर रहे हैं । मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी किसानों का क्या होगा? आपने 15-17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है बाकी किसानों को छोड़ दिये? इसके लिए कोई एस.आई.टी. का गठन करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्रीमती रशिम आशीष सिंह :- सभापति जी, बाकी लोग कर्जा नहीं लिये थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, श्री कवासी लखमा जी दारू वाले। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- सभापति जी, आपका कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- माननीय किस्मत लाल नंद। आप तो बैठ गये थे। शर्मा जी हो गया बस समाप्त करो। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। पर एक निवेदन है सभापति जी, आपसे भी हाथ जोड़ के। माननीय संसदीय कार्य मंत्री विशेष रूप से ध्यान देंगे। चतुर्थ विधानसभा में माननीय सभापति जी जब यहां बैठते थे और जब वो बोलने खड़े होते थे तो पूरा सदन का माहौल बड़ा खुशनुमा और हल्का हो जाता था और आज माननीय सभापति जी, जब बोलने खड़े होते हैं तो पूरे सदन का माहौल कुछ और हो जाता है। इसके लिए भी आप कोई एस.आई.टी का गठन कर देना। ताकि क्या कारण है ये भी पता चल जाये? ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। ये किसान सरकार विरोधी सरकार है, ये सरकार किसानों को धोखा देने वाली सरकार है।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, क्या भलाई करने वाली सरकार है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन जितने हल्के ढंग से एस.आई.टी को ले रहे हो किसी दिन भारी पड़ने वाला है बता रहा हूं। (हंसी)

श्री किस्मत लाल नंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान मांगों की संख्या में मांग संख्या 28,29,13,14,16 के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। पिछली सरकार ने 15 वर्ष के दौरान इन्होंने किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में परिस्थितियां ये निर्मित हुई कि बहुत सारे किसानों ने कर्ज से दब कर आत्महत्या कर ली। एन.सी.आर.बी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो हजारों किसानों ने छत्तीसगढ़ में कर्ज से दब करके आत्महत्या की है। इस सब चीजों से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 लाख 65 हजार किसानों का कर्जा माफ किया और उनके खाते में 6100 करोड़ रूपये जमा हुए। बाद में कृषि ऋण के बारे में भी 4100 करोड़ रूपये उनके खाते में भेजा गया है। इस प्रकार मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय कृषि मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इसी के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कृषि विभाग से जो मैनिकिट्स वितरित किये जाते हैं, उसमें बहुत सारे घटिया किस्म के बीज भी बीज विकास निगम से भेज दिया जाता है। इस पर सुधार किया जाना चाहिए। जो लघु और सीमांत किसानों को दिया जाता है उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि केवल लघु सीमांत किसान को नहीं मिल पाता और जो बड़े किसान हैं जो समक्ष हैं, उनको मिल जाता है तो इस पर सुधार किया जाना चाहिए। मैं कृषि विभाग और हार्टीकल्चर के संबंध में कुछ सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर जो होता है, वो 4 गांव 5 गांव 10-10 गांव को वो देखता है वो कृषि के संबंध में हायर टेक्नोलाजी के बारे में जो शासन की नीतियां जनता तक पहुंचना चाहिए, वो वास्तव में नहीं पहुंच पाता। उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाता। ये हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर में जो कर्मचारियों, अधिकारियों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में हम जैसे सभी सदस्य पक्ष और विपक्ष के लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है इसके विपरित मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा जरूर है लेकिन जो पानी की दिनों दिन कमी होती जा रही है, इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें, कि हम कम से कम पानी में ऐसी कौन सी फसल लें और एग्रीकल्चर के माध्यम से आम जनता तक, इसको जन जागरण के माध्यम से इसको पहुंचाया जाये कि हम कम से कम पानी में कामर्शिलय फसल कैसे लें। इसके लिए एक विशेष जनजागरण चलाने की जरूरत होगी क्योंकि किसानों के मद में केवल एक किसान धान के प्रति उत्साहित रहता है लेकिन धान में सबसे ज्यादा पानी होता है। जब राजस्थान का एक किसान 1400 लीटर पानी को ऊंट पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर खेती कर सकता है तो छत्तीसगढ़ में किसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वाय सूड नॉट बी कम्प्लायेंस इन दी छत्तीसगढ़ स्टेट। ये हो सकता है इसको भी एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों को निर्देशित करने के लिए एक जन जागरण चलाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज मछली पालन के बारे में अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मैंने देखा है कि बहुत सारे किसानों ने अपने खुद के पैसे से तालाब तो खुदवाया है, बाद में उसकी सब्सीडी राशि है, वह राशि आज तक उनको नहीं मिल पा रही है। उन लोग बैंक और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इस पर भी मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय रविन्द्र चौबे जी हमारे कृषि मंत्री जी ने जो यहां पर बजट मांगें प्रस्तुत की है निश्चित रूप से एक वरिष्ठ मंत्री हैं और खासकर के कृषि के क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है ऐसा लगता था कि बहुत सारी अपेक्षाएं इस बजट के माध्यम से पूरी होनी हैं और किसानों की जो अपेक्षाएं हैं, वह भी पूरी होंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारा भारत और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। आज भी छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत से अधिक कृषि के ऊपर हमारा परिवार निर्भर है और साथ ही यदि हम रोजगार की दिशा में बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार ये कहीं दे सकते हैं तो हम कृषि के क्षेत्र में दे सकते हैं। इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भागीदारी और हिस्सेदारी है, वह हमारे कृषि और कृषि से संबंधित जो सहायक सभी विषय हैं। किंतु कृषि को पानी चाहिए। जब तक हम पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम कृषि के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं बन सकते और आज यदि हम केवल उनका लोन को पटाकर या कर्ज माफी करके, हम किसानों को कहें कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया तो ये मुमकिन नहीं है। कृषि पर आधारित हमारी व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए सबसे पहले हमारे सिंचाई की योजना होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय हमारी 23 प्रतिशत सिंचाई की क्षमता थी और इस दिशा में लगातार वृहद, मध्यम और साथ ही लघु सिंचाई की योजनाएं थीं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में जो लगातार काम हुए हैं और उसका नतीजा आया है कि आज 36-37 प्रतिशत हमारे किसानों की सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हुई है, उसमें न केवल हमारे नहरों के माध्यम से डेम के माध्यम से बल्कि उसमें सिंचाई पम्पों का बड़ा योगदान है। हम सब को ये लगता था कि ये बजट के माध्यम से हम जिस तेजी के साथ में सिंचाई के क्षेत्र में कदम रखे हैं और उसी तेजी के साथ में हम नये पायदान पर कदम रखेंगे। लेकिन बजट आने के बाद में मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उसमें कहीं न कहीं हमारा अवरोध होगा, हमारी गति में रूकावट आएगी और किसानों के खेतों में जो पानी पहुंचाने का काम है, उसमें कहीं न कहीं गति में कमी आएगी। हम तो उम्मीद करते थे कि माननीय चौबे जी जब कृषि मंत्री हैं तो निश्चित रूप से किसानों की जो अपेक्षाएं हैं कि हमारी सिंचाई की सुविधा दुगुनी होगी, लेकिन ऐसा बजट में कहीं पर प्रावधान नहीं दिख रहा है जिससे वह दुगुनी दिखायी दे।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आने वाले समय में इस सेक्टर में क्या कुछ होना चाहिए। बजट में प्रावधान किन चीजों का और होना था। इसके डेवलपमेंट के लिए और क्या कुछ आप सुझाव देना चाहें, इस दिशा में भी कुछ बात जरूर कहियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- जी। बिल्कुल।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या है कि अब अजय जी ने कह दिया कि नरवा, घुरवा, बाड़ी, आप लिख दिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ। नरवा, घुरवा, बाड़ी से बहुत दूर हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय शिवरतन जी ने पूरा भाषण केवल एक ही लाईन में दे दिया। अरे भई, जब आप कृषि के क्षेत्र में सुझाव देना चाहते तो मैं उम्मीद करता हूं, अजय जी से भी मेरे को उम्मीद थी, शिवरतन जी से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन आपसे उम्मीद है। सौरभ जी ने शुरूआत में बहुत अच्छी बात कही, इस सेक्टर में और क्या कुछ होना चाहिए, अभी तो सरकार की शुरूआत है, आप कुछ बतायें न।

श्री धरमलाल कौशिक :-माननीय सभापति महोदय, इसलिए जब तक हम सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि नहीं करेंगे, उन सारे विकल्पों पर हम विचार नहीं करेंगे, सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए हमको क्या-क्या और करने की आवश्यकता है, तो एक तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारी सिंचाई योजनायें चल रही हैं और यह जो हमारी योजनाओं के कार्य अभी तक 50-60

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रतिशत पूरे हुए हैं यदि इसको पूरा करने के लिए फंडिग की उचित व्यवस्था होगी, इन योजनओं को मूर्त रूप देंगे और पूरा करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अरपा भैंसाझार योजना, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, उस समय हेमचंद यादव जी मंत्री थे, उस समय अरपा भैंसाझार योजना को स्वीकृति मिली। उसका शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद में उसके डायवर्सन के हैं और उसके बाद में नहरों के जो काम प्रारंभ हुए हैं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा तेजी लाने की आवश्यकता है। उसमें प्रारंभिक स्तर पर 67 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होंगी। हमारी जो बृहद लंबित सिंचाई योजनाओं के कार्य चल रहे हैं, इसको यदि पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मनियारी, पथरिया बैराज का काम चल रहा है, उसमें बैराज के साथ में नहरों के निर्माण का भी कार्य चल रहा है। ऐसे ही लगभग पूरे प्रदेश में जो कार्य चल रहे हैं, इसके लिए बजट की कमी न हो, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, हम उस दिशा में एक कारगर कदम उठा सकते हैं, कारगर पहल कर सकते हैं। हमारी नदियां सूख गई थीं, नदियां सूखने के बाद में एनीकट का कांसेप्ट आया, आज प्रदेश में लगभग 700 से ज्यादा एनीकट बने हुए हैं। इस एनीकट के माध्यम से क्योंकि खास करके बरसात में एक पानी के लिए हमारी फसल सूख जाती है, यदि इस एनीकट के लिए केवल हम बिजली का तार बिछाने का काम कर दें और बिजली की लाईन बिछा करके व्यवस्था दे दें तो हमारे किसान उस एनीकट का उपयोग कर सकते हैं, उसके आसपास के जो हमारे जल क्षेत्र हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और बरसाती पानी जो बह करके चला जाता है, यदि इस पानी का हम उपयोग करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे किसानों क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम उसके माध्यम से सृजन कर सकते हैं और खरीफ फसल को बचाने में सफल हो सकते हैं। इसी के साथ में हमारे कई क्षेत्रों को माननीय मंत्री जी देखे हैं, उनका पुराना जिला है, मैं खास करके बेमेतरा, नवागढ़ की बात करूंगा। हमारे इस प्रदेश में वृष्टिछाया के क्षेत्र हैं, इस वृष्टिछाया क्षेत्र के अंतर्गत में हमारे लगभग 5-6 जिले प्रभावित हैं। वह 2002 की है, मुझे लगता है कि उसकी एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता है। नवागढ़, मारो क्षेत्र और आसपास के पूरे और भी कई जिलों में 500, 1000 फिट में बोरिंग, नलकूप खनन करने के बाद में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमको पानी प्राप्त हो। जिसके कारण से किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है बल्कि वहां के लिए पेयजल के पानी की व्यवस्था से लेकर के और बाकी चीजों के लिए आज जो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है, मुझे लगता है कि इसको समीक्षा करने के बाद में हमारे वृष्टिछाया के क्षेत्र में उसमें क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसमें हम क्या नया कदम उठा सकते हैं, मुझे लगता है कि यदि उस दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम सबको मिलेगा। इसलिए उसमें काम करने की आवश्कयता मैं महसूस करता हूं। आज जब हम कृषि के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हमारा जो प्रदेश है, बस्तर से लेकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरगुजा तक देखेंगे तो हमारा मैदानी एरिया का एक बहुत बडा क्षेत्र है, जिसमें हमारे राजनांदगांव से लेकर के जांजगीर और रायगढ़ तक की उसमें बात कर सकते हैं । दूसरा हमारा बस्तर का जो क्षेत्र है जिसमें हमारे दंतेवाड़ा से लेकर कांकेर तक की जो स्थिति है और उसी प्रकार से हमारे जशपुर से लेकर हमारा पूरा जो सरगुजा क्षेत्र है । इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि वहां का जलवायु, वहां पर हमारी खेती की जो परिस्थितियां हैं, वहां का जो क्लाईमेट है यह हमारे प्रदेश के तीनों अलग-अलग हैं । मैदानी एरिया के अलग हैं, बस्तर के हमारे अलग हैं और सरगुजा के हमारे अलग हैं । आज वहां पर प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है लेकिन उस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे लगता है कि आज वहां पर नये रिसर्च करने की आवश्यकता है । सरगुजा क्षेत्र में हमारी अनुकूल परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, वहां की फसल के लिये, गन्ने के लिये या फल के लिये अनुकूल परिस्थितियां हमारे कृषि के लिये क्या होगी और उसी हिसाब से हमारे बस्तर के जो क्षेत्र हैं वहां की हमारी प्रॉयरिटीज अलग हो सकती हैं इसलिये पूरे प्रदेश का एक आधार न बनाकर यदि हम इसको तीन हिस्सों में बांट कर उस दिशा में हम शोध का काम करें, उस दिशा में हम रिसर्च करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वह हमारे किसानों के लिये ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा । वहां पर हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर बनाये गये हैं, ट्रेनिंग सेंटर में भी अधिकारियों की जो पोस्टिंग होती है, मुझे लगता है कि यहां पर विभागीय की बजाय यदि समिति को दे दिया जाये, जो वहां का प्रबंधन कर रहे हैं, हमारे यहां पर जो प्रशिक्षण रायपुर में हैं कि वास्तविक में वहां किस बात का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, उस दिशा में हम आगे क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और उस दिशा में यदि हम कोई ठोस कदम उठाने का प्रयास करेंगे या पहल करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ न केवल हमारे किसानों को बल्कि कम खर्च में हम ज्यादा उत्पादन करके विभिन्न एजेंसियों को हम यहां पर नये क्षेत्रों में जाकर के हम और नये स्रोत करके हम उसमें और नयी-नयी फसलों को ले सकते हैं जिससे किसानों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब बीज निगम का अध्यक्ष था । उस समय मैंने यहां पर हाईब्रिड के लिये प्रारंभ किया था । बीज का जो यहां पर उत्पादन करते हैं तो सामान्यत: यहां जो किसान हैं वह दूसरे के ऊपर आश्रित है और उस समय हाईब्रिड ले रहे थे तो उसमें किसानों को कम रेट पर बीज उपलब्ध कराने में हम सफल हुए थे लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बनी होंगी और उसके कारण वह बंद कर दिये गये । आज मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम दूसरी जगह से लेते हैं तो एक तो हमको ज्यादा रेट में बीज उपलब्ध हो पा रहा है, दूसरी इस बात की कोई स्योरिटी नहीं होती कि जो बीज किसान महंगे दर पर खरीदकर लेकर के आये हैं उसका जर्मिनेशन ठीक हो और जर्मिनेशन के बाद में उसका उत्पादन ठीक हो तो इसलिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हाईब्रिड की ओर हमारे किसान ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- वह तो डॉ. रमन सिंह जी का जर्मिनेशन खत्म हो गया था, इधर ठीक है । अच्छा जर्मिनेशन है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- श्री अमरजीत जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सेंटर भी कहां है यह बता देना, कितने हैं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- वे क्या बोल रहे थे उसको थोड़ा बोल देना । श्री अजय चंद्राकर जी के चक्कर में तो पूरी सरकार गयी ऐसा बोलते हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- श्री कवासी जी, आप तो कड़कनाथ की चिंता करो वह साफ होने वाला है ।

श्री सौरभ सिंह :- कड़कनाथ तो जगदलपुर आ गया, बस्तर आ गया, कड़कनाथ की कुछ यहां भी व्यवस्था करवाईये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो बीज की बात कर रहा था कि हमारे किसानों को हम कम रेट पर, सस्ते दर पर आसानी के साथ में बीज और समय पर कैसे उपलब्ध करा सकें । इस दिशा में मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की आवश्यकता है और यह संभव हुआ है और आज भी संभव होगा लेकिन हम इस दिशा में यदि आगे बढ़कर के काम करें तो निश्चित रूप से हम अपने किसानों को कम रेट पर और समय पर बीज उपलब्ध कराकर उनके उत्पादन में हम वृद्धि कर सकते हैं जिससे हमारे किसानों को यहां पर लाभ मिलेगा । इसके साथ ही साथ में माननीय मंत्री महोदय जी से एक बात का आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो हमारा जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, यह लगातार नीचे जाने के बाद में हम देख रहे हैं कि अभी भी चाहे पीने का पानी हो और बाकी चीजों के लिये जो दिक्कत अभी आ रही है आखिर यहां हम उसको कैसे रिचार्ज करें । मैं बजट में देख रहा था कि 100 तालाबों के लिए प्रावधान रखा गया है । हमें ऐसे टैंकों का निर्माण करना चाहिए जिससे रिचार्ज भी हो सके । मैं इसमें आग्रह करना चाहूंगा कि इतने बड़े प्रदेश में यदि आपने परकुलेशन के लिए 100 टैंकों का प्रावधान रखा है तो मुझे लगता है कि यह बहुत कम है । इसमें हमें आगे जाकर बढ़ाने की आवश्यकता है । यदि हम इसे बढ़ाकर काम करेंगे तो आने वाले समय को देखते हुए, जैसा कि हमारा वाटर लेवल डाउन हो रहा है । हमारा जल स्तर जो नीचे जा रहा है । आखिर हम इसे कैसे ऊपर ला सकते हैं ? यदि हमने समय रहते इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से स्थिति खराब होती जाएगी । हम वर्षा के बाद में अभी तक की जो स्थिति देख रहे हैं । यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है । इस दिशा में हमें ठोस पहल करने की आवश्यकता है और इस दिशा में हम काम करें। आज बहुत सारे विषय आए हैं ।

मैं हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति की बात करना चाहता हूं । सभापति महोदय, श्वेत क्रांति की दिशा में हमारे पास असीम संभावनाएं हैं । किंतु हम जितनी सब्सिडी दे रहे हैं और जितनी यूनिट की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यवस्था है । 12 लाख एक इकाई के लिए होगा । मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है । यह देखा जाना चाहिए कि दूध का कन्जम्शन कैसे बढ़े ? लोग गाय पालने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बाद दूध निकालने की जो लागत है, लागत के बाद में बाजार में उसे दूध का रेट मिल सके । उसे इतना रेट मिले कि वह लॉस की तरफ न जाए, वह प्रॉफिट की तरफ जाए । वह अपने दूध को सही रेट में बाजार में कैसे बेच सके, हम प्रदेश में दूध की खपत को कैसे बढ़ा सकें ? इस दिशा में अनेक संभावनाओं के साथ काम करने की आवश्यकता है । एक तो यूनिट कास्ट और उसके साथ हमने जितने एनीकट बनाए हैं, इतनी सरी हमारी नदियां हैं जो बारहों महीने पानी से भरी हुई हैं । आखिर हम उसमें कोई रिंग बनाकर, कि हम उन समितियों को को-ऑपरेटिव सेक्टर में या अन्य सोसायटी बनाकर कि एक व्यक्ति उसको बाजार तक पहुंचाए तो लागत ज्यादा आएगी लेकिन यदि हम समूह बनाकर काम करेंगे तो समूह में काम करने से लागत कम आएगी और वे अपने दूध को बाजार तक आसानी से पहुंचा भी सकेंगे । ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में हम कहां कहां कर सकते हैं, इसका परीक्षण कराने की आवश्यकता है ? परीक्षण के बाद यदि आगे ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि श्वेत क्रांति की दिशा में छत्तीसगढ़ एक कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगा ।

आज के इस अवसर पर बहुत सारे विषयों पर हमारे वक्ताओं ने ध्यान आकर्षित किया है । आज भी हमारा प्रदेश फूलों के मामले में दूसरे राज्यों पर आश्रित है । बाहर के राज्यों से फूल जाकर छत्तीसगढ़ में उसका उपयोग किया जाता है । उस दिशा में यदि ज्यादा अनुदान देने की आवश्यकता पड़े तो अनुदान दिया जाना चाहिए । मैं बस्तर से लेकर सरगुजा तक के क्लाइमेट की बात कर रहा था । फ्लोरीकल्चर के लिए कौन से स्थान उपयुक्त हैं, जहां हम फूलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं । यदि हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमारे प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वे मजबूत होंगे । इस दिशा में सार्थक पहल करने की आवश्यकता है । आज के इस अवसर पर मुझे तो ऐसा लगता था कि कृषि बजट में कटौती के बजाय हमारे कृषि विभाग के लिए मुख्यमंत्री जी ज्यादा पैसा देंगे । क्योंकि हमारे कृषि मंत्री अनुभवी हैं, उनके अनुभवों का लाभ हमारे किसानों को मिलेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं कि इससे भी ज्यादा बजट देना चाहिए । तो फिर ये कटौती प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो व्यवस्था है वह चलेगी लेकिन हमारा कटौती प्रस्ताव है तो क्या आप हमारे कटौती प्रस्ताव के कारण उन्हें बजट देना बंद कर देंगे, चौबे जी पर आपको विश्वास नहीं है । आपको लगता है कि चौबे जी आपके पैसे का दुरूपयोग करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं तो देने को तैयार बैठा हूं लेकिन आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं क्या (हंसी) ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, हम लोग अपने कटौती प्रस्ताव वापस कर लेंगे बशर्ते इन्होंने जन घोषणा पत्र में जिन सिंचाई योजनाओं को पांच साल में डबल करने की बात की है, उतना बजट प्रावधान करने की घोषणा यहां कर दें और किसानों की बिजली हाफ कर दें तो हम अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर्वसम्मत से पारित । बिल्कुल वापस ले लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सिंचाई को डबल करने के लिए बजट में प्रावधान कर दो और किसानों का बिजली बिल हाफ कर दो। हम अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर्वसम्मत से अभी पारित कर दीजिए

श्री मोहन मरकाम :- बिजली बिल तो हाफ हो ही गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो तैयार हो गये हैं कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए। सर्वसम्मति है।

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा जी, इतना हाफ कर दिये कि अब बोलने लायक नहीं रह गये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सिंचाई के बजट में भी इन्होंने कटौती कर दी अब इनकी मजबूरी है...।

सभापति महोदय :- चलिए, माननीय नेता जी का भाषण होने दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी चुप बैठ गये हैं, वापस लेने की बात पर (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- सुबह टाइम नेता जी बोले थे। किस संदर्भ में बोले थे नहीं जानता लेकिन यहां दो ठोक उल्लू हैं करके। यहां दो उल्लू हैं।

समय :
5:56 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं। चौबे जी अभी बैठे हुए हैं और चौबे जी का अभी बजट पारित नहीं हुआ है। अभी भी मुख्यमंत्री जी चौबे जी को बोल दे या मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा कर दे कि आपने किसानों के लिए जो...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी।

श्री भूपेश बघेल :- यह गलत बात है।

श्री कवासी लखमा :- यह अपने नेता को पीछे से बैठाते हैं। इनको नेता भी नहीं मानते हैं। यह क्या हुई बात। नेता को खींच खींच कर बैठा रहे हैं। यह तो नेता ही नहीं मान रहे हैं। रोज दबाकर खींचकर।

श्री दीपक बैज :- शिवरतन जी आप नहीं मान रहे हो नेता। पकड़कर बैठा रहे हो नेता जी को।

श्री मोहन मरकाम :- नेता प्रतिपक्ष को दबाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष को संरक्षण की विशेष जरूरत है क्योंकि ये लोग दबा रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- हम हमारे नेता जी का समर्थन करते हैं। ये नेता जी को पीछे खींच खींच कर बता रहे हैं। यह तो दुर्गति हुआ। आपको उन पर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको नेता प्रतिपक्ष की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- नहीं, ये खींच-खींच कर बैठा रहे हैं। आपको शोभा नहीं दे रहा है। खतरा है तुम्हारे लिए। हम तो समर्थन कर रहे थे।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी उन्हीं से तो भाग रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कवासी जी, आप चिंता मत करिए। कड़कनाथ की संख्या बढ़नी चाहिए बस। इस चीज का मनन करिए आप।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। आज उन्होंने किसानों के संदर्भ में घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया। आज हम बजट में देख रहे हैं कि उसमें कितनी विषमता है। हम सोच रहे थे कि बिजली बिल हाफ है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और जो केवल अपने लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके उदरपूर्ति के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और अन्न उपजाते हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद उनका बिजली बिल हाफ होगा लेकिन इस सरकार ने बता दिया है कि किसानों के प्रति आपके मन में कितनी सहानुभूति है और आपने उनके बिजली को को माफ नहीं किया है, हाफ नहीं किया है, माफ नहीं किया है। यह सरकार पूरी वादाखिलाफी पर उतर गयी है। 400 यूनिट की बात हुई है लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादाखिलाफी करना है, यह सरकार को सीखना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि कैसे इनकी कथनी और करनी में अंतर है।

श्री मोहन मरकाम :- 400 करोड़ (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- नेता जी 400 करोड़ माफ हुआ है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- नेता जी, किसान आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। आपको 15 साल देख लिये। अब किसान कांग्रेस के पक्ष में है।

श्री मोहन मरकाम :- 15 दिन में, 15 दिन में।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप चिंता मत करो। ये वही किसान हैं जो 15 साल तक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को बनाये थे । लेकिन आप चिंता मत करो कि आप आ गये हैं। तो आने के बाद में यदि किसान को धोखा देंगे तो आप भी रहने वाले नहीं हैं। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए।

श्री दीपक बैज :- आप लोगों जैसे हम धोखा नहीं देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :-जो किसान के साथ जो छलावा किये हैं। ये किसान सब समझ रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- आपने मान लिया न। आप छलावा किये हैं। उनके साथ धोखा किये हैं। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं। वे तो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 15 साल तक। यदि ज्योति बसु के बाद में 15 साल तक ज्योति बसु डॉ. रमन सिंह हैं। जो उन्होंने 15 साल तक सरकार चलाई है।

श्री भूपेश बघेल :- आने वाले 25 साल तक (व्यवधान) चिंता मत करो। हम किसान के लोग हैं। हम किसान के दर्द को समझते हैं।

एक माननीय सदस्य :- और 15 साल में 15 सीट तक सिमटकर रह गये।

श्री शिवरतन शर्मा :- छत्तीसगढ़ की जनता मई में ही उसको दूर कर देगी। हम 11 के 11 सीट जीतकर आने वाले हैं।

श्री मोहन मरकाम :- वह हमारे लिए लागू होगा। वह हमारे लिए है।

श्री दीपक बैज :- शिवरतन भैया, सीधी बोल रहे हो कि उल्टा बोल रहे हो।

श्री मोहन मरकाम :- उल्टा बोल रहे हैं।

श्री दीपक बैज :- आप जो भी बोलते हो इधर हो जाता है।

श्री कवासी लखमा :- 65 प्लस, अमित शाह क्या बोले थे 65 प्लस।

श्री अमरजीत भगत :- दरअसल नेता जी, आप लोगों ने जो कृषि मंत्री बनाया था, वह गलत बनाया था। उद्योगपति अग्रवाल जी को आप लोगों ने कृषि मंत्री बना दिया। वह खेती-बाड़ी को क्या जानेगा ? हमारे कृषि मंत्री सही हैं। ट्रेक्टर चलाते हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चौबे जी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। लेकिन इस बजट को देखने के बाद लोगों की अपेक्षाओं के विरूद्ध निराशा ही हाथ लगी है। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और माननीय संसदीय कार्यमंत्री, कृषि मंत्री द्वारा जो अनुदान मांग रखा गया है, मैं उस पर असहमति व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये साहब, टेबल हमने भी थपथपाई है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद भी दूंगा। लगभग 6 घंटे सारे विभागों और मांगों पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की। माननीय सौरभ सिंह जी, आदरणीय भैय्या धनेन्द्र साहू जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी, अमरजीत जी, भाई नारायण चंदेल जी, आदरणीय प्रकाश जी नायक, रजनीश सिंह जी, श्रीमती ममता चन्द्राकर जी, केशव चन्द्रा जी, दीपक बैज जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, प्रमोद जी शर्मा, लालजीत सिंह जी, डॉ0

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रेणु जोगी जी, सम्मानित शैलेष पाण्डेय जी, विनय भगत जी, मोहन मरकाम जी, आदरणीय भाई कुंवर सिंह निषाद जी, भाई विनोद चन्द्राकर जी, द्वारिकाधीश यादव जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, आदरणीया लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा जी, भाई शिवरतन जी, किस्मत लाल नंद जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भैय्या धरम लाल कौशिक जी।

माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों ने बहुत सुझाव भी दिए। हो सकता है कि उधर बैठे हैं तो सुझाव, आलोचनात्मक स्वरूप में रहा हो। इधर सब सुझाव रचनात्मक स्वरूप में रहा हो। लेकिन हमने सभी के सुझावों को नोट किया है। एक-एक करके 6 घंटे तक आपके सुझाव आये हैं तो जवाब देने में भी काफी वक्त लगेगा। लेकिन जो विभागीय बातें हैं, उनको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। इस प्रदेश के किसानों को सबसे पहले आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज यह जो विधान सभा का स्वरूप दिखाई दे रहा है, यहां के किसानों के अपेक्षाओं के अनुरूप है। आज यह जो संख्याबल दिखाई दे रहा है, यहां छत्तीसगढ़ के किसानों ने जो हमसे उम्मीदें रखी हैं, जो पिछले 15 सालों में उनकी उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर पाये। उन्होंने हमसे भारी अपेक्षाएं की है। हमने जन घोषणा-पत्र में उनके साथ कुछ वायदे भी किए हैं। हमने अपनी नीतियां भी बनाई है और उन किसानों ने आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार किया, इसलिए यहां सारा बहुमत दिखाई दे रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मैं सबसे पहले अन्नदाताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, बजट के प्रावधानों के बारे में माननीय सदस्यों की बड़ी चिंता है। अभी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि कृषि विभाग के बजट में कटौती की गई है, कमी की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट के प्रावधान के बारे में कुछ आकड़ें बता देता हूँ, जो पूरा बजट का प्रावधान है। कृषि विभाग में इस साल का जो बजट है, वह 6,935 करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में यह 79 प्रतिशत अधिक है। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लगभग 310 करोड़ का प्रावधान है, जो पिछले साल की तुलना में 146 प्रतिशत अधिक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बजट में लगभग 172 करोड़ पिछले साल की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है, उद्यानिकी के बजट में 493 करोड़ पिछले साल की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत अधिक है, पिछले साल का आशय 2018-19 से है, पशु-पालन विभाग में 663 करोड़ पिछले साल की तुलना में लगभग 18.44 प्रतिशत अधिक है और मत्स्य पालन में 126 करोड़, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है । आशय समझ रहे हैं न । इस सरकार ने जनता के साथ और किसानों के साथ जो वायदा किया है, माननीय भूपेश जी ने इस साल के पूरे बजट में कृषि का प्रतिशत इतना बढ़ाकर रखा है कि हम उन वायदों को पूरा करेंगे, नीतियां बनाएंगे, क्रियान्वित करेंगे और ये बजट का जो आधिक्य है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, वह इस बात को संकेत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करता है कि छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन और पशु-पालन के क्षेत्र में बजट की कोई कमी नहीं है । इसीलिए जब अजय जी शुरूआत कर रहे थे, तब मैंने कहा कि हमें और आगे किस दिशा में जाना चाहिए, हमें विभागों में किस प्रकार से और नियंत्रित करके आगे बढ़ना चाहिए, योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से करना चाहिए, नई योजनाएं किस प्रकार से लानी चाहिए, आप सुझाव दीजिए । पूरे विभागों के जो महत्वपूर्ण कार्य है, मैंने तो बजट प्रावधान के बारे में अभी आपको अवगत कराया । जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपने कर्ज माफी के बारे में कहा, आप तो बिजली के बिल हाफ करने तक पहुंच गए थे, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग में जब चर्चा होगी तो शायद इस बारे में आप चर्चा करेंगे, लेकिन ये सीधा किसानों से जुड़ा मसला है । को-आपरेटिव बैंक के 6100 करोड़ के कर्जे माफ हुए, नेशनलाईज्ड बैंक के कर्जे लगभग पौने पांच करोड़ के माफ हुए और लगभग 25 सौ रूपया क्विंटल देने में 5 हजार करोड़ रूपये किसानों के खाते में अभी किसी ने पूछा कि आपने कर दिया क्या, खाते में पहुंच गया क्या, उनको नो ड्यूश सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या? आप सब तो विद्वान सदस्य हैं, अभी बजट पर चर्चा हो रही है, मांगों पर चर्चा हो रही है, हमने प्रावधान किया है । जिस दिन विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तो ये अपने आप उनके खाते में जाना शुरू हो जाएगा । इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 17 से 18 हजार करोड़ रूपए किसानों के खाते में जाएगा, अगर ये करने और कहने की हिम्मत है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी में है । (मेजों की थपथपाहट) आपको इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहिए । छत्तीसगढ़ के किसानों के पास अगर 18 से 19 हजार करोड़ रूपए जा रहा है...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चौबे जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, बजट भाषण में आप जवाब भी दे रहे हैं । हमने उस दिन भी कहा था कि यदि आप किसानों की बात कर रहे हैं तो केवल अल्पकालीन में क्यों रूक गए ? हम लोग तो बोले थे कि हम लोग अभी भी बधाई देना चाहते हैं, किसानों के लिए हम लोग अभी भी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं । आप दीर्घकालीन ऋण और मध्य कालीन ऋण में आज माफ करने की भी घोषणा कर दें, हम लोग इसी मंच में स्वागत कर देंगे ।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- 15 सालों में कितना किये, वह भी तो देखो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- घोषणा आप लोग किये हो, उसको पूरा करो न । हमारे कहने से थोड़ी घोषणा किये हो।

श्री कवासी लखमा :- ये लंदन से नहीं खाड़ी वाला क्या होता है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, 2003 में भी आप लोगों ने घोषणा की थी, उसको भी तो याद रखिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अगर आप इसको कर दें, सिंचाई क्षमता दोगुनी कैसे करेंगे । आपने क्या प्रावधान किया है ? बिजली के बिल के बारे में आप कह रहे थे तो आप अपनी कटौती प्रस्ताव कह देते, मैं तो धन्यवाद देना चाहता था कि इस बजट को कम से कम कृषि विभाग को सर्वसम्मति से पारित करते, यहां सवाल इस बात का नहीं है कि शार्ट टर्म लोन माफ क्यों किया गया ? लान्ग टर्म लोन के बारे में आपने विचार क्यों नहीं किया गया, किसी ने करने का प्रयास तो किया ? शुरूआत तो किया ? 93 हजार करोड़ के बजट में अगर 21 प्रतिशत राशि केवल और केवल किसानों के खाते में डायवर्ट कर दिया जाये, इसको आप कम मानते हैं, तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जनघोषणा पत्र आप लोगों ने बनाया था । जब आपने जन घोषणा पत्र बनाया, आपको स्पष्ट कर देना था कि हम अल्पकालीन ऋण माफ करेंगे । हम 400 यूनिट तक बिजली माफ करेंगे । हम किसानों का बिजली हाफ नहीं करेंगे । जन घोषणा पत्र बनाये हो, आपने इस प्रदेश की जनता को जनघोषणा पत्र पर जनादेश देने के लिए इस सदन में धन्यवाद ज्ञापित किया है, आप जनघोषणा पत्र का पूर्ण पालन तो करो ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 को याद करिये । 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, बोले थे । पांच साल हो गये, क्या हुआ ?

श्री दीपक बैज :- इन लोग बोलते हैं कि पहल करेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, किसने कहा कि जनघोषणा पत्र के वादे हम पूरा नहीं करेंगे । क्या हमने कहा था कि पहली बजट में पूरा करेंगे ? पहली बजट में हमारी यह शुरूआत है । हमने इस प्रदेश में बहुत सारे संकल्प पत्र देखे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप इस सदन में कह दीजिए कि हम मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण को माफ करेंगे, हम इसे स्वीकार कर लेंगे । आप सदन में बोल दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने जनघोषणा पत्र में जो वायदे किये थे, वह सारे वायदे आप पूरा करेंगे । मैं इस बात को फिर से कह रहा हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा :- आपका पन्द्रह लाख कहां है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अच्छा भाषण दे रहे हैं । अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप भाषण दे रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- इस्तीफा कब दे रहे हो साहब ? दुनिया देख रही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- कर्जा माफी का विभाग आयेगा तो इस्तीफा में बोलूंगा ।

श्री कवासी लखमा :- कर्जा माफी तो हुआ है, नहीं हुआ है क्या ? इस्तीफा देना, ज्यादा बातें मत करना । बोलो ? कुरूद की जनता देख रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांच साल का आपका घोषणा पत्र है, मान लिया । लेकिन उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक घोषणा कर दीजिए कि पूरे को नहीं, मिड टर्म और लांगटर्म लोन को हम माफ करेंगे । चाहे पांच साल में करो, चाहे पांच दिन में करो । यह आपकी स्वायत्ता है । हम करेंगे ऐसा नहीं । आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं । आपके विभाग का मुख्य काम आश्वासन भी है । आप देख लीजिए ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- झूठा आश्वासन थोड़ी देना है, जो आप करते रहे हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्य में आश्वासन है । आश्वासन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी आपकी है । आप आश्वासन दे दीजिए कि साहब मैं दोनों को पूरा करूंगा, भले पांच साल में करे ।

श्री अमरजीत भगत :- आप रमन सिंह को ऐसे ही सलाह दे-दे कर उनका बुरा हाल कर दिये । आपके सलाह को क्यों माने ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, फिर से मैंने कहा कि जनघोषणा पत्र में किये गये न केवल किसानों के लिए, हमने इस प्रदेश में जितने भी वायदे किये हैं, उसको हम पूरा करेंगे । माननीय अजय जी, आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में किसानों के पास अगर 17 से 18 हजार करोड़ का फलो हुआ, आज सराफा आप देख रहे हैं? आज बाजार देख रहे हैं? आज राजधानी की रौनक देख रहे हैं? यह हमारे उन किसानों के कारण है, आदरणीय भूपेश बघेल जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस मंत्रिमण्डल ने किया है और इनकी सरकार ने किया है । क्या स्थिति थी? विधायक लोग कह रहे थे, आप ही के क्षेत्र में गये थे, धनेन्द्र जी ने अपनी बात की शुरूआत की थी, किसानों की आत्महत्याओं पर जब चर्चा होती थी, सदन में उत्तर आपका क्या होता था? किसान कितने परेशान हुआ करते थे? एक बार तो कम से कम विपक्ष में बैठे हैं, संख्या भी केवल 15, आप कहिये ना कि बहुत अच्छा सरकार ने काम शुरू किया है । आप आगे मांग कर सकते हैं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी हमने शुरू की है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में प्रावधान किया गया है । 355 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने की खरीदी हमने शुरू की है । सिंचाई टैक्स बकाया, लगभग 207 करोड़ हमने माफ किया । आप इरिगेशन की बात कर रहे थे, अभी सिंचाई विभाग के बजट में आगे आऊंगा, नदियों का इंटरलिंक करने का हमने बजट प्रावधान किया हुआ है । असादरणीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 411 छोटी सिंचाई योजनाओं के संधारण और नवीनीकरण के लिए हमने बजट में प्रावधान किया हुआ है। लगभग 226 सिंचाई योजनाओं के गैप फिलिंग के लिए जो कि आप कह रहे थे कि डिजाईन के अनुसार एरीगेशन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सिंचाई नहीं कर पा रहा है। 226 छोटी सिंचाई योजनाओं को हमने इस बजट में प्रावधान किया हुआ है। पशु औषधालय के बारे में किसी माननीय सदस्य ने कहा, हमने इस बजट प्रावधान में 20 नये पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया है और इसके लिए बजट प्रावधान किया है। हार्टीकल्चर युनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जरूरत थी। बहुत दिन से हम लोग इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आप तो दोनों प्रकार की बात कहे। आपने अपने भाषण में कहा कि धान का रकबा बढ़ेगा। धान में उतना उत्पादन होगा, किसानों को कितना लाभ होगा, हमें हार्टीकल्चर की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि उत्तर की अलग जलवायु है, मध्य की अलग और बस्तर की अलग जलवायु है। जब हमारी हार्टीकल्चर युनिवर्सिटी आयेगी तो कहां किस तरीके से उद्यानिकी लगेगी, कहां किस तरीके से फलोद्यान लगेगा, कहां उसका डेव्हलपमेंट होगा, कहां उसका रिसर्च होगा, कहां उसकी मार्केटिंग होगी और कहां उसकी पैकेजिंग होगी, किस प्रकार उसका एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, सारे रिसर्च, सारे एजुकेशन उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने इस बजट में हार्टीकल्चर युनिवर्सिटी और दो एग्रीकल्चर कालेज का प्रावधान रखा हुआ है। प्लग शीड नर्सरी यूनिट का भी हमने प्रावधान किया हुआ है। मंडी के बारे में किसी माननीय सदस्य ने कहा कि एक ही मंडी को एडवांस क्यों बनाया जा रहा है, आप और प्रस्ताव दीजिए मंडी बोर्ड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जिन मंडियों में जरूरत होगी उसकी पूर्ति की जायेगी। मंडी अच्छे और एडवांश तरीके से चलें, वहां तकनीकी का उपयोग हो और किसानों को लाभ हो सके इस दिशा में काम करेंगे। फुड प्रोसेसिंग की बातें हो रही थीं। अभी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आये थे, बस्तर से हमने मक्का के प्रोसेसिंग की शुरूआत की है। हमने शुरूआत की है और आने वाले समय में पांच फुड पार्क की स्थापना की जायेगी। मक्का प्रोसेसिंग कोंडागांव में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने मुंगेली, कोंडागांव में आधारशिला रखवाई। कोंडागांव औद्योगिक क्षेत्र पहले से निर्मित है उसके एक पार्ट को मेगा फुड पार्क का दर्जा पहले दिया जा चुका था। मुंगेली में भी एक पार्ट को भी पहले दर्जा दिया जा चुका था, हमारे धमतरी जिले में एक मेगा फुड पार्क बन रहा था। तो आप नई चीज का शिलान्यास नहीं करवाये बल्कि आपने उनको अंधेरे में रखा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नई चीज शुरू करते, आपने जो पांच बजट में रखा उनमें से एक का शिलान्यास करवाते तो मैं उसको मानता।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आपने क्या योजना बनाई, क्या क्रियान्वित किया, लोगों के सामने कितना आ पाया, कहीं शुरूआत कर पाये या नहीं कर पाये ये आप ही जानें। छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। और सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने ही सुगरकेन का कवर्धा का शक्कर कारखाना स्थापित किया। इन 15 सालों में आप केवल एक पंडरिया की शुरूआत कर पाये थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

केवल एक पंडरिया की। बालोद भी हमने शुरू किया था, अंबिकापुर भी हमने शुरू किया था। आप बिल्कुल नहीं कर पाये थे और आप आत्मप्रशंसा में अपनी पीठ थपथपायेंगे तो उसे हम क्या कहें। लेकिन जो शुरूआत हुई उसके लिए आपको प्रशंसा करनी चाहिए। हमने न केवल बजट में प्रावधान किया हुआ है, हमारी कोशिश है कि प्रदेश में इस तरीके से जैसे अभी किसी भाषण में जिक्र हुआ हम लोगों के इलाके में टमाटर की खेती होती है। जशपुर, पत्थलगांव के बारे में अभी धरमजयगढ़ के बारे में भाई लालजीत सिंह कह रहे थे, हम करेंगे। हम फुड प्रोसेसिंग इकाईयां छत्तीसगढ़ में लगायेंगे, हमारा यह सोचना है कि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगना ही चाहिए और उसी से रोजगार जनरेट होगा। एग्रीकल्चर बेस्ड इकानॉमी को हमें सुदृढ़ करना है। रोजगार के अवसर वहीं मिलेंगे। हमारा किसान अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसको मार्केट मिलेगा इसलिए इस बजट में इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं।

अध्यक्ष महोदय, विधि विभाग में लॉयर अकादमी बनाने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया हुआ है। आने वाले समय में एक अच्छा संस्थान छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। कुछ नये कोर्ट के भी प्रावधान हमने किये हैं । आपने कहा न कि सिंचाई में आपने क्या किया, पशु पालन में क्या किया, एग्रीकल्चर में क्या किया ये सारे प्रावधान आने वाले समय में करेंगे। संसदीय कार्य विभाग की बड़ी चर्चा हुई। आदरणीय जी, आपने माननीय विधायकों के बारे में कुछ कही, संसदीय विभाग के बारे में, हम सुनिश्चित करेंगे कि माननीय विधायकों के सुचारू कार्य संचालन के लिए जो थोड़ी थोड़ी आवश्कयता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोगों ने तय किया है, आने वाले समय में इसका प्रावधान करेंगे। सबसे पहले एक सुझाव आया, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जो ब्याज अनुदान गाड़ी के लिए 10 लाख रूपये है, उसको बढ़ा करके 20 लाख रूपये किया जा रहा है अब जो गाड़ी खरीदी करने का ब्याज अनुदान है। (मेजों की थपथपाहट) दूसरा माननीय सदस्यों की एक मांग है कि अभी एक एक कम्प्यूटर आपरेटर और विभाग से अटैच करके उनके साथ अभिलिपिकीय सुविधा पुराने समय से दी जा रही है उसको दिया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) तीसरा मेडिकल फैसलिटी के बारे में आदरणीया भाभी जी ने अपनी कुछ बातें कही, हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट में जैसी व्यवस्था है, वो कैसे हो पाये। सदस्य सुविधा शाखा में ले जा करके, उसको मिटिंग करके चर्चा करेंगे। अगर संभव हो, चूंकि देना ही है, तो उसको किया जा सकता है ये तीन प्रकार के और दूसरा जब सत्र का काल है जन संपर्क विभाग से सभी माननीय सदस्यों के क्या कुछ कह रहे थे ....।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मोहन भैय्या कह रहे थे..।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, जन संपर्क बढ़ा देते तो अच्छा होता। (हंसी) पिछले बार साढे तीन थी 6 की घोषणा हुई है और दो साल तक हमको मिला भी नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, मोहन जी, 10 तक के है, 10 तक के। बिल्कुल आप ही से उम्मीद है।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, भाभी जी की एक बात में सुनवाई की, 10 लाख बोली हैं।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष जी, 2 करोड़ बढ़ा देते हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने 6 लाख की घोषणा की थी।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य में बोलते हुए मैंने सुबह एक बात कही थी कि साहब विधान मंडल और संसदीय कार्य के लिये जो भी अच्छा आप कर सकते हैं करिये तुलना मत कीजिये कि इसने किया, उसने किया, जो आप अच्छा कर सकते हैं करिये। उसमें क्या प्राब्लम है?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, नहीं आप क्या कह रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, मैंने जो जो किया है वो यहां कहां बोलूंगा आपको कभी बताऊंगा। वो ऐतिहासिक है और कई बार किसी भी विधान मंडलों में नहीं हुआ वो यहां हुआ। इस विधान मंडल में सदस्यों के लिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक लोगों की सुविधाएं बढ़नी चाहिए जनप्रतिनिधि हैं, वो जनसंपर्क के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन अपने विभाग की चर्चा करेंगे उस दिन बतायेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत चर्चा हुई हमारे सुक्ति वाक्य के नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी ...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, आप समाचार पत्रों के बारे में कुछ बोल रहे थे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, वो नहीं बोल पाया क्या? माननीय अध्यक्ष जी, एक आखिरी और विधानसभा सत्र काल में सभी माननीय ....।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, उसको हमेशा करिये साहब, उसमें पैसा कितना खर्चा आयेगा। सभी सदस्यों को यदि पेपर मिलता है, यहां के बहस का स्तर भी उठेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, नहीं कर देते हैं। उदारता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और जैसे आपने मांग किया। आप धन्यवाद देना भी सीखिए। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, साहब आप जो जो अच्छा करेंगे सबके लिए धन्यवाद अभी से ले लीजिए। अभी वास्तव में आलोचना का मन ही त्याग दें आप 60 दिन के और उसके जब जब मैंने बात शुरू की तब आपके लिए कही कि आपमें क्षमता है आप कर सकते हैं अभी देखेंगे। लेकिन आप दिखायेंगे क्या ये गर्भ में है?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जैसे माननीय सदस्यों ने कहा दो अखबार, सभी माननीय सदस्यों को, दो ही कहा न।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, आधा अधूरा धन्यवाद। (हंसी) उसको चार अखबार करिये और एक नेशनल डेली पांच ऐसा करिये उसको।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, उनके चक्कर में मत फंसना रमनसिंह.......।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के बारे में पता नहीं किस प्रकार से आप लोगों की सोच है। माननीय शिवरतन जी ने पूछ दिया कि बजट का प्रावधान क्या है?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, ये जो आप बोल रहे हैं कौन से विभाग के डिमांड मांग में है, कहीं दिखता नहीं। आप उसमें अनावश्यक क्यों बोलेंगे ? आपके बजट प्रावधान में नहीं दिखता। आप बजट में बोल रहे हो? आपके प्रतिवेदन में नहीं है। कहीं पर नहीं दिखता तो उसमें बोलने की जरूरत क्या है ? तो आप किस चीज में बोलना चाह रहे हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आपने पहले फिर आजू बाजू में क्यों नहीं बताया? (हंसी) अगर वे प्रश्न नहीं करते तो मैं उत्तर नहीं देता।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चूंकि बजट पर बोल रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमने जो बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी के एड्रेस में था, उस पर उस विषय को उठाया। आपके बजट डिमाण्ड पर उस विषय कोड किया गया कि दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा कौन ने कोड किया?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने भी किया, आपने भी किया।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं उत्तर तो उसी का दे रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आप बजट में उत्तर दीजिए। आपके बजट में नहीं है, हमने उसका कोड किया था।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आपको बोलने का अधिकार है, इधर से बोलने का अधिकार नहीं है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत आराम से बहुत जल्दी कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना बजट के..।

श्री रविन्द्र चौबे :-माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। किसने कहा कि बगैर बजट के होगा? मैंने फिर से कहा कि क्या इसमें पैसा नहीं लगेगा?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी कुर्सी में कुछ कीड़ा है क्या ? आप थोड़ा जांच करवाईये, ये बार-बार उठते हैं। इस पर जांच समिति बैठाईये।(हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अलग-अलग विभागों का कॉडिनेट करके, ये योजना चलाना है। आप लोगों ने अपने कार्यकाल में बार-बार हमारे आदरणीय कवासी लखमा जी बोलते हैं कि - अब डीजल नहीं खाड़ी से अब डीजल मिलेगा बाड़ी से।

आपने बजट में कितना प्रावधान रखा था, नहीं रखा था, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन कभी एकाध बार पलट कर देखिएगा। आपने इतना रतनजोत लगाया था। अंबिकापुर जिले का कुल रकबा उससे ज्यादा अंबिकापुर जिले में प्लांटेशन कर दिया था। ये वैसी योजना नहीं है। इस योजना से छत्तीसगढ़ में गांवों की संस्कृति से सीधा जोड़ने का प्रयास है। अभी बहुत सारे माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे। गौमाता, गौशाला के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। सभी लोग चर्चा कर रहे थे। आपकी तरफ से और इधर से भी चर्चा कर रहे थे। पिछली बार इस विधान सभा में गौशाला के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुईं। अभी हम सब लोग किसान हैं। आखिर 29 सदस्यों ने अपनी बात कही। तो ये सारे किसान हैं और सबको मालूम है कि गोधन का किस तरीके से दुरूपयोग हुआ? कांजी हाऊस का सिस्टम बंद हो गया। गायें बाहर घूम रही हैं। गोठान के मरम्मत के लिए अगर रूलर डेवलपमेंट से पैसा लग जाएगा, अगर परकोटा हो जाएगा। अगर हम वहां चारे, शेड की व्यवस्था करेंगे, अगर चरवाहे को रोजगार गारण्टी से पैसा मिल जाएगा, ये डे केयर जैसा सेंटर गौमाता के लिए खोल दिया जायेगा तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए? आपको तो अच्छा कहना चाहिए। आपको प्रशंसा करनी चाहिए। उसकी व्यवस्था और आगे की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कही है कि जब वहां गौमाता रहेगी तो उसके गोबर का भी उपयोग किया जायेगा। उसके गोबर गैस का संयंत्र भी लगाया जायेगा, उसमें कम्पोस्ड और वर्मीकम्पोस्ड जैसे खाद की भी व्यवस्था की जायेगी। इससे क्या होगा? पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों ने फेंसिंग के नाम से कितना कर्ज लेने की प्रक्रिया है, आप जानते हैं ? एक गांव में अगर गौ माता एक जगह सुरक्षित हो जाएगी तो किसानों के भी खर्चे कम होंगे। किसानों को भी सुविधाएं मिलेंगी। गौ माता की भी रक्षा होगी और आने वाले समय में चराई कम होगी, फसल की क्षति नुकसान कम होगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। आप बार-बार चर्चा करते हैं गोबर गैस और गोठान में आप रोजगार देने वाले हैं। अजय जी ये हास्य व्यंग का विषय नहीं है। ये हमारी इकॉनामी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये गांव की अर्थव्यवस्था से ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा को टाल दिया था। मैं बहुत गंभीर हूँ। इस अवधारणा को जानने के लिए मैंने 139 की चर्चा लगायी है कि आपका कॉन्सेप्ट तो आये। आप तो अभी एक तरफा बिना बजट के बोल रहे हैं, आप उस दिन बोलिएगा, जब हमारी, सबकी बात हो जाएगी। 139 की चर्चा में सब भाग लें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- यदि 139 की चर्चा आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राह्य कर लेंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन बार-बार केवल इसी बात को लेकर की ये हर बार इस तरीके से नारा दिया जाता है, ये सारा काम होगा, होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्‌बोधन हो रहा था तो मैंने अपनी तीन शंकायें व्यक्त की थीं। आप गौठान बनाना चाहते हो, प्लेटफार्म बनाकर बाउण्ड्रीवाल रखना चाहते हो, यह बहुत अच्छी बात है, पूरे छत्तीसगढ़ का किसान स्वागत करेगा, हम भी स्वागत करेंगे। पर जो व्यावहारिक परेशानी है, 50 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें गौठान की 3 एकड़ जमीन नहीं हैं। उसमें अतिक्रमण हो गया है, उसको कैसे खाली करायेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ग्रामसभा करेगी, क्या यह संभव है? दूसरा गोबर गैस प्लाण्ट के माध्यम से आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 90 परसेन्ट सब्सिडी से जो प्लाण्ट बने, वह आज अनसक्सेस हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में बंद पड़े हैं। तीसरा आप बाड़ी का कांसेप्ट रखते हो, आप चार से छः महीने बाड़ी में पानी पालने के लिए फसल में पानी पलाने के लिए कहां से लाओगे? इसलिए हम इस विषय को रखते हैं कि ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पायेगा। हम इस योजना के विरोधी नहीं हैं। आप एक काम करिये कि आप कोई माडल डालकर आठ-दस गांव तय कर लो और उसी को करके देख लो, अगर आप सफल होते हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किस तेजी से चल रहे हैं, उसका एक उदाहरण बता रहा हूं। आप बोलते हैं कि मजाक बनाते हैं, मैं तो बिल्कुल मजाक नहीं बनाता। अब वह घुरूआ में चर्चा पूरी नहीं हुई है, अब उसका एक स्टेप आगे स्मार्ट घुरूआ हो गया। अब हम उसको कैसे चर्चा करेंगे। कल आप बोल दोगे कि ई-घुरूआ होगा। अब हम उसमें कैसे चर्चा करेंगे? ... (व्यवधान)... पूरा एक बार कांसेप्ट आ जाये कि ऐसा करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- आपकी सरकार ने नहीं सोचा, हमारी सरकार सोच रही है और आगे बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब फोन स्मार्ट हो सकता है, शहर स्मार्ट हो सकता है तो घुरूआ स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसको रखिये, हम स्वागत करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- हां कर रहे हैं, देखियेगा। 5 साल में स्मार्ट सिटी तो बना नहीं पाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप देखना चाहते हैं तो शुरूआत तो होने दीजिए न। हम लोगों ने हर विकासखंड में पायलट प्रोग्राम जैसा इसको लिया हुआ है, हमने सारी कमेटियां बना दी हैं, कलेक्टर को अथारिटी बना दिया है, वह प्रत्येक विकासखंड में कोआर्डिनेशन करेगा। मैं तो आपसे भी मांगता हूं, आप सुझाव दीजिए न जहां तीन एकड़ जमीन है और वहां बताईये कि किस तरीके से होगा, हम नहीं करेंगे तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप कहियेगा। हम दिखायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई प्रश्न नहीं हैं, योजना है, अभी शुरूआत कर रहे हैं। नरूआ के बारे में अभी आप ही प्रश्न कर रहे हैं कि पानी कहां से आयेगा। अभी आप बेमेतरा और नवागढ़ का कह रहे थे कि एक हजार फिट में पानी नहीं है, क्या इसके लिए योजना नहीं बनानी पड़ेगी? अगर हम संधारण करते हैं, चेकडेम बनाते हैं, स्वायल कंजरवेशन के काम करते हैं, नमी बरकरार रखते हैं, एनीकट बनाते हैं, नाला को जीवित करते हैं, पानी का लेवल मेन्टेन करने की कोशिश करते हैं तो इसमें प्रश्न कहां हैं? यह योजना जो है, आपकी सोच है और पूरे प्रदेश की सोच है। आप भले यहां कुछ बोल लें, लेकिन प्रदेश के किसान इसको सोचकर खुश भी हैं। गांवों में चरवाहा नहीं मिलते। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि गौपालन के लिए रोजगार गारंटी से हम चरवाहा की व्यवस्था करेंगे तो आप जाकर देख लीजियेगा। इसमें गावों के लोगों में प्रसन्नता है। आप पानी की समस्या कह रहे हैं और स्मार्ट घुरूआ बनाने की बात कह रहे हैं, स्मार्ट का आशय क्या है? आपने तो रायपुर को स्मार्ट बना दिया, शहरों को स्मार्ट बना दिया। स्मार्ट का आशय यह है कि जब गौठान में व्यवस्था करेंगे तो उसके कंपोस्ट, खाद, वर्मी कंपोस्ट का, अगर इस प्रकार से गोबर गैस की व्यवस्था करेंगे, चार लोग रोजगार पायेंगे तो गावों में थोड़ा सुधार होगा। मैं सरपंच था, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग सरपंच रहे होंगे। पहली बार जब हम लोग ग्राम पंचायतों में सरपंच हुआ करते थे तो पंचायत की आमदनी केवल गोठान नीलामी ही हुआ करती थी। आप पंचायत मंत्री रहे हैं, उसको इतना हल्के में मत लीजिए। हम लोग पूरी पंचायत को उस गोठान से चलाते थे। उस जमाने में राजीव गांधी जी के आने के बाद, पंचायती राज आने के बाद इस देश में 73वें और 74वें संशोधन के बाद पैसा आना सीधा शुरू हुआ, उसी के बाद से पंचायतों की स्थिति सुधरी है वरना आप जिस गौठान की बात कर रहे हैं न उस समय पंचायतों का आधार-मूल वही हुआ करता था इसलिये इस कांसेप्ट पर किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने धान खरीदी के बारे में बता दिया 5 हजार करोड़ का बजट प्रावधान । अब इसमें तो आप नहीं बोलेंगे कि बजट में नहीं है करके।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, उसमें तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि को-ऑपरेटिव विभाग आयेगा तब बात करेंगे करके लेकिन अब फ्लेटरिंग की हद तक जाकर प्रशंसा करनी है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं ? जिस विभाग में हैं उस विभाग में बात नहीं करके प्रशंसा ही प्रशंसा कर रहे हैं । देखिये आज एक विशेष घटना घट रही है कि आप मौलिक बात कर रहे हैं, देख-देखकर बात नहीं कर रहे हैं यह असली शासन है । लोगों की बात को समझकर बोल रहे हैं यह असली बात है और इसकी प्रशंसा मैं दिनभर कर दूंगा । अब आप यह कहेंगे कि साहब देख-देखकर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों की किसी बात का ही उल्लेख नहीं है उसकी भी प्रशंसा कर दो तो मैं कैसे प्रशंसा कर दूंगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, आपकी बात का उल्लेख है । मैंने तो अभी शुरूआत आपकी बात से ही

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की । आपकी बात से, श्री शिवरतन जी की बात से, आदरणीय धरमलाल कौशिक जी की बात से, अभी तो मैं माननीय सदस्यों में आया ही नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के अंतर्गत छोटे तालाब योजना के लिये चेक डेम निर्माण और शासकीय भूमि में छोटे तालाब निर्माण के लिये लगभग 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है । बजट के बारे में, गन्ना खरीदी के लिये भी 50 करोड़ का प्रावधान, 355 रूपया प्रति क्विंटल के हिसाब से केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम वैधानिक मूल्य से ज्यादा, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिये प्रत्येक पटवारी हल्का में हम इस प्रकार से केंद्र स्थापित करेंगे उसके लिये 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कृषक समग्र योजना के अंतर्गत बीज उत्पादन, दलहन-फसल के बीज उत्पादन पर 1000 रूपया प्रति क्विंटल और तिलहन बीज उत्पादन वितरण पर 1000 रूपया प्रति क्विंटल का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है । इसके लिये बजट में लगभग 77 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है । छोटी सिंचाई योजना, सिंचाई पम्प के लिये 75 परसेंट कृषकों के अनुदान के लिये 10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान शाकम्बरी योजना के अंतर्गत किया गया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुईं, पिछले बीमा में कितने किसानों को लाभ मिल पाया, नहीं मिल पाया । बीमा की राशि कितनी गयी और कितने किसानों को उसका लाभ मिल पाया यह चर्चा का विषय है । आगामी दिनों में उसकी समीक्षा करेंगे लेकिन इस वर्ष इस योजना के लिये राज्यांश प्रीमियम राशि लगभग 300 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । कृषि श्रमिकों की दक्षता उन्नयन के लिये भी जो प्रावधान किये गये हैं, उनको किट वितरण किया जाता है, 5 करोड़ 49 लाख का प्रावधान किया गया है । वॉटर शेड, एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन कार्यक्रम के लिये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे थे कि अभी कितने तालाब बनाये जायेंगे तो 200 करोड़ का बजट प्रावधान....।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आपने सिंचाई में बातचीत शुरू कर दी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, मैं अभी उसमें कहां आया हूं । मैं अभी एग्रीकल्चर में आया हूं, उसमें अभी आ जाता हूं इसीलिये जल्दी कर रहा हूं । जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्य के लिये 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये लगभग 68 करोड़ 65 लाख का प्रावधान किया गया है । सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्र द्वारा निर्धारित अनुदान सीमा लघु सीमांत कृषकों को 15 प्रतिशत, अन्य कृषकों को 5 प्रतिशत टॉपअप अनुदान राज्यशासन द्वारा दिया जायेगा इसके लिये वर्ष 2019-20 के बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है । स्वाईल हेल्थ कॉर्ड के लिये लगभग 21 करोड़ का प्रावधान, दलहन-तिलहन क्षेत्र विस्तार के लिये टारगेटेड राईसफेलो एरिया योजना के अंतर्गत लगभग 95 करोड़ 45 लाख का प्रावधान किया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के कृषकों के सहकारी समिति के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता हेतु उर्वरक परिवहन के लिये 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । सोयाबीन उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । सूचना प्रोद्योगिकी को इस विभाग में सुदृढ़ीकरण और कार्यप्रणाली को शासकीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिये सुचारू संचालन हेतु लगभग 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कम चर्चा हुई । लगभग 23 शासकीय, 25 निजी महाविद्यालय और 17 अनुसंधान केंद्र तथा 25 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को सौंपी गई है । जहां शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार के कार्य होते हैं । इस वर्ष एक नया कृषि विज्ञान केन्द्र कोंडागांव जिले में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, उद्यानिकी के संदर्भ में, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी । अभी आपने बजट प्रावधान के बारे में कुछ प्रश्न किया कि इसमें केवल 10 लाख ही आवंटित क्यों किया गया है । मैं कहना चाहूंगा कि बजट का नया मद स्थापित किया गया है । अब उसमें कार्यवाही शुरू करेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हार्टीकल्चर की दिशा में, हार्टीकल्चर और फारेस्ट्री को जोड़ते हुए एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे । अध्यक्ष महोदय, उद्यानिकी विभाग का बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 494 करोड़, 29 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । बहुत सारी चर्चाएं हुईं, इस विभाग के संचालित अनुदान के विषयों पर सारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें कही । इस योजना में अभूतपूर्व परिवर्तन किया जा रहा है । पूर्व में अनुदान योजनाएं वेंडर पेंमेंट केन्द्रित थीं इसी के कारण, जितने माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, ये अनुदान कृषकों को न करते हुए, उन वेंडरों के माध्यम से व्यापारियों और कंपनियों को अनुदान चला जाता था । हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसे समाप्त करते हुए सभी प्रकार के अनुदान डीपीटी के माध्यम से नगद या सामग्री के रूप में हितग्राही को दिये जाएंगे । ये बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बढ़िया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आपूर्ति हेतु बीज कृषि विकास निगम । नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे, कंपनी या प्रदायकों से अनुबंध किया जाएगा । प्रबंध संचालक राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्षता में कमेटी बनी है । कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि इसमें रहेंगे । हितग्राही कृषक द्वारा योजनाओं में अनुशंसित कृषि आदानों का क्रय वैध लायसेंसधारी निजी विक्रेता या राज्य बीज विकास निगम से अनुबंधित प्रदायक कंपनी या मार्कफेड से किया जाएगा । इसमें दो-तीन बातें हुई हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें जो किसान प्रोग्राम लेते हैं और जो अनुबंध किसान से बीज उत्पादन के लिए करते हैं । एक तो उसका जो भुगतान है उसको नियमित करवाइए । और दूसरा जो अनुबंध है, वह डिमांड के आधार पर करवाइए । जब डिमांड के आधार पर पूर्ति हो जाती है तो रिजेक्ट किस आधार पर किया गया, क्यों किया गया, उसको कैसे सुधार कर करे, इसके बारे में सिर्फ प्रबंधक ही जानता है और उस किसान को भुगतान कब मिलेगा ? आप एक बार भुगतान के बारे में चेक कर लीजिए । कई बार तो 8-8 महीने तक, एक-एक साल तक भुगतान नहीं मिलता है । इसको ठीक करवाइए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये गड़बड़ियां थीं । इसके आगे भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी। लेकिन आपने सुझाव दिया । हमारी कोशिश होगी कि किसान खुद, अनुदान तो उनको सीधा मिले । अभी सामग्री क्रय के बारे में ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं । जो अनुबंध करते हैं ना, बीज प्रोग्राम के लिए तो अनुबंध में जब धान जमा कर लेते हैं तो भुगतान बहुत लंबी अवधि तक नहीं मिलता, एक । दूसरा, जिस इलाके में जिस तरह के बीज का है, बीज विकास निगम के द्वारा वहां उस तरह का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए कि यहां सरना की जरूरत है, यहां 1010 की जरूरत है, उस तरह की बीजों का उत्पादन वहां हो ऐसे प्रोग्राम बनाएं। वो कुछ भी प्रोग्राम दे देते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं होता होगा । छत्तीसगढ़ में मुख्यत: जिस बीज की जरूरत होती है । किसान उसी का प्रोग्राम लेते हैं । एक बार हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास लगभग 27 क्षेत्र हैं । आप उसका अध्ययन करवा लीजिए ना । मैंने कोई एलीग्रेट्री बात नहीं कही है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपकी बात से सहमत ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- बृजमोहन जी से करा नहीं पाए । बृजमोहन जी से क्यों नहीं करा लिया ? अब यहां भाषण पेल रहे हो (हंसी) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आपकी पारी पूरी हो गई महाराज । पूरी सहानुभूति है, अब आपकी बात को अन्यथा नहीं लिया जाएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इसमें हमने एक और सुधार करने का निर्णय लिया है। क्वालिटी किसान तय करेगा कि सामग्री क्रय करना है। जिस कंपनी का भी भी लेना है वह खुद तय करेगा। हमने विभाग को निर्देशित किया है। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा। अपने भाषण में उल्लेख किया शायद शुरूआत में सौरभ जी ने ही कहा था कि कीमत लगभग देवड़ा और दुगुना लग जाता है। हमने कहा है कि नेगोशियेशन करने का भी अधिकार किसान को रहेगा और यह जानकारी देने के लिए जिस किसान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के द्वारा पहले ऑनलाइन पहले एप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले उस किसान के हाथों में ये ये कर सकते हैं, ये अधिकार उनको हैं कि आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। आप कंपनी चेक कर सकते हैं। च्वाइस आपके द्वारा होगा। गारंटी या वारंटी आपको तय करना है और उसके बाद इसमें अगर नेगोशियेशन हो सकता है कि इस दुकान की कीमत उसी क्वालिटी का सामान दूसरे दुकान में अगर कम कीमत में मिलता है तो यह किसान को अधिकार रहेगा। हमने विभाग को कहा है और निर्देश किया हुआ है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। उसके बाद भी माननीय सदस्य जिस प्रकार से सुझाव देंगे, उसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारा सोचना है, व्यक्तिगत रूप से सरकार का सोचना है कि करोड़ों के बजट का यह विभाग हॉर्टिकल्चर किसानों के हितों में अनुदान के लिए अगर यह कार्यक्रम चलाया जाता है तो निश्चित रूप से किसानों को सीधे लाभ होना चाहिए। मौसम आधारित फसल बीमा के लिए भी लगभग इस वर्ष 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी क्षेत्रों में फसल का बीमा कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 4 करोड़ का प्रावधान पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए बांस वृक्षारोपण के साथ-साथ बांस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी रखा गया है। प्लक टाइप यूनिट की इस वर्ष 2019-20 में 3 प्लक टाइप स्टेबल सीडलिंग यूनिट का स्थापना किया जायेगा। इसके लिए बजट में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बाड़ी विकास योजना, अभी आप पूछ रहे थे कि इसके लिए कितना प्रावधान है ? 10 लाख का प्रावधान, 5 लाख कृषकों के अपनी बाड़ियों में साग-सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के लिए रखा गया है। औषधि एवं सुगंधित फसलों के क्षेत्रवार विकास की योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। जैविक खाद प्रोत्साहन उत्पादन प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में इस साल 10 लाख की व्यवस्था की गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंडी बोर्ड की भी आने वाले समय की बहुत योजनाएं हैं। कृषि उपज मंडी में जो भंडारण क्षमता है, उसका विस्तार किया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी, कुल चेंबर बनाया जाएगा। जहां-जहां मंडी में प्रस्ताव होगा। ग्रेडिंग, सार्टिंग एंड पैकिंग के प्लांट लगाये जाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि प्रोसेसिंग इकाई लगाने के लिए भी अधिसूचित क्षेत्र की मंडियों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे और मंडी में संयुक्त उपक्रम से प्रोसेसिंग इकाई लगाये जाने की योजना बनाई जाएगी। कुछ क्षेत्रों में इसके लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी की पार्क की स्थापना बायो इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। जिसके लिए बजट में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पशुधन विकास के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुईं। पशुधन और कुक्कुट पालन, डेयरी के बढ़ाव इन सबके लिए पिछले साल की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक ग्रामीण कुक्कुट पालन के क्षेत्र में लगभग 115 प्रतिशत अधिक पशु संवर्धन के क्षेत्र में पशु पालकों की आय की वृद्धि के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए लगभग 20 नवीन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। नवीन कुक्कुट पालन क्षेत्र में दंतेवाड़ा में नवीन कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र स्थापित किया जा रहा है । उसके लिए लगभग 47.23 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। पशुधन विकास के लिए भी कामधेनु विश्वविद्यालय के वेटनरी पॉलीटेक्नीक महासमुंद, जगदलपुर, सूरजपुर में क्षेत्रीय पशुधन प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए लगभग 91.72 लाख की व्यवस्था इस बजट में किया गया है। राज्य के पशुधन विकास अभिकरण के लिए भी, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा दुर्ग के विकास के लिए लगभग 931.85 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण द्वारा नेशनल प्रोग्राम फार बोविन ब्रीडिंग (National programmee for bovine breading) के अन्तर्गत लगभग 300 प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए, उनके प्रशिक्षण के कार्य के लिए 240 लाख का प्रावधान किया गया है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मछली पालन के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुईं। हमारे बहुत सारे आदरणीय सदस्यों ने, भाई कुंवर सिंह निषाद जी ने इतनी सारी मछलियों के नाम का जिक्र कर दिया, वह नाम मुझे लिखना-पढ़ना पड़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग 77,857 ग्रामीण तालाब और उसका जल क्षेत्र लगभग 01 लाख 11 हजार हैक्टेयर तथा सिंचाई तालाब 1,770 और उसका जल क्षेत्र लगभग 82.82 लाख हैक्टेयर मछली पालन के लिए उपलब्ध है। उपलबध जलाशयों में से लगभग .938 लाख हैक्टेयर ग्रामीण जल क्षेत्र, .801 लाख हैक्टेयर सिंचाई जलाशय मछली पालन के अन्तर्गत आता है। भाभी जी, आपने कल-परसों एक प्रश्न किया था। हमने विभाग को निर्देशित किया है, न केवल वहां, ये जितने जल क्षेत्र हैं, उसमें पहला अधिकार छत्तीसगढ़ के उन मछुआरों, उन समितियों को है। अभी आदरणीय कुंवर निषाद जी ने बिलासपुर जिले के खूटाघाट बांध का जिक्र किया कि वहां स्थानीय मछुआरों को शायद काम नहीं दिया गया। हम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि हमारे जो स्थानीय मछुआरें हैं, उन्हीं को वहां उस प्रकार से मछली पालन के लिए काम मिलना चाहिए। राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन लगभग 294 करोड़ स्टैण्डर्ड पर है। राज्य का मत्स्य उत्पादन 4.57 लाख मीट्रिक टन है। मत्स्य उत्पादन में राज्य का स्थान छठवां है। राज्य में केज कल्चर से मछली पालन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में भी मछली पालन के लिए अनुदान की सारी व्यवस्था है। मछली पालन छत्तीसगढ़ में एक नये उद्योग का रूप आने वाले समय में लेने वाला है। आने वाले समय में बजट का जितना प्रावधान है और यहां पर जिस प्रकार से जल क्षेत्र उपलब्ध है, हमारे विभाग के द्वारा नीलकांति योजना इसमें लागू किया गया है। इसमें सामान्य क्षेत्र के हितग्राहियों को लगभग 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों के लिए 60 प्रतिशत के अनुदान पर तालाब निर्माण, सर्कुलर हेचरी,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

फीड मील की स्थापना हेतु व्यवस्था की जाती है। इसके लिए भी लगभग 6 लाख रूपये फुटकर मछली विक्रेताओं के लिए रिटेल आऊट लेट खोलने के लिए, इस प्रकार से बजट का प्रावधान किया गया है।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जल संसाधन विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। यह छत्तीसगढ़, हम लोग पं0 श्यामाचरण शुक्ल जी को हमेशा याद करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी परियोजना सिंचाई के लिए उनकी देन है। महंत बिसाहू दास जी को हसदेव बांगो मिनीमाता की परियोजना के लिए याद करते हैं।, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चंदू लाल जी चन्द्राकर को स्मरण करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के सिंचाई योजनाओं के सन्दर्भ में हमेशा न केवल चिंतित रहते थे, अण्डर ग्राउण्ड वाटर के बारे में भी उनकी सोच हुआ करती थी। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पानी का दोहन किया जा रहा है, अगर हम इसका संधारण नहीं करेंगे, इसके लिए योजना नहीं बनायेंगे तो हमाने उन नेताओं ने छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले इस प्रकार से क ल्पना की थी, तो आने वाले समय में इस सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में विकास करने की हमारी योजना होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, जब आप कृषि विभाग में बोल रहे थे कि 77 प्रतिशत बढ़ा है, तो आपका चेहरा कुछ चमक रहा था। जल संसाधन विभाग के बारे में बोल रहे है तो उसको इमोशनल टच दे दिए कि इनकी परिकल्पनाएं हैं। हम भी मान लिए उनकी परिकल्पनाएं हैं। बिलकुल छत्तीसगढ़ के महान सपूत हैं। तो बजट कितना कम हुआ है, आप उसको बताओ न ? कौन-कौन से मद में कितना प्रतिशत बजट कम हुआ है, आप उसको बताओ न ? यहां से शुरू करिये। जैसे वहां बजट बढ़ा है, कहकर आप शुरू किए थे तो इसमें कम हुआ है, उसको भी आप बताओ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें छिपाने की क्या बात है ? बजट की किताब आपके पास है, प्रशासकीय प्रतिवेदन आपके पास है और आप जानना चाहते हैं तो मैं दोहरा देता हूं । इस साल जल संसाधन विभाग में 2872.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है, पिछले साल से लगभग 200 करोड़ रूपए कम है, आयाकट विभाग में पिछले साल की तुलना में लगभग 121.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है, पिछले वर्षों में 2018-19 में आपने 300 करोड़ रूपए के 481 काम लिए थे, जिसकी प्रस्तावित सिंचाई हेक्टेयर था, वह 80 हजार हेक्टेयर था । इस साल इस सरकार ने इस योजना में 300 करोड़ रूपये की ही व्यवस्था की है, एक रूपए की कटौती नहीं की है, 411 प्रस्तावित कार्य 2019-20 में लिए गए हैं और पिछले साल जो प्रस्तावित सिंचाई का हेक्टयर था, वह 80 हजार हेक्टयर था, इस साल 1,35,390 हेक्टेयर की व्यवस्था की गई है । कुल मिलाकर लगभग 20 लाख, 88 हजार हेक्टेयर छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता की वृद्धि होगी । कुल मिलाकर कुल सृजित इकाई डिजाईन जितनी सिंचाई है, आपने बजट की बात कही, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं थी । 100-200 करोड़ तो टेण्डर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की पाईप लाईन से निकल जाता है, आप उस बात को समझ रहे हैं न कि मैं क्या कहने जा रहा हूं ? इसीलिए बजट में कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन आपको मानना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 79 प्रतिशत वृद्धि हुई है और आपने एरीगेशन का पूछा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच एग्रीकल्चर और एरीगेशन के लिए क्या है ? इसलिए बजट की कटौती नहीं है, आपका आशय मैं समझ रहा था कि कर्ज माफी और धान की कीमत और 18 हजार करोड़ की व्यवस्था आपने कहां की होगी, ये सरकार का वित्तीय अनुशासन है । इसलिए ये सब व्यवस्था हो पायी, बजट में बहुत ज्यादा कटौती नहीं हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गृह विभाग का जब बजट भाषण हुआ तो हमने माननीय ताम्रध्वज साहू जी को बार-बार पूछा कि कितनी कटौती हुई है । वे ये भी नहीं बोल पाए कि वित्तीय अनुशासन है, कितना है, क्या है ? आपने स्वीकार किया, इसके लिए बधाई । वे इधर-उधर देखते थे, लेकिन उन्होंने आखरी तक नहीं बताया । आपने बता दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, ये हर बात का उत्तर लेने का अधिकार लिये हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप दोनों में कोई सांठ-गांठ हुआ है क्या कि वे हर बात के लिए आपसे बात करते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं, आप उसका जवाब देते हैं । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहता हूं ।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, उनको थोड़ा डांटिए, उनको आपकी तरफ मुखातिब होकर इधर बात करना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं तो आपको ही देख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- वे तो नहीं देख रहे हैं । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने क्षमा मांग लिया है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। थोड़ा करेक्ट कर देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कृषि के बारे में बता रहे थे । मांग संख्या-13, 41, 45, 54, 64 पुनरीक्षित 2018-19 में कुल मिलाकर 10829 करोड़ रूपए था । इस बार 2019-20 में जो प्रावधान रखा गया है, वह 7600 करोड़ रूपए है । इसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे । या तो उसको आप सुधार देंगे, जो मैं बोल रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी उसमें आता हूं । जल संसाधन का उत्तर दे दूं, फिर कृषि विभाग का बताऊंगा । आपने उसको पढ़ा तो मैं बहुत आगे निकल गया था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जल संसाधन विभाग में अभी अपनी बात कह रहा था । इस साल 2019-20 में कुल 2872 करोड़ का प्रावधान जल संसाधन विभाग में किया गया है, जिसमें आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिए 616.48 करोड़, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 237.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस सरकार के बनने के बाद हमारा सबसे बड़ा निर्णय 26 जनवरी, 2019 को कृषि प्रयोजन एवं अंतर जल कर के रूप में कृषकों से वसूली योग्य बकाया राशि 207 करोड़ रूपये को माफ करने की घोषणा की गई है, उसके लिए बजट प्रावधान इसमें किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जल संसाधन विभाग का बजट बताया । इनके जन घोषणा पत्र में 5 साल में सिंचाई योजना को डेढ़हा करने का उल्लेख है । अब पांच साल की सिंचाई योजना एक दिन में तो पूरी नहीं होती तो कितनी सिंचाई योजना की वृद्धि करने के लिए आपने नया प्रयोजन किया है, जिससे कितना रकबा बढ़ेगा, इसको जरा स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पन्द्रह सालों में आपने
मात्र 11 परशेंट ही वृद्धि किया है । आप यह क्यों भूल रहे हो ? जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, 23 परशेंट था । आज 34 परशेंट है, मात्र 11 परशेंट आपने बढ़ाया है। 15 साल राज करने के बार भी 11 परशेंट है । आप यह क्यों भूल रहे हो ?

श्री रविन्द्र चौबे :- कभी हमारे जनघोषणा पत्र की चिन्ता करते हैं तो अपने संकल्प पत्रों को कभी याद करते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे संकल्प पत्र को याद करके हम यहां आ गये । अब तो हम आपके जनघोषणा पत्र को याद करके आपको पांच साल याद दिलाते रहेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा बेबाक स्थिति क्या होगी, यह बताईये ? आपको उसी बेबाकी से बोलना चाहिये ? जिस बेबाकी से हमने स्वीकार किया, उसी बेबाकी से आपको बोलना चाहिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :-जनघोषणा पत्र आपके सदस्यों को याद नहीं होगा, हम लोगों को पूरा याद हो गया है ।

श्री कवासी लखमा :-घोषणा पत्र याद आते रहेगा क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- महेश गागड़ा जी, आऊट हो गये । अब खुद को खुद ही देख रहे हो । पहले महेश गागड़ा जी की चिन्ता करते थे ।

श्री कवासी लखमा :- इस्तीफा कब होगा, हम वही देख रहे हैं । छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, इस्तीफा कब होगा ? इतना बड़ा जुमलाबाजी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, यही है संसदीय कार्यमंत्री । इनके विभाग में टोका-टाकी नहीं होगी तो किसके विभाग में होगी ? इनके में ही सबसे ज्यादा होगी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ । जितने भी प्रश्न आपने उठाये हैं, जितने भी प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी उठाये हैं, नेता प्रतिपक्ष जी उठाये हैं, शिवरतन जी पता नहीं कह रहे हैं कि पांच साल में डेढ़ गुना करने का आपने प्रस्ताव रखा है । आप क्या यह मानकर चल रहे हैं कि 3000 करोड़ के बजट में हम लोग डेढ़ गुना कर देंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यही तो मैं जानना चाह रहा था ?

श्री रविन्द्र चौबे :- पूरा सुनिये ना, हमारी योजनाओं को सुनिये । अभी तो पहला बजट पेश हुआ है । इसके बार अनुपूरक आयेगा, फिर अगले साल आयेगा।
हम को काम करने का वख्त दीजिए । लगातार बजट बनायेंगे । आप पन्द्रह साल रहे तो हम लोग 30 साल बजट बनायेंगे । आने वाले समय में किस तरह से करना है, यह आपको बतायेंगे । अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 8 वृहत, 38 मध्यम, 2430 लघु सिंचाई योजनायें तथा 712 एनीकट निर्मित है । वर्तमान में 4 वृहद, 398 लघु और 141 नये एनीकट और बराज निर्माणाधीन है । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सौरभ जी ने प्रश्न उठाया कि लगभग सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी 9 करोड़ के आसपास की राशि सोलर प्रणाली से जो नदी किनारे जैसा आपने कहा, कैनाल सिस्टम में, आप में से किसी सौरभ भाई ने प्रश्न उठाया था, उद्योगों को जलप्रदाय करने के संदर्भ में मीटरिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है । आने वाले समय में इस दिशा में भी हम लोग कार्य करेंगे । यह हम लोग सृजित और वास्तविक सिंचाई योजना के बारे में शिवरतन जी बार-बार प्रश्न कर रहे हैं कि गैप फिलिंग कैसे होगी, एस पर डिजाईन जो एरिगेशन के सिस्टम है, वह एरिगेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, 226 योजनाओं को इसी बजट में आप पढ़ेंगे, 226 योजनाओं को, सिंचाई की इस गैप फिलिंग के लिए हम लोगों ने इसमें शामिल किया है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय सदस्य ने पैरी के बारे में थोड़ी चर्चा की, माननीय अजय भाई ने पैरी के बारे में चर्चा की, पिछले 15 सालों में पैरी के बारे में कोई सोच डेवलप नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की तकदीर को बदलने वाला योजना होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, 15 सालों में नहीं हो पाया, चलिये यह बात मैंने मान ली । मैंने उसको 14 साल 15 साल गिनती के लिए नहीं कही थी । मैंने यह कही थी कि एम.आर.पी. का पूरा उपयोग तभी होगा, जब सोंढूर और बारूका के बीच में राजनीतिक दृष्टिकोण बनेगा और सब लोग इसमें राजनीति नहीं करेंगे तो सहमति की ओर बढ़ेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- सहमत, आपकी बात से सहमत । इसमें सहमति बनाने की जरूरत है । पैरी के पानी का उपयोग करना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है । हम लोग जानते हैं, हम लोगों के इलाके में साजा, धमधा, कवर्धा, लोरमी, कुछ मुंगेली, हम लोगों के क्षेत्र में एक भी एकड़ जमीन खाली नहीं है। एरिगेशन के कितने सिस्टम है या नहीं है, लेकिन किसानों में खुशहाली है । अकेले हमारे धमधा और दुर्ग के इलाके से 300 करोड़ का टमाटर निकलता है, लेकिन आपके इलाके में?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने बार-बार और आग्रहपूर्वक इसलिए कहा कि एम.आर.पी. में पेयजल जब पहले था, आज आवंटन देखिए, उद्योग मतलब बी.एस.पी. के लिए उसके एग्रीमेंट हैं। तो धीरे-धीरे दारूका नहीं बनने से या विकसित नहीं होने से, सोंढूर की पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं होने से सिंचाई के पानी नीचे तक ही जाने में, पानी उपलब्ध होने के बाद भी परेशानी है और वह बढ़ेगी, इसलिए उसके लिए सहमति या दृष्टिकोण मैंने कहा था।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी जिस दिशा में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की जरूरत है। लगभग 26 प्रतिशत आबादी अर्बन एरिया में रहती है। आखिर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भाटापारा तक पानी हमको देना ही होगा, वॉटर सप्लाई करना ही होगा। उद्योगों का जितना हमारा एग्रीमेंट है हमें वह देना ही होगा। इसलिए जरूरत है। हमारा वर्तमान में एम.आर.पी. सिस्टम का जितना पानी है उसके अलावा हमारे वॉटर सोर्सेस में जितना जल भराव क्षमता है उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है। और अभी प्रमोद जी अपने प्रश्न में कह रहे थे ना, उनके कुम्हारी जलाशय की बात हो रही थी, उनके सारे जलाशयों की बात हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गये थे, उन्होंने कहा कि शिवनाथ का पानी ले जायेंगे और अभी यदि तत्काल व्यवस्था नहीं हो पायेगी तो समोदा से या एम.आर.पी. से थ्रू जी.एम.आर. के पाईप से हम कैसे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं ये सारे विचारणीय मुद्दे हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम सबको नीति बनाने की जरूरत है, योजना बनाने की जरूरत है। इसलिए पैरी के संदर्भ में इस सदन की सहमति भी बनाने की आवश्यकता है। पैरी के पानी के एक-एक बूंद का कैसे उपयोग किया जा सके, टोपोग्राफिकली ऐसा महसूस होता है कि पैरी के पानी को पूरा एम.आर.पी. में डाला जा सकता है। आपका जो नेटवर्क है, आपका जो कैनाल सिस्टम है उससे उपयोग करके हम पानी को बलौदाबाजार तक बढ़ा सकते हैं, हम एक्वाडक्ट बनाकर पानी को बिल्हा तक भी ले जा सकते हैं। पैरी में बहुत पानी है। आने वाले समय में उसका किस तरह से उपयोग हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे सदन की सहमति इस प्रकार की योजना बनाने में हो। अरपा-भैंसाझार की बात हुई, आदरणीय धरम लाल कौशिक जी अपनी बात कह रहे थे, आदरणीय भाभी जी भी अपनी बात कह रही थीं, निश्चित रूप से समय ज्यादा लगा इसलिए उसको पुनरीक्षित करना पड़ा है और आने वाले समय में परियोजना के निर्माण कार्य का शीर्ष कार्य 98 प्रतिशत और नहर का कार्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इस वित्तीय बजट में हमारी कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जिन योजनाओं के 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुके हैं उसमें बजट का पूरा प्रावधान किया जाए। इसलिए आदरणीय भाभी जी, इस बजट में भी 127 करोड़ रूपये अरपा भैंसाझार में प्रावधान किया गया है और हमारी योजना है। पिछले विधानसभा के किसी प्रश्न में हमने उत्तर भी दिया है कि इस योजना को इसी आगामी सत्र में पूर्ण करके हम सिंचाई के लिए उपलब्ध करायेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण योजना वृहद जल केलो जलाशय की है। इसमें 175 ग्रामों की लगभग 22810 हेक्टेयर जमीन में इसकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा रायगढ़ शहर के लिए 4.4 मिलियन घनमीटर और वहां की इंडस्ट्री के लिए 4.44 मिलियन घनमीटर पानी की व्यवस्था की जायेगी। इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए लगभग 30.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। समोदा-निसदा व्यपवर्तन योजना के लिए भी इस बजट में 30.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सोंढूर, जिसकी चर्चा हो रही थी, आदरणीया डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी अपनी बात कह रही थीं, सिहावा विधानसभा के अंतर्गत ये सोंढूर का काम लगभग प्रगति पर है। इसकी जो पुनरीक्षित लागत है ये 34.45 करोड़ की है। इससे सिहावा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 66 गांवों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और इसके लिए भी लगभग 85 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में किया गया है। इसका मतलब है कि जो कार्य अभी किये जायेंगे, जो पूर्णता की ओर है उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है। इस सदन में हमेशा छः बैराज की चर्चा हुई है। समोदा, बसंतपुर, मिरौनी, साराडीह और कलमा, वित्तीय वर्ष में 175 करोड़ का बजट प्रावधान इसके लिए भी किया गया है। इन बैराजों के लिए 18 उद्योगों को लगभग 684.29 मिलियन घन मीटर जल आबंटित है। पूर्व से एग्रीमेंट है, उसमें इसके द्वारा राशि की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हम पानी तो देंगे उन उद्योगों के द्वारा 25 हजार 291 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रस्तावित है और अपने स्वयं के साधनों से आसपास के किसानों के द्वारा लगभग 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, आप ये कहे उसके लिए धनयवाद, क्योंकि आपके लोग कह रहे थे कि आपने उद्योगों के लिए बिराज बना दिया, किसानों के लिए नहीं बनाया। जब उधर का भाषण हो रहा था तो, ...।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं माननीय भूपेश बघेल जी, उस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो मुआवजा के लिए भी संघर्ष किये है, श्री राहुल गांधी जी के यहां चले गये थे और सही में उद्योग के लिए पानी बना है तभी तो योजना बना के उसको किसानों के लिए किये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, एक और वृहत सिंचाई योजना केलो योजना का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 972 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है। वर्ष

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

2017-18 में इसके लिए 81.21 करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसके लिए अभी टेंडर और निविदा की कार्यवाही प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष इस वर्ष में इसके लिए 48 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। खारंग सिंचाई परियोजना के लिए भी इस वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से 8 हजार 300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। मनियारी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लगभग 11 हजार 515 हेक्टेयर में इसके लिए लगभग 45.37 करोड़ रूपये का टोटल स्वीकृति है। 2019-20 के बजट में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप धन्यवाद देंगे, लगभग 30 करोड़ रूपये का इसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के द्वारा भी प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त 17 सिंचाई योजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है। कुल 112 सिंचाई योजनाएं स्वीकृति की गई है, 67 हजार 779 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विस्तार किया जायेगा। इन नवीन कार्यों के लिए इस बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर के लिए लगभग खरखरा, इंदावती, घूनघूंटा और खारंग जलाशय इनके पेयजल आबंटन की प्रदाय की स्वीकृति दी गई है। इंटर लिंकिंग योजना जिसके बारे में आप बहुत चिंता कर रहे थे, प्रदेश के विभिन्न नदियों, के निर्मित परियोजनाओं को पूर्ण जल ग्रहण के पश्चात अतिरिक्त जल का समुचित उपयोग करने के लिए इंटर लिंकिंग परियोजना के अंतर्गत यथा महानदी, तांदुला लिंक परियोजना, पैरी महानदी लिंक परियोजना, रेहम अटेंप लिंक परियोजना, अरिहंत खारंग लिंक परियोजना, बहुत माननीय सदस्य अरिहंत को जोड़ने के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अरिहंत का पानी खारंग से ला करके बिलासपुर तक माननीय शैलेष जी आपने अपनी बात में इसका जिक्र किया था, तो उन योजनाओं को हम आने वाले समय में टेकप करेंगे । महानदी तांदुला लिंक परियोजना के लिए 30 करोड़, पैरी महानदी लिंक परियोजना के लिए 1.55 करोड़, कोडार नैनी के लिए 5 करोड़ का पूर्व में बजट प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में हसदेव अरपा लिंक नहर हेतु लगभग 50 लाख रूपये और रेहम अटेंप लिंक परियोजना हेतु 50 लाख रूपये का बजट प्रावधान इस बजट में किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण कुछ योजनाओं को मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। आने वाले समय में छतीसगढ़ के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। बजट की उपलब्धता और आने वाले समय में किस प्रकार से इसका सर्वे का काम होगा और किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर आप आने वाले समय में माननीय सदस्य इन योजनाओं पर सुझाव देंगे, विभाग की तैयारी है कि उन क्षेत्रों में व्यर्थ वर्षा का पानी जो बह जाता है उसको कमी वाले क्षेत्रों में कैसे उपयोग करना है ? सबसे पहले मोंगरा शिवनाथ नदी का लगभग पूरा पानी मोंगरा एक डेम साईड था। बैराज बनाने के बाद उस पूरे पानी का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों ने योजना बनायी है कि मोंगरा को मोहड़ होते हुए खरखरा से जोड़ने, पैरी पिकअप वियर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को रूद्री बैराज से जोड़ने, जोंक नदी से बलार मिडियम प्रोजेक्ट को जोड़ने की, अिरहन खारंग लिंक परियोजना बनाने, कोडार नैनीनाला की परियोजना को जोड़ने और महानदी तांदुला लिंक परियोजना बनायी है। महासमुंद जिले के केशवा नाला के माध्यम से बम्हनी नदी से उसको जोड़ने की योजना, ये सारी योजना बनायी है और रायपुर जिले में माननीय प्रमोद जी के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा है कि शिवनाथ के पानी को कुम्हारी जलाशय से जोड़ने की जो हमारी योजना है आने वाले समय में आप इन सारी योजनाओं को मूर्त रूप लेते देखेंगे। इसके लिए हम लोग प्रावधान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-2020 के बजट में कुगदामुड़पार जल संवर्धन कार्य हेतु 50 लाख रूपये, शिवनाथ नदी से तुर्रेटोला मोहर जल आवर्धन के लिए 50 लाख रूपये, अरिहन से गागरी नाला जल संवर्धन हेतु 50 लाख रूपये, बलार से जोंक नदी जल संवर्धन कार्य हेतु 2.50 करोड़ रूपये, मटिया मोती जल आवर्धन कार्य हेतु लगभग 1 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सौर और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए अभी बहुत सारी बातें हुईं। इससे कृषकों को सीधा लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत 23 योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु लगभग 26.60 करोड़ रुपये, 15 सौर, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं हेतु लगभग 8.20 करोड़ रुपये, तीन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 1.70 करोड़ रूपये, 8 निर्मित उद्वहन सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु 4.50 करोड़ रूपये का इस साल के बजट में हम लोगों ने प्रावधान किया है। इसमें भाठागांव, अंजोरा, चंगोरी जैसी उद्वहन सिंचाई योजना शामिल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सिंचाई लगभग 13 लाख हेक्टेयर की होती है। जबकि सृजित डिजाईन 21 लाख हेक्टेयर की है। ये 9 लाख हेक्टेयर की कमी को हम आने वाले समय में कैसे दूर कर सकें? इसकी वृद्धि धीरे-धीरे किस प्रकार से हो सके? नालों के स्थान पर पाईप लाईन से सिंचाई दक्षता को कैसे वृद्धि कर सकें? इसके लिए ये कार्यक्रम लिया गया है। इसके लिए बजट प्रावधान भी किया गया है। सृजित एवं वास्तविक सिंचाई को अंतर करने के लिए 226 योजनाओं में काम किया जायेगा। इसके लिए इसमें 154 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। 185 नई योजनाओं में सिंचाई का जो सृजन किया जायेगा, इसके लिए 145 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 17 सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 15 सौर सूक्ष्म योजनाओं के लिए 8.20 करोड़ रुपये और 03 नई उद्वहन सिंचाई योजनाओं के लिए 8.70 करोड़ रुपये और जल संवर्धन की 05 योजनाओं के लिए 05 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षों से जल संसाधन विकास नीति के बारे में चर्चा होती है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और आने वाले समय में इसको दुर्लभ भी कह सकते हैं। इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। जो जीवन, जीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे विकास का आधार है। छत्तीसगढ़ राज्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की 80 प्रतिशत आबादी केवल कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका हेतु निर्भर है। प्रदेश में सर्वांगीण विकास एवं जल संसाधनों के दक्ष दोहन हेतु एक प्रभावी व्यावहारिक जल संसाधन विकास नीति अत्यंत आवश्यक है। आने वाले समय में आप इस नीति को मूर्त रूप होते देख सकेंगे।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, आयाकट विभाग के लिए 121.89 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, इसके लिए राज्य में जो फील्ड चैनल का निर्माण होता है, काडा नालियों के द्वारा मिट्टी और लाईनिंग का काम होता है, इसलिए काडा के लिए 2019-20 के बजट में 121 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि कृषि के बाद जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। हमारी सरकार की भी सोच है छत्तीसगढ़ की नदियों का, सतही जल सत्रोत का हम किस तरीके से उपयोग कर सकें। हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट नीति तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, इस प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से अभी हमने अपने पुराने नेताओं को स्मरण किया। अगर हम रविशंकर परियोजना की चर्चा करते हैं तो पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम अनायास ही हम लोगों को स्मरण हो जाता है। हम जब हंसदेव बांगों, मिनीमाता डेम की चर्चा करते हैं तो माननीय बिसाहू दास जी महंत को याद करते हैं। इसलिए जिन प्रश्नों का अभी माननीय प्रतिपक्ष के साथियों ने यहां प्रश्न उठाया, हमारे सभी माननीय सदस्य, लगभग 30 सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। इसका मतलब है कि अगर हम कृषि के क्षेत्र में विकास करेंगे तो आवश्यक है कि इस प्रदेश का जो सतही जल है, नदियों के पानी का उपयोग है, बरसात के पानी का उपयोग है, इसको हम पूर्ण रूप से कर सकें। इसलिए सारे विभागों में बजट के आवंटन किस प्रकार से हुए, यह तो समय-समय पर सदन में चर्चा होगी, लेकिन मेरे एग्रीकल्चर, इरीगेशन डिपार्टमेण्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की। आपके सामने मैंने सारी योजनाओं का जिक्र किया कि नदियों का इंटरलिंक कैसे होगा, नहरों से हम किस प्रकार से जोड़ेगे और पानी का सदुपयोग किस प्रकार से खेतों में पहुंचायेंगे। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को इस प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं, उसके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि आप सब लोगों को आने वाले समय में, मैं जानता हूं कि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने और प्रकार के भी प्रस्ताव दिये हैं। अभी विभागीय चर्चा में जल संसाधन विभाग में, सभी किसान सदस्य हैं, अगर 100, 200 एकड़ की भी सिंचाई परियोजना किस तरीके से बन सके, ये किसानों की इच्छा है तो आने वाले समय में मैं आप सबसे सुझाव आमंत्रित करूंगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बस्तर से आदरणीय दीपक बैज जी, मोहन मरकाम जी, आदरणीय सभी माननीय सदस्यों ने बस्तर की सिंचाई से संबंधित छोटी-छोटी योजनायें के लिए इस सदन में अपने प्रस्ताव दिये, आने वाले समय में उन सारी योजनाओं को हम क्रियान्वित भी करेंगे और सिंचाई सुविधा का विस्तार भी करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास विधि विभाग भी है। आने वाले समय में नये न्यायालयों की स्थापना के लिए 2019-2020 में कुल बजट का प्रावधान लगभग 911 करोड़ रुपये का किया गया है। मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया छत्तीसगढ़ में एक लायर एकाडमी की स्थापना करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। जिला एवं अधीनस्थ 20 न्यायिक भवनों के लिए 45 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में 7 नये कोर्ट रूम के लिये बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में लंबित न्यायिक प्रकरणों की संख्या 2,67,309 है, वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या 468 है। राज्य सरकार सक्रिय भागीदारी और सहयोग से आने वाले पांच, सात, दस वर्षों के बीच में लंबित प्रकरणों की संख्या जो कम हुई है, वह अन्य राज्यों की तुलना में कम है। कुछ नये न्यायालय प्रारंभ करने का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कुछ न्यायालयों के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्ताव दिये, लेकिन नये न्यायालय प्रारंभ करने, ए.डी.जे. कोर्ट और उसके लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं, माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो प्रस्ताव सदन में आये हैं विभाग के माध्यम से उसमें किस प्रकार से और क्या कुछ किया जा सकता है और करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम संसदीय कार्यविभाग चूंकि मेरे पास है उसकी शुरूआत में माननीय अजय चंद्राकर जी ने अपनी चर्चा में संसदीय कार्य विभागों के बारे में उन्होंने अपनी बात कही थी इसलिये माननीय विधायकों के लिये, उनके कार्य के लिये, उनके सुचारू संचालन के लिये, सदन के गरिमापूर्ण संचालन के लिये और संसदीय कार्यविभाग में मुझे काम करना रहता है लेकिन संरक्षण तो आपका रहता है इसलिये उसमें न तो बजट की कोई कमी होगी और न माननीय सदस्यों को काम करने में, मैं जानता हूं हम लोगों ने भी विधायक के रूप में काम किया है, विधायकों की चिट्ठी के बारे में कभी चर्चा होती है । सदन में विधायकों के सम्मान के बारे में कभी चर्चा होती है, अगर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हम लोग जानते हैं कि विधायिका सर्वोपरि है । कार्यपालिका के ऊपर है और विधायिका के माननीय सदस्यों का सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए । (मेजों की थपथपाहट) उसके लिये आवश्यक जो भी संसाधन मुहैया कराना है हम लोग करेंगे । मेरी बातों को आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, मेरी मांगों को, मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से जैसा अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे, वे कटौती प्रस्ताव भी वापिस ले लेंगे (हंसी) अगर विभागों की चर्चा में कहें । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मेरे सभी विभागों की मांगों को सर्वसम्मति से स्वीकार करें । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 29, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45 एवं 75 पर प्रस्तुत कटौती प्रसताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब, मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	-	28	राज्य विधान मण्डल के लिये-अड़सठ करोड़, इकतालीस लाख, इकसठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- पांच सौ अन्ठानबे करोड़, उनसठ लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	13	कृषि के लिये- तीन हजार नौ सौ बयासी करोड़, छः लाख, चौवन हजार रूपये,
मांग संख्या	-	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये- पांच सौ चालीस करोड़, चौहत्तर लाख, चौदह हजार रूपये,
मांग संख्या	-	16	मछलीपालन के लिये- उनहत्तर करोड़, अट्ठाईस लाख, उनतीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- एक सौ इकसठ करोड़, पचास लाख रूपये,
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग के लिये- एक हजार उनहत्तर करोड़, उनतीस लाख, चार हजार रूपये,
मांग संख्या	-	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय के लिये- एक सौ इक्कीस करोड़, नवासी लाख, उनचालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- चार सौ सत्ताईस करोड, सत्ताईस लाख, बांसठ हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- सात सौ करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(सायं 7 बजकर 30 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2019 (माघ 30, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक : 18 फरवरी, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं